SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार

2025 का प्रतिवेदन संख्या 2

(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर वर्ष 2023–24 के लिए प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार

2025 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

प्राक्कथन		v
कार्यपालिक सारांश		vii
अध्याय I: विहंगावलोकन		
अनुच्छेद संख्या		**पृष्ठ संख्या**
1.1	राज्य का परिदृश्य	1
1.1.1	राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1
1.2	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	3
1.3	सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	4
1.3.1	वित्तीय स्थिति का सारांश	7
1.3.2	सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सारांश	8
1.4	राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	9
1.4.1	भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप उधार के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन	13
1.5	लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल ऋण	14
1.5.1	लेखापरीक्षा के पश्चात-घाटा	14
1.5.2	लेखापरीक्षा के पश्चात-समग्र देयता	15
अध्याय II: राज्य का वित्त		
2.1	वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में मुख्य राजकोषीय समग्रों में मुख्य परिवर्तन	17
2.2	निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	18
2.3	राज्य के संसाधन	19
2.3.1	राज्य की प्राप्तियाँ	20
2.3.2	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	21
2.3.2.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियाँ और वृद्धि	21
2.3.2.2	राज्य के स्व-संसाधन	23
2.3.2.3	केंद्र द्वारा हस्तांतरण	29
2.3.3	पूंजीगत प्राप्तियाँ	34
2.3.4	संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	35
2.4	संसाधनों का अनुप्रयोग	35
2.4.1	व्यय की वृद्धि एवं संयोजन	35
2.4.2	राजस्व व्यय	38
2.4.2.1	राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन	39
2.4.2.2	प्रतिबद्ध व्यय	40
2.4.2.3	अर्थ-सहाय्य	43
2.4.2.4	राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	45
2.4.3	पूंजीगत व्यय	46
2.4.3.1	पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	47

विषय सूची

2.4.3.2	पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता	48
2.4.3.3	निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता	50
2.4.4	व्यय की प्राथमिकताएं	51
2.4.5	कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय	52
2.5	लोक लेखा	52
2.5.1	लोक लेखा निवल शेष	52
2.5.2	आरक्षित निधियाँ	54
2.5.2.1	राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि	55
2.5.2.2	प्रत्याभूति मोचन निधि	57
2.5.2.3	उपकर/अधिभार का संग्रहण	58
2.6	लोक देयता का प्रबंधन	59
2.6.1	देयता रुपरेखाः घटक	60
2.6.2	ऋण रूपरेखाः परिपक्वता और पुनर्भुगतान	63
2.7	ऋण धारणीयता विश्लेषण (डीएसए)	65
2.7.1	उधार ली गई निधियों का उपयोग और अन्य देयताओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियाँ	69
2.7.2	प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें	70
2.7.3	रोकड़ शेषों का प्रबंधन	71
2.8	निष्कर्ष	74
2.9	सिफारिशें	75
अध्याय III: बजटीय प्रबंधन		
3.1	बजट प्रक्रिया	77
3.1.1	कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का सारांश	80
3.1.2	बचतों एवं संवितरणों का सारांश	80
3.1.3	बजट की सटीकता	81
3.2	विनियोग लेखे	82
3.3	बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता	82
3.3.1	अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	82
3.3.2	निधियों का अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन	84
3.3.3	अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचतें/अभ्यर्पण	85
3.3.4	वर्ष 2023-24 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य का नियमितीकरण	89
3.4	बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	90
3.4.1	बजट अनुमान तथा अपेक्षित एवं वास्तविक के मध्य अंतर	90
3.4.2	प्रमुख योजनाओं का गैर-क्रियान्वयन तथा प्रमुख नीतिगत घोषणाओं की स्थिति	93
3.4.3	व्यय का प्रवाह	94
3.4.4	जेंडर अनुकूल बजट	96

विषय सूची

3.4.5	चाइल्ड बजट	98
3.4.6	चयनित अनुदानों की समीक्षा	99
3.4.7	लेखों में अन्य अनियमितताएँ	116
3.5	प्रशंसनीय कदम	119
3.6	निष्कर्ष	119
3.7	सिफारिशें	119
अध्याय-IV: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रथायें		
4.1	ब्याज वाली जमाओं/आरक्षित निधियों पर ब्याज देयताओं का निर्वहन न करना	121
4.2	राज्य सरकार की बजट से इतर उधार	122
4.3	राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही निधियों का हस्तांतरण	124
4.4	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	125
4.5	सारांशीकृत आकस्मिक बिल	129
4.6	निजी निक्षेप खाते	132
4.7	लघु शीर्ष-800 का संचालन	138
4.8	प्रमुख उचंत और डीडीआर शीर्षों के तहत बकाया शेष	140
4.9	विभागीय आंकड़ों का मिलान	142
4.10	नकद शेषों का मिलान	142
4.11	लेखांकन मानकों की अनुपालना	142
4.12	दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि	144
4.13	स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	145
4.14	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	147
4.15	छठे वित्त आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन	147
4.16	निष्कर्ष	150
4.17	सिफारिशें	150

अनुलग्नक

परिशिष्ट-1.1	राज्य के प्रमुख संकेतक	153
परिशिष्ट-1.2	राज्य के वित्तीय आंकड़े	154
परिशिष्ट-1.3	31 मार्च 2024 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	155
परिशिष्ट-2.1	वर्ष 2023-24 में प्राप्तियों और संवितरणों का सार	157
परिशिष्ट-2.2	राज्य सरकार की वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़े	160
परिशिष्ट-2.3	ऋण की शब्दावली	163
परिशिष्ट-3.1	बजट से संबंधित महत्वपूर्ण मदों की शब्दावली	164
परिशिष्ट-3.2	निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)	167
परिशिष्ट-3.3	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचतें कुल प्रावधानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक रही	169
परिशिष्ट-3.4	₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण	171
परिशिष्ट-3.5	उन योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा	172
परिशिष्ट-3.6	ऐसे मामले जिनमें विगत तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा	189
परिशिष्ट-3.7	वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण की घोषणाओं के क्रियान्वयन का अभाव	190
परिशिष्ट-3.8	व्यय का प्रवाह (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)	193
परिशिष्ट-3.9	जेंडर बजट की योजनाओं जिनमें कोई व्यय नहीं होना	197
परिशिष्ट-3.10	योजनायें जहाँ बजट अनुमान में प्रावधान किए गए और संशोधित अनुमान में कम किए गए	201
परिशिष्ट-3.11	कम व्यय वाली योजनाओं का विवरण	202
परिशिष्ट-3.12	पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत अनियमित प्रावधान	203
परिशिष्ट-4.1	राज्य कार्यकारी अभिकरणों को सीधे ही हस्तांतरित निधियाँ	205
परिशिष्ट-4.2	31 मार्च 2024 तक बकाया सारांशिकृत आकस्मिक बिलों की स्थिति	207
परिशिष्ट-4.3	एसी बिल जिसमे महत्वपूर्ण/सम्पूर्ण राशि चालान के माध्यम से वापस जमा कराई गई	209
परिशिष्ट-4.4	31 मार्च 2024 को निजी निक्षेप खातों में शेष राशि ₹ 100 करोड़ और अधिक को दर्शाने वाला विवरण	210
परिशिष्ट-4.5	वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न कोषागारों में संधारित निजी निक्षेप खातों में "शून्य" शेष रखने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	211
परिशिष्ट-4.6	वर्ष 2022-2024 के दौरान निजी निक्षेप खातों के गैर-परिचालन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	213
परिशिष्ट-4.7	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ	217
परिशिष्ट-4.8	विभिन्न विभागों में चोरी/हानि एवं दुर्विनियोजन के प्रकरणों का श्रेणीवार विवरण	218
परिशिष्ट-4.9	स्वायत निकायों के प्रदर्शन को दर्शाने वाला विवरण	219
परिशिष्ट-4.10	निकायों एवं प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाला विवरण जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए	220

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. प्रतिवेदन के अध्याय I में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों की प्रवृतियाँ जैसे राजस्व आधिक्य/कमी, राजकोषीय आधिक्य/कमी आदि शामिल है।

3. प्रतिवेदन के अध्याय II और III में क्रमशः 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों और विनियोग लेखों की जाँच में प्रकट होने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है। राजस्थान सरकार से जहां भी आवश्यक हो, जानकारी प्राप्त की गई है।

4. अध्याय IV "लेखों की गुणवत्ता तथा वित्तीय रिपोटिंग प्रथाओं" पर वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों की अनुपालना की स्थिति एवं विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

5. निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों के लेनदेनों की लेखा परीक्षा के निष्कर्षों, सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा में प्रकट हुये आक्षेपों और राजस्व प्राप्तियों के आक्षेपों वाले प्रतिवेदनों को पृथक से प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यपालिक सारांश

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन तथा लेखों की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यपालिक सारांश इस प्रतिवेदन की विषयवस्तु पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों एवं पहलुओं के सारांश के माध्यम से राजकोषीय धारणीयता, बजट के उद्देश्य के सापेक्ष निष्पादन, राजस्व तथा व्यय अनुमान, विचलन के कारणों और इसके प्रभाव की जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (वर्तमान मूल्यों पर) वर्ष 2019-20 में ₹ 10,00,032 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 15,28,385 करोड़ हो गया जो गत वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.56 प्रतिशत बढ़ा। राज्य का बजट परिव्यय वर्ष 2019-20 में ₹ 2,39,959.67 करोड़ से 13.88 प्रतिशत की औसत दर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 4,03,547.25 करोड़ हो गया।

राजस्व प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में 4.25 प्रतिशत बढ़ी यद्यपि जीएसडीपी से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत वर्ष 2022-23 में 14.36 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 13.30 प्रतिशत रह गया। गत वर्ष की तुलना में कर राजस्व 12.15 प्रतिशत बढ़ा और राज्य का स्व-कर राजस्व 7.72 प्रतिशत बढ़ा। राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) वर्ष 2022-23 में ₹ 2,46,452 करोड़ से 9.26 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 2,69,275 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में वर्ष 2022-23 से 6.96 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व घाटा वर्ष 2022-23 की तुलना में 23.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 31,491 करोड़ से बढकर ₹ 38,955 करोड़ हो गया, जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 में ₹ 51,028 करोड़ से 28.52 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 65,580 करोड़ हो गया।

प्राप्ति–व्यय असंतुलन

प्राप्तियों और व्यय के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय तनाव का संकेत देता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत जैसे राज्य का स्व-कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, करों में राज्य के हिस्से का हस्तांतरण, सहायतार्थ अनुदान, संघ सरकार से हस्तांतरण एंव गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखे पर व्यय के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (सम्पति सृजन, ऋण एवं अग्रिम, निवेश आदि) शामिल है।

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक राजस्व प्राप्तियाँ चक्रवृद्धि औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.75 प्रतिशत के साथ ₹1,40,114 करोड़ से बढ़कर ₹2,03,276 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियाँ ₹41,831 करोड़ से बढ़कर ₹ 58,687 करोड़ हो गई। वर्ष 2023-24 के दौरान 83.32 प्रतिशत पूंजीगत प्राप्तियाँ निवल आन्तरिक ऋणों से एवं 15.97 प्रतिशत भारत सरकार से निवल ऋणों एवं अग्रिमों से आई। राजस्व प्राप्तियों में सहायतार्थ अनुदान का हिस्सा मुख्यतः राजस्व घाटा अनुदान एवं स्थानीय निकायों को अनुदान में उल्लेखनीय कमी के कारण वर्ष 2019-20 में 20.77 प्रतिशत से घटकर वर्ष

2023-24 में 11.04 प्रतिशत रह गया। राज्य सरकार को वर्ष के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय अंश के रूप में ₹14,263 करोड़ प्राप्त हुए।

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने और विगत दायित्वों के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के आधारभूत ढांचे और सेवा तंत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। वर्ष 2019-20 और 2023-24 के बीच, राजस्व व्यय ₹1,76,485 करोड़ से बढ़कर ₹2,42,231 करोड़ हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (89.44 से 91.90 प्रतिशत) बना रहा।

एकल नोडल एजेंसी को निधियाँ

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने प्रत्येक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन एवं निधियाँ जारी करने हेतु एकल नोडल एजेंसी तंत्र लागू किया। भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंश सरकारी लेखे से इतर एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तान्तरित किया जाता है।

राज्य सरकार को अपने कोषालय खातों में 2023-24 के दौरान केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 12,954.28 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2024 को, सरकार द्वारा कोषालय खातों में प्राप्त हुए केंद्रीय अंश ₹ 12,712.31 करोड़ (पिछले शेष सहित) तथा राज्यांश ₹ 11,388.55 करोड़ एकल नोडल एजेंसियों को हस्तान्तरित किये गए। कुल हस्तान्तरित ₹24,100.86 करोड़ में से, ₹12,880.02 करोड़ सहायतार्थ अनुदान बिलों के माध्यम से, ₹ 6,760.47 करोड़ परिपूर्ण आकस्मिक बिलों के माध्यम से ₹ 3,944.52 करोड़ निजी निक्षेप खातों के माध्यम से तथा ₹ 515.85 करोड़ वर्क्स अकाउंटिंग मॉड्यूल (वाम) के माध्यम से हस्तान्तरित किए गए।

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली की एकल नोडल एजेंसी-01 रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2024 तक एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹4,713.71 करोड़ अव्ययित पड़े थे, जो कि सरकारी लेखों से बाहर है।

संसाधनों से अधिक व्यय के परिणाम

राजस्व प्राप्ति पर राजस्व व्यय की अधिकता के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। राज्य का राजस्व घाटा एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2019-20 में ₹ 36,371 करोड़ से बढ़कर चालू वर्ष में ₹ 38,955 करोड़ हो गया।

राज्य सरकार ने पूंजीगत मद में ₹ 26,646 करोड़ व्यय किए। यह 2023-24 में कुल व्यय का 9.90 प्रतिशत था। पूंजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में ₹ 6,848 करोड़ (34.59 प्रतिशत) बढा। उधार ली गई निधियों का उपयोग मुख्य रूप से वर्तमान उपभोग को पूरा करने और उधारों के पुनर्भुगतान के लिए किया जाता है एवं निवल उधारों का मात्र 8.76 प्रतिशत वर्ष के दौरान पूंजी सृजन/विकास गतिविधियों के लिए उपलब्ध था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के बीच अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 में ₹ 37,654 करोड़ (जीएसडीपी का 3.77 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 65,580 करोड़ (जीएसडीपी का 4.29 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत, प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर प्रथम भार होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन एंव मजदूरी पर व्यय और पेंशन शामिल हैं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का औसत 53 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2019-20 में ₹ 93,470 करोड़ (52.96 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹1,26,730 करोड़ (52.32 प्रतिशत) हो गया {वर्ष 2022-23 की तुलना में 9.48 प्रतिशत बढा}।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान अलोचनीय व्यय राजस्व व्यय के 23.72 प्रतिशत से कम होकर 20.75 प्रतिशत रह गया, जो एक घटती प्रवृति दर्शाता है। अलोचनीय व्यय वर्ष 2022-23 में ₹ 64,525 करोड़ से 22.09 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए वर्ष 2023-24 में ₹ 50,270 करोड़ रह गया।

साथ ही, वर्ष 2023-24 में प्रतिबद्ध और अलोचनीय व्यय ₹ 1,77,000 करोड़ था जो कि राजस्व व्यय का 73.07 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अलोचनीय व्यय पर अधिक राशि सरकार के लिए अन्य क्षेत्रों/योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए कम संभावना छोड़ती है।

अर्थ-सहाय्य गैर-प्रतिबद्ध व्यय का बड़ा हिस्सा

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत, अर्थ-सहाय्य की बढती प्रवृत्ति है,जो वर्ष 2019-20 में ₹18,990 करोड़ से बढकर वर्ष 2023-24 में ₹28,402 करोड़ हो गई है। इस अवधि के दौरान कुल अर्थ-सहाय्य का 95.20 प्रतिशत से लेकर 98.18 प्रतिशत के मध्य एक बड़ा हिस्सा उर्जा क्षेत्र में अर्थ-सहाय्य का रहा।

प्रत्याभूतियों के कारण आकस्मिक देयतायें

बकाया प्रत्याभूतियाँ वर्ष 2022-23 में ₹ 1,04,832 करोड़ से 5.81 प्रतिशत बढकर वर्ष 2023-24 में ₹ 1,10,918 करोड़ हो गई और यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,03,276 करोड़) का 54.57 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान कोई प्रत्याभूति लागू नहीं हुई।

उपकर/अधिभार का संग्रहण

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक सात आरक्षित निधियों/जमा निधियों में ₹ 7,393.18 करोड़ कम हस्तांतरित किए।

राजकोषीय धारणीयता

राजकोषीय धारणीयता की जाँच वृहत्त राजकोषीय मानकों के सन्दर्भ में की जाती है जैसे घाटे, ऋण और देयताओं के स्तर, बजट से इतर उधार के कारण प्रतिबद्धतायें, प्रत्याभूतियाँ, अर्थ-सहाय्य इत्यादि। जहाँ तक राजस्व और व्यय के असंतुलन का प्रश्न है, प्रतिबद्ध और आलोचनीय व्यय एक महत्वपूर्ण बाधा है,

जिसमें वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि शामिल है और अन्य अलोचनीय व्यय जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, आरक्षित निधियों को हस्तांतरण, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण आदि भी शामिल हैं।

एफआरबीएम अधिनियम आवश्यकताएँ और राजकोषीय मापदंडो का अनुपालन

एफआरबीएम अधिनियम/नियम कुछ सीमायें निर्धारित करते हैं जिनके अंतर्गत, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में ऋण होना चाहिए। एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाये रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। राज्य सरकार लगातार ग्यारहवें वर्ष शून्य राजस्व घाटा हासिल करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। जबकि वर्ष 2023-24 में राज्य का राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का 4.29 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) में लक्षित आंकड़े से अधिक था, यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई समग्र वित्तीय सीमा (जीएसडीपी का 4.06 प्रतिशत) से भी अधिक था। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया देयतायें 38.20 प्रतिशत की सीमा के समक्ष 36.62 प्रतिशत थी और वर्ष 2023-24 के दौरान बकाया प्रतिभूतियों का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (28.98 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा (60 प्रतिशत) के भीतर था।

इसके अलावा, यदि बजट से इतर उधार की मात्रा को ऋण के रूप में शामिल किया जाता है, तो सरकार की कुल देयतायें (लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सहित) जीएसडीपी का 37.15 प्रतिशत थी। राजकोषीय प्रवृतियों के अनुसार,राज्य के वित्त पर भारी दबाव है ।

राजस्थान का कुल ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2019-20 में 35.27 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 36.62 प्रतिशत हो गया, जो दर्शाता है कि निकट भविष्य में ऋण स्थिरीकरण जटिल हो सकता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान ऋण-जीएसडीपी अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक रहा। विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा भी जीएसडीपी के लक्षित तीन प्रतिशत से अधिक रहा। विगत पांच वर्षो के दौरान 87 प्रतिशत से अधिक उधारों का उपयोग बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान (ब्याज सहित) के लिए किया गया। *जीएसडीपी की तुलना में ऋण का उच्च अनुपात यह दर्शाता है कि राज्य का बोझ उसके आर्थिक उत्पादन की तुलना में काफी अधिक है और वित्तीय भेद्यता को दर्शाता है एवं राजकोषीय लचीलेपन को कम करता है।*

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 को छोड़कर नोमिनल जीएसडीपी दर समग्र ऋण की वृद्धि दर से कम थी। इसका तात्पर्य है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2023-24 में ऋण वृद्धि नोमिनल वृद्धि दर से आगे निकल गई जिससे इन वर्षों में राज्य का ऋण भार और बढ़ गया।

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल ऋण पर ब्याज भुगतान का बोझ सभी पांच वर्षों में 15 प्रतिशत से अधिक रहा। यह 2021-22 में 15.28 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 16.79 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में यह विगत पांच वर्षों के दौरान 13 प्रतिशत से अधिक रहा और पिछले तीन वर्षो के दौरान इसमें वृद्धि की प्रवृति देखी गयी। *यह एक अस्थिर ऋण प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है।*

राज्य के बाजार ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा से पता चलता है कि 31 मार्च 2024 तक कुल बाजार ऋण का 63.66 प्रतिशत (₹ 2,28,432 करोड़) पांच वर्ष से अधिक समय के बाद चुकाया जाना है जो ऋण की लम्बी अवधि को दर्शाता है। यह आगामी लघु एवं मध्यम अवधि में रोल-ओवर जोखिम को सीमित करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम लेने के अवसरों की संख्या 2019-20 में तीन से बढ़कर 2023-24 में 170 हो गई और विगत पांच वर्षों के दौरान मार्गोपाय अग्रिम की राशि में वृद्धि की प्रवृति है। *बड़ी मात्रा में मार्गोपाय अग्रिम का निरंतर उपयोग कमजोर तरलता प्रबंधन को दर्शाता है जो कमजोर राजकोषीय प्रबंधन का द्योतक है एवं अल्पकालिक स्थिरता को बाधित करता है।*

डोमार गैप (ब्याज वृद्धि का अंतर जैसे वास्तविक वृद्धि-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर) 2020-21 को छोड़कर विगत पांच वर्षो के दौरान सकारात्मक रहा जो कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक मंदी के कारण हुआ, जबकि राज्य का प्राथमिक शेष विगत पांच वर्षों के दौरान नकारात्मक रहा। हालाँकि प्राथमिक घाटे में अस्थिर प्रवृति देखी गई। उधार पर राज्य की बढ़ती ब्याज देनदारी के साथ, यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि राज्य के लिए ऋण धारणीय है।

बजट निष्पादन

कुल व्यय परिणाम

बजटीय प्रयोजन और बजट कार्यान्वयन के सन्दर्भ में बजट निष्पादन की जाँच यह आंकलन करने के लिए की जाती है कि आधिक्य और बचत दोनों के सन्दर्भ में कुल व्यय परिणाम किस सीमा तक वास्तविक रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है।

राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान के समक्ष परिणाम में विचलन (-) 6.92 प्रतिशत था। यह 49 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के मध्य, 12 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, एक अनुदान में ± 50 प्रतिशत से ±100 प्रतिशत के मध्य और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के विचलन के कारण था। हालाँकि, राजस्व अनुभाग के एक अनुदान के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। पूंजीगत अनुभाग में, बजट अनुमान के समक्ष परिणाम में विचलन (+) 42.34 प्रतिशत था। यह 12 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के मध्य,13 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, 33 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ±100 प्रतिशत के मध्य और चार अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के विचलन के कारण था। हालाँकि पूंजीगत अनुभाग के दो अनुदानों के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान 32 मामलों में ₹ 7,468 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 25 करोड़ से अधिक) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नही पहुंचा।

अनुदान/विनियोजन से आधिक्य का नियमितीकरण

राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205(1)(बी) के अनुसार अनुदान/विनियोजन पर आधिक्य को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमितीकरण करना होता है। यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 में दो अनुदानों के तहत ₹77.73 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ, जिसके नियमितीकरण करने की आवश्यकता थी।

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत प्रकटीकरण

राज्य सरकार ने सहायतार्थ अनुदान प्रदान करने के लिए पूंजीगत शीर्षों के तहत ₹8.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया था एवं स्वायत्त निकायों को सहायतार्थ अनुदान के रूप में ₹4.00 करोड़ हस्तांतरित किए थे। इस व्यय को भारत सरकार लेखांकन मानक (आईजीएएस), सरकारी लेखा नियम (जीएआर) और सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम (जीएफ एंड एआर) के प्रावधानों का उल्लंघन कर अनियमित रूप से राजस्व के स्थान पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्याँकन से पता चलता है कि वास्तविक व्यय और मूल बजट के साथ-साथ वास्तविक व्यय और संशोधित बजट के बीच विचलन 10 प्रतिशत से कम था, यद्यपि विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत तक और उससे भी अधिक विचलन रहा। आगे, यह भी देखा गया कि अधिकतर मामलों में अनुपूरक अनुदान लिये गये थे जहाँ व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं पहुँचा था। ऐसे विचलनों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजट प्रणाली की आवश्यकता है।

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

लेखो की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग में वे मदें, लेनदेन और घटनायें सम्मिलित हैं जो अनुपालन में अन्तराल, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में विलम्ब के मामलों से सम्बंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बंधित मामले जैसे कि निधियों का अवरोधन और देयताओं के कम या गैर-भुगतान पर भी प्रकाश डालता है।

बजट से इतर उधार

राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों के माध्यम से उधार लेती है जो राज्य की समेकित निधि में नहीं आता है लेकिन बजट के माध्यम से पुनर्भुगतान और अदायगी किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 में, राज्य सरकार ने बजट से इतर उधारों के पुनर्भुगतान और ब्याज अदायगी के लिए ₹ 702.87 करोड़ की सहायता/अनुदान प्रदान किया। यह सरकार द्वारा पुनर्भुगतान और उधारों पर दिए गए ब्याज के अतिरिक्त था।

अंक मिलान

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (जीएफ एवं एआर) के नियम 11(3) के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के आंकड़ों का महालेखाकार (लेखा एंव हक़), राजस्थान के द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ अंकमिलान आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के दौरान, नियंत्रण

अधिकारियो द्वारा (i) कुल व्यय ₹ 2,42,230.88 करोड़ और (ii) कुल प्राप्तियों ₹ 2,03,276.28 करोड़ का 100 प्रतिशत अंक मिलान किया गया। वास्तव में, विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार व्यय और प्राप्तियो का शत प्रतिशत अंक मिलान करने में सफल रही है।

भारत सरकार लेखा मानकों (आईजीएएस) का अनुपालन

भारत सरकार लेखा मानकों (आईजीएएस) के अनुपालन की आवश्यकताओं के सापेक्ष राज्य सरकार ने **आईजीएएस-1** का अनुपालन किया। हालाँकि उसने **आईजीएएस-2** में निर्धारित वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान का प्रकटीकरण नहीं दिया और **आईजीएएस-3** में निर्धारित राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम के बारे में आंशिक प्रकटीकरण नहीं किया। इसके अतिरिक्त पूर्व अवधि समायोजन से सम्बंधित **आईजीएएस-4** लागू नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान पूर्व अवधि का कोई समायोजन नहीं किया गया था।

पीडी खातों का संचालन

2,451 निजी निक्षेप खातों में ₹13,762.90 करोड़ की अव्ययित राशि में 24 निजी निक्षेप खाते (प्रत्येक में ₹100 करोड़ या अधिक शेष हैं) शामिल हैं जिनमे ₹ 8,598.34 करोड़ की राशि अर्थात कुल अव्ययित शेष (₹ 13,762.90 करोड़) का 62.47 प्रतिशत पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि और नगरपालिका निधि में उपयोग के लिए लंबित वृहत अवशेष हैं। इसके अलावा, इन निधियों को बैंक खाते में रखने के कारण ग्राम पंचायतों के खातों में पड़ी अप्रयुक्त निधियों की उचित स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

सशर्त अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र

एक निर्धारित समय अवधि के भीतर सशर्त अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 को ₹ 1,122.12 करोड़ के 996 उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र न केवल वित्तीय जवाबदेही तंत्र को कमजोर करते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते है कि विभागीय अधिकारियों ने निर्धारित उद्देश्य के लिए अनुदान का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।

सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल

इसी प्रकार, सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से निकाली गई अग्रिम धनराशि के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 81.29 करोड़ के 197 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने के लिए लंबित थे, जिनमें से ₹ 64.35 करोड़ के 14 सारांशीकृत आकस्मिक बिल 2022-23 तक की अवधि से सम्बंधित है। पर्याप्त अवधि व्यतीत होने के बाद भी सारांशीकृत आकस्मिक बिलों का असमायोजित रहना विभाग के साथ-साथ कोषालयों के स्तर पर अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है।

लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकन

उसी मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध होने पर भी लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकन करने से लेखों की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के दौरान 57 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 14,260.44 करोड़ को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 5.30 प्रतिशत था। इसी प्रकार, लेखों के 44 मुख्य शीर्षो के अंतर्गत ₹ 9,138.35 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियो का 4.50 प्रतिशत है,को लेखो में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियो के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

गबन, चोरी और हानि

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक विभिन्न विभागों में ₹131.06 करोड़ की सरकारी धन की गबन, चोरी और हानि के 748 प्रकरण दर्ज किए, जिन पर अंतिम कार्यवाही लंबित है।

प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों के अनुपालन से तात्पर्य लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेयता सुनिश्चित करने से है। गैर-अनुपालन और विचलन, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है। सशर्त अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करना, सारांशिकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत नहीं करना, आईजीएएस-2 एवं आईजीएएस-3 का अनुपालन न करने और व्यय को उचित लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज न करने से लेखों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मुख्य प्रतिवेदन

अध्याय I: विहंगावलोकन

1.1 राज्य का परिदृश्य

राजस्थान 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ देश में सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है और उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है। इसकी पाकिस्तान के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। राज्य में अर्ध-शुष्क से लेकर शुष्क तक विविध जलवायु परिस्थितियां हैं। प्रशासनिक रूप से, यह 7 संभागों और 41 जिलों में विभाजित है।

अनुमानों के अनुसार, राज्य की जनसंख्या 13.80 प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर दर्ज करते हुए 2014 में 7.20 करोड़ से बढ़कर 2024 में 8.19 करोड़ हो गई। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या अखिल भारतीय औसत 21.92 प्रतिशत (2011-12 के लिए गरीबी अनुमान) की तुलना में वर्ष 2011-12 में 14.71 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, साक्षरता दर 66.10 प्रतिशत थी जो कि अखिल भारतीय औसत 73 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) से 6.90 प्रतिशतता बिंदु नीचे थी। राज्य के प्रमुख संकेतक ***परिशिष्ट 1.1*** एवं ***परिशिष्ट 1.2*** में दिए गए हैं।

1.1.1 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) किसी निश्चित समयांतराल में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक तय समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में जीएसडीपी (वर्तमान मूल्यों पर) में वार्षिक वृद्धि की प्रवृतियों और जीएसडीपी के साथ सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) की वृद्धि दर को **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी एवं जीडीपी में वृद्धि की प्रवृत्तियां (सांकेतिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	भारत					
1.	जीडीपी (आधार वर्ष 2011-12)	2,01,03,593	1,98,54,096[$]	2,35,97,399[Σ]	2,69,49,646[£]	2,95,35,667[@]
2.	जीवीए (वर्तमान मूल्यों पर) (आधार वर्ष 2011-12)	1,83,81,117	1,82,10,997[$]	2,16,35,584[Σ]	2,46,59,041[£]	2,67,62,147[@]
3.	गत वर्ष की तुलना में जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.37	(-) 1.24	18.85	14.21	9.60
4.	गत वर्ष की तुलना में जीवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.02	(-) 0.93	18.81	13.97	8.53
5.	प्रति व्यक्ति जीडीपी (₹ में)	1,49,915	1,46,480	1,72,422	1,94,879	2,11,725
	राजस्थान					
6.	जीएसडीपी (आधार वर्ष 2011-12)	10,00,032	10,17,917	11,94,961[Σ]	13,57,851[£]	15,28,385[#]
7.	जीएसवीए (वर्तमान मूल्यों पर) (आधार वर्ष 2011-12)	9,45,551	9,61,175	11,30,039	12,76,563	14,27,982

क्र.स.	वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
8.	गत वर्ष की तुलना में जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.71	1.79	17.39	13.63	12.56
9.	गत वर्ष की तुलना में जीएसवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.06	1.65	17.57	12.97	11.86
10.	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (₹ में)	1,28,451	1,29,077	1,49,763	1,68,338	1,87,454

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार

Σ संशोधित अनुमान-II, £ संशोधित अनुमान-I, # अग्रिम अनुमान, $ संशोधित अनुमान-III, @ अनन्तिम अनुमान

वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी गत वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.56 प्रतिशत बढ़ी और यह ₹ 15,28,385 करोड़ थी। जीएसडीपी की वृद्धि दर 12.56 प्रतिशत जीडीपी की वृद्धि दर (9.60 प्रतिशत) से अधिक थी। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹ 1,87,454 थी जो प्रति व्यक्ति जीडीपी ₹ 2,11,725 (2023-24) से कम थी। हालाँकि, वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में वृद्धि (45.93 प्रतिशत) समान अवधि के दौरान देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि (41.23 प्रतिशत) से अधिक थी।

तालिका 1.1 से भी यह देखा जा सकता है कि 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए ₹ 14,27,982 करोड़ था और 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर जीवीए ₹ 2,67,62,147 करोड़ था। वर्ष 2023-24 के दौरान, जीएसवीए में 11.86 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई जो कि जीवीए की वृद्धि दर (8.53 प्रतिशत) से अधिक थी।

सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे जीडीपी की तुलना में आर्थिक विकास का एक बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और अर्थ-सहाय्य के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जीडीपी की गणना निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल स्थाई पूंजीगत निर्माण या अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को अनिवार्य रूप से प्रतिबिंबित करने वाले निवेश व्यय को शामिल करते हुए अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के योग के रूप में की जा सकती है। दोनों उपायों में शुद्ध करों के उपचार में अंतर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए जीवीए और जीएसवीए डेटा की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए जीएसडीपी और जीएसवीए की प्रवृति को नीचे **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए के सापेक्ष जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्ष 2019-20 से 2023-24)

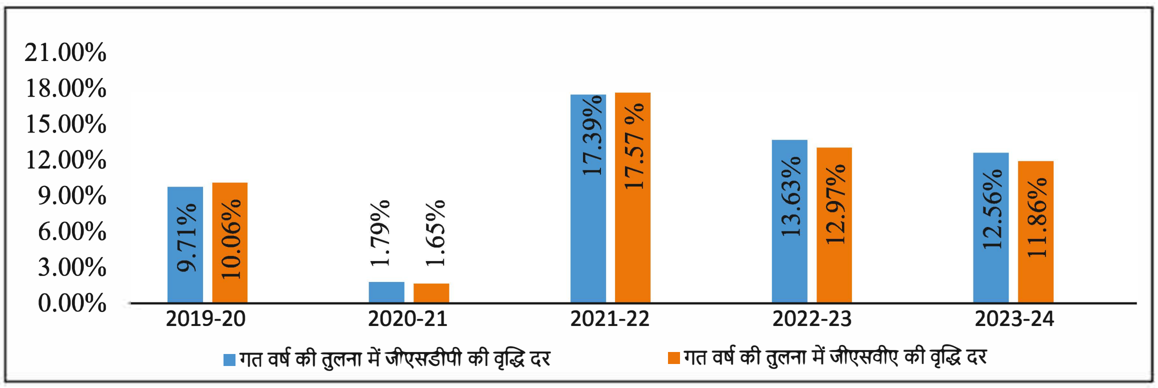

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जीएसवीए के क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित की जाती है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। वर्ष 2019-20 से 2023 -24 की अवधि के दौरान जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि को नीचे **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि (वर्ष 2019-20 से 2023-24)

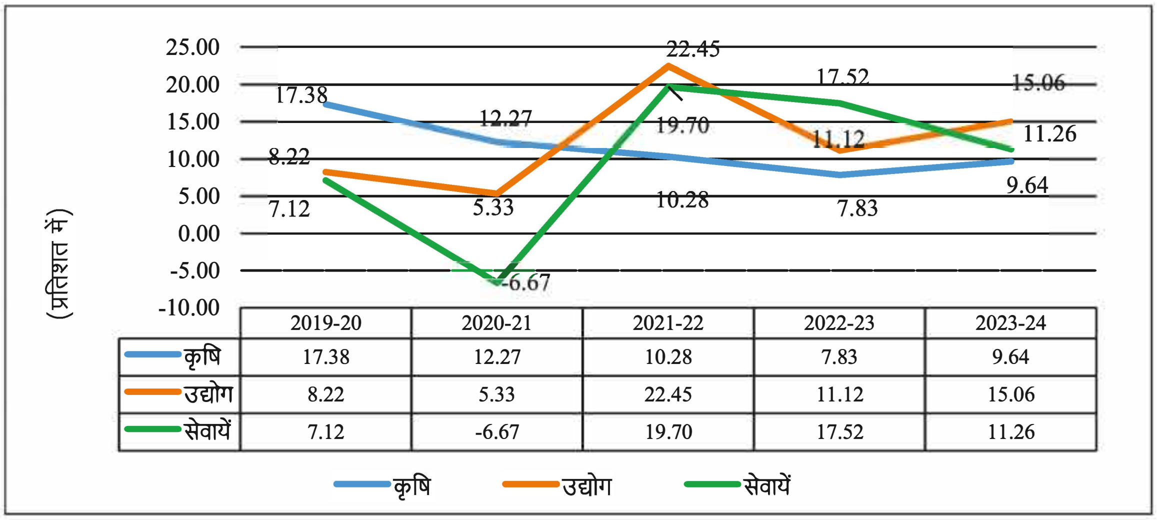

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कृषि	17.38	12.27	10.28	7.83	9.64
उद्योग	8.22	5.33	22.45	11.12	15.06
सेवायें	7.12	-6.67	19.70	17.52	11.26

स्रोत :आर्थिक समीक्षा 2023-24, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार।

चार्ट 1.2 दर्शाता है कि 2023-24 के दौरान कृषि और उद्योग क्षेत्रों में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई जबकि सेवा क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का राज्य के लेखों से सम्बन्धित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संविधान के उक्त अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक़), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले कोषालयों, कार्यालयों और विभागों जो ऐसे लेखों को रखने के लिए जिम्मेदार है, के द्वारा प्रेषित वाउचर्स, चालानों और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वार्षिक वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करते हैं। ये लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षित एवं सीएजी द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं।

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) के लिए प्रमुख आंकड़े जुटाते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट, राजकोषीय मापदंडों और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं के समक्ष अनुमानों के आंकलन के साथ-साथ इसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन और सम्बंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना;

- वर्ष के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान द्वारा राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों के अन्य आंकड़े (आईएफएमएस- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ-साथ लेखांकन);
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जीएसडीपी आंकड़ें एवं राज्य से सम्बंधित अन्य सांख्यिकीय आंकड़ें; और
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण चौहदवें वित्त आयोग (XIV-एफसी), पन्द्रहवें वित्त आयोग (XV-एफसी), छठे राज्य वित्त आयोग (VI-एसएफसी), राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफआरबीएम) की सिफारिशों, श्रेष्ठ प्रचलित मानकों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी किया गया है। सरकार से प्राप्त उत्तरों जहाँ प्राप्त हुए है उन्हें प्रतिवेदन में उचित स्थान पर शामिल किया गया है।

1.3 सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तारित मार्गोपाय अग्रिमों और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राशियां शामिल है। इस निधि से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कानून के अनुसरण में और उद्देश्यों के लिए एवं निर्धारित रीति के सिवाय किसी भी राशि को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण की पुनर्अदायगी आदि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित (प्रभारित व्यय) होती है और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य समस्त व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा स्थापित किया गया है और राज्य विधानमंडल द्वारा प्रमाणीकरण लंबित रहने तक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा गया है। व्यय को संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को नामे कर इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त अन्य लोक राशियां, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा की जाती है। लोक लेखे में पुनर्अदायगी जैसे लघु बचतें और भविष्य निधियां, जमायें (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों शीर्ष अस्थायी है और जिनमें अंतिम समायोजन लंबित है)

सम्मिलित हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी सम्मिलित है। लोक लेखा विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होता है।

बजट दस्तावेज

राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता (अनुच्छेद 202) है। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अतिरिक्त, बजट राजस्व खाते पर होने वाले व्यय को अन्य व्ययों से अलग करना चाहिये।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व एवं केंद्रीय करों/शुल्कों का अंश), कर-भिन्न राजस्व तथा भारत सरकार से अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे समस्त व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के लिए किए गए व्यय, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर किये गए ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) से सम्बंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित हैं:

- **लोक ऋण प्राप्तियाँ**: बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, मार्गोपाय अग्रिम के तहत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम आदि; और

- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ**: विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ आदि।

पूंजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण पर व्यय, भवन, मशीनरी, उपकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य पक्षों को दिए गये ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

वर्तमान में सरकार की एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
महालेखा-नियंत्रक (सीजीए) द्वारा मुख्य लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य-स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंक)
	उप-कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छूट	योजना	उप शीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/ गतिविधि	कार्यात्मक शीर्ष-वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्यकलाप, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजी, ऋण आदि के रूप में *व्यवस्थित* करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण मुख्य शीर्षों के 4-अंकीय अन्तर्निहित संख्यातर्क के प्रथम अंक द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए, 2 और 3 राजस्व व्यय के लिए, आदि। आर्थिक वर्गीकरण कुछ कार्यात्मक शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और वर्गीकरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" राजस्व व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है, "निर्माण" पूंजीगत व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है। कार्यात्मक शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3: सरकारी लेखों की संरचना

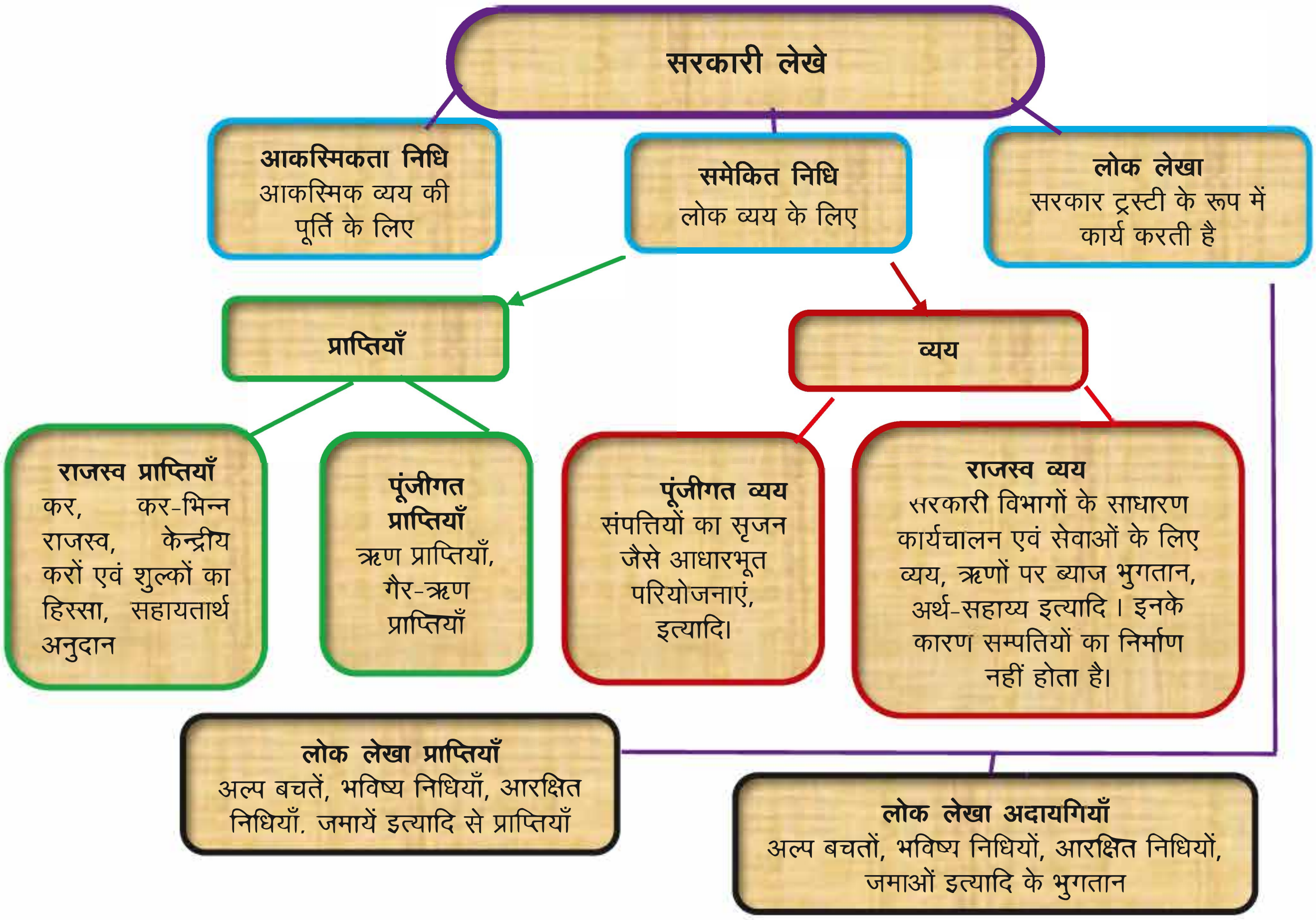

लोक ऋण और लोक दायित्व: इस रिपोर्ट में 'लोक ऋण' में बाजार ऋण, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण आदि को सम्मिलित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004-लोक ऋण को शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, लोक लेखा के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि' 'आरक्षित निधि' और 'जमा एवं अग्रिम' से सम्बंधित लेनदेन ऐसे हैं जिनसे सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए उत्तरदायी होती है या भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए दावा करती है। लोक लेखा के अंतर्गत 'प्रेषण' और 'उचंत' से संबंधित लेन-देन में कोषालयों और मुद्रा चेस्टों के बीच नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखा वृतों के बीच हस्तांतरण लेनदेन जैसे समायोजन शीर्षों को शामिल किया गया है।

इस रिपोर्ट में 'मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 के अंतर्गत लेनदेनों के साथ लोक दायित्व' में 'लघु बचतें, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधियाँ' और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के अंतर्गत लेनदेनों को सम्मिलित किया गया है।

बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसरण में, राज्य सरकार राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में राज्य विधानमंडल के समक्ष रखती है। अनुच्छेद 203 के अनुसरण में, अनुदान/विनियोग की मांगों के रूप में विवरण राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, समेकित निधि से आवश्यक राशि का विनियोजन करने हेतु अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

राज्य बजट नियमावली बजट निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत करती है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों का अनुश्रवण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। समेकित बजट के अलावा, राज्य सरकार कृषि बजट, जेंडर बजट विवरण, चाइल्ड बजट विवरण तथा दो प्रकार के निष्पादन बजट दस्तावेज जैसे आउटकम बजट और आउटपुट बजट भी तैयार करती है। बजट और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणामों को इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में वर्णित किया गया है।

1.3.1 वित्तीय स्थिति का सारांश

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों और जीएसडीपी के साथ वर्ष 2022-23 और 2023-24 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रस्तुत करती है:

तालिका 1.2: वर्ष 2022-23 और 2023-24 के वास्तविक के साथ-साथ वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2022-23 वास्तविक	2023-24 बजट अनुमान	2023-24 वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	**कर राजस्व**	**1,44,577**	**1,75,721**	**1,62,149**	**92.28**	**10.61**
(i)	स्व-कर राजस्व	87,346	1,14,169	94,086	82.41	6.16
(ii)	संघीय करों /शुल्कों का हिस्सा (अ)	57,231	61,552	68,063	110.58	4.45
2	कर-भिन्न राजस्व	20,565	24,285	18,680	76.92	1.22
3	सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	29,846	33,982	22,447	66.06	1.47
4	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	**1,94,988**	**2,33,988**	**2,03,276**	**86.87**	**13.30**
5	ऋणों और अग्रिमों की वसूली	420	311	405	130.23	0.03
6	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	16	20	14	70.00	0.00
7	उधार और अन्य देयताएं (ब)	51,028	62,772	65,580	104.47	4.29
8	**पूंजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)**	**51,464**	**63,103**	**65,999**	**104.59**	**4.32**
9	**कुल प्राप्तियाँ (4+8)**	**2,46,452**	**2,97,091**	**2,69,275**	**90.64**	**17.62**
10	**राजस्व व्यय जिसमें**	**2,26,479**	**2,58,884**	**2,42,231**	**93.57**	**15.85**
11	ब्याज भुगतान	30,602	32,394	34,128	105.35	2.23
12	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान	267	-	551	-	0.04
13	**पूँजीगत व्यय जिसमें**	**19,973**	**38,207**	**27,044**	**70.78**	**1.77**
14	पूँजीगत परिव्यय	19,798	38,061	26,646	70.01	1.74
15	ऋण और अग्रिम	175	146	398	272.60	0.03
16	**कुल व्यय (10+13)**	**2,46,452**	**2,97,091**	**2,69,275**	**90.64**	**17.62**
17	**राजस्व घाटा (4-10)**	**31,491**	**24,896**	**38,955**	**156.47**	**2.55**
18	**राजकोषीय घाटा {16-(4+5+6)}**	**51,028**	**62,772**	**65,580**	**104.47**	**4.29**
19	**प्राथमिक घाटा (18-11)**	**20,426**	**30,378**	**31,452**	**103.54**	**2.06**

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

(अ) केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से सहित।

(ब) उधार और अन्य देयताएं: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक और अंतिम नकद शेष का निवल।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में 4.25 प्रतिशत बढ़ीं, यद्यपि यह बजट अनुमान से 13.13 प्रतिशत कम रहीं। चालू वर्ष के दौरान, राजस्व व्यय (₹ 2,42,231 करोड़) राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,03,276 करोड़) से अधिक था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा ₹ 38,955 करोड़ हो गया।

1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सारांश

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और व्यय से सृजित की गई परिसंपत्तियों को संकलित करते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। परिसम्पतियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं। **तालिका 1.3** और ***परिशिष्ट 1.3*** गत वर्ष की तुलना में 31 मार्च 2024 को ऐसी परिसम्पत्तियों और देयताओं का सारांश देती है:

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयतायें					परिसम्पत्तियाँ				
		2022 -23	2023-24	प्रतिशत वृद्धि/कमी(-)			2022-23	2023-24	प्रतिशत वृद्धि//कमी (-)
समेकित निधि									
अ	आन्तरिक ऋण	3,50,961.67	3,99,857.54	13.93	अ	सकल पूंजीगत परिव्यय	2,61,965.13	2,88,596.62	10.17
ब	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	37,422.20	46,794.09	25.04	ब	ऋण एवं अग्रिम	7,968.22	7,961.69	(-) 0.08
आकस्मिकता निधि									
आकस्मिकता निधि		**1,000.00**	**1,000.00**	-			-	-	-
लोक लेखा									
अ	अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	64,122.93	70,219.43	9.51	अ	अग्रिम	3.14	3.05	(-) 2.87
ब	जमायें	45,622.77	46,211.77	1.29	ब	प्रेषण	-	7.91	-
स	आरक्षित निधियां	15,058.62	18,446.21	22.50	स	उचंत एवं विविध	137.72	17.38	(-) 87.38
द	प्रेषण	0.54	-	-		**नकद शेष (चिन्हित निधियों में निवेश सहित)**	**7,671.53**	**10,544.81**	**37.45**
						पूर्णांकन के आधार पर समायोजन प्रविष्टि	-	(-)0.01	-
						योग	**2,77,745.74**	**3,07,131.45**	**10.58**
						प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य	**2,36,442.99**	**2,75,397.59**	**16.48**
	योग	**5,14,188.73**	**5,82,529.04**	**13.29**		**योग**	**5,14,188.73**	**5,82,529.04**	**13.29**

स्रोतः वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में परिसंपत्तियाँ 10.58 प्रतिशत बढ़ी जबकि देयताएँ 13.29 प्रतिशत बढ़ी।

1.4 राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता और मध्यम अवधि के राजकोषीय ढांचे में राजकोषीय नीति का संचालन और उससे जुड़े प्रासंगिक मामलों के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 'राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005' पारित किया।

राज्य की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा में निम्न दृष्टिगत हुयेः

(i) राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2011 की धारा 6 (अ) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाये रखना था अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। तथापि, राज्य सरकार केवल वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान ही राजस्व अधिशेष को बनाए रख सकी और उसके बाद वर्ष 2023-24 तक गत ग्यारह वर्षों के दौरान राजस्व घाटा रहा है।

गत पांचः वर्षों के दौरान राजस्व घाटे के सन्दर्भ में बजट अनुमानों (बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) एवं वास्तविक आँकड़ों को नीचे सारांशीकृत किया गया हैः

तालिका 1.4: बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के संदर्भ में राजस्व घाटे/अधिशेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	बजट अनुमान	(-) 27,015	(-) 12,346	(-) 23,750	(-)23,489	(-) 24,896
2..	संशोधित अनुमान	(-) 28,041	(-) 41,722	(-) 35,689	(-) 32,310	(-) 30,072
3.	वास्तविक	(-) 36,371	(-) 44,001	(-) 25,870	(-) 31,491	(-) 38,955

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज

टिप्पणीः वर्ष 2019-20 के दौरान घाटा/आधिक्य को उदय[1] के प्रभाव सहित दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका से यह दृष्टिगत होता है कि राजस्व घाटा ₹ 38,955 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमानों (₹ 24,896 करोड़) एंव संशोधित अनुमानों (₹ 30,072 करोड़) में किये गए आंकलन से बहुत अधिक था।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व घाटा बजट अनुमान से ₹14,059 करोड़ एवं संशोधित अनुमानों से ₹ 8,883 करोड़ अधिक था क्योंकि वास्तविक राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान ₹ 2,33,988 करोड़ के समक्ष घटकर ₹ 2,03,276 करोड़ रह गई (इसमें जीएसटी के कार्यान्वयन से राजस्व के नुकसान के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाले मुआवजे के रूप में प्राप्त ₹ 1,398 करोड़ शामिल हैं) अर्थात 13.13 प्रतिशत (₹ 30,712 करोड़) की गिरावट रही जबकि वास्तविक राजस्व व्यय बजट अनुमान ₹ 2,58,884 करोड़ के समक्ष अपेक्षाकृत कम गिरावट जैसे 6.43 प्रतिशत (₹16,653 करोड़) के साथ ₹ 2,42,231 करोड़ रहा।

(ii) एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम 2011 की धारा 6 (ब) में, वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत प्राप्त करने तथा आगे इसे बनाये रखने या इसे कम करने की परिकल्पना की गई थी। इसके अतिरिक्त, एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम[2] 2021 के अनुसार, राज्य वर्ष 2021-22 से

1. उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन के स्थायी समाधान के उद्देश्य से विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए प्रारम्भ किया गया वित्तीय कायाकल्प एवं पुनरुद्धार पैकेज है।

2. 25 सितंबर 2021 को धारा 6(एफ) जोड़ी गई।

2024-25 की अवधि के लिए जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी के लिए पात्र है, जिसे बिजली क्षेत्र में निश्चित निष्पादन मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमत किया गया है। हालाँकि, 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी प्रदान करने के लिए एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया था, राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के आंकड़े को संशोधित करने के लिए अधिनियम में संशोधन नही किया गया है।

निम्नलिखित तालिका गत तीन वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे-जीएसडीपी अनुपात की प्रवृत्ति को दर्शाती है:

तालिका 1.5: बजट अनुमान/संशोधित अनुमान एवं वास्तविक के संदर्भ में राजकोषीय घाटे की स्थिति

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1.	2021-22	3.98	5.18	4.04
2.	2022-23	4.36	4.33	3.76
3.	2023-24	3.98	4.26	4.29

स्रोतः बजट दस्तावेजों से बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2023-24 में राज्य का राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का 4.29 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम में लक्षित आंकड़े (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) से अधिक था। इसके अलावा यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई कुल राजकोषीय विस्तार (जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत) के भी पार हो गई। राजकोषीय घाटा ₹ 65,580 करोड़ (जीएसडीपी का 4.29 प्रतिशत) था जो बजट अनुमान (₹ 62,772 करोड़) और संशोधित अनुमान (₹ 65,082 करोड़) से अधिक था।

(iii) राज्य सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (स) के प्रावधानों में संशोधन किया (मार्च 2021) और 1 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ छः वर्षों की अवधि के भीतर कुल बकाया ऋण (देयता) की सीमा जीएसडीपी के 38.20 प्रतिशत प्राप्त करने और तत्पश्चात इस अनुपात को बनाये रखना या कम करना था। वर्ष 2023-24 के दौरान देयता-जीएसडीपी अनुपात 36.62 प्रतिशत[3] था जो एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था।

तालिका 1.6: एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि				
			2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	राजस्व अधिशेष	(-)36,371	(-)44,001	(-)25,870	(-)31,491	(-)38,955
			×	×	×	×	×
2.	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष(+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	तीन प्रतिशत	(-)37,654 (3.77)	(-)59,376 (5.83)	(-)48,238 (4.04)	(-)51,028 (3.76)	(-)65,580 (4.29)
			×	×	×	×	×
3.	कुल बकाया देयताओं[4] का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	34.00	38.20	38.20	38.20	38.20
		उपलब्धि	35.27	39.88	37.74	36.36	36.62
			×	×	√	√	√

3. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए: जीएसडीपी ₹ 15,28,385 करोड़ और लोक ऋण और अन्य देनदारियाँ ₹ 5,59,767 करोड़ (जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व के नुकसान के मुआवजे के बदले में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ को छोड़कर)।

4 कुल बकाया देयतायें ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान ₹4,604 करोड़ और 2021-22 से 2023-24 के दौरान ₹11,872 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण को हटाकर प्राप्त हुई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तथा राज्य बजट में अनुमानित लक्ष्यों की तुलना में जीएसडीपी के संदर्भ में प्रमुख वित्तीय समग्रों के संबंध में उपलब्धियां नीचे में दी गई हैं:

तालिका 1.7: वर्ष 2023-24 के लिए मुख्य राजकोषीय समग्रों के सम्बन्ध में लक्ष्यों के साथ-साथ उपलब्धियाँ

राजकोषीय चर (1)	पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (2)	बजट में लक्ष्य (3)	वास्तविक (4)	वास्तविक से प्रतिशत अन्तर	
				पन्द्रहवें वित्त आयोग के लक्ष्य (4-2=5)	बजट में लक्ष्य (4-3=6)
राजस्व घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत)	1.2	(-) 1.63	(-) 2.55	(-)3.75	(-) 0.92
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत)	(-) 3.0	(-) 3.98	(-) 4.29	(-) 0.79	(-) 0.31
कुल बकाया देयतायें /जीएसडीपी (प्रतिशत)	39.6	36.78	36.62[$]	(-) 2.98	(-) 0.16

स्रोतः पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें, बजट एवं वित्त लेखे

टिप्पणीः घाटे के आंकड़ो को ऋणात्मक दर्शाया दर्शाया गया है।

$ जीएसटी क्षतिपूर्ति की के एवज में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर।

जैसाकि तालिका में दर्शाया गया है कि सरकार राजस्व घाटा-जीएसडीपी एंव राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी अनुपात को पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2023-24 के लिए निर्धारित स्तर के भीतर रखने में असमर्थ रही। यधपि, बिजली क्षेत्र में निश्चित निष्पादन मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी अनुमत की गई, राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी अनुपात अभी भी लक्ष्य सीमा (3.5 प्रतिशत) से अधिक है।

राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत मध्यकालिक राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों के लक्ष्यों की तुलना चालू वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के साथ नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1.8: वर्ष 2023-24 के लिए एमटीएफपी में किये गये अनुमानों के समक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजकोषीय चर	एमटीएफपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2023-24)	अंतर (प्रतिशत में)
1.	स्व-कर राजस्व	1,14,169	94,086	(-) 17.59
2.	कर-भिन्न राजस्व	24,285	18,680	(-) 23.08
3.	केन्द्रीय करों का हिस्सा	61,552	68,063	10.58
4.	भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	33,982	22,447	(-) 33.94
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	2,33,988	2,03,276	(-) 13.13
6.	पूंजीगत प्राप्तियाँ	331	419	26.59
7.	राजस्व व्यय	2,58,884	2,42,231	(-) 6.43
8.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-7)	(-) 24,896	(-) 38,955	56.47
9.	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 62,772	(-) 65,580	4.47
10.	प्राथमिक घाटा	(-) 30,378	(-) 31,452	3.54
11.	ऋण (देयता) -जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत)	36.78	36.62	(-) 0.16
12.	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.50	12.56	1.06

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

जैसा कि **तालिका 1.8** से देखा जा सकता है, वास्तविक राजस्व घाटा ,राजकोषीय घाटा एंव प्राथमिक घाटा एमटीएफपी के अनुमान से अधिक था। हालाँकि, वास्तविक देयता-जीएसडीपी अनुपात एमटीएफपी के अनुमानों से कम था।

चार्ट 1.4 और 1.5 वर्ष 2019-24 की अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृति को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: घाटे के मापदंडों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

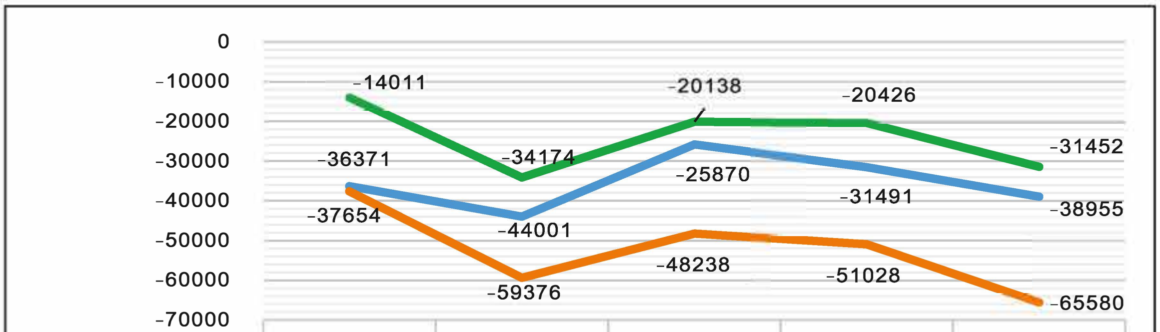

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटा	-36371	-44001	-25870	-31491	-38955
राजकोषीय घाटा	-37654	-59376	-48238	-51028	-65580
प्राथमिक घाटा	-14011	-34174	-20138	-20426	-31452

राजस्व घाटा   राजकोषीय घाटा   प्राथमिक घाटा

चार्ट 1.5: जीएसडीपी के सन्दर्भ में घाटे के संकेतकों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

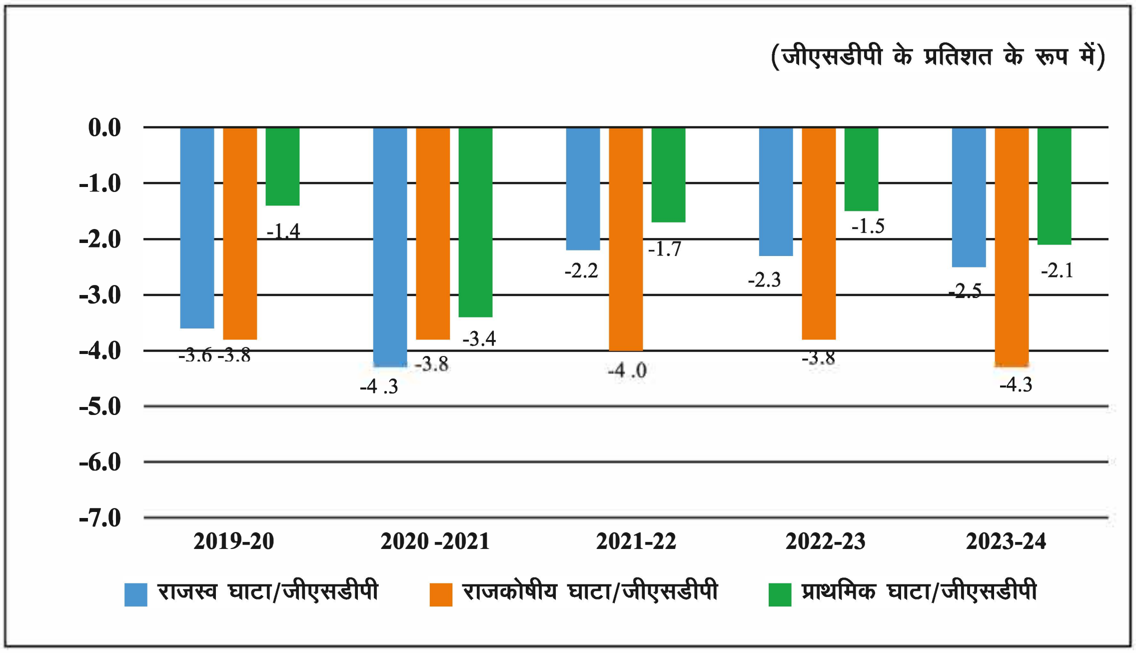

चार्ट 1.6: राजकोषीय देयताओं और जीएसडीपी की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

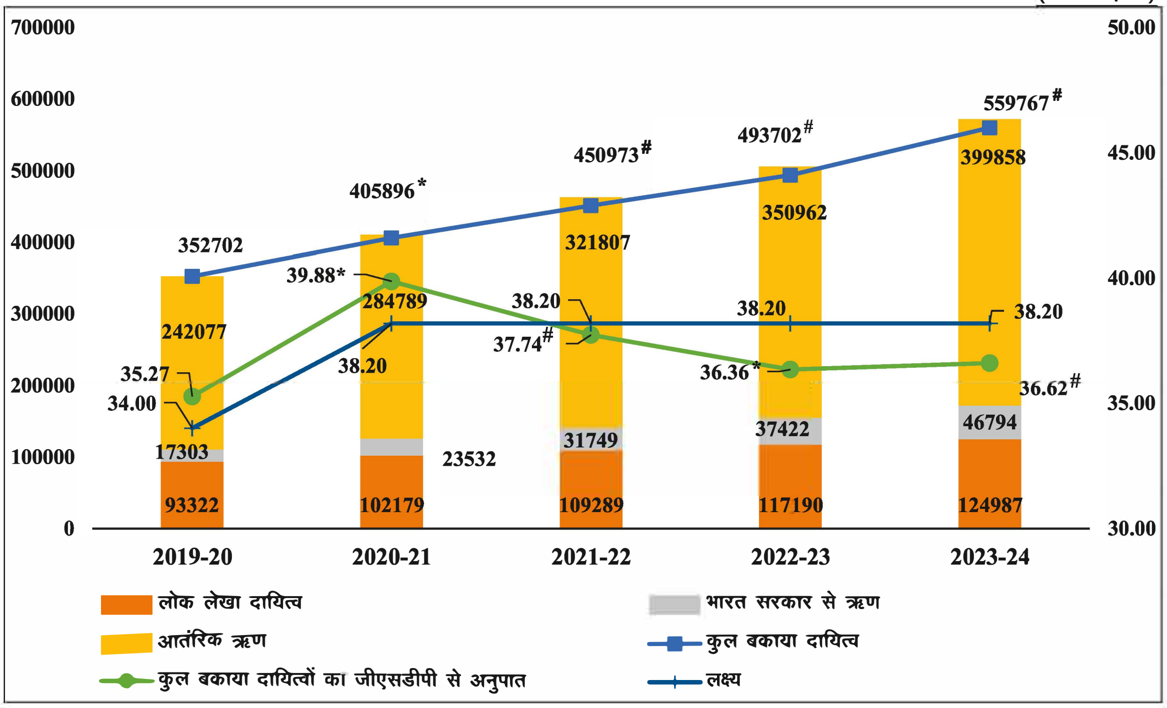

स्रोत: वित्त लेखे

* *कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक टू बैक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।*

\# *कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक टू बैक ऋण ₹11,872 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।*

वर्ष 2023-24 के दौरान, आंतरिक ऋण में 13.93 प्रतिशत (₹ 48,896 करोड़), लोक लेखा दायित्वों में 6.65 प्रतिशत (₹ 7,797 करोड़) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 25.04 प्रतिशत (₹ 9,372 करोड़) की वृद्धि के कारण राजकोषीय देयताओं में गत वर्ष की तुलना में 13.38 प्रतिशत (₹ 66,065 करोड़) की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2024 को ₹ 5,59,767 करोड़[5] की राजकोषीय देयतायें हैं, जिनमें गैर वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बॉण्ड एवं जब्ती बॉण्ड जो राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण का गठन करते थे, को जारी किये जाने के कारण उदय के तहत ₹ 17,107 करोड़ की बकाया उधारी सम्मिलित थी।

1.4.1 भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप उधार के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) में अन्य के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि भारत सरकार द्वारा राज्य को दिए गए उधार का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है तो वह राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकता है।

5. ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत 2020-21 और 2021-22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक टू बैक ऋण ₹11,872 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार की सामान्य निवल उधार सीमा ₹ 47,974 करोड़ तय की (मार्च 2023) और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया कि सभी स्रोतों से उसकी वृद्धिजन्य उधारें इस सीमा के भीतर बनी रहे।

आगे, केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में कुछ निष्पादन मानदंडों के आधार पर राज्य को जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की भी अनुमति दी। इस प्रकार, वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई राजकोषीय संभावना या उधार सीमा अनुमानित जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत[6] थी जो कि ₹ 55,970 करोड़ होती है। इसके अतिरिक्त, राज्य को निर्धारित सामान्य सीमा के अतिरिक्त 50 वर्षों एवं अधिक ऋण के लिए ₹ 8,513.42 करोड़ (जीएसडीपी का 0.5570 प्रतिशत) के ब्याज मुक्त पूंजी ऋण की अनुमति दी गई। अतः वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए अनुमत राजकोषीय संभावना या उधार सीमा जीएसडीपी का 4.06 प्रतिशत थी।

वित्त लेखे 2023-24 के लोक ऋण और अन्य देयताओं के विवरण (विवरण संख्या 6) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार की वृद्धिजन्य उधार और अन्य देयतायें ₹ 66,065 करोड़ रही, जो कि ऊपरी उधार सीमा से जीएसडीपी का 0.23 प्रतिशत अधिक थी।

1.5 लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल ऋण

लेखापरीक्षा जाँच में लेखों में गलत वर्गीकरण और बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहार देखे गये जिसने कुल घाटे और ऋण के आंकड़ों को प्रभावित किया है। लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद ऋण के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

1.5.1 लेखापरीक्षा के पश्चात-घाटा

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय संकेतकों जैसे कि ऋण और प्रत्याभूतियों पर घाटे की सीमा आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य के लिए संगणित राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा विभिन्न कारणों जैसे कि राजस्व व्यय को पूंजीगत के रूप में गलत वर्गीकृत करना और स्पष्ट देनदारियों को स्थगित करने से प्रभावित होता हैं। इसके अलावा, उपकर का कम/अधिक हस्तांतरण आदि भी राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूंजीगत परिव्यय के गलत वर्गीकरण और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को शामिल करना आवश्यक है और ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटना आवश्यक है जैसा कि **तालिका 1.9** में बताया गया है।

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिक आँका गया	कम आँका गया	अधिक आँका गया	कम आँका गया
	आरक्षित जमा निधि में/अन्य हस्तांतरण				
1.	ब्याज-वाली आरक्षित निधियों एवं जमाओं पर ब्याज को जमा नहीं करना (पैरा 4.1)		7.94		7.94

6. भारत सरकार द्वारा पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार अनुमानित जीएसडीपी के आधार पर वर्ष 2023-24 की अनुमानित जीएसडीपी (र 15,99,142 करोड़) के 3.5 प्रतिशत की दर पर गणना की गयी है।

क्र. सं.	विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिक आँका गया	कम आँका गया	अधिक आँका गया	कम आँका गया
2.	राजस्व और पूंजीगत व्यय के मध्य गलत वर्गीकरण (पैरा 3.4.7)	-	4.60	-	-
3.	राज्य आपदा मोचन निधि में हस्तांतरण न होना (पैरा 2.5.2.1)	-	217.80	-	217.80
4.	केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि का हस्तांतरण न होना		59.45		59.45
5.	राष्ट्रीय पेंशन योजना में कम हस्तांतरण		0.63		0.63
	योग	**कम आँका गया 290.42**		**कम आँका गया 285.82**	
उपकर /अधिभार का आरक्षित निधि/जमा में हस्तांतरण					
6.	पेट्रोल एवं डीजल उपकर का अधिक हस्तांतरण (पैरा 2.5.2.3)	1,855.77	-	1,855.77	-
7.	अन्य उपकर और अधिभार[7] का कम हस्तांतरण (पैरा 2.5.2.3)	-	1,027.85	-	1,027.85
	योग (उपकार/अधिभार)	**(निवल) अधिक आँका गया 827.92**		**(निवल) अधिक आँका गया 827.92**	
	महायोग	**(निवल) अधिक आँका गया 537.50**		**(निवल) अधिक आँका गया 532.90**	

स्रोतः वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखे एवं विश्लेषण

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य सरकार का राजस्व घाटा ₹ 38,955 करोड़ (सन्दर्भ **अनुच्छेद 1.4** (i)) ₹ 537.50 करोड़ से अधिक और राजकोषीय घाटा ₹65,580 करोड़ (सन्दर्भ **अनुच्छेद 1.4** (ii)) ₹ 532.90 करोड़ से अधिक आँका गया था।

1.5.2 लेखापरीक्षा के पश्चात – समग्र देयता

एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल देयताओं का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में निर्दिष्ट राज्य की समेकित निधि और लोक लेखे के अंतर्गत देयताओं से हैं। बकाया ऋण/देयताओं को नीचे **तालिका 1.10** में दिए अनुसार विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है:

तालिका 1.10: लेखापरीक्षा जांच के बाद 31 मार्च 2024 को समग्र देयताओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	**आन्तरिक ऋण**	3,99,857.54
(i)	*ब्याज वाले बाजार ऋण*	3,58,826.82
(ii)	*बिना ब्याज वाले बाजार ऋण*	0.03
(iii)	*भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण*	5.65
(iv)	*केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां*	7,484.52
(v)	*अन्य संस्थाओं से ऋण*	33,540.52
2.	**केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम**	46,794.09
(i)	*1984-85 से पूर्व के ऋण*	5.41

7. **कम हस्तांतरण:** (i) बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुद्रांक शुल्क पर अधिभार: ₹ 174.80 करोड़; (ii) प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से राहत के लिए अधिभार: ₹ 596.42 करोड़; (iii) शहरी उपकर: ₹ 109.68 करोड़; (iv) जल संरक्षण उपकर: ₹ 10.36 करोड़; (v) गाय और उसकी संतति के संरक्षण और प्रसार के लिए अधिभार: ₹ 0.87 करोड़ एवं (vi) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर: ₹ 135.72 करोड़।

क्र. सं.	विवरण	राशि
(ii)	*गैर-आयोजना ऋण*	7.49
(iii)	*राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ऋण*	718.01
(iv)	*केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण*	3.05
(v)	*राज्य/विधानमंडल वाले केंद्र शासित राज्यों की योजनाओ के लिए अन्य ऋण*	46,060.13
3.	**अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि**	70,219.43
4.	**आरक्षित निधियां**	8,555.66
5.	**जमाये**	46,211.78
अ.	**समग्र देयतायें** (**1 से 5**)	5,71,638.50
ब.	**समग्र देयताओं (कम आँका गया) पर प्रभाव के कारण:**	
(i)	राज्य सरकार की ओर से विभिन्न '*जिला परिषदों*' द्वारा बजट से इतर उधार, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य के बजट से चुकाया जाना है।	1,040.73
(ii)	राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज निगम (आरडब्ल्यूएसएससी) द्वारा बजट से इतर उधार (एलआईसी)।	1.86
(iii)	राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज निगम (आरडब्ल्यूएसएससी) द्वारा बजट से इतर उधार (हुडको एवं बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र) ।	7,000.00
	कुल 'ब'	**8,042.59**
	कुल (अ + ब)	**5,79,681.09**

इस प्रकार, राज्य सरकार ने ₹ 8,042.59 करोड़ का बजट से इतर उधार का सहारा लिया।

राज्य के बजट से इतर उधार को सम्मिलित करते हुए मार्च 2024 के अंत में कुल बकाया देयतायें ₹ 5,59,766.21[8] करोड़ के समक्ष ₹ 5,67,808.80 करोड़[8] हो जायेगी। परिणामस्वरूप, वर्ष के अंत में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में समग्र देयताओं (36.62 प्रतिशत[8]) को 0.53 प्रतिशत से कम बताया गया।

8. ऋण प्राप्तियो के अंतर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 .29 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर ।

अध्याय II: राज्य का वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समग्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान समग्र प्रवृतियों, राज्य की ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखा संव्यव्हारों का राज्य के वित्त लेखों और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर विश्लेषण करता है।

2.1 वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में मुख्य राजकोषीय समग्रों में मुख्य परिवर्तन

वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय समग्रों का सारांश **तालिका 2.1** और प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश ***परिशिष्ट 2.1*** में दिया गया है। इन संकेतकों में से प्रत्येक का विश्लेषण अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया जाएगा।

तालिका 2.1: वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में राजकोषीय समग्रों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2022-23	2023-24		2022-23	2023-24
अनुभाग-अ: राजस्व खाता					
स्व-कर राजस्व	87,346.38	94,085.94	सामान्य सेवायें	71,874.89	77,677.64
कर-भिन्न राजस्व	20,564.43	18,679.58	सामाजिक सेवायें	90,168.36	1,01,883.91
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	57,230.79	68,063.21	आर्थिक सेवायें	64,436.00	62,669.28
भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	29,846.33	22,447.55	सहायतार्थ अनुदान और अंशदान	0.04	0.05
योग अनुभाग अ-राजस्व प्राप्तियां	**1,94,987.93**	**2,03,276.28**	**योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय**	**2,26,479.29**	**2,42,230.88**
अनुभाग-ब: पूंजीगत लेखा और अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	16.20	14.24	पूँजीगत परिव्यय	19,798.28	26,645.72
			सामान्य सेवायें	542.45	406.94
			सामाजिक सेवायें	8,850.67	9,949.52
			आर्थिक सेवायें	10,405.16	16,289.26
ऋण और अग्रिमों की वसूलियां	419.61	404.74	संवितरित ऋण और अग्रिम	174.78	398.21
लोक ऋण प्राप्तियां*	55,647.01	87,154.13	लोक ऋण की पुनर्अदायगी*	20,819.20	28,886.38
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	2,43,204.58	2,85,479.58	लोक लेखा संवितरण#	2,34,001.34	2,75,294.50
प्रारंभिक रोकड़ शेष	14,669.09	7,671.53	अंतिम रोकड़ शेष	7,671.53	10,544.81
योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ	**3,13,956.49**	**3,80,724.22**	**योग अनुभाग-ब संवितरण**	**2,82,465.13**	**3,41,769.62**
महा योग (अ+ब)	**5,08,944.42**	**5,84,000.50**	**महा योग (अ+ब)**	**5,08,944.42**	**5,84,000.50**

स्रोत: वित्त लेखे

* *वर्ष 2022-23: ₹ 1,04,918.40 करोड़ एवं 2023-24: ₹ 1,35,112.20 करोड़ के मार्गोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट अंतर्गत संव्यवहारों के अतिरिक्त।*

\# *लोक लेखा प्राप्तियों/संवितरणों की राशि सकल आधार पर दर्शायी गई है।*

वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में प्रमुख राजकोषीय समग्रों में बदलाव

राजस्व प्राप्तियां	➢ राज्य की राजस्व प्राप्तियां 4.25 प्रतिशत बढ़ी। ➢ राज्य की स्व-कर प्राप्तियाँ 7.72 प्रतिशत बढ़ी। ➢ स्व-कर भिन्न प्राप्तियां 9.17 प्रतिशत घटी। ➢ केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश 18.93 प्रतिशत बढ़ा। ➢ भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान 24.79 प्रतिशत घटा।
पूंजीगत प्राप्तियां	➢ पूंजीगत ऋण प्राप्तियां 56.62 प्रतिशत बढ़ी। ➢ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 3.86 प्रतिशत घटी।
राजस्व व्यय	➢ राजस्व व्यय 6.96 प्रतिशत बढ़ा। ➢ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 8.07 प्रतिशत बढ़ा। ➢ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 12.99 प्रतिशत बढ़ा। ➢ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 2.74 प्रतिशत घटा।
पूंजीगत व्यय	➢ पूंजीगत व्यय 34.59 प्रतिशत बढ़ा। ➢ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 24.98 प्रतिशत घटा। ➢ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 12.42 प्रतिशत बढ़ा। ➢ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 56.55 प्रतिशत बढ़ा।
ऋण और अग्रिम	➢ ऋण और अग्रिमों का संवितरण 127.83 प्रतिशत बढ़ा। ➢ ऋण और अग्रिमों की वसूलियां 3.54 प्रतिशत घटी।
लोक ऋण	➢ लोक ऋण प्राप्तियाँ 56.62 प्रतिशत बढ़ी। ➢ लोक ऋण का पुनर्भुगतान 38.75 प्रतिशत बढ़ा।
लोक लेखा	➢ लोक लेखा प्राप्तियाँ 17.38 प्रतिशत बढ़ी। ➢ लोक लेखा संवितरण 17.65 प्रतिशत बढ़ा।
रोकड़ शेष	➢ गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान रोकड़ शेष ₹ 2,873.28 करोड़ (37.45 प्रतिशत) बढ़ा।

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

तालिका 2.2 वर्ष 2022-23 के साथ वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों और उपयोग की तुलना करती है, जबकि **चार्ट 2.1** और **2.2** वर्ष 2023-24 के दौरान समेकित निधि में प्राप्तियों और व्यय का प्रतिशतता के रूप में विवरण प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 2.2: वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि / कमी (-)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रारम्भिक रोकड़ शेष	14,669.09	7,671.53	(-) 6,997.56
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,94,987.93	2,03,276.28	8,288.35
	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	16.20	14.24	(-) 1.96
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां	419.61	404.74	(-) 14.87
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	34,827.81	58,267.75	23,439.94
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	9,203.24	10,185.08	981.84
	योग	**2,54,123.88**	**2,79,819.62**	**25,695.74**

	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि / कमी (-)
उपयोग	राजस्व व्यय	2,26,479.29	2,42,230.88	15,751.59
	पूंजीगत व्यय	19,798.28	26,645.72	6,847.44
	ऋण और अग्रिमों का संवितरण	174.78	398.21	223.43
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम रोकड़ शेष	7,671.53	10,544.81	2,873.28
	योग	**2,54,123.88**	**2,79,819.62**	**25,695.74**

स्रोतः वित्त लेखे

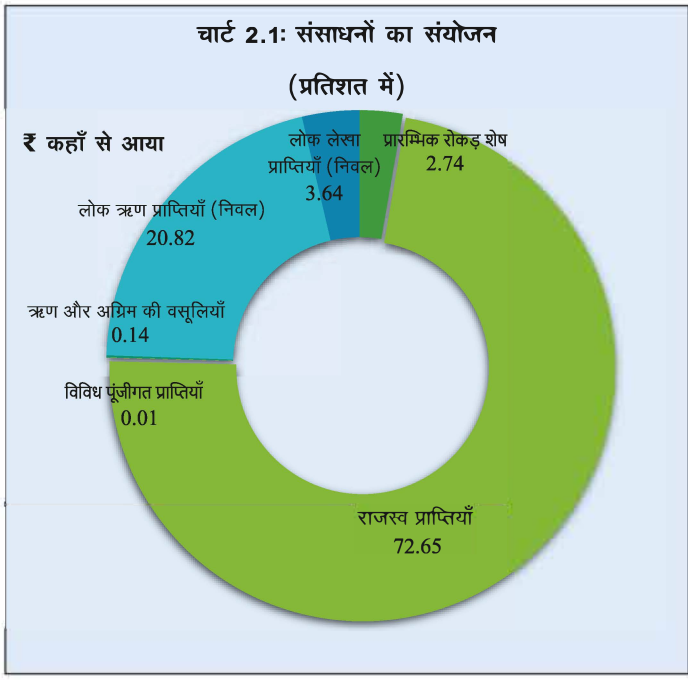

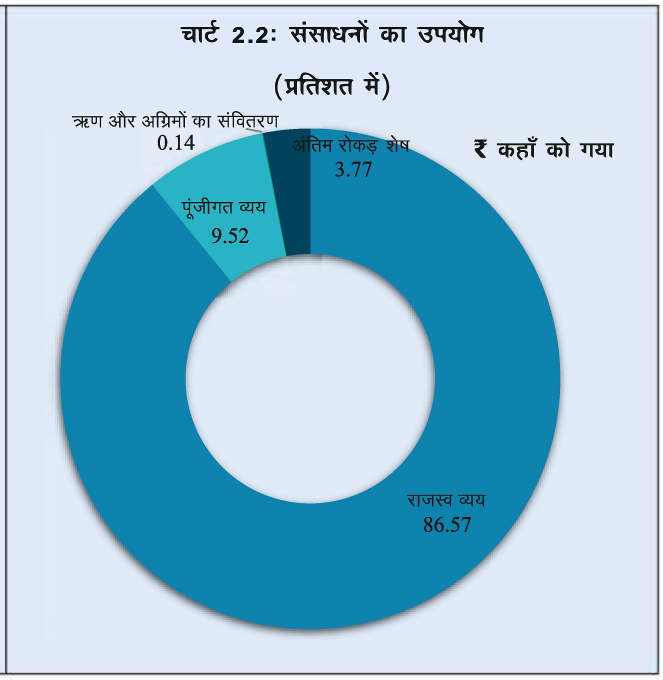

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व एवं संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा), कर-भिन्न राजस्व और भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान शामिल हैं।

2. **पूंजीगत प्राप्तियों** (ऋण और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ) में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल है।

   राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ**: ये कुछ संव्यवहारों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाओं, उचंतों, प्रेषणों आदि से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं। इन्हें संविधान की धारा 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। यहां, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। निधियों के संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करने वाली प्राप्तियों के दो प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त, संवितरण के बाद लोक लेखों में उपलब्ध निधियों का उपयोग भी सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्तपोषण करने हेतु किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय संसाधनों के घटक और उप-घटक

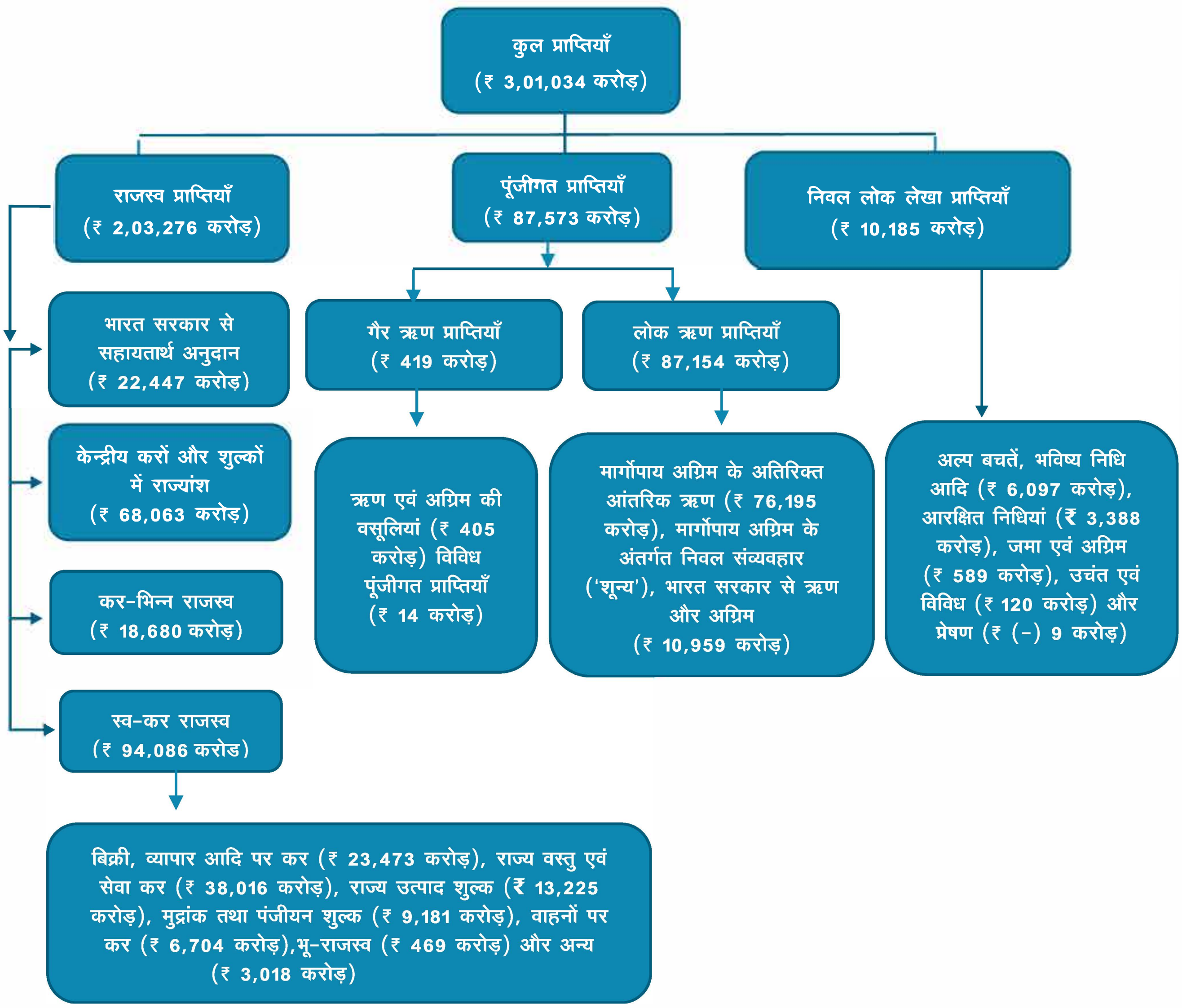

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के कुल संसाधनों ₹ 3,01,034 करोड़ में से, राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,03,276 करोड़) का हिस्सा 67.53 प्रतिशत रहा। कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹ 87,573 करोड़) तथा निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹ 10,185 करोड़) क्रमशः 29.09 प्रतिशत तथा 3.38 प्रतिशत रही।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

यह अनुच्छेद कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है। आगे यह भारत सरकार से प्राप्तियों और राज्य की स्व-प्राप्तियों में विभाजित प्राप्तियों की प्रवृत्ति का अनुगमन करता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि

तालिका 2.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि के साथ-साथ पांच वर्षों की अवधि 2019-24 में जीएसडीपी के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और राजस्व प्राप्तियों का संयोजन क्रमशः **चार्ट 2.4** और **2.5** के साथ-साथ ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	**राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा)**	**1,40,114**	**1,34,308**	**1,83,920**	**1,94,988**	**2,03,276**
2.	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.63	(-) 4.14	36.94	6.02	4.25
3.	**कर राजस्व**	**95,294**	**95,859**	**1,28,839**	**1,44,577**	**1,62,149**
4.	स्व-कर राजस्व	59,245	60,283	74,808	87,346	94,086
5.	केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	36,049	35,576	54,031	57,231	68,063
6.	**कर-भिन्न राजस्व**	**15,714**	**13,653**	**18,755**	**20,565**	**18,680**
7.	**भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान**	**29,106**	**24,796**	**36,326**	**29,846**	**22,447**
8.	स्व-राजस्व (स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व)	74,959	73,936	93,563	1,07,911	1,12,766
9.	स्व-राजस्व की वृद्धि(स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व (प्रतिशत)	(-) 1.35	(-) 1.36	26.55	15.34	4.50
10.	सहायतार्थ अनुदान की वृद्धि दर	45.26	(-)14.81	46.50	(-)17.84	(-) 24.79
11.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रृंखला)	10,00,032	10,17,917	11,94,961$^{\Sigma}$	13,57,851$^{\Psi}$	15,28,385$^{\propto}$
12.	जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.71	1.79	17.39	13.63	12.56
13.	राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत)	14.01	13.19	15.39	14.36	13.30
14.	**उत्प्लावकता अनुपात**[1]					
15.	राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	-*	-*	1.53	1.13	0.36

स्रोतः वित्त लेखे तथा *केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी* एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

* *नकारात्मक वृद्धि दर होने के कारण उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की जा सकती है।*

Σ *संशोधित अनुमान-II*

Ψ *संशोधित अनुमान-I*

∝ *अग्रिम अनुमान*

1. उत्प्लावकता आधार चर के परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया की मात्रा को इंगित करती है। उदाहरण के लिए, जीएसडीपी के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता 1.7 से तात्पर्य है कि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्तियों में 1.7 प्रतिशत अंक तक की वृद्धि हो जाती है।

तालिका 2.3 दर्शाती है कि गत पांच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 9.75 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से 2019-20 में ₹ 1,40,114 करोड़ से 2023-24 में ₹ 2,03,276 करोड़ तक 45.07 प्रतिशत बढ़ी, हालाँकि, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ 2019-20 में 14.01 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 13.30 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 8,288 करोड़ (4.25 प्रतिशत) बढ़ीं। राज्य की स्व-कर प्राप्तियों तथा केंद्रीय करों एवं शुल्को में राज्यांश में क्रमशः 7.72 प्रतिशत तथा 18.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कर-भिन्न प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में 9.17 प्रतिशत कम रहीं।

गत वर्ष की तुलना में, चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय 6.96 प्रतिशत (₹ 15,752 करोड़) जबकि राजस्व प्राप्तियाँ 4.25 प्रतिशत (₹ 8,288 करोड़) बढ़ी।

अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान में 22.88 प्रतिशत की कमी आयी। गत वर्ष की तुलना में 2023-24 में इसमें ₹ 7,399 करोड़ (24.79 प्रतिशत) की कमी आयी। यह कमी मुख्य रूप से स्थानीय निकायों को राजस्व घाटा अनुदान में उल्लेखनीय कमी के कारण हुई। फिर भी, 2023-24 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 55.47 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायतार्थ अनुदान का योगदान 44.53 प्रतिशत था जो राजस्थान की राजकोषीय स्थिति का कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान पर निर्भरता को इंगित करता है।

जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता 2019-20 और 2020-21 के दौरान नकारात्मक रही। जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता में पिछले वर्ष (1.13 प्रतिशत) की तुलना में 2023-24 के दौरान उल्लेखनीय कमी हुई और 0.36 प्रतिशत रही। राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

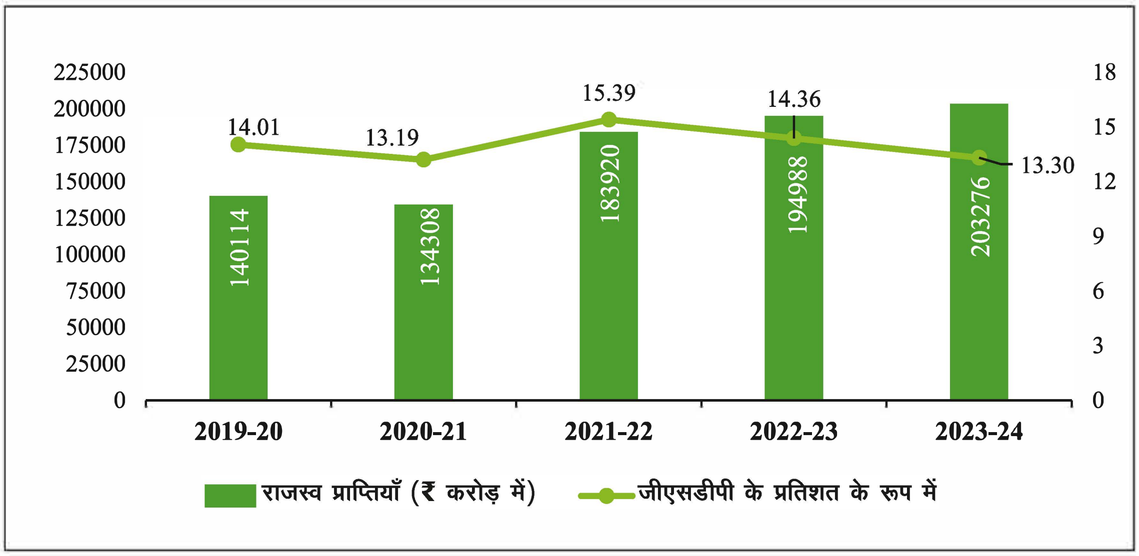

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

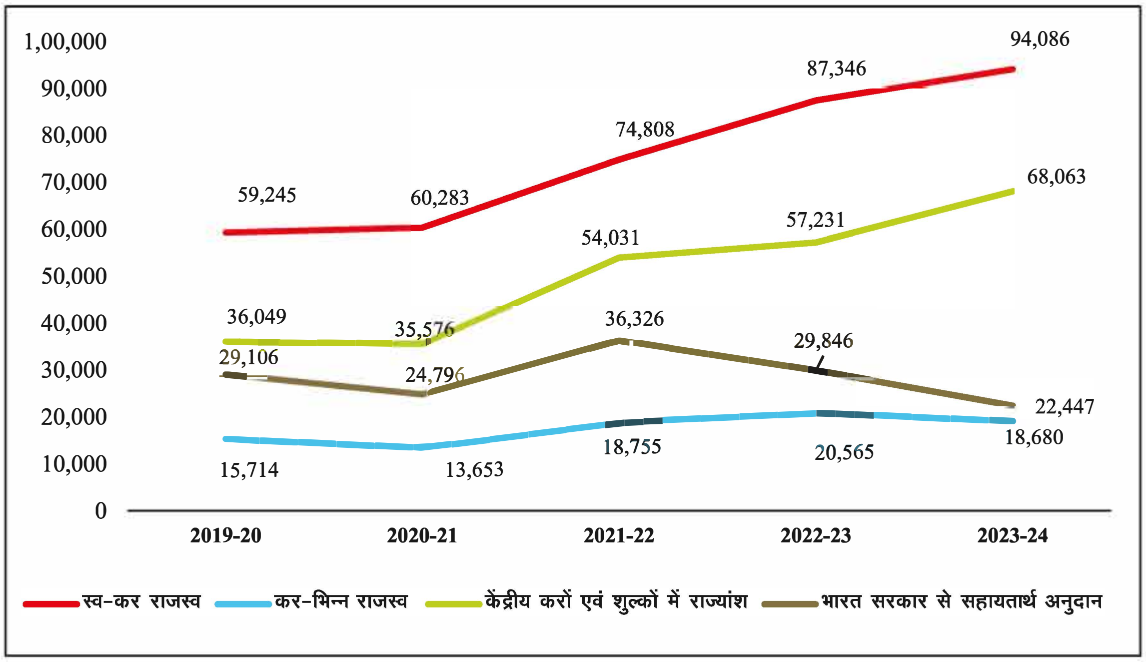

2.3.2.2 राज्य के स्व-संसाधन

केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान केंद्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह की मात्रा और योजनाओं के लिए प्रत्याशित केंद्रीय सहायता द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्य के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के निष्पादन का आंकलन उसके स्व-कर और कर-भिन्न संसाधनों से राजस्व सहित उसके स्व-संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में राज्य जीएसटी, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, इत्यादि कर शामिल हैं।

वर्ष 2019-24 के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृतियों एवं इसके घटकों का विश्लेषण **चार्ट 2.6** और **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.6: वर्ष 2019-24 के दौरान स्व-कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

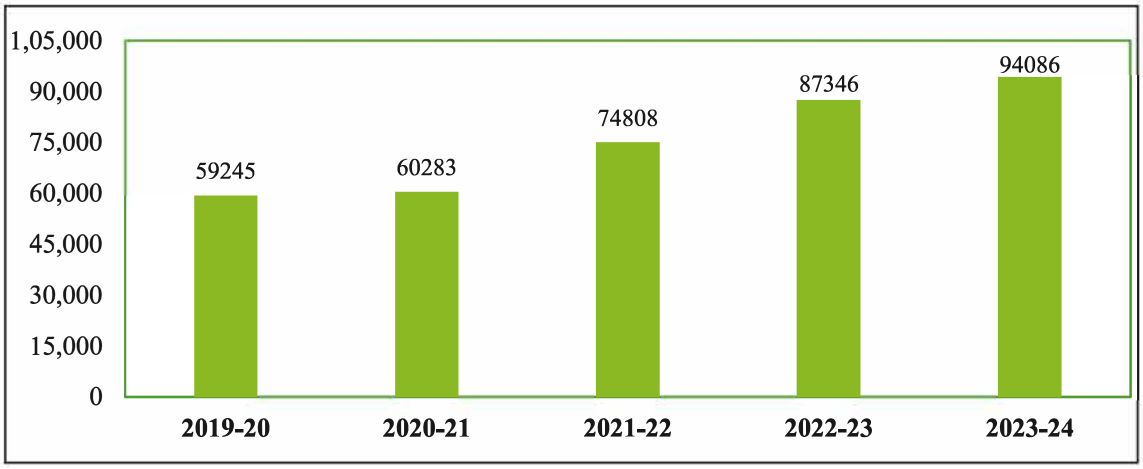

वर्ष 2019-24 के दौरान संग्रहित स्व-कर राजस्व का घटक-वार विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 2.4: वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
						बजट अनुमान	वास्तविक
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	15,843	17,479	20,605	22,727	27,300	23,473
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	41	45	171	08	10	-*
3.	मनोरंजन कर और विलासिता कर (वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य करों और शुल्कों के अंतर्गत)	01	01	11	01	01	-#
4.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	21,954	20,755	27,502	33,790	48,946	38,016
	योग	**37,839**	**38,280**	**48,289**	**56,526**	**76,257**	**61,489**
5.	राज्य उत्पाद शुल्क	9,592	9,853	11,807	13,326	17,000	13,225
6.	वाहनों पर कर	4,951	4,368	4,759	6,128	7,700	6,704
7.	मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	4,235	5,297	6,492	8,189	9,150	9,181
8.	भू-राजस्व	364	280	632	484	636	469
9.	अन्य कर [2]	2,264	2,205	2,829	2,693	3,426	3,018
	महा योग	**59,245**	**60,283**	**74,808**	**87,346**	**1,14,169**	**94,086**

स्रोतः वित्त लेखे

*मात्र ₹ (-) 0.46 करोड़ (राजस्व प्रतिदाय के कारण ऋणात्मक आंकड़े)# मात्र ₹ 0.20 करोड़

2. अन्य करों में कृषि भूमि से भिन्न अन्य अचल संपत्तियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (मनोरंजन कर और विलासिता कर को छोड़कर) शामिल हैं। इसमें विद्युत पर कर एवं शुल्क की वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान क्रमशः ₹ 2,263 करोड़, ₹ 2,142 करोड़, ₹ 2,606 करोड़ ₹ 2,625 करोड़ एवं ₹ 2,918 करोड़ की प्राप्तियाँ शामिल हैं।

राज्य का स्व-कर राजस्व 12.26 प्रतिशत सीएजीआर से ₹ 34,841 करोड़ बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 59,245 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 94,086 करोड़ हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य में स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में 7.72 प्रतिशत थी एवं पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के औसत (10.58 प्रतिशत) (***परिशिष्ट 1.2***) से कम थी। वर्ष 2023-24 के दौरान, वास्तविक स्व-कर राजस्व अनुमानित स्व-कर राजस्व की तुलना में काफी कम (17.59 प्रतिशत) था। वर्ष के दौरान स्व-कर राजस्व में प्रमुख योगदानकर्ता राज्य वस्तु और सेवा कर (40.41 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (24.95 प्रतिशत) और राज्य उत्पाद शुल्क (14.06 प्रतिशत) थे। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य वस्तु और सेवा कर, मुद्रांक और पंजीयन शुल्क और वाहनों पर कर पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 12.51 प्रतिशत, 12.11 प्रतिशत और 9.40 प्रतिशत बढ़े।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

वर्ष 2022-23 के ₹ 33,790.48 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 48,946.45 करोड़ के बजट अनुमान के समक्ष राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का संग्रहण ₹ 38,015.97 करोड़ (आईजीएसटी से अग्रिम विभाजन की राशि ₹ (-)468.00 करोड़ सहित, ऋणात्मक आंकड़े आईजीएसटी में कमी को पूरा करने हेतु समायोजन के कारण थे) था। भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखों के अनुसार एसजीएसटी की राशि ₹ 17,491.66 करोड़ थी तथा वित्त लेखों के अनुसार भी एसजीएसटी की राशि ₹ 17,491.66 करोड़[3] थी। इस प्रकार, एसजीएसटी के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखों एवं वित्त लेखों के मध्य कोई अंतर नहीं था।

वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

जीएसटीएन (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) परिसर में सम्पूर्ण भारत के आंकड़ो तक पहुंच सुनिश्चित करने का भारत सरकार का निर्णय 20 जून 2020 सूचित किया गया। राजस्थान के मामले में, जो एक मॉडल-II राज्य है, जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लेखापरीक्षा में लगे अधिकारियों को जीएसटीएन तक उपयोगकर्ता आईडी-आधारित पहुंच 25 नवंबर 2020 को प्रदान की गई थी। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य की प्राप्तियों की वर्ष 2022-23 तक की लेखापरीक्षा की जा चुकी है।

3. इसमें मुख्य शीर्ष-0006 के तहत प्राप्त ₹ 20,524.31 करोड़ शामिल नहीं हैं (i) एसजीएसटी और आईजीएसटी का सकल इनपुट टैक्स क्रेडिट उपभोग: ₹ 14,977.64 करोड़; (ii) आईजीएसटी का विभाजन-एसजीएसटी के कर घटक का हस्तान्तरण: ₹ 6,002.56 करोड़; (iii) आईजीएसटी का विभाजन-एसजीएसटी के ब्याज घटक का हस्तान्तरण: ₹ 12.11 करोड़ तथा (iv) आईजीएसटी से अग्रिम आवंटन: ₹ (-) 468.00 करोड़।

राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व का बकाया सरकार द्वारा राजस्व की वसूली में विलम्ब को इंगित करता है और निर्धारण का बकाया रहना संभावित राजस्व को इंगित करता है जो विलम्बित निर्धारण के कारण अवरूद्ध है। दोनों सरकार को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2024 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व की बकाया राशि ₹ 11,423.78 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 3,856.77 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 2.5** में दिया गया है:

तालिका 2.5: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2023 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2024 को कुल बकाया राशि और विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि		31 मार्च 2024 को पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वाणिज्यिक कर*	9,031.36	7,173.25	(-) 20.57	3,078.87
2.	परिवहन*	45.11	35.12	(-) 22.15	22.75
3.	भू-राजस्व*	202.82	193.55	(-) 4.57	97.91
4.	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई*	3.15	3.30	4.76	1.92
5.	खान एवं भूविज्ञान	258.89	252.06	(-)2.64	91.64
6.	पंजीकरण एवं मुद्रांक*	1,030.73	692.65	(-)32.80	159.20
7.	भू-कर*	1,349.11	1,252.32	(-)7.17	208.20
8.	राज्य उत्पाद शुल्क*	1,857.99	1,821.53	(-)1.96	196.28
	योग	**13,779.16**	**11,423.78**	**(-) 17.09**	**3,856.77**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना

* विभागों द्वारा अद्यतन सूचनाएं प्रेषित करने के कारण प्रारंभिक शेष गत वर्ष के अंतिम शेष से भिन्न है।

बकाया निर्धारण

वाणिज्यिक कर, परिवहन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों, निर्धारण योग्य मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में अन्तिमिकरण के लिए लंबित मामलों का विवरण **तालिका 2.6** में दिया गया है:

तालिका 2.6 : बकाया निर्धारण

विभाग का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष 2023-24 के दौरान निर्धारण योग्य नए मामले	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2023-24 के दौरान निपटाये गये मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत (कॉलम 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
वाणिज्यिक कर*	0	4,611	4,611	4,611	0	100
परिवहन*	1,033	19,879	20,912	19,758	1,154	94.48
पंजीकरण एवं मुद्रांक*#	5,155	5,502	10,657	6,011	4,646	56.40
खान एवं भूविज्ञान	10,582	7,516	18,098	6,654	11,444	36.77

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना

* विभागों द्वारा अद्यतन सूचनाएं प्रेषित करने के कारण प्रारंभिक शेष गत वर्ष के अंतिम शेष से भिन्न है।

\# भूमि कर सहित

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर और परिवहन विभागों ने निपटान के उच्च प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया।

राज्य उत्पाद शुल्क विभाग से सम्बन्धित सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी, 2025)।

विभागों द्वारा पता लगायी गई कर चोरी का विवरण

विभागों द्वारा पता लगाये गए कर चोरी के मामले तथा अतिरिक्त कर की मांग करना राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के मुख्य संकेतक है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान कर चोरी के 651 मामले पाये गये। 634 मामलों में निर्धारण/जाँच पूरी कर ली गई और 401 मामले 31 मार्च 2024 को अन्तिमिकरण के लिए बकाया थे। आगे, वर्ष 2023-24 के दौरान पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग में कर चोरी के 1,158 मामले पाये गये। 31 मार्च 2024 को सभी मामलों में निर्धारण/जाँच पूरी कर ली गई और कोई भी मामला अन्तिमिकरण के लिए बकाया नहीं था। बकाया मामलों का विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है:

तालिका 2.7: पता लगायी गई कर चोरी

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 को बकाया मामले	वर्ष 2023-24 के दौरान ज्ञात मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण जाँच पूर्ण कर ली गई / और शास्ति इत्यादि के साथ अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2024 को अन्तिमीकरण के लिये बकाया मामले
				मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
वाणिज्यिक कर	384	651	1,035	634	1,314.13	401
पंजीयन एवं मुद्रांक*	1,824	1,158	2,982	2,982	22.01	0

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित सूचना।

* विभागों द्वारा अद्यतन सूचनाएं प्रेषित करने के कारण प्रारंभिक शेष गत वर्ष के अंतिम शेष से भिन्न है।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग में वर्ष के दौरान लंबित प्रकरण 31 मार्च 2023 को 384 से बढकर 31 मार्च 2024 को 401 हो गये। विभाग लंबित प्रकरणों को अंतिम रूप देने के लिए ठोस प्रयास कर सकता है।

खान एवं भू-विज्ञान, परिवहन एवं राज्य उत्पाद शुल्क विभागों से सम्बन्धित सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 2025)।

रिफंड के लंबित मामले

रिफंड के मामलों के निस्तारण में तत्परता भी विभाग के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। विभागों द्वारा वर्ष 2023-24 के प्रारंभ में रिफंड के लंबित मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड और वर्ष 2023-24 के अंत में लंबित बताये गये मामलों को **तालिका 2.8** में दिया गया है:

तालिका 2.8: रिफंड के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वाणिज्यिक कर विभाग		परिवहन विभाग		पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग		खान एवं भू-विज्ञान विभाग	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	977	65.56	314	3.73	1,693	15.41	03	0.22
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1681	172.30	481	6.91	2,807	33.49	14	34.24
3	वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड	1236	109.82	490	3.43	2,323	23.44	0	0
4	वर्ष के दौरान निरस्त	633	65.05	23	0.15	325	3.54	0	0
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	809	62.99	282	7.06	1,852	21.92	17	34.46

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित सूचना

यह देखा जा सकता है कि पंजीकरण एवं मुद्रांक तथा खान एवं भू-विज्ञान विभाग में बकाया प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग से सम्बंधित सूचना अपेक्षित है (फरवरी 2025)।

संबंधित विभाग रिफंड के मामलों के त्वरित निपटान के लिए उपयुक्त उपायों पर विचार कर सकते हैं क्योंकि इससे न केवल दावेदारों को लाभ होगा बल्कि सरकार रिफंड के विलंबित भुगतान पर ब्याज की अदायगी से भी बचेगी।

कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, पेट्रोलियम से राजस्व, लाभांश एवं लाभ, इत्यादि शामिल है । वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व की प्रवृत्ति **तालिका 2.9** में दी गई है।

तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
						बजट अनुमान	वास्तविक
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	3,852	2,693	1,628	2,030	2,425	2,006
2.	पेट्रोलियम से राजस्व[4]	3,320	1,905	3,995	4,889	5,500	3,425
3.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	4,579	4,966	6,395	7,213	9,000	7,460
4.	लाभांश एवं लाभ	55	3	87	29	73	51
5.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	3,908	4,086	6,650	6,404	7,287	5,738
	योग	**15,714**	**13,653**	**18,755**	**20,565**	**24,285**	**18,680**

स्रोतः वित्त लेखे

4. बाड़मेर-सांचोर बेसिन से उत्पादित कच्चे तेल पर रॉयल्टी से राजस्व।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.19 प्रतिशत से 11.22 प्रतिशत तक था। वर्ष 2023-24 के दौरान, कर-भिन्न राजस्व (₹18,680 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 9.17 प्रतिशत (₹ 1,885 करोड़) की कमी मुख्यतः कच्चे तेल पर रॉयल्टी से पेट्रोलियम प्राप्तियों में ₹ 1,464 करोड़ (29.94 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी के कारण हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान पेट्रोलियम पर रॉयल्टी में कमी कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के कम उत्पादन के कारण थी। आगे, गत वर्ष की तुलना में अदावाकृत राशियों को कम जमा करने एवं प्रत्याभूति शुल्क की कम प्राप्ति के कारण अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां भी गत वर्ष से कम थी। इस प्रकार, वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में कर-भिन्न राजस्व में गत वर्ष की तुलना में ऋणात्मक वृद्धि रही जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के कर-भिन्न राजस्व की औसत वृद्धि दर धनात्मक (14.62 प्रतिशत) थी ***(परिशिष्ट 1.2)***।

2.3.2.3 केंद्र द्वारा हस्तांतरण

केंद्र सरकार से हस्तांतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर होते हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से में 32 प्रतिशत (तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित) से 42 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की। तथापि, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्से को 42 प्रतिशत (चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित) से 41 प्रतिशत तक कम करने की सिफारिश की। वर्ष 2023-24 के दौरान, केंद्र से हस्तांतरण राजस्व प्राप्तियों का 44.53 प्रतिशत था।

चौदहवें तथा पंद्रहवे वित्त आयोगों की अवधि को शामिल करते हुए पांच वर्षों की अवधि के लिए केंद्र द्वारा हस्तांतरण की प्रवृति नीचे तालिका में दी गई है :

तालिका 2.10: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	36,049	35,576	54,031	57,231	68,063
सहायतार्थ अनुदान	29,106	24,796	36,326	29,846	22,447
योग	**65,155**	**60,372**	**90,357**	**87,077**	**90,510**
गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि	5.28	(-) 7.34	49.67	(-) 3.63	3.94
केंद्र से कुल हस्तांतरण राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	46.50	44.95	49.13	44.66	44.53

स्रोतः वित्त लेखे

केंद्र से हस्तांतरण वर्ष 2019-20 में ₹ 65,155 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 90,510 करोड़ हो गया एवं गत वर्ष (₹ 87,077 करोड़) की तुलना में इसमें 3.94 प्रतिशत की वृद्धि भी हुई। गत वर्ष की

तुलना में, 2023-24 में केंद्रीय कर हस्तांतरण बढ़ा, यद्यपि, केंद्र से अनुदान गत वर्ष की तुलना में कम हो गया।

चार्ट 2.7: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

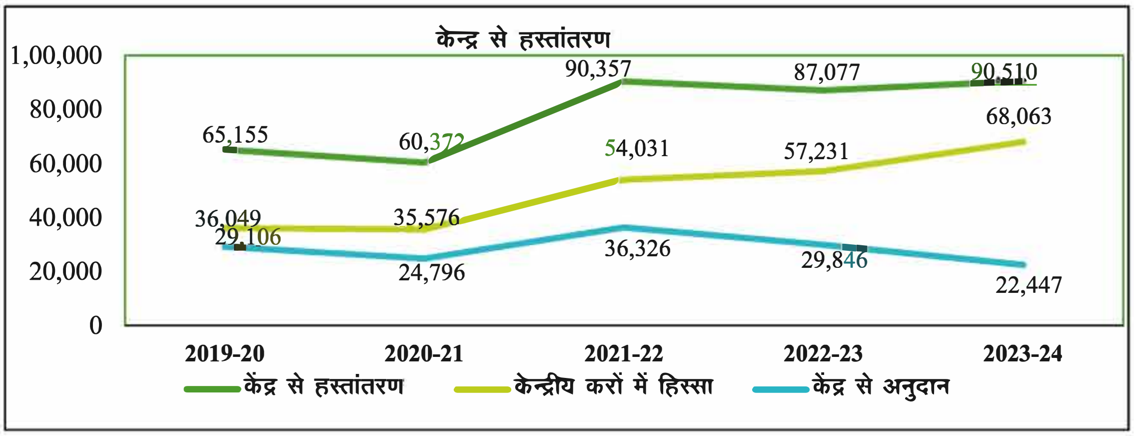

केंद्रीय कर हस्तांतरण

केंद्रीय करों में राज्यांश के घटकों को **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.11: केन्द्रीय करों में राज्यांश के विभिन्न घटकों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	केन्द्रीय कर हस्तांतरण के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	सीमा शुल्क	2,285	1,910	3,864	2,249	2,385
2.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1,589	1,199	2,098	706	903
3.	सेवा कर	-	150	701	89	13
4.	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	10,229	10,603	15,261	16,170	20,656
5.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	-	-	-	-	-
6.	निगम कर	12,291	10,711	16,172	19,192	20,430
7.	निगम कर से भिन्न आय पर कर	9,631	10,978	15,877	18,730	23,593
8.	धन कर	1	-	4	-	-
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	23	25	54	95	83
10.	अन्य	-	-	-[5]	-	-
11.	**कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण (1 से 10)**	**36,049**	**35,576**	**54,031**	**57,231**	**68,063**
12.	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता	(-)13.87	(-)1.31	51.87	5.92	18.93
13.	केन्द्रीय कर हस्तांतरण की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	25.73	26.49	29.38	29.35	33.49

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण राजस्व प्राप्तियों का 33.49 प्रतिशत था। पांच वर्ष की अवधि 2019-24 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण 17.22 प्रतिशत की सीएजीआर से वर्ष 2019-20 के ₹ 36,049 करोड़ से 88.81 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 68,063 करोड़ हो गया।

5. ₹ 0.11 करोड़

वर्ष 2023-24 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण में गत वर्ष की तुलना में 18.93 प्रतिशत (₹ 10,832 करोड़) वृद्धि मुख्य रूप से निगम कर से अतिरिक्त अन्य आय पर कर में ₹ 4,863 करोड़ (25.96 प्रतिशत), सीजीएसटी में ₹ 4,486 करोड़ (27.74 प्रतिशत) एवं निगम कर में ₹ 1,238 करोड़ (6.45 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई।

भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान **तालिका 2.12** में वर्णित है:

तालिका 2.12: भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें (सीएसएस)	14,966	12,595	14,965	14,554	14,263
2.	वित्त आयोग अनुदान	7,332	6,237	17,211	10,508	5,591
3.	विधानमंडल वाले राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	6,808	5,964	4,150	4,784	2,593
	भारत सरकार से कुल सहायतार्थ अनुदान	**29,106**	**24,796**	**36,326**	**29,846**	**22,447**
4.	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता	45.26	(-)14.81	46.50	(-)17.84	(-) 24.79
5.	राजस्व प्राप्तियों से सहायतार्थ अनुदान की प्रतिशतता	20.77	18.46	19.75	15.31	11.04

स्रोतः वित्त लेखे

भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान में वर्ष के दौरान गत वर्ष की तुलना में ₹ 7,398 करोड़ (24.79 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान सहायतार्थ अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 11.04 प्रतिशत था। राज्य को केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 14,263 करोड़) वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 63.54 प्रतिशत था। पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुदान में मुख्य रूप से स्थानीय निकायों के लिए सहायतार्थ अनुदान (₹ 3,801 करोड़) तथा राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए सहायता सहित राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) (₹ 1,790 करोड़) का सहायतार्थ अनुदान सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, अन्य अनुदानों में जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति (₹ 1,398 करोड़) शामिल है।

एकल नोडल एजेंसी को धन का हस्तानान्तरण (एसएनए)

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधियां जारी करने तथा एकल नोडल एजेंसी के माध्यम से जारी निधियों के उपयोग के अनुश्रवण के लिए प्रक्रिया अधिसूचित (मार्च 2021) की थी। प्रत्येक सीएसएस के लिए, राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के बैंक खाते के साथ एकल नोडल एजेंसी की स्थापना की जानी

है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने लेखों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से को राज्यांश के साथ संबंधित एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तानांतरित करना होता है।

राज्य सरकार को अपने कोषालय खातों में 2023-24 के दौरान केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 12,954.28 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2024 को, सरकार द्वारा कोषालय खातों में प्राप्त हुए केंद्रीय अंश ₹ 12,712.31 करोड़ (पिछले शेष सहित) तथा राज्यांश के रूप में ₹ 11,388.55 करोड़ एकल नोडल एजेन्सियों को हस्तान्तरित किये गये। कुल हस्तानांतरित ₹ 24,100.86 करोड़ में से, ₹ 12,880.02 करोड़ सहायतार्थ अनुदान बिलों के माध्यम से, ₹ 6,760.47 करोड़ परिपूर्ण आकस्मिक बिलों के माध्यम से, ₹ 3,944.52 करोड़ निजी निक्षेप खातों के माध्यम से तथा ₹ 515.85 करोड़ वर्क्स अकाउंटिंग मॉड्यूल (डब्ल्यूएएम) के माध्यम से हस्तांतरित किए गए।

एकल नोडल एजेंसी से वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर एवं सहायक दस्तावेज महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली की एकल नोडल एजेंसी-01 रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2024 तक एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹ 4,713.71 करोड़ बिना व्यय किये पड़े थे, जो कि सरकारी लेखों के दायरे से बाहर है।

पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए नवंबर 2020 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। पन्द्रहवें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को मिलियन प्लस शहरों/शहरी समूहों में परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से अनुदान तथा आपदा प्रबन्धन अनुदान के बाद निधियों के अनुदान/हस्तांतरण की सिफारिश की। पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए राजस्थान को ₹ 59,374 करोड़ के सहायतार्थ अनुदान की सिफारिश की। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी और राज्य द्वारा आगे हस्तांतरण की स्थिति नीचे **तालिका 2.13** में दी गई है:

तालिका 2.13: सहायतार्थ अनुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक जारी की गई और हस्तांतरित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का नाम	पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा		भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को वास्तविक जारी	राजस्थान सरकार द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को जारी
		2021-26	2023-24	2023-24	2023-24
1.	**स्थानीय सरकार के लिए अनुदान**	**22,749.00**	**4,529.00**	**3,800.95**	**3,637.68**
	(i) **ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान**	**15,053.00**	**2,989.00**	**2,795.94**	**2,810.18**
	(अ) मूल अनुदान (अनटाईड)	6,021.20	1,195.60	1,118.38	1,118.38
	(ब) टाईड अनुदान	9,031.80	1,793.40	1,677.56	1,691.80[#]
	(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	7,696.00	1,540.00	1,005.01	827.50
	क. नॉन मिलियन प्लस शहर	**5,369.00**	**1,074.00**	**374.50**	**508.00**
	(अ) मूल अनुदान (अनटाईड)	2,147.60	429.60	149.80	203.20[$]
	(ब) टाईड अनुदान	3,221.40	644.40	224.70	304.80[$]

क्र. स.	अनुदान का नाम	पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा		भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को वास्तविक जारी	राजस्थान सरकार द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को जारी
		2021-26	2023-24	2023-24	2023-24
	ख. मिलियन प्लस शहर (जयपुर, जोधपुर एवं कोटा)	**2,327.00**	**466.00**	**630.51**	**319.50**
	(अ) वायु गुणवत्ता	774.00	155.00	25.50	25.50
	(ब) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/सफाई	1,553.00	311.00	605.01##	294.00##
2.	**स्वास्थ्य अवसंरचना (ग्रामीण)**	**4,423.06**	**874.54**	**0**	**-**
3.	**आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान (केंद्र सरकार का अंश 75%)**	**8,186.00**	**1,634.00**	**1,789.60**	**1,781.80***
	(अ) राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ)			1,307.20	1,307.20
	(ब) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ)			482.40	474.60
4.	**योग (1+2+3)**	**35,358.06**	**7,037.54**	**5,590.55**	**5,419.48**
5.	**राजस्व घाटा अनुदान**	**14,740.00**	**0**	**0**	**0**
6.	**अन्य****	**9,276.00**	**0**	**0**	**0**
	महायोग (4+5+6)	**59,374.06**	**7,037.54**	**5,590.55**	**5,419.48**

स्रोतः पन्द्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, राज्य के वित्त लेखे एवं संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना

 # इसमें 2022-23 के लिए 31-03-2023 को भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित तथा राजस्थान सरकार द्वारा 20-04-2023 को जारी ₹ 887.10 करोड़ (टाईड अनुदान की दूसरी किस्त) का अनुदान शामिल है।

$ वर्ष के दौरान जारी की गई राशि पिछले वर्षों से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा चालू वर्ष के लिए जारी की गई राशि राजस्थान सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान जारी नहीं की गई।

इसमें भारत सरकार द्वारा 2022-23 से सम्बन्धित 19-05-2023 को हस्तांतरित तथा राजस्थान सरकार द्वारा 02-06-2023 को जारी ₹ 294.00 करोड़ अनुदान शामिल है।

** इसमें भारत सरकार द्वारा आपदा न्यूनीकरण निधि की वर्ष 2022-23 से सम्बंधित 31.03.2023 एवं 16.05.2023 को हस्तांतरित एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 01.05.2023 एवं 01.06.2023 को जारी की गई अनुदान राशि ₹ 311.20 करोड़ (प्रथम एवं द्वितीय किश्त प्रत्येक ₹ 155.60 करोड़) शामिल है।*

*** भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य, पीएमजीएसवाई सड़क के रखरखाव, सांख्यिकी, न्यायपालिका, उच्च शिक्षा, कृषि और राज्य विशिष्ट अनुदान से सम्बंधित अनुदान जारी नहीं किये गये थे।*

पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना, आपदा प्रबंधन, वायु गुणवत्ता में सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/सफाई आदि के लिए ₹ 7,037.54 करोड़ आवंटित की जानी थी। इसके विपरीत, लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्थान सरकार को ₹ 5,590.55 करोड़ की राशि जारी की गई। इस प्रकार, वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 1,446 करोड़ का कम हस्तान्तरण था। अनुदान की कम जारी करने का कारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करना था जैसाकि निदेशालय, स्थानीय निकाय, राजस्थान द्वारा सूचित किया गया।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष को ₹ 5,419.48 करोड़ जारी/स्थानांतरित किए। स्वास्थ्य अवसंरचना अनुदान जारी करने के संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार से सूचना प्रतीक्षित है (अगस्त 2024)।

पन्द्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य, केंद्र सरकार से प्राप्ति के 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायतार्थ अनुदान हस्तांतरित करेगा। 10 कार्य दिवसों से अधिक की

देरी के लिए राज्य सरकार को गत वर्ष के लिए बाजार उधार/राज्य विकास ऋण पर औसत ब्याज की प्रभावी दर के अनुसार ब्याज के साथ अनुदान जारी करना होगा।

यह देखा गया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 2022-23 से संबंधित पन्द्रहवें वित्त आयोग की अन-टाईड और टाईड अनुदान की दूसरी किश्त जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों को क्रमशः तीन और ग्यारह दिनों की देरी से हस्तांतरित की, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2023-24 के दौरान ₹ 9.22 करोड़ का ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आतंरिक स्रोतों से निवल ऋण प्राप्तियाँ तथा भारत सरकार से निवल ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। निवल पूंजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण के निर्वहन के बाद निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल होती हैं।

निवल पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्तियों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.14: निवल पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	पूंजीगत प्राप्तियाँ	**41,831**	**49,328**	**47,640**	**35,264**	**58,687**
1.	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	20	14	31	16	14
2.	ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ	15,670	373	2,374	420	405
3.	निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	26,141	48,941	45,235	34,828	58,268
4.	*आंतरिक ऋण*	*22,766*	*42,712*	*37,018*	*29,154*	*48,896*
5.	वृद्धि दर	19.39	87.61	(-)13.34	(-)21.24	67.72
6.	*भारत सरकार से ऋण और अग्रिम*	*3,375*	*6,229*	*8,217*	*5,674*	*9,372*
7.	वृद्धि दर	81.07	84.56	31.92	(-)30.95	65.17
8.	निवल लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	24.89	87.22	(-) 7.57	(-)23.01	67.30
9.	गैर ऋण पूंजीगत-प्राप्तियों की वृद्धि दर	3.37	(-)97.53	521.45	(-)81.87	(-)3.90
10.	पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.84	17.92	(-)3.42	(-)25.98	66.42

स्रोतः वित्त लेखे और एमओएसपीआई, भारत सरकार

पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2022-23 में ₹ 35,264 करोड़ से 66.42 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि से वर्ष 2023-24 में ₹ 58,687 करोड़ हो गई। वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियाँ 83.32 प्रतिशत निवल आंतरिक ऋणों से तथा 15.97 प्रतिशत भारत सरकार से निवल ऋण तथा अग्रिमों से आयी। वर्ष 2023-24 के दौरान आंतरिक ऋण में 67.72 प्रतिशत की वृद्धि गत वर्ष की तुलना में बाजार ऋण और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में 65.17 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई।

2.3.4 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

जैसाकि केंद्रीय करों और सहायतार्थ अनुदानों में राज्य की हिस्सेदारी का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है, राज्य के संसाधन जुटाने में प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों जिसमें कर एवं कर-भिन्न संसाधन सम्मिलित है, के संन्दर्भ में किया गया है।

राज्य के वास्तविक स्व-कर और कर-भिन्न राजस्व के साथ-साथ बजट अनुमानों को **तालिका 2.15** में दिया गया है:

तालिका 2.15: वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के स्व-कर तथा कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमानों से वास्तविक का प्रतिशत विचलन
1.	स्व-कर राजस्व	1,14,169	94,086	(-) 17.59
2.	कर-भिन्न राजस्व	24,285	18,680	(-) 23.08

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज

स्व-कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से क्रमशः 17.59 प्रतिशत (₹ 20,083 करोड़) तथा 23.08 प्रतिशत (₹ 5,605 करोड़) कम थी, जो राज्य द्वारा संसाधनों को जुटाने में कमी को दर्शाता है।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार पर राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के दायरे में व्यय करने की जिम्मेदारी निहित है, जबकि साथ ही सुनिश्चित करना होता है कि राज्य में जारी राजकोषीय सुधार एवं एकीकरण प्रक्रिया कहीं पूँजीगत आधारभूत ढाँचे तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय की कीमत पर तो नहीं है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संयोजन

तालिका 2.16 'आर्थिक वर्गीकरण' के संदर्भ में इसके संयोजन को दर्शाते हुए पाँच वर्षों (2019-24) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.16: कुल व्यय तथा उसके संयोजन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	कुल व्यय	1,93,458	1,94,071	2,34,563	2,46,452	2,69,275
2.	राजस्व व्यय	1,76,485	1,78,309	2,09,790	2,26,479	2,42,231
3.	पूंजीगत परिव्यय	14,718	15,271	24,152	19,798	26,646

क्र.सं.	मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
4.	ऋण एवं अग्रिम	2,255	491	621	175	398
	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में					
5.	कुल व्यय/जीएसडीपी	19.35	19.07	19.63	18.15	17.62
6.	राजस्व व्यय/जीएसडीपी	17.65	17.52	17.56	16.68	15.85
7.	पूंजीगत परिव्यय /जीएसडीपी	1.47	1.50	2.02	1.46	1.74
8.	ऋण एवं अग्रिम/जीएसडीपी	0.23	0.05	0.05	0.01	0.03

स्रोतः वित्त लेखे

तालिका दर्शाती है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2019-20 में ₹ 1,93,458 करोड़ से 39.19 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 2,69,275 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 9.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान कुल व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 17.62 प्रतिशत से 19.63 प्रतिशत के मध्य रहा। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यय की वृद्धि दर (9.26 प्रतिशत) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के कुल व्यय की औसत वृद्धि दर 10.56 प्रतिशत से कम थी ***(परिशिष्ट 1.2)***।

चार्ट 2.8: कुल व्ययः इसके घटकों की प्रवृत्तियाँ

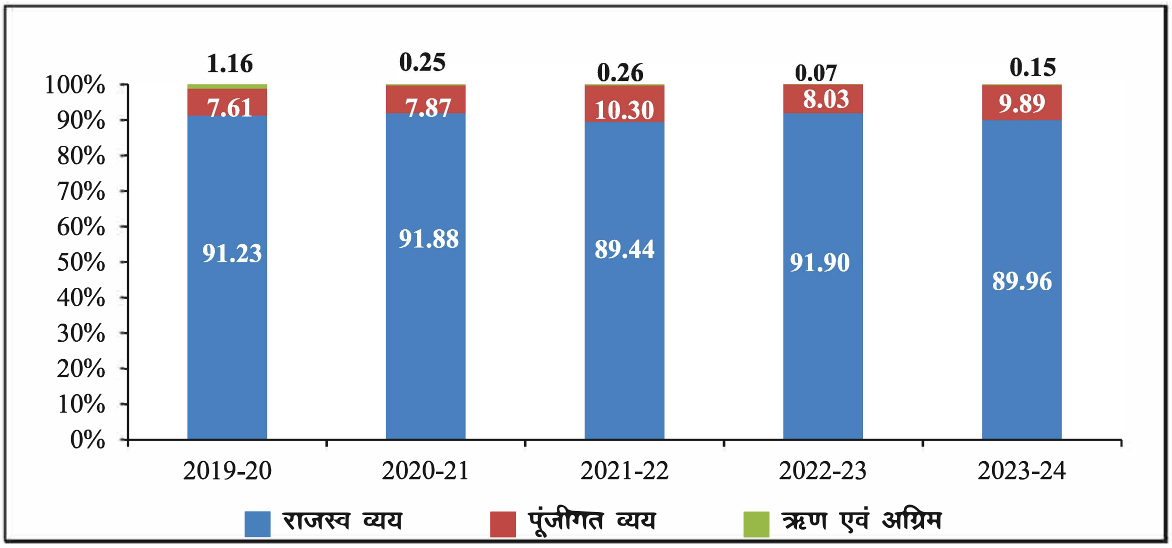

स्रोतः वित्त लेखे

उपरोक्त **चार्ट 2.8** से यह स्पष्ट है कि राजस्व व्यय 2019-24 के दौरान कुल व्यय का 89.44 प्रतिशत से 91.90 प्रतिशत के मध्य रहा।

गतिविधियों के सन्दर्भ में, कुल व्यय को ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायतार्थ अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम पर व्यय से संगठित माना जा सकता है।

तालिका 2.17: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष घटक

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	सामान्य सेवायें	29.28	31.20	28.09	29.38	29.00
2.	सामाजिक सेवायें	38.16	42.07	40.93	40.18	41.53
3.	आर्थिक सेवायें	31.40	26.48	30.72	30.37	29.32
4.	अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	1.16	0.25	0.26	0.07	0.15

स्रोतः वित्त लेखे।

चार्ट 2.9: कुल व्यय गतिविधियों द्वारा व्यय

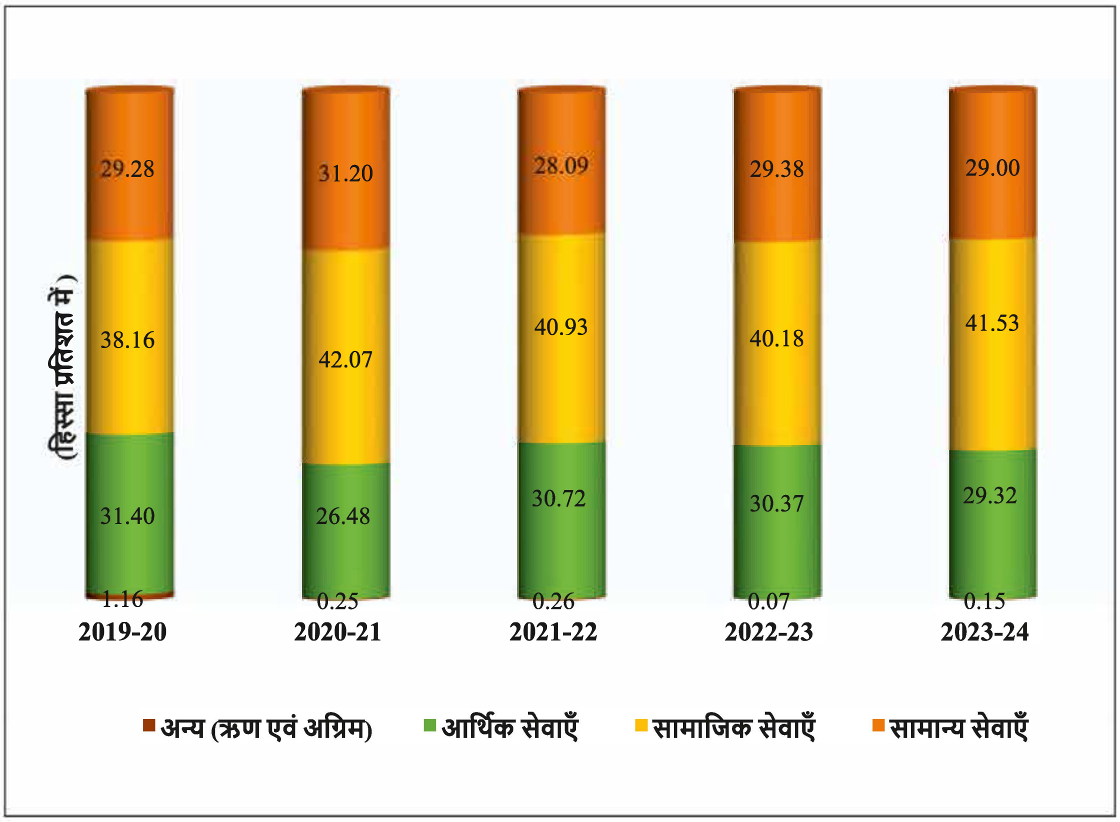

चार्ट 2.9 एवं **तालिका 2.17** दर्शाती है कि 2023-24 में कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं तथा ऋण एवं अग्रिमों का सापेक्ष अंश 2022-23 की तुलना में बढ़ा है। सामान्य एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय के अंश में गत वर्ष की तुलना में कमी आई। **चार्ट 2.10** कार्यकलाप के आधार पर समेकित निधि से व्यय के संयोजन को दर्शाता है।

चार्ट 2.10: वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यकलाप-वार समेकित निधि से व्यय का संयोजन

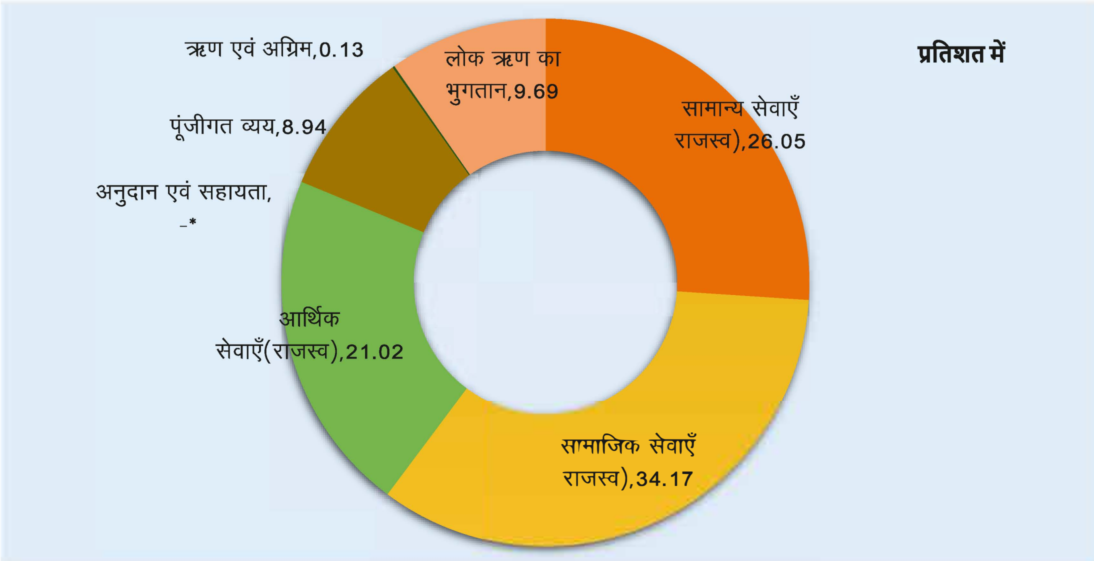

स्रोतः वित्त लेखे

* मात्र ₹0.05 करोड़

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के आधारभूत ढांचे एवं सेवाओं में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करता है। गत पांच वर्षों के लिये कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर तथा जीएसडीपी से अनुपात को **तालिका 2.18** में दर्शाया गया है। राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण **चार्ट 2.11** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.18: राजस्व व्यय आधार मापदंड

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	कुल व्यय	1,93,458	1,94,071	2,34,563	2,46,452	2,69,275
2.	राजस्व व्यय	1,76,485	1,78,309	2,09,790	2,26,479	2,42,231
3.	राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.82	1.03	17.66	7.96	6.96
4.	राजस्व व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	91.23	91.88	89.44	91.90	89.96
5.	राजस्व व्यय/जीएसडीपी (प्रतिशत)	17.67	17.49	17.22	16.02	15.85
6.	राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	125.96	132.76	114.07	116.15	119.16

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 89.96 प्रतिशत था। यह वर्ष 2019-20 में ₹ 1,76,485 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 2,42,231 करोड़ हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में 6.96 प्रतिशत (₹ 15,752 करोड़) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान सभी वर्षों में राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में 100 प्रतिशत से अधिक था, जो

दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप घाटा हुआ।

चार्ट 2.11: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

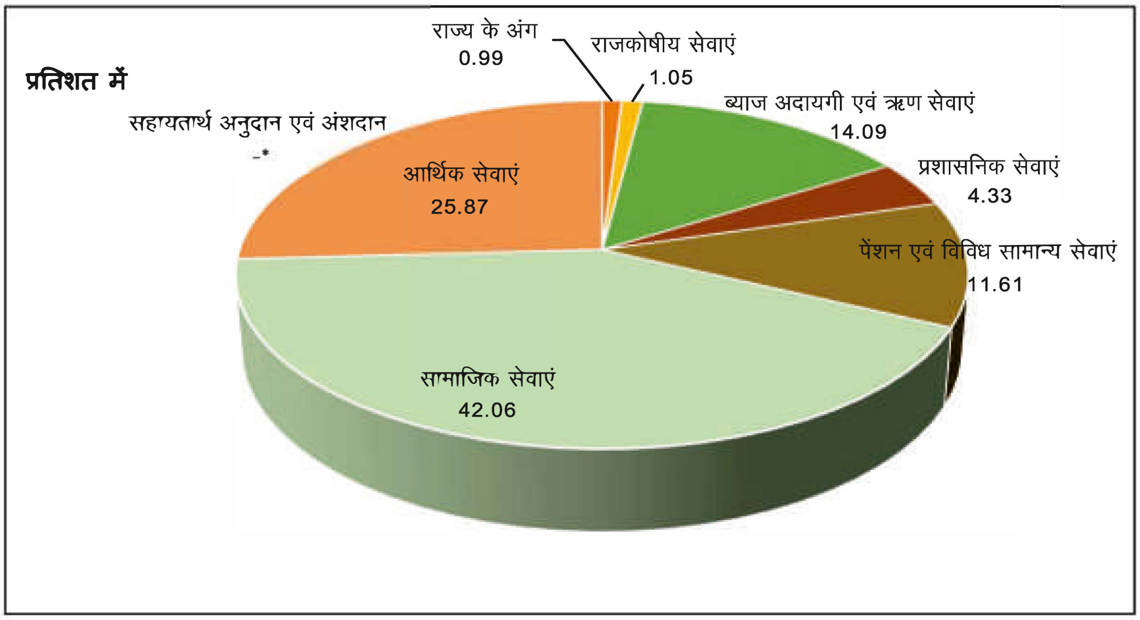

स्रोत: वित्त लेखे

* मात्र ₹ 0.05 करोड़

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्तमान वर्ष एवं गत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण **तालिका 2.19** में दिया गया है:

तालिका 2.19: वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि/कमी (-)
1.	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	10,144.84	14,931.41	4,786.57
2.	2202- सामान्य शिक्षा	43,705.47	48,435.25	4,729.78
3.	2049 -ब्याज अदायगी	30,601.88	34,127.78	3,525.90
4.	2801- बिजली	24,515.15	27,037.97	2,522.82
5.	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	25,381.00	27,203.19	1,822.19
6.	3454-जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	866.50	2,615.11	1,748.61
7.	2211- परिवार कल्याण	2,999.87	4,338.61	1,338.74
8.	2505- ग्रामीण रोजगार	6,435.90	1,968.68	(-) 4,467.22
9.	3451- सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	4,023.10	57.14	(-) 3,965.96

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका दर्शाती है कि वर्ष के दौरान 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य', 'सामान्य शिक्षा', 'ब्याज अदायगी, 'बिजली', 'पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ', 'जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी' तथा 'परिवार कल्याण' के तहत राजस्व व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज अदायगी, वेतन एवं मजदूरी तथा पेंशन पर व्यय शामिल हैं। यह सरकारी संसाधनों पर प्रथम प्रभार है।

उपरोक्त के अलावा, अलोचनीय व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें आम तौर पर बदला या कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है यह वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं जो परिवर्तनीय लेनदेन से भिन्न है जैसे पूंजीगत व्यय, आदि। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मदों को अलोचनीय व्यय के रूप में माना जा सकता है:

(i) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण- राज्य वेतन और भत्तों (पूंजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण) के लिए स्थानीय निकायों (केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग) को वैधानिक हस्तांतरण करता है।

(ii) आरक्षित निधि में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएं- गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ), राज्य आपदा शमन/मोचन निधि (एसडीएमएफ/एसडीआरएफ), राज्य सड़क एवं सेतु निधि आदि।

(iii) आकस्मिकता निधि का पुनर्भुगतान - वर्ष के भीतर पुनर्भुगतान की गई राशि।

(iv) उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय को हस्तानांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक है।

(v) प्राप्त केंद्रीय निधि के सापेक्ष सीएसएस का अंशदान- राज्य व्यय की राशि और राज्य की समेकित निधि में प्राप्त केंद्रीय अंश को एकल नोडल एजेंसी को हस्तांतरित किया गया/राज्य द्वारा व्यय।

(vi) ब्याज वाली निधियों के शेष पर ब्याज का भुगतान जैसे अगर उन्हें निवेश किया जा सकता था।

प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास पहलों के लिए कम संसाधन रह जाते हैं। प्रतिबद्ध एवं अलोचनीय व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण तथा इसके घटकों को **तालिका 2.20** में दर्शाया गया है तथा राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध के अंश को **चार्ट 2.12** में दिखाया गया है।

तालिका 2.20: प्रतिबद्ध एवं अलोचनीय व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	वेतन एवं मजदूरी	49,066	51,619	57,118	59,774	65,399
2.	पेंशन पर व्यय	20,761	22,440	23,391	25,381	27,203
3.	ब्याज अदायगी	23,643	25,202	28,100	30,602	34,128
4.	**योग**	**93,470**	**99,261**	**1,08,609**	**1,15,757**	**1,26,730**

क्र.सं.	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
5.	**अलोचनीय व्यय के घटक**					
6.	स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण	7,207	8,959	10,873	9,277	7,024
	(अ) केन्द्रीय वित्त आयोग	**6,327**	**4,755**	**5,195**	**4,069**	**3,638**
	(ब) राज्य वित्त आयोग	**880**	**4,204**	**5,678**	**5,208**	**3,386**
7.	आरक्षित निधि में योगदान	4,608	4,377	4,884	6,229	7105
8.	आकस्मिकता निधि का पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-
9.	उपकर का आरक्षित निधि/अन्य निकाय को हस्तांतरण	1,735	1,638	4,532	5,637	6,762
10.	प्राप्त केंद्रीय निधि के समक्ष केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का अंश	28,278	29,172	42,634	43,205	29,042
	(अ) केन्द्रीय अंश	**14,546**	**12,454**	**14,817**	**13,717**	**13,532**
	(ब) राज्य अंश	**13,732**	**16,718**	**27,817**	**29,488**	**15,510**
11.	ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था	42	144	328	177	337
12.	**योग**	**41,870**	**44,290**	**63,251**	**64,525**	**50,270**
13.	**राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में**					
14.	**प्रतिबद्ध व्यय**					
15.	वेतन एवं मजदूरी	35.02	38.43	31.05	30.66	32.17
16.	पेंशन पर व्यय	14.82	16.71	12.73	13.02	13.38
17.	ब्याज अदायगी	16.87	18.76	15.28	15.69	16.79
18.	**योग**	**66.71**	**73.90**	**59.05**	**59.37**	**62.34**
19.	**अलोचनीय व्यय**					
20.	**योग**	**29.88**	**32.98**	**34.39**	**33.09**	**24.73**
21.	**राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में**					
22.	**प्रतिबद्ध व्यय**					
23.	वेतन एवं मजदूरी	27.80	28.95	27.23	26.39	27.00
24.	पेंशन पर व्यय	11.76	12.58	11.15	11.21	11.23
25.	ब्याज अदायगी	13.40	14.13	13.39	13.51	14.09
26.	**योग**	**52.96**	**55.66**	**51.77**	**51.11**	**52.32**
27.	**अलोचनीय व्यय**					
28.	**योग**	**23.72**	**24.84**	**30.15**	**28.49**	**20.75**
29.	**गैर-प्रतिबद्ध राजस्व व्यय**	**83,015**	**79,048**	**1,01,181**	**1,10,722**	**1,15,501**
30.	राजस्व व्यय का प्रतिशत	47.04	44.34	48.23	48.89	47.68
31.	कुल व्यय का प्रतिशत	42.91	40.73	43.14	44.93	42.89
32.	**अर्थ-सहाय्य**	**18,990**	**14,828**	**23,364**	**26,166**	**28,402**
33.	गैर-प्रतिबद्ध व्यय के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य	22.88	18.76	23.09	23.63	24.59

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 2.12: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश

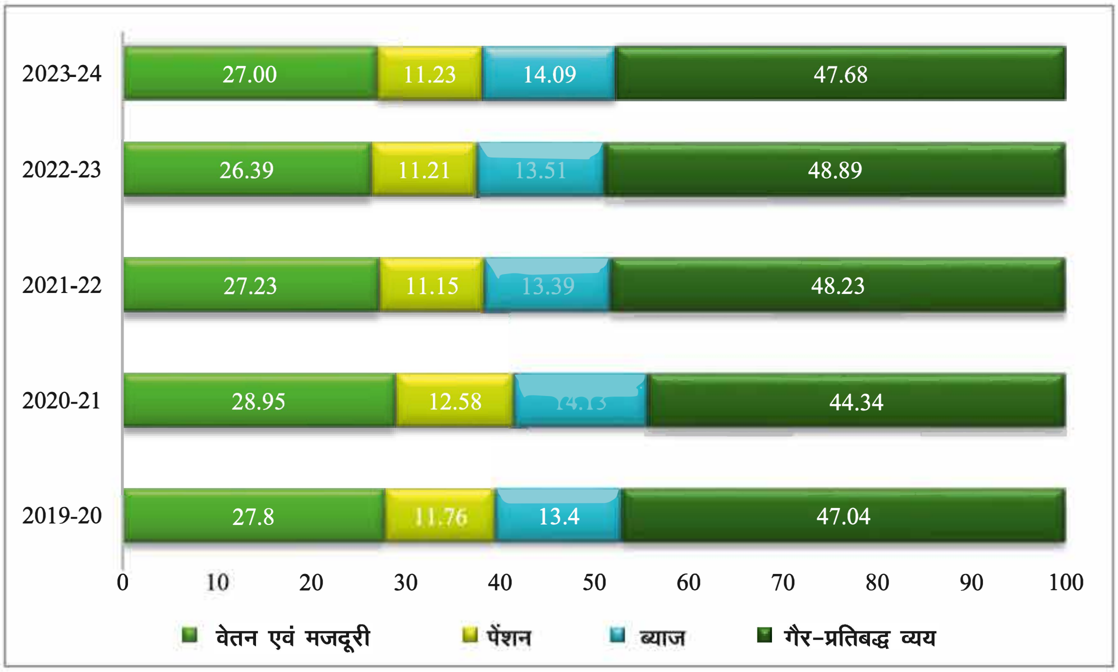

राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश 2019-20 में 52.96 प्रतिशत से मामूली कम होकर 2023-24 में 52.32 प्रतिशत रह गया, जबकि, यह गत वर्ष (51.11 प्रतिशत) की तुलना में बढ़ा है। प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 2019-20 में 66.71 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 62.34 प्रतिशत रह गया, हालांकि यह गत वर्ष (59.37 प्रतिशत) से बढ़ा है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों का 62.34 प्रतिशत था, जो दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय के लिए व्यय किया जाता है।

वेतन और मजदूरी

वेतन और मजदूरी पर व्यय 2019-20 के ₹ 49,066 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 65,399 करोड़ हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान वेतन और मजदूरी पर व्यय में गत वर्ष की तुलना में 9.41 प्रतिशत की वृद्धि रही, जो पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों की औसत वृद्धि दर (7.52 प्रतिशत) से अधिक थी *(**परिशिष्ट 1.2**)*।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान पर व्यय 2019-20 में ₹ 20,761 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 27,203 करोड़[6] हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, पेंशन भुगतान पर व्यय गत वर्ष की तुलना में 7.18 प्रतिशत बढ़ गया। पेंशन

6. इसमें 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों के "पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों" पर वर्ष के दौरान व्यय ₹ 27,199.37 करोड़ तथा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए ₹ 3.82 करोड़ का सरकारी अंशदान शामिल है।

भुगतान में वृद्धि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत (6.27 प्रतिशत) से अधिक थी ***(परिशिष्ट 1.2)***। राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 2023-24 के दौरान कुल राजस्व व्यय का 11.23 प्रतिशत (2022-23 में 11.21 प्रतिशत) था।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान 2019-20 के ₹ 23,643 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 34,128 करोड़ हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान ब्याज भुगतान में गत वर्ष (₹ 30,602 करोड़) की तुलना में 11.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः बाजार ऋण में ₹ 48,896 करोड़ की वृद्धि के कारण था।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करता है। राज्य की ब्याज अदायगियों का कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात वर्ष 2023-24 के लिए 16.79 प्रतिशत था, जो गत वर्ष (15.69 प्रतिशत) से अधिक था।

अलोचनीय व्यय

अलोचनीय व्यय के घटकों जिसमें अन्यों के साथ, प्राप्त केंद्रीय निधि के समक्ष सीएसएस योगदान का राज्य तथा केंद्रीय अंश, स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण, आरक्षित निधि में योगदान तथा आरक्षित निधि/अन्य निकाय को उपकर का स्थानांतरण शामिल है। अलोचनीय व्यय में वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि देखी गई, हालांकि, यह गत वर्ष की तुलना में ₹ 64,525 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 50,175 करोड़ रह गया। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अलोचनीय व्यय 2022-23 में 28.49 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 20.75 प्रतिशत रह गया।

2.4.2.3 अर्थ-सहाय्य

पिछले पांच वर्षों 2019-24 की अवधि के दौरान अर्थ-सहाय्य का विवरण नीचे **तालिका 2.21** में दिया गया है:

तालिका 2.21: वर्ष 2019-24 के दौरान अर्थ-सहाय्य पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	अर्थ-सहाय्य	18,990	14,828	23,364	26,166	28,402
2.	अर्थ-सहाय्य राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	13.55 (1,40,114)	11.04 (1,34,308)	12.70 (1,83,920)	13.42 (1,94,988)	13.97 (2,03,276)
3.	अर्थ-सहाय्य राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	10.76 (1,76,485)	8.32 (1,78,309)	11.14 (2,09,790)	11.55 (2,26,479)	11.72 (2,42,231)
4.	अर्थ-सहाय्य राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में	52.21 (36,371)	33.70 (44,001)	90.31 (25,870)	83.09 (31,491)	72.91 (38,955)
5.	सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को दिया गया अर्थ-सहाय्य	18,644	14,264	22,644	25,405	27,038
6.	विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य कुल अर्थ-सहाय्य के प्रतिशत के रूप में	98.18	96.20	96.92	97.09	95.20

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 2.13: अर्थ-सहाय्य और राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य

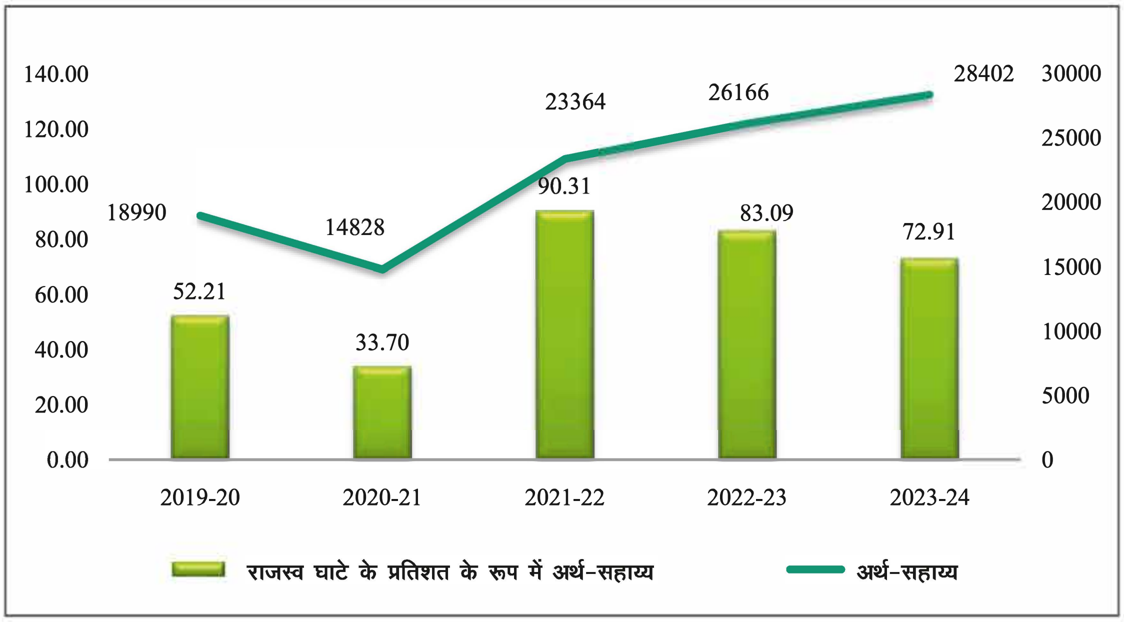

वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक अर्थ-सहाय्य में पूर्ण रूप से एवं राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में लगातार गिरावट रही है तथा उसके बाद इसमें लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य क्रमशः 13.97 तथा 11.72 प्रतिशत थी। अर्थ-सहाय्य पर भुगतान वर्ष 2023-24 के दौरान (₹ 28,402 करोड़) गत वर्ष (₹ 26,166 करोड़) से 8.55 प्रतिशत बढ़ गया।

राजस्थान सरकार के अर्थ-सहाय्य व्यय का सबसे बड़ा घटक विद्युत क्षेत्र को दी जाने वाली अर्थ-सहाय्य थी जो वर्ष के दौरान कुल अर्थ-सहाय्य का 95.20 प्रतिशत (₹ 27,038 करोड़) थी। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान विद्युत् क्षेत्र का अर्थ-सहाय्य राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई कुल अर्थ-सहाय्य का 95.20 प्रतिशत से 98.18 प्रतिशत के मध्य था। वर्ष 2023-24 के दौरान पावर सेक्टर को अर्थ-सहाय्य मुख्य रूप से पावर टैरिफ (₹ 21,800 करोड़) में वृद्धि न होने, घाटे के अधिग्रहण के लिए अनुदान (₹ 3,234 करोड़) और विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्य अनुदान (टैरिफ अनुदान) (₹1,857 करोड़) के कारण दी गई।

विद्युत क्षेत्र की अर्थ-सहाय्य (₹ 27,038 करोड़) में पिछले वर्ष (₹ 25,405 करोड़) की तुलना में 6.43 प्रतिशत (₹1,633 करोड़) की वृद्धि मुख्य रूप से घाटे के अधिग्रहण के लिए अनुदान में वृद्धि (₹1,436 करोड़) के कारण हुई।

वर्ष 2023-24 में अर्थ-सहाय्य के अन्य प्रमुख घटक फसल कृषि-कर्म (₹ 672 करोड़) और मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत अर्थ-सहाय्य (₹ 615 करोड़) थे।

2.4.2.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदानों और ऋणों के रूप में ₹ 48,328.54 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। वर्ष 2023-24 के दौरान, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में गत वर्ष (₹ 49,443.69 करोड़) की तुलना में 2.26 प्रतिशत की कमी हुई। वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को कुल वित्तीय सहायता राजस्व व्यय के 19.95 प्रतिशत से 23.42 प्रतिशत के मध्य थी।

वर्ष 2019-24 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदान एवं ऋण के माध्यम से उपलब्ध करायी गई सहायता की मात्रा को **तालिका 2.22** में दिया गया है।

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	(अ) स्थानीय निकाय					
1.	नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	3,781.24	5,205.98	5,542.19	6,229.12	5,626.23
2.	पंचायती राज संस्थाएं	15,270.45	14,543.19	21,585.50	20,766.58	17,536.45
	योग (अ)	**19,051.69**	**19,749.17**	**27,127.69**	**26,995.70**	**23,162.68**
	(ब) अन्य					
3.	शैक्षिक संस्थाएं (अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इत्यादि)	1,487.70	1,267.73	1,393.81	1,892.14	2,213.56
4.	विकास अभिकरण	12.41	12.87	28.48	39.02	44.33
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	898.43	430.43	1,539.23	1,859.75	2,343.24
6.	अन्य संस्थान	19,574.59	18,284.48	19,037.44	18,657.08	20,564.73[7]
	योग (ब)	**21,973.13**	**19,995.51**	**21,998.96**	**22,447.99**	**25,165.86**
	योग (अ+ब)	**41,024.82**	**39,744.68**	**49,126.65**	**49,443.69**	**48,328.54**
7.	वेतन सहायतार्थ अनुदान	5,132.98	4,683.66	6,639.46	7,468.09	9,008.84
8.	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान	5,197.63	989.72	578.69	267.35	550.94
9.	गैर-वेतन सहायतार्थ अनुदान	30,686.40	34,041.57	41,905.84	41,708.25	38,768.76
10.	वस्तु के रूप में दिया गया सहायतार्थ अनुदान	राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गयी				
11.	राजस्व व्यय	1,76,485	1,78,309	2,09,790	2,26,479	2,42,231
12.	सहायता (अ+ब) राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	23.25	22.29	23.42	21.83	19.95

स्रोत: वित्त लेखे

7. इसमें मुख्यतः (i) सामान्य शिक्षाः ₹ 6,141.94 करोड़; (ii) परिवार कल्याणः ₹ 2,872.05 करोड़; (iii) फसल कृषि कर्म:₹ 2,389.77 करोड़; (iv) प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहतः ₹ 1,569.65 करोड़; (v) पशुपालन ₹ 1,355.45 करोड़; (vi) सरकारी कंपनियां: ₹ 959.80 करोड़; (vii) सहकारी संस्थाएँ: ₹947.98 करोड़; (viii) वैधानिक निगम ₹ 746.62 करोड़; (ix) श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास ₹ 633.42 करोड़ और (x) बिक्री, व्यापार आदि पर करः ₹ 521.85 करोड़ के लिए दिये गये अनुदान शामिल है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2019-20 में ₹ 41,024.82 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 48,328.54 करोड़ हो गई है।

स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को कुल वित्तीय सहायता के संबंध में, 2023-24 के दौरान वेतन, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन तथा गैर-वेतन उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता का हिस्सा क्रमशः 18.64 प्रतिशत, 1.14 प्रतिशत और 80.22 प्रतिशत था।

वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय सहायता के प्रमुख प्राप्तकर्ता निम्नलिखित थे:

- पंचायत समितियों को प्राथमिक विद्यालयों के लिए अनुदान (₹ 4,338.90 करोड़),
- ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान (₹ 2,093.63 करोड़),
- जिला परिषदों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 1,826.33 करोड़),
- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को चुंगी प्रतिपूर्ति (₹ 1,497.38 करोड़),
- नगर निगमों को चुंगी प्रतिपूर्ति (₹ 1,402.62 करोड़),
- ग्राम पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान (₹ 1,285.52 करोड़),
- ग्राम पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान (निर्बंध) (₹ 1,272.71 करोड़),
- पंचायत समितियों को स्थापना हेतु तदर्थ सहायता (₹ 1,214.63 करोड़),
- जिला परिषदों को पालनहार योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों को सहायता (₹ 949.46 करोड़),
- जिला परिषदों को प्रधानमन्त्री आवास योजना-ग्रामीण (₹ 916.95 करोड़),
- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान (₹ 679.78 करोड़),
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 574.11 करोड़)

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्यतः स्थायी आधारभूत सम्पत्तियों के सृजन जैसे सड़कों, भवनों आदि पर होने वाला व्यय है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किया गया निवेश भी शामिल है। वर्ष 2019-24 के दौरान समग्र पूंजीगत व्यय तथा इसकी कुल व्यय से प्रतिशतता को **चार्ट 2.14** में इंगित किया गया है।

चार्ट 2.14: राज्य में पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

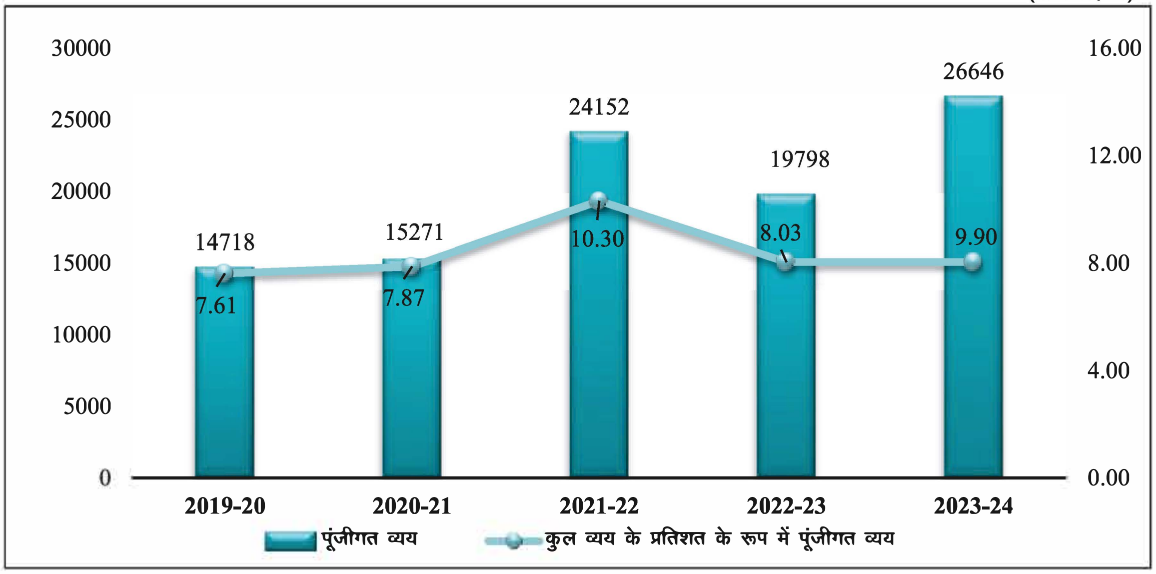

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.23 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी को दर्शाती है।

तालिका 2.23: वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि/ कमी (-)
1.	5054- सड़क एवं सेतु पर पूंजीगत परिव्यय	2,596.28	6,472.88	3,876.60
2.	4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,394.81	3,465.45	1,070.64
3.	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,372.73	3,176.16	803.43
4.	5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	24.00	648.49	624.49
5.	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1,446.63	1,942.48	495.85
6.	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	586.57	986.91	400.34
7.	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2,300.49	2,002.84	(-) 297.65
8.	4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	913.38	658.32	(-) 255.06

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान, पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 34.59 प्रतिशत (₹ 6,848 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सड़क एवं सेतु पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 3,877 करोड़), मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 1,071 करोड़), जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 803 करोड़) तथा सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 624 करोड़) के अंतर्गत हुई।

2.4.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल और अन्य पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

(i) निवेश पर प्रतिफल

वित्त लेखे का विवरण पत्र 19, 31 मार्च 2024 को राज्य सरकार के निवेश का विवरण देता है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लिए कंपनियों, निगमों तथा सहकारी बैंकों, संयुक्त उद्यमों एवं समितियों में निवेश पर प्रतिफल की प्रवृत्तियाँ **तालिका 2.24** में दर्शायी गयी हैं:

तालिका 2.24: निवेश पर प्रतिफल

निवेश /प्रतिफल/उधारियों की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	52,208.91	52,784.40	56,475.10	59,291.41	61,778.42
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	54.47	2.89	87.48	28.71	50.71
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.10	0.01	0.15	0.05	0.08
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर[8] (प्रतिशत)	7.12	6.60	6.44	6.32	6.34
ब्याज दर एवं प्रतिफल में अंतर* (प्रतिशत)	7.02	6.59	6.29	6.27	6.26
सरकारी उधारियों पर ब्याज तथा निवेश पर प्रतिफल में अंतर# (₹ करोड़ में)	3,665.07	3,478.49	3,552.28	3,717.57	3867.33

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष के अंत में निवेश * ब्याज दर एवं प्रतिफल में अंतर

वर्ष 2023-24 के दौरान, निवेश पर प्रतिफल ₹ 50.71 करोड़ (0.08 प्रतिशत) था। वर्ष 2019-24 के दौरान प्रतिफल 0.01 प्रतिशत एवं 0.15 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर भुगतान की गई औसत ब्याज दर 6.32 प्रतिशत से 7.12 प्रतिशत के मध्य थी। पिछले पांच वर्षों में, सरकारी उधार की लागत और वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त उद्यम/संयुक्त स्टॉक कंपनियों आदि में निवेश पर प्रतिफल में अंतर ₹18,280.74 करोड़ था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई अंश पूंजी में निवेश पर प्रतिफल पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण निर्धारक है।

(ii) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अलावा, सरकार कई संस्थानों/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋण एवं अग्रिम तथा गत पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियाँ **तालिका 2.25** में प्रदर्शित है:

---

8. सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयतायें की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयतायें)/2]*100

तालिका 2.25: संवितरित एवं वसूले गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	संवितरित एवं वसूले गए ऋणों की मात्रा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	**23,263**	**9,848**	**9,966**	**8,213**	**7,968**
2.	वर्ष के दौरान अग्रिम की राशि	2,255	491	621	175	398
3.	वर्ष के दौरान वसूली गयी राशि	15,670*	373	2,374	420	405
4.	बकाया ऋणों का अंतिम शेष	9,848	9,966	8,213	7,968	7,961
5.	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (संवितरित-वसूली)	(-)13,415	118	(-)1,753	(-)245	(-)7
6.	प्राप्त ब्याज	2,568	1,253	55	238	59
7.	सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर।	15.51	12.65	0.61	2.94	0.74
8.	सरकार की बकाया उधारी पर भुगतान की गई ब्याज दर	7.12	6.60	6.44	6.32	6.34
9.	भुगतान की गई ब्याज दर एवं प्राप्त ब्याज की दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	(+) 8.39	(+) 6.05	(-)5.83	(-)3.38	(-) 5.60

स्रोतः वित्त लेखे।

* अंश पूंजी, अर्थ-सहाय्य एवं सहायतार्थ अनुदान में परिवर्तित ₹ 14,722 करोड़ के उदय ऋणों को शामिल करते हुए।

31 मार्च 2024 को कुल ऋण एवं अग्रिम (₹ 7,961 करोड़) में विद्युत परियोजनाओं को दिए गए ₹ 4,297 करोड़ (53.97 प्रतिशत) के ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। संवितरित ऋण एवं अग्रिम की राशि 2022-23 में ₹ 175 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 398 करोड़ (आर्थिक सेवाओं से सम्बंधित: ₹ 374 करोड़) हो गई।

(iii) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी की प्रवृत्तियों का आंकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के बारे में संकेत देता है। 31 मार्च 2024 तक अपूर्ण परियोजनाओं (प्रत्येक ₹10 करोड़ से अधिक) से संबंधित विभाग-वार सूचना **तालिका 2.26** तथा **तालिका 2.27** में दी गई है।

तालिका 2.26: 31 मार्च 2024 को अपूर्ण परियोजनाओं की आयु प्रोफाइल (₹ करोड़ में)

वर्ष (प्रारंभ)	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (संशोधित लागत सहित)	व्यय (31 मार्च 2024 को)
2014-15 तक	34	17,477.37	13,916.20
2015-16	0	0	0
2016-17	9	1,372.76	1,067.18
2017-18	16	5,787.69	4,199.42
2018-19	10	2,038.87	1,490.97
2019-20	5	95.73	60.65
2020-21	8	264.42	158.16
2021-22	73	7,632.36	3,581.44
2022-23	121	14,857.17	4,330.76
2023-24	265	14,734.47	1,729.05
योग	**541**	**64,260.84**	**30,533.83**

तालिका 2.27: 31 मार्च 2024 को अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार प्रोफाइल (₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (संशोधित लागत सहित)	व्यय (31 मार्च 2024 को)
जल संसाधन	110	19,026.27	12,753.87
सार्वजनिक निर्माण	350	10,456.43	3,930.73
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी	81	34,778.14	13,849.23
योग	**541**	**64,260.84**	**30,533.83**

स्रोतः वित्त लेखे।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक 541 अपूर्ण परियोजनाएं (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) थी, जिन पर ₹ 30,533.83 करोड़ व्यय किए गए जो राज्य के संचयी पूंजीगत परिव्यय (₹ 2,88,596.62 करोड़) का 10.58 प्रतिशत था।

अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर धनराशि अवरूद्ध रहना व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है एवं राज्य की जनता इच्छित लाभ से वंचित रहती है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि से ऋण एवं ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा। इन सभी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि जनता तक लाभ पहुंच सके तथा आगे लागत वृद्धि से बचा जा सके।

2.4.3.3 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

निजी जन सहभागिता (पीपीपी) सरकार या वैधानिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक व्यवस्था है, जो पर्याप्त एवं मात्रात्मक आधारभूत विकास गतिविधियों के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए उन्हें साथ काम करने योग्य बनाने के लिए ढांचा प्रदान करती है। निजी जन सहभागिता प्रकोष्ठ की स्थापना (जुलाई 2007) राज्य सरकार द्वारा आयोजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई थी। यह राज्य सरकार के निजी जन सहभागिता के लिए किये गए सभी प्रयासों के समन्वय एवं अनुश्रवण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में तथा निजी जन सहभागिता परियोजनाओं से संबंधित सभी सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करता है।

निजी जन सहभागिता प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (मई 2024) के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक ₹ 17,790.59 करोड़ की 197 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी थी एवं ₹ 4,010.60 करोड़ की 28 परियोजनाएं प्रगतिरत थी। इसके अतिरिक्त, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, जल, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित ₹ 11,508.90 करोड़ की 29 परियोजनाएं योजना के विभिन्न चरणों में हैं। पूर्ण हो चुकी, प्रगतिरत एवं भविष्य के लिए नियोजित निजी जन सहभागिता परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण **तालिका 2.28** में दिया गया है:

तालिका 2.28: निजी जन सहभागिता परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पूर्ण		प्रगतिरत		भविष्य के लिए नियोजित	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	75	8,888.61	10	2,469.91	-	-
2.	शहरी आधारभूत संरचना	28	561.37	9	516.97	17	7,056.45
3.	विद्युत	15	7,449.37	5	1,005.45	4	1,631.92
4.	जल	1	46.00	-	-	1	365.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	-	-
6.	सामाजिक	61	624.87	4	18.27	5	747.53
7.	अन्य	16	166.36	-	-	2	1,708.00
	योग	**197**	**17,790.59**	**28**	**4,010.60**	**29**	**11,508.90**

स्रोतः आयोजना विभाग द्वारा प्रदान करायी गई सूचना

वर्ष 2023-24 के बजट दस्तावेजों की संवीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि राज्य सरकार ने गत वर्ष के दौरान निजी जन सहभागिता परियोजनाओं में किये गये निवेश से संबंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इसके अलावा, राज्य सरकार की इन परियोजनाओं से उत्पन्न राजस्व को बजट दस्तावेज में निर्धारित (निजी क्षेत्र द्वारा भी) करना सम्भव नहीं था। वर्तमान वर्ष के लिए भी, राज्य सरकार से जुड़ी निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के संबंध में निजी तथा सरकारी क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले अनुमानित निवेश का बजट दस्तावेज़ में पृथक एवं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

2.4.4 व्यय की प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य को प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाना चाहिये। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी।

तालिका 2.29, वर्ष 2019-20 एवं 2023-24 के दौरान पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत की तुलना में राज्य सरकार के कुल व्यय, पूंजीगत व्यय, शिक्षा पर व्यय तथा स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है:

तालिका 2.29: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य के व्यय की प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

क्र.सं.		कुल व्यय/ जीएसडीपी	ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	शिक्षा/कुल व्यय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/कुल व्यय
1.	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों का औसत 2019-20	15.88	14.02	15.79	5.25
2.	राजस्थान 2019-20	19.35	8.77	17.63	6.28
3.	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों का औसत 2023-24	15.66	16.50	14.36	5.71
4.	राजस्थान 2023-24	17.62	10.04	18.86	7.90

स्रोतः वित्त लेखे, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार।

तालिका से यह देखा जा सकता है किः

- कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्थान का पूंजीगत व्यय 2019-20 में पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत से कम था तथा 2023-24 में यह अंतर बढ़ गया है।
- राजस्थान लगातार पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत की तुलना में शिक्षा के प्रति कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अधिक संसाधन समर्पित कर रहा है एवं इसमें 2019-20 की तुलना में 2023-24 में वृद्धि हुई है।
- कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्थान का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व्यय 2019-20 एवं 2023-24 में पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत से अधिक था।

2.4.5 कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय

कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय, व्यय के विशिष्ट प्रयोजन/उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है।

चार्ट 2.15: वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय

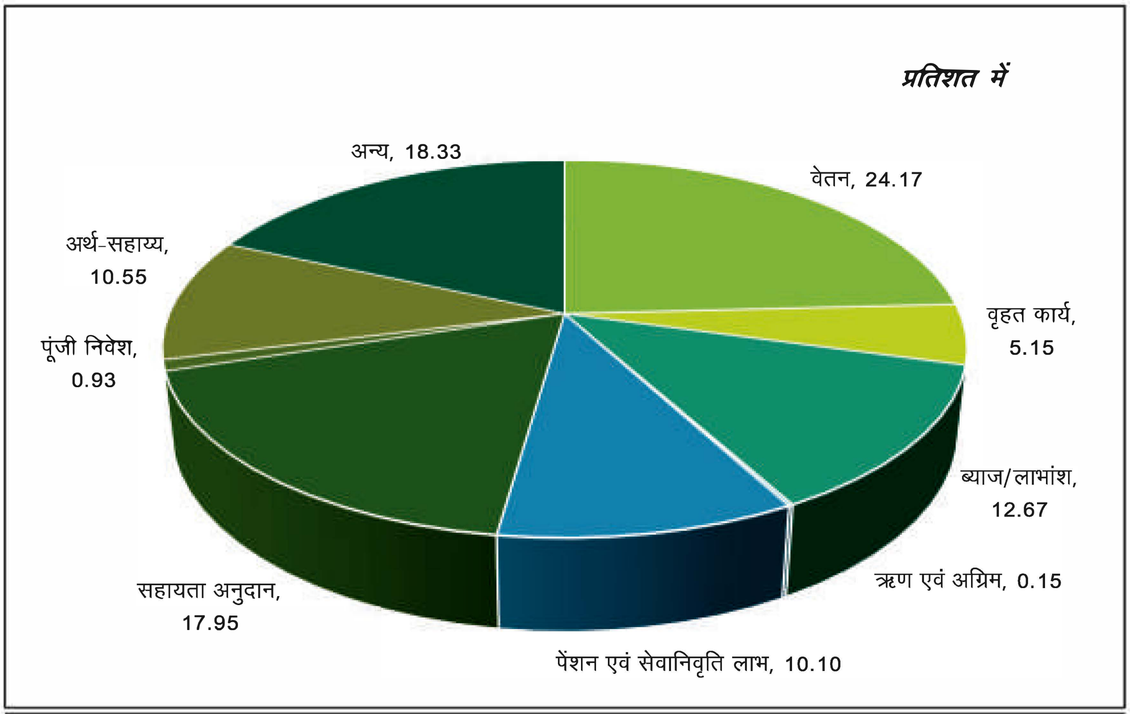

स्रोतः वित्त लेखे।

वर्ष 2023-24 के दौरान वेतन, पेंशन तथा ब्याज/लाभांश पर व्यय कुल व्यय का 46.94 प्रतिशत था।

2.5 लोक लेखा

कुछ संव्यवहारों जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के भाग नहीं है को संविधान की धारा 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं होता है। सरकार इन संव्यवहारों के संबंध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरणों के पश्चात शेष निधियाँ विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध रहती हैं।

2.5.1 लोक लेखा निवल शेष

पिछले पांच वर्षों के दौरान लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष **तालिका 2.30** में दिये गये हैं।

तालिका 2.30: 31 मार्च को लोक लेखा में घटक वार निवल शेष*

(₹ करोड़ में)

क्र.स	क्षेत्र	उपक्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	I. अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ , इत्यादि	**3,991**	**4,857**	**2,461**	**5,337**	**6,097**
2.	J. आरक्षित निधियाँ	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	3,094	697	188	628	1,046
		(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	1,236	664	1,156	1843	2,342
		उप-योग	**4,330**	**1,361**	**1,344**	**2,471**	**3,388**
3.	K. जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमायें	2,150	3,604	2,181	4,853	1,466
		(ख) बिना ब्याज वाली जमायें	2,875	(-) 733	5,280	(-) 3,405	(-)877
		(ग) अग्रिम	-	-	-	-	-
		उप-योग	**5,025**	**2,871**	**7,461**	**1,448**	**589**
4.	L. उचंत एवं विविध	(क) उचंत	105	125	(-)72	(-) 41	126
		(ख) अन्य लेखे	(-) 19	(-) 9	(-) 9	(-) 11	(-)6
		(ग) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे	-	-	-	-	-
		(घ) विविध	-	-	-	-	-
		उप-योग	**86**	**116**	**(-) 81**	**(-) 52**	**120**
5.	M. प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	4	-	-	**(-) 1**	(-)9
		(ख) अंतर सरकारी समायोजन लेखा	(-) 12	12	-	-	-
		उप-योग	**(-) 8**	**12**	**-**	**(-) 1**	**(-)9**
		योग	**13,424**	**9,217**	**11,185**	**9,203**	**10,185**

स्रोतः वित्त लेखे

* *निवल शेष का अर्थ वर्ष के दौरान सम्बंधित मद के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों में अन्तर है।*

राज्य की निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2019-20 में ₹ 13,424 करोड़ से घटकर वर्ष 2023-24 में ₹ 10,185 करोड़ रह गई जबकि निवल लोक लेखा प्राप्तियों में गत वर्ष (₹ 9,203 करोड़) की तुलना में 10.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे लोक लेखे में सरकार की देनदारी बढ़ गई।

चार्ट 2.16: लोक लेखा शेषों के संयोजन में वार्षिक बदलाव

(₹ करोड़ में)

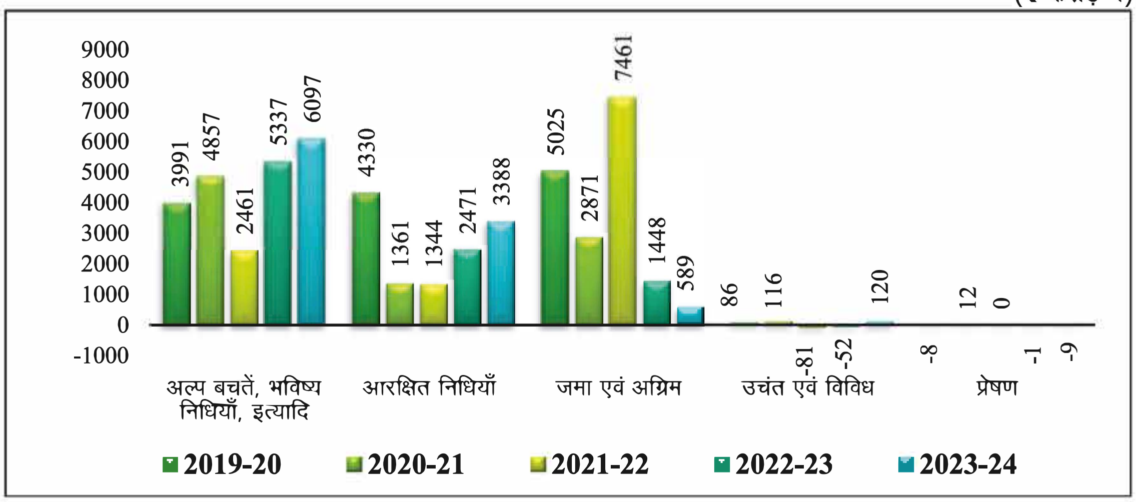

स्रोतः वित्त लेखे

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 4.5 के अनुसार, आरक्षित और आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखा) के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती है। ये निधियाँ राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेंसियों से प्राप्त अंशदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं। आगे इन निधियों को दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ और (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ। ये निधियाँ राज्य की समेकित निधि से संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करने के बाद राशि अन्तरित कर बनाई जाती है। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि से पुर्नभरण किया जाता है।

31 मार्च 2024 को, ₹ 6,391.14 करोड़ की ब्याज वाली तीन निधियों सहित लोक लेखे में 24 आरक्षित निधियों में ₹ 18,446.21 करोड़ की राशि थी। आरक्षित निधियों में शेषों को नीचे **तालिका 2.31** में दिया गया है:

तालिका 2.31: आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2024 को शेष
अ	**ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ**	**6,391.14**
1.	राज्य आपदा मोचन निधि	3,493.98
2.	राज्य आपदा शमन निधि	1,533.12
3.	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि	1,364.04
ब	**बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ**	**12,055.07**
1.	गारंटी मोचन निधि	8,968.62
2.	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	1,475.05
3.	जल संरक्षण उपकर निधि	541.08
4.	समर्पित सड़क सुरक्षा निधि	400.73
5.	राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि	232.21
6.	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत कोष	135.87
7.	राज्य सड़क एवं सेतु निधि	7.92
8.	अन्य आरक्षित निधियाँ	293.59
	योग (अ+ब)	**18,446.21**

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य की आरक्षित निधियों में ₹ 10,609.48 करोड़ की राशि जमा की गई, जिसमें मुख्य रूप से राज्य सड़क और सेतु निधि (₹ 3,390 करोड़), राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 2,004.12 करोड़), गारंटी मोचन निधि (₹ 1,339.65 करोड़), पशुपालन उद्देश्यों के लिए विकास निधि (₹ 1,226.60 करोड़) और राज्य आपदा शमन निधि (₹ 716.13 करोड़) शामिल थी।

वित्त लेखा 2023-24 के अनुसार, तीन[9] बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ (₹ 3.27 करोड़) छः साल से अधिक समय से निष्क्रिय थी।

2.5.2.1 राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि

पन्द्रहवें वित्त आयोग ने आपदा मोचन के साथ-साथ आपदा शमन के लिए 1 अप्रैल 2020 से राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि नामक निधि के गठन की सिफारिश की। केंद्र और राज्य सरकार के लिए निधि में योगदान का अनुपात क्रमशः 75:25 है। आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार निधि के लिए नोडल विभाग है। पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित इस निधि की व्याप्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय (राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि) और राज्य (राज्य आपदा मोचन निधि) स्तरों पर पहले से मौजूद आपदा मोचन निधियों से परे है। राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि में दो घटक जैसे राज्य आपदा मोचन निधि तथा राज्य आपदा शमन निधि क्रमशः 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के अनुपात में आवंटन के साथ शामिल हैं।

राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के लिए केन्द्रीय अंश प्राप्त होने पर इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अंशदान लोक लेखे में हस्तान्तरित किया जाना है, अन्यथा, देरी की अवधि के लिए ब्याज (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर पर) निधि को हस्तान्तरित किया जाना है।

राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के निवेश पर अर्जित आय के साथ राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि की अभिवृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज-अर्जन वाली जमाओं में निवेश किया जाना है। राज्य सरकार को आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि को निवेश नहीं की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है।

आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचनाओं की जाँच से निम्न दृष्टिगत हुएः

(i) पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि को ₹ 1,742.40 करोड़ (केंद्रीय अंशः ₹ 1,307.20 करोड़ तथा राज्य का अंशः ₹ 435.20 करोड़) हस्तांतरित किये। यह पाया गया कि ₹ 1,307.20 करोड़ के केंद्रीय अंश में से, भारत

9. (i) परिवर्तित आवासीय भूमि के विकास के लिए विशेष शुल्कः ₹324.59 लाख, (ii) राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधिः ₹ 0.01 लाख, (iii) पूंजीगत लेखे से हस्तांतरण-केएफडब्लू जर्मनी से जल आपूर्ति योजना पीएमसी चुरू के लिए प्राप्त राशिः ₹ 2.22 लाख।

सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि की द्वितीय किस्त के लिए ₹ 653.60 करोड़ की स्वीकृति 11 जनवरी 2024 को जारी की थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने अंश (₹ 217.60 करोड़) के साथ 31 जनवरी 2024 को पांच दिनों की देरी के बाद हस्तान्तरित किया।

(ii) पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर, राज्य सरकार ने विशेष रूप से शमन के उद्देश्य से परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 03 मई 2021 को राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का गठन किया। राज्य सरकार को 2023-24 के दौरान एसडीएमएफ के लिए ₹ 482.40 करोड़ का केंद्रीय अंश प्राप्त हुआ और ₹ 632.60 करोड़ (केंद्रीय अंशः ₹ 474.60 करोड़[10] और राज्यांशः ₹ 158.00 करोड़) एसडीएमएफ को हस्तांतरित कर दिया गया। वर्ष 2023-24 के लिए 29.03.2024 को भारत सरकार से प्राप्त ₹ 163.40 करोड़ की दूसरी किस्त राज्यांश के साथ (₹ 54.40 करोड़) 09.04.2024 को राजस्थान सरकार द्वारा हस्तांतरित कर दी गई।

(iii) लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि राज्य सरकार ने 2023-24 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि तथा राज्य आपदा शमन निधि की अनिवेशित राशि पर क्रमशः ₹ 215.93 करोड़ तथा ₹ 83.53 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया।

दिशा-निर्देशों के अनुसार अव्ययित राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि शेष को निर्धारित साधनों में निवेश करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान, बजट शीर्ष 'प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत' पर किये गये व्यय में से सरकार ने ₹ 1,692.06 करोड़ की राशि राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 9.60 करोड़ के प्रशासन व्यय को छोड़कर) से समायोजित की, जिसका विवरण **तालिका 2.32** में दिया गया है।

तालिका 2.32: राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	राशि
1.	**2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 01-सूखा**	102-पेयजल आपूर्ति	20.64
		104-चारे की आपूर्ति	2.04
		800-अन्य व्यय	91.57
		उप-योग	**114.25**
2.	**2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात इत्यादि**	101-आनुग्रहिक राहत	1.23
		106-ख़राब सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं पुनरूद्धार	42.38
		107-सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत एवं पुनरुद्वार	0.05
		109-क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति की मरम्मत एवं अनुरक्षण	1.47
		111-शोकाकुल परिवारों को अनुग्रह भुगतान	1.60

10. इसमें वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त (प्रत्येक ₹155.60 करोड़) से सम्बंधित 31.03.2023 एवं 16.05.2023 को हस्तांतरित तथा राजस्थान सरकार द्वारा आगे क्रमशः 01.05.2023 एवं 01.06.2023 को जारी ₹ 311.20 करोड़ शामिल है।

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	राशि
		113-घर की मरम्मत/ पुनर्निर्माण के लिए सहायता	5.84
		114-कृषि आगतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता	1,535.81
		117-पशु धन क्रय हेतु किसानों को सहायता	1.02
		122-खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण संबंधी निर्माण-कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	0.70
		282-जन स्वास्थ्य	(-) 12.29
		उप-योग	**1,577.81**
		योग	**1,692.06**
3.	**2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 80-सामान्य**	800-अन्य व्यय (प्राशासनिक व्यय)	9.60
		उप-योग	**9.60**
		महा योग	**1,701.66**

स्रोतः वित्त लेखे

2.5.2.2 प्रत्याभूति मोचन निधि

राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी बॉन्डों एवं अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी प्रत्याभूति और लाभार्थियों द्वारा भुगतान में चूक से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए 1999-2000 में 'प्रत्याभूति मोचन निधि (निधि)' संस्थापित की।

वित्त विभाग (मार्गोपाय), राजस्थान सरकार के आदेश (दिसम्बर 2007) के अनुसार, निधि में निवेशित निधियों पर अर्जित ब्याज सहित संचित निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भारत सरकार के 364 दिनों के कोषालय बिलों में निवेश किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक जो निधि का प्रबन्धन करता है, के दिशानिर्देशों के अनुसार निधि के कोष को बकाया प्रत्याभूतियों के पांच प्रतिशत के वांछित स्तर तक धीरे-धीरे बढ़ाना था। प्रत्याभूति मोचन निधि के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को ₹ 8,968.62 करोड़ का शेष था जो कि बकाया प्रत्याभूतियों (₹ 1,10,918.47 करोड़) का 8.09 प्रतिशत था।

1 अप्रैल 2023 को निधि में ₹ 7,628.97 करोड़ का प्रारम्भिक शेष था। वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 906.03 करोड़[11] की राशि निधि में अंतरित की गई थी तथा इस अवधि में कोई गारंटी बाधित नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के दौरान निधि से किए गए निवेश पर ब्याज के रूप में सरकार को ₹ 433.62 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 31 मार्च 2024 को, निधि में अंतिम शेष ₹ 8,968.62 करोड़ था, जिसमें से ₹ 8,368.12 करोड़ 364 दिनों के कोषालय बिलो में निवेश किये गये थे तथा शेष राशि ₹ 600.50 करोड़ अनिवेशित थी।

11. ₹ 943.08 करोड़ के प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क के समक्ष शीर्ष "0075-108" के अन्तर्गत ₹ 943.08 करोड़ प्राप्त हुए।

2.5.2.3 उपकर/अधिभार का संग्रहण

सरकार द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपकर लगाया जाता है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राप्त राशि विशिष्ट उद्देश्य पर व्यय हो, को विशेष लेखांकन के साथ एक पृथक निधि में रखा जाना आवश्यक है। विभिन्न उपकर/अधिभार के संग्रहण तथा संबंधित निधियों में हस्तांतरण का विवरण नीचे **तालिका 2.33** में दिया गया है:

तालिका 2.33: अधिभार का संग्रहण तथा निधियों में हस्तांतरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अधिभार का नाम	अहस्तांतरित राशि का प्रारंभिक शेष	वर्ष 2023-24 के दौरान संग्रहित उपकर/अधिभार	योग (3+4)	वर्ष 2023-24 के दौरान निधि में हस्तांतरित राशि	अहस्तांतरित राशि का अंतिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	पेट्रोल एवं डीजल पर उपकर (राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004)	1,970.01	1534.35	3,504.36	3,390.12	114.24
2.	गाय एवं उसकी संतति के संरक्षण तथा प्रसार हेतु अधिभार (नियम, 2016)	1,611.17	1,227.47	2,838.64	1,226.60	1,612.04
3.	जल संरक्षण उपकर (राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962)	1,047.42	319.98	1,367.40	309.62	1,057.78
4.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (नियम 2009)	624.07	760.04	1,384.11	624.32	759.79
5.	बुनियादी ढांचा विकास उपकर*	1,459.94	1,286.28	2,746.22	1,111.48	1,634.74
6.	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार	393.27	596.42	989.69	0	989.69
7.	नगरीय उपकर	1,115.22	209.68	1,324.90	100	1,224.90
	योग	**8,221.10**	**5,934.22**	**14,155.32**	**6,762.14**	**7,393.18**

स्रोतः वित्त लेखे

* इस वर्ष इसमें शीर्ष 0030-02-800 की प्राप्ति के साथ शीर्ष 0041-102-08 के अंतर्गत वाहनों पर ग्रीन टैक्स एवं अधिभार से प्राप्तियाँ सम्मिलित है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक सात आरक्षित निधियों/जमा निधियों में ₹ 7,393.18 करोड़ का कम हस्तांतरण किया जो कि राज्य सरकार की स्थगित देनदारी है। वर्ष 2023-24 के दौरान सात उपकरों के ₹ 5,934.22 करोड़ के संग्रहण के समक्ष, राज्य सरकार ने ₹ 6,762.14 करोड़ की राशि हस्तांतरित की, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा ₹ 827.92 करोड़ अधिक बताया गया।

इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने सात में से छः उपकरों यथा (i) गाय एवं उसकी संतति के संरक्षण तथा प्रसार हेतु अधिभार, (ii) जल संरक्षण उपकर (iii) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (iv) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार (v) नगरीय उपकर एवं (vi) बुनियादी

ढांचा विकास उपकर में ₹4,399.87 करोड़ संग्रहित किये एवं केवल ₹ 3,372.02 करोड़ हस्तांतरित किए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1,027.85 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ जिसके कारण देनदारी को भविष्य के वर्षों के लिए स्थगित किया गया।

2.6 लोक देयता का प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, सरकार की देयताओं के प्रबन्धन जिससे आवश्यक निधियाँ जुटाने, अपने जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों जो सरकार ने अधिनियम या अन्य किसी वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किये है, के क्रम में रणनीति तैयार करने और क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के साथ राज्य की बकाया देयताओं को **चार्ट 2.17** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.17: वर्ष 2019-24 के दौरान बकाया देयता की स्थिति

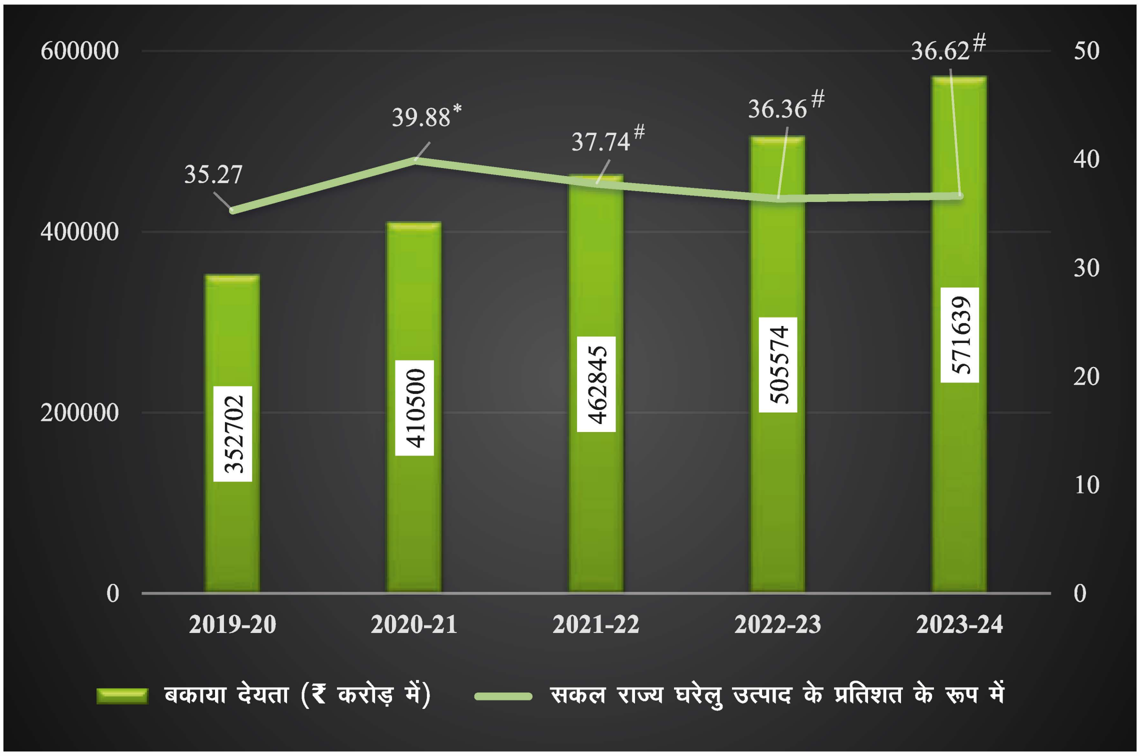

* *कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹ 4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई।*

\# *कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक टू बैक ऋण ₹ 11,872 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई।*

राज्य सरकार की कुल देयता 2019-20 में ₹ 3,52,702 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 5,71,639 करोड़[12] हो गई। वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 13.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान ये देयतायें राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,03,276 करोड़) से दोगुनी से अधिक तथा राज्य के स्व-संसाधनों (₹ 1,12,766 करोड़) से पांच गुना से अधिक थी।

12. प्रभावी बकाया देयतायें ₹ 5,59,767 करोड़ होगी जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 11,872 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जावेगा।

2.6.1 देयता रुपरेखा: घटक

राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल देयताओं से अभिप्राय राज्य की समेकित निधि तथा सामान्य प्रावधायी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत स्पष्ट देयताओं से है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शर्तों की व्याख्या ***परिशिष्ट 2.3*** में की गई है। **तालिका 2.34** वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए घटक-वार कुल देयताओं की प्रवृतियों को दर्शाती है।

तालिका 2.34: घटक-वार देयताओं की प्रवृतियां

(₹ करोड़ में)

क्र.स.		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	**समग्र बकाया देयता* (2+3)**	**3,52,702**	**4,10,500**	**4,62,845**	**5,05,574**	5,71,639
2.	**लोक ऋण**	2,59,380	3,08,321	3,53,556	3,88,384	4,46,652
(i)	***आतंरिक ऋण***	*2,42,077*	*2,84,789*	*3,21,807*	*3,50,962*	3,99,858
(ii)	***भारत सरकार से ऋण***	*17,303*	*23,532*	*31,749*	*37,422*	46,794
3.	**लोक लेखा दायित्व**	93,322	1,02,179	1,09,289	1,17,190	1,24,987
(i)	*अल्प बचत, प्रावधायी निधि इत्यादि*	*51,468*	*56,326*	*58,786*	*64,123*	70,220
(ii)	*ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ*	*3,832*	*4,529*	*3,345*	*4,668*	5,039
(iii)	*बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ*	*4,179*	*4,610*	*2,984*	*2,776*	3,516
(iv)	*ब्याज वाली जमाएँ*	*7,667*	*11,270*	*13,451*	*18,304*	19,770
(v)	*बिना ब्याज वाली जमाएँ*	*26,176*	*25,444*	*30,723*	*27,319*	26,442
4.	**बकाया समग्र देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशतता)**	13.27	16.39	12.75	9.23	13.07
5.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	10,00,032	10,17,917	11,94,961	13,57,851	15,28,385
6.	**समग्र देयताओं/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)**	35.27	39.88[13]	37.74[14]	36.36[14]	36.62[14]
7.	**लोक लेखा प्राप्तियों सहित वर्ष के दौरान कुल देयता प्राप्तियाँ#**	2,37,596	2,68,770	3,02,174	2,90,718	3,64,764
8.	**लोक लेखा संवितरणों सहित वर्ष के दौरान कुल ऋण पुनर्भुगतान#**	1,96,268	2,10,972	2,49,829	2,47,990	2,98,699
9.	**उपलब्ध निवल निधियाँ**	41,328	57,798	52,345	42,728	66,065
10.	**उपलब्ध निधियाँ/कुल देयता प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)**	17.39	21.50	17.32	14.70	18.11

स्रोत: वित्त लेखे

* *बकाया उदय ऋण: 2019-20: ₹ 44,730 करोड़, 2020-21: ₹37,825 करोड़, 2021-22: ₹30,919 करोड़, 2022-23: ₹ 24,013 करोड़ तथा 2023-24: ₹ 17,107 करोड़ सहित ।*

\# *मार्गोपाय अग्रिमों के अतिरिक्त।*

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रभावी बकाया कुल ऋण ₹ 5,59,767 करोड़ होगा जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक टू बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी

13. सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के लिए प्रभावी देयता बकाया कुल देयता से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,604 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर निकाली गई है।
14. सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के लिए प्रभावी देयता बकाया कुल देयता से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर निकाली गई है।

जीएसटी क्षतिपूर्ति (₹ 11,872 करोड़) को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जावेगा।

वर्ष 2023-24 के दौरान, गत वर्ष से समग्र देयता में ₹ 66,065 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः लोक ऋण में 15 प्रतिशत (₹ 58,268 करोड़) वृद्धि के कारण हुई।

सकल देयता-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2022-23 में 36.36 प्रतिशत से मामूली बढ़कर वर्ष 2023-24 में 36.62 प्रतिशत हो गया यद्यपि राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य (38.20 प्रतिशत से कम) के अंतर्गत रहा।

चार्ट 2.18: वित्तीय वर्ष के अंत में समग्र बकाया दायित्वों का विभाजन

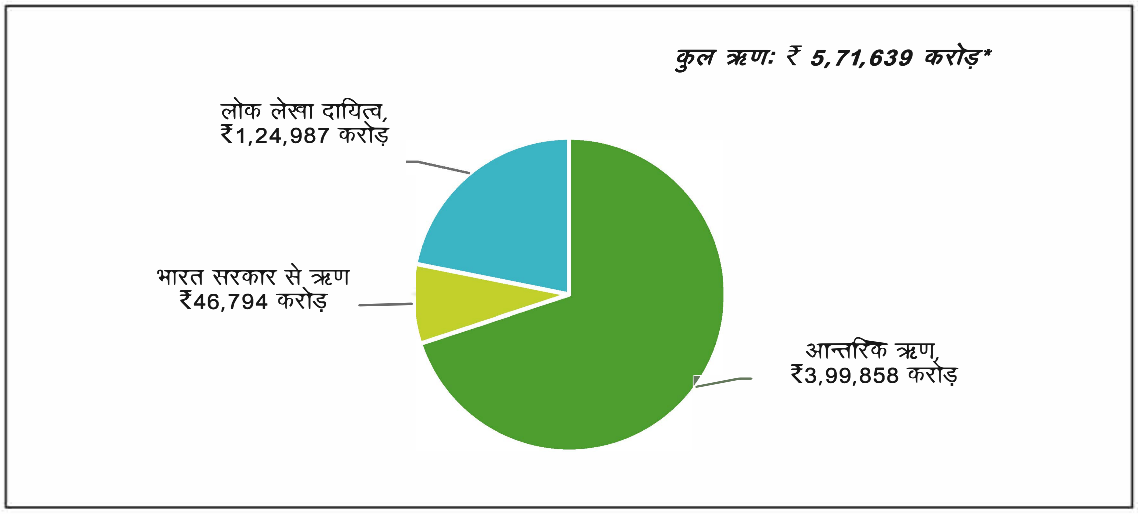

** प्रभावी कुल देयता ₹ 5,59,767 करोड़ होगी जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 11,872 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जावेगा।*

चार्ट 2.19: पुनर्भुगतान के साथ-साथ लिया गया आन्तरिक ऋण

(₹ करोड़ में)

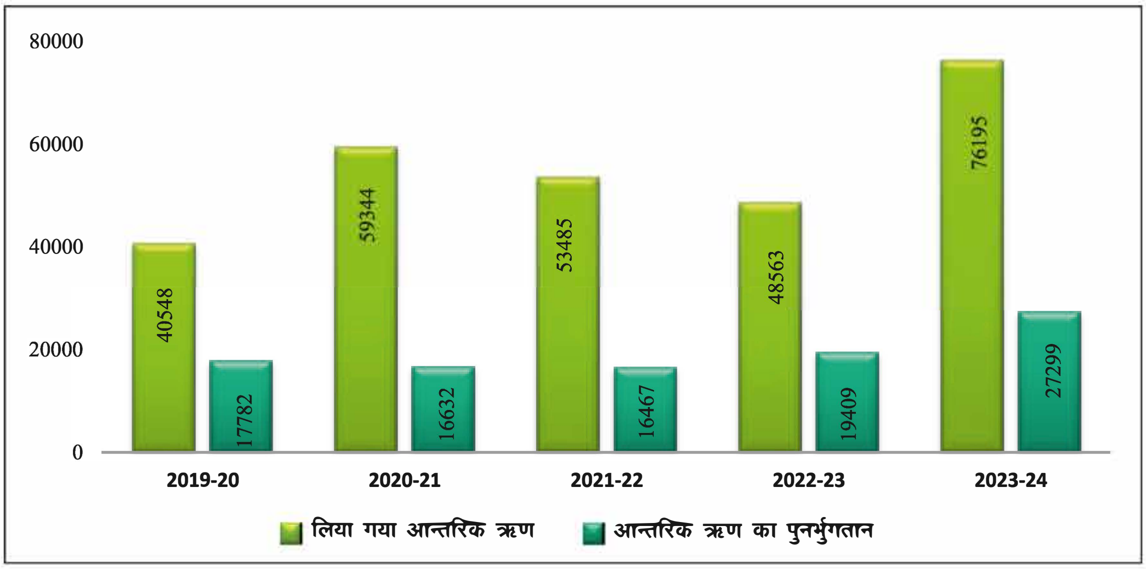

लिया गया आंतरिक ऋण वर्ष 2019-20 में ₹ 40,548 करोड़ से 17.08 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 2023-24 में ₹ 76,195 करोड़ हो गया, तथापि, आंतरिक ऋण का पुनर्भुगतान 2019-20 के ₹ 17,782 करोड़ से 11.31 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 2023-24 में ₹ 27,299 करोड़ हो गया।

राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनका वित्तपोषण स्वरूप

तालिका 2.35 वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का मद-वार निवल संवितरण/बहि:प्रवाह स्वरुप प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.35: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्त पोषण का मद-वार स्वरूप

(₹ करोड़ में)

		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	(अ) राजकोषीय घाटे के घटक					
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	36,371	44,001	25,870	31,491	38,955
2	निवल पूंजीगत व्यय	14,698	15,257	24,121	19,782	26,632
3	निवल ऋण एवं अग्रिम*	(-)13,415	118	(-) 1,753	(-) 245	(-) 7
	योग (अ)	**37,654**	**59,376**	**48,238**	**51,028**	**65,580**
	(ब) राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप					
1	बाजार से उधार	31,592	51,179	45,149	37,016	56,624
2	भारत सरकार से ऋण	3,375	6,229	8,217	5,673	9,372
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधियों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 1,585	(-) 1,584	(-) 1,585	(-) 1,585	(-) 1,585
4	मार्गोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-
5	वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-) 7,241	(-) 6,882	(-) 6,546	(-) 6,277	(-) 6,143
6	अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	3,991	4,857	2,461	5,337	6,097
7	जमा तथा अग्रिम	5,025	2,871	7,461	1,448	589
8	उचंत तथा विविध	86	116	(-) 81	(-) 52	120
9	प्रेषण	(-) 8	12	0	(-) 1	(-) 9
10	आरक्षित निधियाँ	4,330	1,361	1,344	2,471	3,388
	योग (ब)	**39,565**	**58,159**	**56,420**	**44030**	**68,453**
11	नकद शेष में वृद्धि (-)/कमी (अ-ब)	(-) 1,911	1,217	(-) 8,182	6,998	(-) 2,873
12	कुल राजकोषीय घाटा (ब+11)	37,654	59,376	48,238	51,028	65,580

स्रोत: वित्त लेखे

** निवल ऋण एवं अग्रिम का अर्थ है वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिम का संवितरण - ऋण एवं अग्रिम की वसूली*

राजकोषीय घाटा राज्य की कुल उधार की आवश्यकता है तथा राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण एवं अग्रिम सहित राजस्व तथा पूंजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप से राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्कता को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा लिए गये विभिन्न उधारों की सीमा का पता चलता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान बाजार उधार की राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में 72.54 प्रतिशत से 93.60 प्रतिशत तक प्रमुख हिस्सेदारी रही है। वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 65,580 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार उधार, लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि एवं भारत सरकार से ऋण से पूरा किया गया था।

2.6.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

31 मार्च 2024 को राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (विभिन्न वर्षों में आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण के संबंध में देय राशि) को **तालिका 2.36** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.36: राज्य के लोक ऋण के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूपरेखा

क्र.सं .	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्षों में)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत (लोक ऋण के सम्बन्ध में)
1.	0 – 1	28,703.02	6.43
2.	1 – 3	69,989.04	15.67
3.	3 – 5	68,826.84	15.41
4.	5 – 7	61,508.78	13.77
5.	7 एवं अधिक	1,70,395.18	38.15
6.	अन्य[15]	47,228.78	10.57
	योग	**4,46,651.64**	**100.00**

स्रोतः वित्त लेखे ।

चार्ट 2.20: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

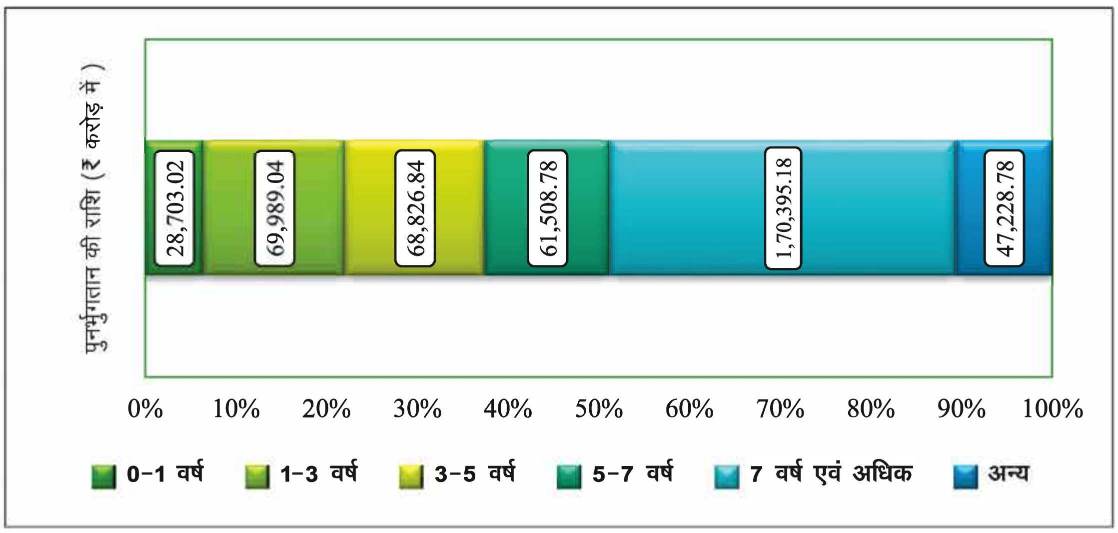

15. राज्य सरकार से सूचना अपेक्षित रही

31 मार्च 2024 को लोक ऋण के बकाया शेष की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि बकाया लोक ऋण ₹4,46,651.64 करोड़ में से 51.28 प्रतिशत (₹ 2,29,027.68 करोड़) आगामी सात वर्षों में भुगतान योग्य है, 38.15 प्रतिशत (₹ 1,70,395.18 करोड़) सात वर्ष से अधिक की परिपक्वता सीमा में है जबकि शेष राशि (₹ 47,228.78 करोड़) की पुनर्भुगतान अनुसूची उपलब्ध नहीं है।

बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची

राज्य सरकार का उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा शासित होता है। राज्य सरकार विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा राजकोषीय देयताओं की पूर्ति के लिए बाजार से ऋण/उधार लेती है।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी (सितम्बर 2024) सूचना के अनुसार वर्ष 2024-25 से 2055-56 के लिए बकाया बाजार ऋणों एवं इन ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची **तालिका 2.37** में नीचे दर्शायी गई है:

तालिका 2.37: बाजार ऋणों एवं बाजार ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची

क्र.सं.	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्षों में)	बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (₹ करोड़ में)	बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान (ब्याज) (₹ करोड़ में)
1.	0 – 1	18,800.00	26,452.64
2.	1 – 3	53,452.78	48,013.43
3.	3 – 5	58,142.04	39,905.79
4.	5 – 7	58,651.00	30,620.42
5.	7 -10	83,975.00	30,438.59
6.	10 से अधिक	85,806.00	55,301.19
	योग	**3,58,826.82**	**2,30,732.06**

स्रोतः वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

चार्ट 2.21: बाजार ऋणों एवं बाजार ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची

(₹ करोड़ में)

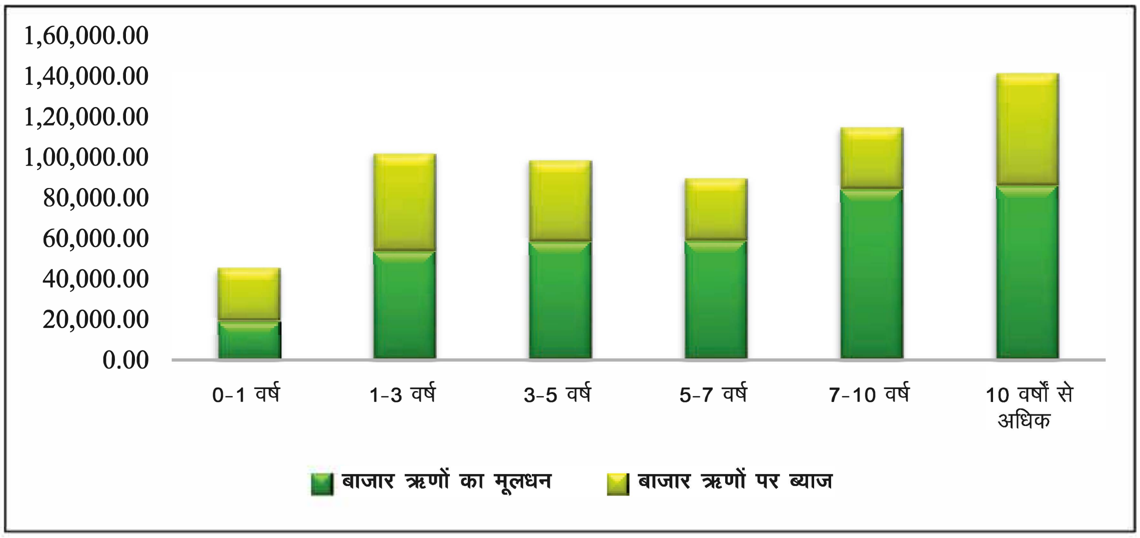

जैसा कि उपर दर्शाया गया है, राज्य को आगामी तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात 2026-27 तक ₹ 72,252.78 करोड़ के बाजार ऋण का पुनर्भुगतान तथा ₹ 74,466.07 करोड़ ब्याज का भुगतान करना होगा। आगामी दो वर्षों 2028-29 तक मूलधन ₹ 58,142.04 करोड़ तथा ब्याज ₹ 39,905.79 करोड़ देय होगा। वर्ष 2028-29 तक अगले पांच वर्षों के दौरान मूलधन पुनर्भुगतान तथा ब्याज का औसत वार्षिक व्यय लगभग ₹ 48,953.34 करोड़ होगा।

वर्ष 2029-30 से 2033-34 की अवधि में ₹ 1,42,626.00 करोड़ का ऋण तथा ₹ 61,059.01 करोड़ का ब्याज देय होगा। इस प्रकार, राज्य को वर्ष 2029-30 से 2033-34 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 40,737.00 करोड़ का औसत वार्षिक भुगतान करना होगा।

2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण (डीएसए)

ऋण धारणीयता का विश्लेषण, राजकोषीय एवं ऋण मापदंडों तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों के वृहद-राजकोषीय मापदंडों के संबंध में किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं:

(अ) ऋण धारणीयता का तात्पर्य राज्य की वर्तमान तथा भविष्य में अपने ऋण दायित्व को चुकाने की क्षमता से है। वर्ष 2019-20 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्षों की अवधि के लिए ऋण धारणीयता संकेतकों का विश्लेषण **तालिका 2.38** में दिया गया है:

तालिका 2.38: ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋण धारणीयता संकेतक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	समग्र देयताएं या समग्र ऋण##	3,52,702	4,10,500	4,62,845	5,05,574	5,71,639
1(अ)	प्रभावी सकल देयता या बेक-टू-बेक ऋण को छोड़ते हुये प्रभावी सकल ऋण##	3,52,702	4,05,896	4,50,973	4,93,702	5,59,767
1(ब)	निवल सकल देयता या निवल सकल ऋण (बिना ब्याज के ऋण, आरक्षित निधियाँ एवं जमायें, बेक-टू-बेक ऋण, 50 वर्षों हेतु ब्याज रहित ऋण)	3,22,347	3,74,841	4,15,572	4,56,317	5,14,006
2	प्रभावी सकल ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.27	15.08	11.11	9.47	13.38
3	जीएसडीपी (नोमिनल रूप में)	10,00,032	10,17,917	11,94,961	13,57,851	15,28,385
4	नोमिनल जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.71	1.79	17.39	13.63	12.56
5	सकल ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत) ##	35.27	40.33	38.73	37.23	37.40
6	राज्य विकासात्मक ऋण की परिपक्वता रुपरेखा अर्थात बाज़ार ऋण मूलधन राशि (प्रतिशत)*					
6 (अ)	0-2 वर्ष	12,180	15,041	26,041	35,800	44,600
6 (ब)	2-5 वर्ष	37,091	59,850	71,753	80,537	85,795
6 (स)	5-10 वर्ष	1,13,088	1,29,647	1,47,893	1,39,060	1,42,626
6 (द)	10 वर्ष से अधिक	6,500	15,500	19,500	46,806	85,806
7	सकल उधार से उधार का पुनर्भुगतान (प्रतिशत)	92.56	87.87	91.98	95.83	91.24
8	उपलब्ध निवल उधार सकल उधारो के प्रतिशत के रूप में	7.44	12.13	8.02	4.17	8.76

क्र.सं.	ऋण धारणीयता संकेतक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
9	सकल ऋण पर ब्याज अदायगी	23,643	25,202	28,100	30,602	34,128
10	सकल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत)	7.76	7.23	7.11	7.02	7.03
11	राजस्व प्राप्तियो से ब्याज अदायगी (प्रतिशत)	16.87	18.76	15.28	15.69	16.79
12	राजस्व घाटा/अधिशेष	(-)36,371	(-)44,001	(-)25,870	(-)31,491	(-)38,955
13	प्राथमिक घाटा शेष (12+9)	(-)12,728	(-)18,799	2,230	(-)889	(-)4,827
14	प्राथमिक शेष	(-)14,011	(-)34,174	(-)20,138	(-)20,426	(-)31,452
15	प्राथमिक शेष/जीएसडीपी (प्रतिशत)	(-)1.40	(-)3.36	(-)1,69	(-)1.50	(-)2.06
16	निवेश पर प्रतिलाभ (ऋण एवं अग्रिम के प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों के औसत से ब्याज प्राप्तियों की दर) एवं सकल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर में अंतर	7.75	5.42	(-)6.51	(-)4.08	(-)6.29
17	तरलता प्रबंधन (आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय सुविधा साधन) (अवसरों की संख्या)	3	50	71	133	170
18	ऋण स्थिरता (मात्रा प्रसार + प्राथमिक शेष)	(-)7,725	(-)54,570	22,593	9,744	(-) 3,054
19	**डोमार मानदंड**					
अ	जीएसडीपी (स्थिर मूल्य पर)	6,78,316	6,65,963	7,25,586	7,82,287	8,45,115
ब	जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि (स्थिर मूल्य पर)	5.45	(-)1.82	8.95	7.81	8.03
स	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	5.32	3.69	4.86	6.91	6.39
द	सकल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (क्र. सं. 10 के समान)	7.76	7.23	7.11	7.02	7.03
य	सकल ऋण पर वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर-मुद्रास्फीति) (19द – 19स)	2.44	3.54	2.25	0.11	0.64
र	ब्याज वृद्धि अवकलन (जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि - सकल ऋण पर वास्तविक प्रभावी ब्याज दर) (19ब – 19य)	3.01	(-)5.36	6.70	7.70	7.39

स्रोतः वित्त लेखे एवं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

* *अन्य ऋणों का आयु-वार विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण केवल बाजार ऋणों की परिपक्वता रुपरेखा दी गई है।*

वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 के लिए प्रभावी सकल देयता/जीएसडीपी अनुपात क्रमशः 39.88 प्रतिशत, 37.74 प्रतिशत, 36.36 प्रतिशत एवं 36.62 प्रतिशत होगा जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गई जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि (2020-21 के लिए ₹4,604 करोड़ एवं 2021-22 से 2023-24 के लिए ₹11,872 करोड़) को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नही माना जावेगा।

चार्ट 2.22: ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृत्तियाँ

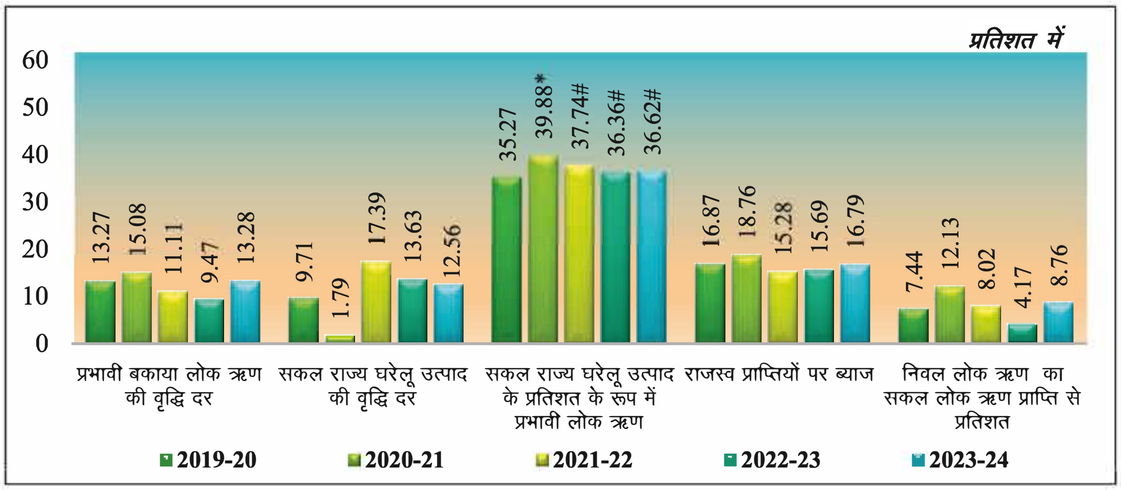

* *कुल बकाया ऋणों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,604 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त की गयी है।*

कुल बकाया ऋणों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त की गयी है।

तालिका 2.38 एवं चार्ट 2.22 में दर्शाये अनुसार विभिन्न ऋण धारणीयता संकेतकों के विश्लेषण से निम्न दृष्टिगत हुयेः

- **ऋण जीएसडीपी के प्रतिशत में:** गत पांच वर्षों के दौरान ऋण-जीएसडीपी अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक रहा। राज्य का राजकोषीय घाटा भी गत पांच वर्षों के दौरान जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से अधिक रहा, जैसा कि राज्य एफआरबीएम अधिनियम में लक्षित है और पिछले पांच वर्षों के दौरान 87 प्रतिशत से अधिक उधार का उपयोग बकाया ऋण (ब्याज सहित) के पुनर्भुगतान में किया गया है। *यह इंगित करता है कि जीएसडीपी अनुपात के मुकाबले उच्च ऋण यह दर्शाता है कि राज्य का बोझ उसके आर्थिक उत्पादन की तुलना में अधिक है और यह वित्तीय भेद्यता और कम राजकोषीय लचीलेपन को इंगित करता है।*

- **जीएसडीपी की नोमिनल वृद्धि दर और ऋण की वृद्धि दर:** सिवाय 2021-22 एवं 2022-23 के नोमिनल जीएसडीपी की दर समग्र ऋण की वृद्धि दर से कम थी। इससे स्पष्ठ है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2023-24 में ऋण वृद्धि नोमिनल वृद्धि से अधिक थी जिससे इन वर्षों के दौरान राज्य का ऋण भार खराब रहा।

- **डोमार मॉडल–जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर) एवं समग्र ऋण पर वास्तविक ब्याज दर:** वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान, वास्तविक वृद्धि की दर वास्तविक प्रभावी ब्याज दर से अधिक थी। अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के सन्दर्भ में, कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर वर्ष 2020-21 की (-)1.82 प्रतिशत से 8.95 प्रतिशत रही तथा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में इन वर्षों में उधार को पाटने के कारण 8 प्रतिशत पर स्थिर रही।

- **प्राथमिक शेष एवं प्राथमिक राजस्व शेषः** सभी पाँच वर्षो में (केवल 2021-22 में सकारात्मक प्राथमिक राजस्व शेष) प्राथमिक शेष एवं प्राथमिक राजस्व शेष नकारात्मक रहा। *प्राथमिक शेष 2019-20 में ₹ 14,011 करोड़ से बढकर 2023-24 में ₹ 31,452 करोड़ हो गया जो दर्शाता है कि ऋण अस्थिरता के पथ पर है।*

- **राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगी:** गत पाँच वर्षों के दौरान सकल ऋण पर ब्याज भुगतान का भार राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में 15 प्रतिशत से अधिक रहा। यह 2021-22 में 15.28 प्रतिशत से बढकर 2023-24 में 16.79 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में यह गत पांच वर्षो के दौरान 13 प्रतिशत से अधिक रहा (**तालिका 2.20**) और गत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है। यह एक अस्थिर ऋण प्रक्षेपक वक्र को इंगित करता है।

- **परिपक्वता रुपरेखा और उधारों की लागत :** राज्य के बाजार ऋण की परिपक्वता रुपरेखा दर्शाती है कि 31 मार्च 2024 को कुल बाजार ऋण का 63.66 प्रतिशत (₹ 2,28,432 करोड़) पांच वर्षों बाद पुनर्भुगतान योग्य हैं, जो ऋण की लम्बी अवधि को दर्शाता है।

- **तरलता:** वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 1,23,207.02 करोड़ के विशेष मार्गोपाय अग्रिम एवं ₹ 11,905.18 करोड़ के सामान्य मार्गोपाय अग्रिम का उपयोग किया। आरबीआई से लिये गये मार्गोपाय अग्रिमों के अवसरों की संख्या 2019-20 में तीन से बढकर 2023-24 में 170 हो गई एवं गत पांच वर्षों में मार्गोपाय अग्रिम की राशि में वृद्धि की प्रवृत्ति है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार के द्वारा मार्गोपाय अग्रिम पर ₹ 339.93 करोड़ का ब्याज के रूप में भुगतान किया। *मार्गोपाय अग्रिम का बड़ी मात्रा में निरन्तर उपयोग लचर तरलता प्रबंधन को इंगित करता है एवं कमजोर राजकोषीय प्रबंधन को इंगित करता है जो अल्प कालिक स्थिरता में बाधक है।*

- **राजकोषीय असंतुलन:** वर्ष 2023-24 के दौरान गत वर्ष की तुलना में समग्र ऋण का जीएसडीपी से अनुपात बढ़ गया। यह दर्शाता है कि राज्य के पास उधार के माध्यम से राजकोषीय विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के प्राथमिक शेषों का निरन्तर विस्तार हुआ है, यह दर्शाता है कि ऋण स्थिर नहीं है।

- **डोमार मॉडल एवं प्राथमिक शेष:** कोविड-19 महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी के कारण वर्ष 2020-21 को छोड़कर गत पांच वर्षों के दौरान डोमार गैप (ब्याज वृद्धि का अंतर अर्थात् वास्तविक वृद्धि-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर) सकारात्मक रही जबकि राज्य का प्राथमिक शेष गत पांच वर्षों के दौरान नकारात्मक रहा। यद्यपि प्राथमिक घाटा अस्थिर प्रवृत्ति को दर्शाता है। उधारों पर राज्य की बढती ब्याज देयता के साथ यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि राज्य के लिए ऋण स्थिर है।

(ब) एमटीएफपी में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का विवरण **तालिका 2.39** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.39: एमटीएफपी में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां

राजकोषीय मापदंड		एमटीएफपी अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियाँ				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+) (प्रतिशत में)	लक्ष्य	(-) 16.47	(-) 7.12	(-) 12.88	(-) 10.93	(-) 10.64
	उपलब्धि	(-) 25.96	(-) 32.76	(-) 14.07	(-) 16.15	(-) 19.16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटा(-)/अधिशेष(+) (प्रतिशत में)	लक्ष्य	(-) 3.19	(-) 2.99	(-) 3.98	(-) 4.36	(-) 3.98
	उपलब्धि	(-) 3.77	(-) 5.83	(-) 4.04	(-) 3.76	(-) 4.29
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देयताओं का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	33.13	33.12	38.15	39.80	36.78
	उपलब्धि	35.32	39.88[16]	37.74[17]	36.36[17]	36.62[17]

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार पिछले पांच वर्षों से लगातार राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रही है। राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा 2019-20 में 25.96 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 19.16 प्रतिशत रह गया, तथापि, यह पिछले वर्ष (16.15 प्रतिशत) की तुलना में बढ़ा है। वर्ष 2019-20 से 2020-21 तथा 2023-24 के दौरान

16. कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के तहत 2020-21 में बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,604 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त की गयी है।
17. कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के तहत 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त की गयी है।

राज्य सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे के मध्यकालिक राजकोषीय नीति के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। वर्ष 2023-24 के दौरान जीएसडीपी से बकाया देनदारी का एमटीएफपी लक्ष्य हासिल किया गया था।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग और अन्य देयताओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियाँ

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी निर्माण तथा विकासात्मक गतिविधियों हेतु किया जाना चाहिए। वर्तमान उपभोग को पूरा करने के लिए तथा बकाया ऋणों पर ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना धारणीय नहीं है।

उधार ली गई निधियों के उपयोग एवं अन्य देयताओं के अंतर्गत उपयोग के लिए उपलब्ध निधियों की प्रवृत्ति एवं विवरण **तालिका 2.40** में दिया गया है:

तालिका 2.40: उधार ली गई निधियों का उपयोग एवं अन्य देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल उधार (लोक ऋण एवं अन्य दायित्व)#	1	2,37,596	2,68,770	3,02,174	2,90,718	3,64,764
2.	पुनर्भुगतान (पूर्व के उधार (मूलधन) और अन्य दायित्व) (प्रतिशतता)	2	1,96,268 (82.61)	2,10,972 (78.50)	2,49,829 (82.68)	2,47,990 (85.30)	2,98,699 (81.89)
3.	निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)	3	14,698 (6.19)	15,257 (5.68)	24,121 (7.98)	19,782 (6.80)	26,632 (7.30)
4.	निवल ऋण एवं अग्रिम	4	(-) 13,415 (-5.65)	118 (0.04)	(-) 1,753 (-0.58)	(-) 245 (-0.08)	(-) 7 -
5.	निवल उपलब्ध उधारों एवं अन्य देयताओं से पूरा किया गया राजस्व व्यय का हिस्सा (प्रतिशतता)	5=1-2-3-4	40,045 (16.85)	42,423 (15.78)	29,978 (9.92)	23,191 (7.98)	39440 (11.00)

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष के दौरान मार्गोपाय अग्रिम के अलावा

चार्ट 2.23: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियाँ

(प्रतिशत में)

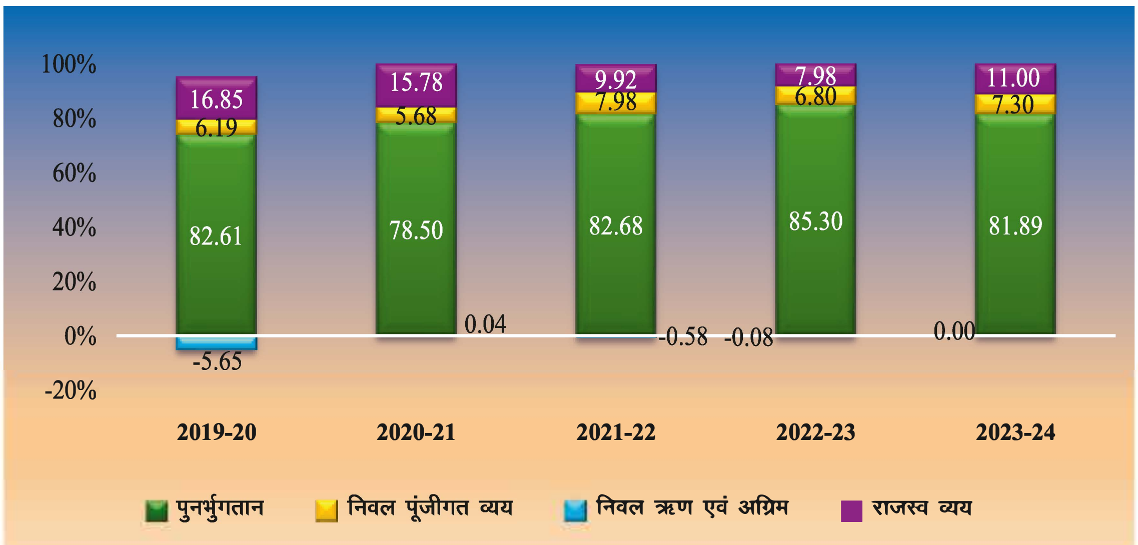

वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 39,440 करोड़ की उधारी का उपयोग किया गया परिणामस्वरूप पूंजीगत प्राप्तियों को राज्य सरकार के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए नियोजित किया गया। कुल उधारी में उधार के पुनर्भुगतान का प्रतिशत 2019-20 में 82.61 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2023-24 में 81.89 प्रतिशत रह गया।

2.7.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें

प्रत्याभूतियां राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं हैं जो उधार लेने वाले जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी द्वारा चूक के मामले में लागू किया जा सकता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अप्रैल 2016 में संशोधित) के अनुसार, 31 मार्च 2017 को कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियां वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा उसके पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियां उस वित्तीय वर्ष में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

गत पाँच वर्षों के लिए राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियां **तालिका 2.41** में दी गई है:

तालिका 2.41: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रत्याभूतियाँ	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	ब्याज सहित अधिकतम प्रत्याभूति की राशि	1,44,676	1,56,822	1,72,684	2,01,008	2,21,973
2.	ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	80,631	82,612	95,868	1,04,832	1,10,918
3.	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अधिकतम प्रत्याभूति राशि	103.26	116.76	93.89	103.08	109.20
4.	समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियाँ	2,24,905	2,19,467	2,46,909	3,38,075	3,82,674
5.	अनुमानित प्राप्तियों के सन्दर्भ में बकाया प्रत्याभूतियाँ (प्रतिशत में)	35.85	37.64	38.83	31.01	28.98

स्रोत : वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज

बकाया प्रत्याभूतियां, वर्ष 2022-23 में ₹ 1,04,832 करोड़ से 5.81 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 1,10,918 करोड़ हो गयी तथा यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,03,276 करोड़) का 54.57 प्रतिशत थी। बकाया प्रत्याभूतियां मुख्यतः पाँच विद्युत कम्पनियों (₹ 85,409 करोड़), शहरी विकास एवं आवास क्षेत्र (₹ 6,810 करोड़), एक सड़क परिवहन निगम (₹ 4,539 करोड़) और छः सहकारी संस्थाओं (₹ 3,062 करोड़) से सम्बंधित थी। विद्युत कम्पनियों को प्रत्याभूतियां, ऋण/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉन्ड/ऋण पत्रों को जारी कर राशि प्राप्त करने तथा निर्दिष्ट दरों पर ब्याज भुगतान के लिए दी गई थी।

वर्ष 2023-24 के दौरान बकाया प्रत्याभूतियों का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (28.98 प्रतिशत) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (60 प्रतिशत) के भीतर था।

2.7.3 रोकड़ शेषों का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार के अनुसार, 01-03-1999 से राज्य सरकार को समस्त दिवसों में न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 2.34 करोड़ बनाये रखना है। यदि किसी दिन शेष न्यूनतम से कम हो जाता है, तो समय-समय पर साधारण और विशेष मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर कमी को पूरा किया जाता है।

मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट स्वीकृत करने के प्रयोजन से दैनिक रोकड़ शेष बनाये रखने हेतु आरबीआई 14 दिनों के कोषालय बिलों के साथ-साथ दिन के लिए सूचित किए गए लेनदेनों (आरबीआई काउंटर, अंतर-सरकारी लेनदेन और एजेंसी बैंक द्वारा सूचित किये गए कोषालय लेन-देनों) का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार प्राप्त रोकड़ शेष में, 14 दिनों की परिपक्वता के कोषालय बिलों, यदि कोई है, को जोड़ा जाता है तथा न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने के बाद अतिरिक्त शेष, यदि कोई है, को कोषालय बिलों में पुनः निवेशित किया जाता है। यदि निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम रोकड़ शेष से कम प्राप्त होता है और यदि उस दिन कोई 14 दिनों के कोषालय बिलों की परिपक्वता नहीं है, तो आरबीआई 14 दिनों के कोषालय बिलों की धारिता की कटौती करता है और कमी को पूरा करता है। यदि उस दिन 14 दिनों के कोषालय बिल नहीं है, तो राज्य सरकार मार्गोपाय अग्रिम/विशेष मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

राज्य सरकार के लिए साधारण मार्गोपाय अग्रिम की सीमा 17 अप्रैल 2020 से ₹ 2,608 करोड़ थी और यह 31 मार्च 2024 तक बनी रही। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की गिरवी के बदले विशेष मार्गोपाय अग्रिम भी देता है। विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सीमा को समय-समय पर आरबीआई द्वारा संशोधित किया जाता है। विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2023 को ₹ 7,197.37 करोड़ तथा 31 मार्च 2024 को ₹ 9,357.51करोड़ थी।

सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान आरबीआई के साथ न्यूनतम नकद शेष को जिस सीमा तक बनाए रखा वह नीचे बताया गया है:

(i) ***विशेष मार्गोपाय अग्रिम:*** 1 अप्रैल 2023 को विशेष मार्गोपाय अग्रिम के तहत शेष शून्य था। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने आरबीआई से 142 बार 329 दिनों के लिए ₹ 1,23,207.02 करोड़ विशेष मार्गोपाय अग्रिम प्राप्त किए तथा ₹ 335.97 करोड़ ब्याज के रूप में चुकाये। वर्ष 2023-24 के अंत में शेष शून्य था।

(ii) ***साधारण मार्गोपाय अग्रिम:*** 1 अप्रैल 2023 को साधारण मार्गोपाय अग्रिम के तहत शेष शून्य था। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने आरबीआई से 28 बार 47 दिनों के लिए ₹ 11,905.18 करोड़ साधारण मार्गोपाय अग्रिम प्राप्त किए तथा ₹ 3.96 करोड़ ब्याज के रूप में चुकाये । इन 47 दिनों में राज्य सरकार ने विशेष मार्गोपाय अग्रिम भी लिया। वर्ष 2023-24 के अंत में शेष शून्य था।

(iii) ***रोकड़ शेष:*** 31 मार्च 2024 को, 'रोकड़ शेष निवेश खाते में निवेश' (₹ 627.51 करोड़), 'चिन्हित निधियों में निवेश' (₹ 9,890.55 करोड़) तथा अन्य रोकड़ शेष (₹ 24.37 करोड़) के अतिरिक्त राज्य का सामान्य रोकड़ शेष ₹ 2.39 करोड़ था जिसमें निम्नलिखित शामिल थे:

अ. कोषालयों में नकद (मुख्य शीर्ष 8999-101) = ₹ 0.06 करोड़

ब. आरबीआई में जमा (मुख्य शीर्ष 8999-102) = ₹ 10.75 करोड़

स. मार्गस्थ प्रेषण-स्थानीय (मुख्य शीर्ष 8999-104) = ₹ (-) 8.42 करोड़

'आरबीआई के पास जमा' मार्च 2024 के लेखों के बंद होने के बाद 31 मार्च 2024 को रिज़र्व बैंक जमा (राज्य) के सन्दर्भ में मासिक नकद शेष को दर्शाता है। वित्त लेखे के आंकड़ों (₹ 10.75 करोड़ (नामे)) तथा आरबीआई द्वारा सूचित किये गये आंकड़ों (₹ 12.28 करोड़ (जमा)) के बीच ₹ 1.53 करोड़ (नामे) का अंतर था। इसमें से राशि ₹ 1.49 करोड़ (नामे) का मिलान एवं निपटान कर लिया गया है। जून 2024 के अंत तक ₹ 0.04 करोड़ (नामे) का अंतर शेष था तथा इसका मिलान आवश्यक है।

तालिका 2.42: रोकड़ शेष तथा उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		1 अप्रेल 2023 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2024 को अंतिम शेष
	अ. सामान्य रोकड़ शेष		
1.	कोषालयों में रोकड़	0.06	0.06
2.	रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 61.90	10.75
3.	मार्गस्थ प्रेषण-स्थानीय	(-) 8.81	(-) 8.42
	योग	**(-) 70.65**	**2.39**
4.	रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश	103.30	627.51
	योग (अ)	**32.65**	**629.90**
	ब. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
5.	विभागीय अधिकारियों यथा सार्वजनिक निर्माण एवं वन अधिकारियों के पास रोकड़	0.73	0.51
6.	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	23.74	23.86
7.	चिन्हित निधियों में निवेश	7,614.42	9,890.55
	योग (ब)	**7,638.89**	**9,914.92**
	योग (अ +ब)	**7,671.54**	**10,544.82**
	प्राप्त ब्याज	**14.08**	**(-) 1.10#**

स्रोतः वित्त लेखे

ऋणात्मक आंकड़े परिपक्वता से पूर्व निवेश को पुनःबट्टा करने के कारण है।

तालिका 2.43: रोकड़ शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी (-)	अर्जित ब्याज
1.	2019-20	2,154.46	5,807.73	3,653.27	77.12
2.	2020-21	5,807.73	4,440.13	(-) 1,367.60	23.38
3.	2021-22	4,440.13	8,218.92	3,778.79	43.69
4.	2022-23	8,218.92	103.30	(-) 8,115.62	14.08
5.	2023-24	103.30	627.51	524.21	(-) 1.10

स्रोत- वित्त लेखे

राज्य सरकार का अधिशेष रोकड़ शेष पांच प्रतिशत वार्षिक की औसत ब्याज दर के साथ 14 दिन के कोषालय बिलों में स्वतः निवेशित हो जाते है तथा आंशिक रूप से 91,182 तथा 364 दिवसीय आरबीआई के नीलामी वाले कोषालय बिलों में निवेशित हो जाते है। वर्ष 2023-24 के अंत तक ₹ 627.51 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, इसके अलावा, ₹ 9,890.55 करोड़ का निवेश चिन्हित निधियों में भी किया गया।

चार्ट 2.24: निवल बाजार ऋण के साथ-साथ सामान्य रोकड़ शेष

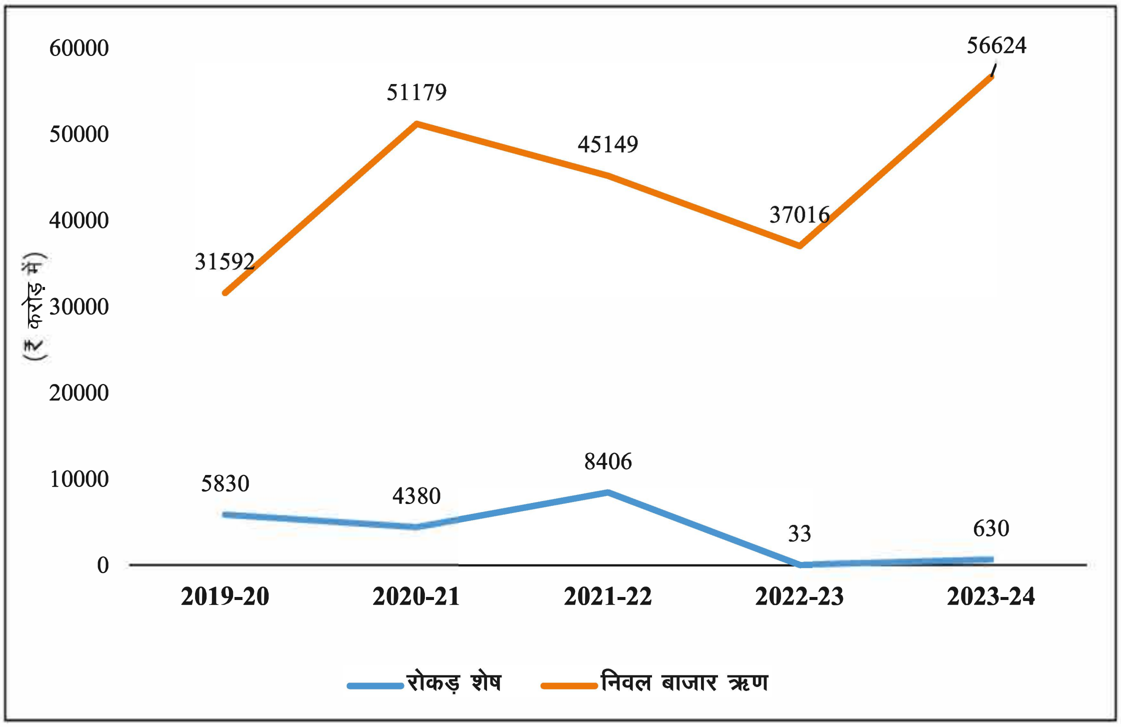

चार्ट 2.25: वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं निवल रोकड़ शेष निवेश का माहवार संचलन

(₹ करोड़ में)

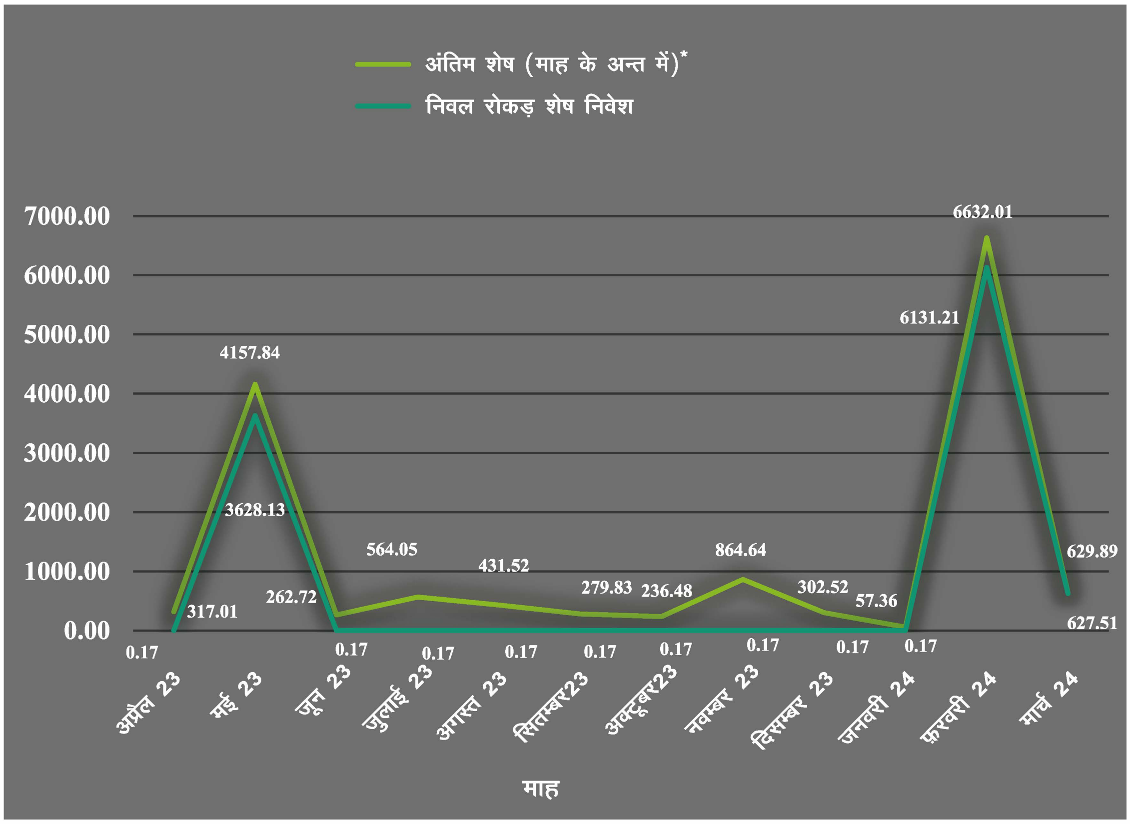

** इसमें कोषालयों में रोकड़, रिजर्व बैंक के पास जमा, मार्गस्थ प्रेषण- स्थानीय तथा रोकड़ शेष निवेश खाते के निवेश शामिल हैं।*

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने 329 दिनों के लिए 170 बार मार्गोपाय लिया तथा ₹ 340 करोड़ का ब्याज अदा किया। यह राज्य के अपर्याप्त रोकड़ प्रबंधन को इंगित करता है।

2.8 निष्कर्ष

राज्य सरकार लगातार ग्यारह वर्षों से एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत परिकलित राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही। वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व घाटा 2022-23 के ₹ 31,491 करोड़ से बढ़कर ₹ 38,955 करोड़ हो गया तथा राजकोषीय घाटा 2022-23 के ₹ 51,028 करोड़ से बढकर ₹ 68,580 करोड़ हो गया।

वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियां गत वर्ष से ₹ 8,288 करोड़ (4.25 प्रतिशत) बढ़ी तथा केंद्र से हस्तांतरण राजस्व प्राप्तियों का 44.53 प्रतिशत था।

वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय गत वर्ष से ₹ 15,752 करोड़ (6.96 प्रतिशत) बढ़ा। वर्ष 2023-24 में प्रतिबद्ध व्यय का अंश 52.32 प्रतिशत तथा अर्थ-सहाय्य राजस्व व्यय का 11.73 प्रतिशत था।

वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 9.90 प्रतिशत था।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के उपलब्ध निवल ऋण कुल उधारियों ₹ 3,64,764.01 करोड़ में से केवल ₹ 31,936.72 करोड़ (8.76 प्रतिशत) था।

मार्च 2024 के अंत में, रोकड़ शेष ₹ 630 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 329 दिनों के लिए सामान्य एवं विशेष मार्गोपाय का उपयोग किया तथा ₹ 340 करोड़ ब्याज दिया।

2.9 सिफारिशें

राज्य सरकार बेहतर कर अनुपालन द्वारा कर एवं कर-भिन्न राजस्व के माध्यम से अतिरिक्त संशाधन जुटा सकती है ताकि राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे के एफबीआरएम लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

हालाँकि वेतन, पेंशन एवं ब्याज प्रतिबद्ध है, अर्थ-सहाय्य, स्थानीय निकायों के अलावा सहायतार्थ अनुदान जो लगातार बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार को व्यय को सीमित करने हेतु व्यय पक्ष में मध्यकालिक सुधार करने की एवं साथ ही ऋण के स्तर को कम करने हेतु राज्य के राजस्व को बढ़ाने आवश्यकता है।

राज्य सरकार मार्गोपाय अग्रिमों के उपयोग को कम करने हेतु अधिक कुशल रोकड़ प्रबंधन तंत्र बना सकती है।

अध्याय III: बजटीय प्रबंधन

प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है। यह राज्य सरकार की आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजट निर्माण की पारदर्शिता और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करता है। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि नीतिगत निर्णय निधियों के अपव्यय या विपथन के बिना प्रशासनिक स्तर पर सफलता पूर्वक लागू किया जाये।

3.1 बजट प्रक्रिया

बज़ट बनाने की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए एक रोडमैप तैयार करने का माध्यम है। बजट शब्दावली ***परिशिष्ट 3.1*** में दी गई है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, वित्त विभाग को वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली या व्यय की जाने वाली सभी अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण तैयार करना आवश्यक है। इस विवरण को संविधान के अनुच्छेद 202 में निर्दिष्ट वार्षिक वित्तीय विवरण (लोकप्रिय रूप से बजट के रूप में जाना जाता है) के रूप में जाना जाता है। बजट प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी होने के साथ शुरू होती है, जो विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने में मार्गदर्शन करती है। राज्य में बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे **चार्ट 3.1** में दी गई है:

चार्ट 3.1 : बजट तैयार करने की प्रक्रिया

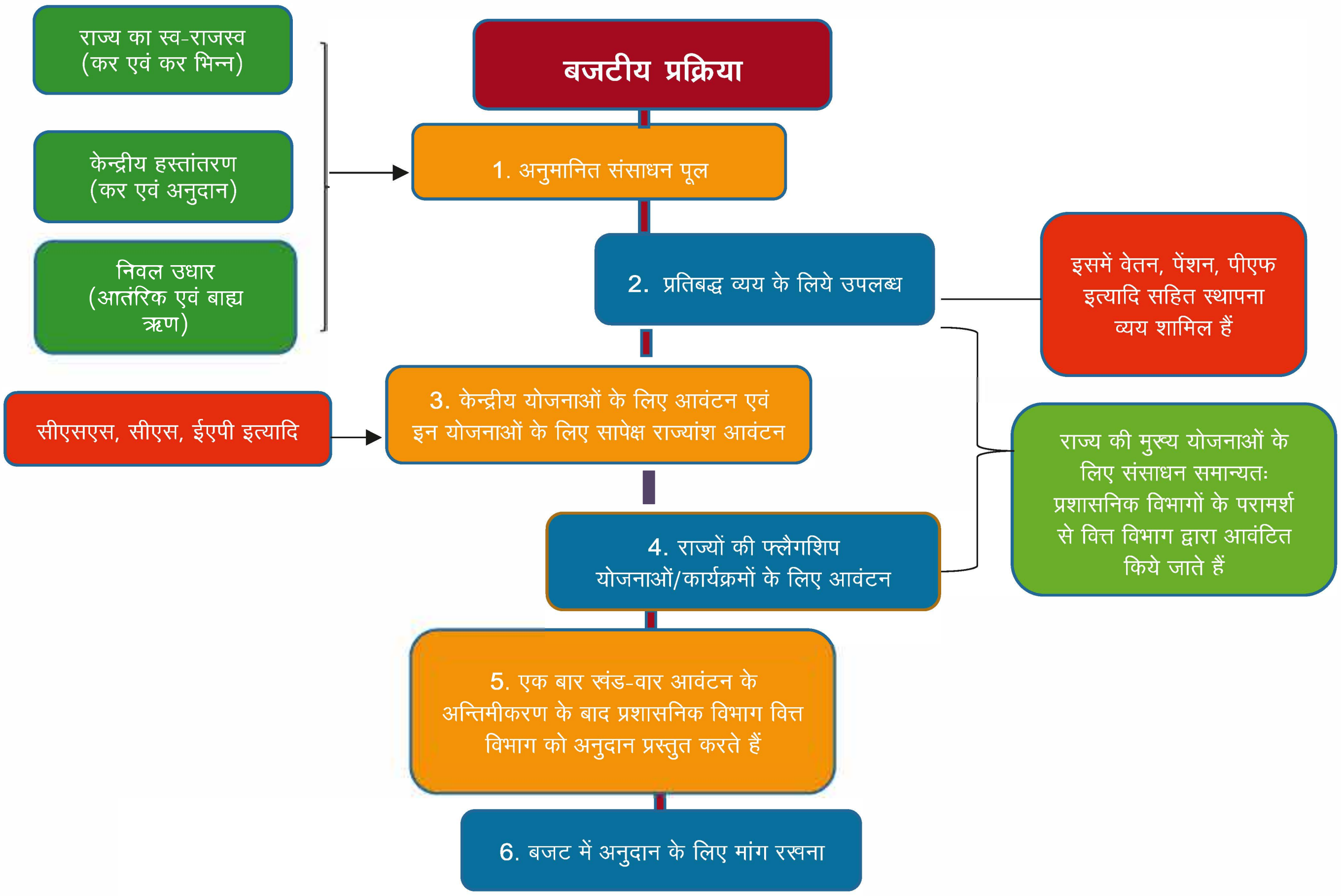

सीएसएसः केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें; सीएसः केन्द्रीय योजनायें।

राज्य का बजट मुख्य रूप से सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विभाजित है। राजस्थान बजट नियमावली बजट तैयार करने, बजट निष्पादन और बजट अनुश्रवण की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रदान करती है । क्षेत्रवार बजटिंग, जैसे कि सामाजिक बजटिंग और निष्पादन बजटिंग, नवीन बजटिंग तकनीकों को दर्शाता है। राजस्थान में, समेकित बजट के अलावा, राज्य सरकार कुछ उप-बजट/विवरण जैसा कि कृषि बजट, जेंडर बजट विवरण, चाइल्ड बजट विवरण और दो प्रकार के प्रदर्शन बजट दस्तावेज़ यानी आउटकम बजट और आउटपुट बजट भी तैयार करती है।

सामाजिक बजटिंग मानव संसाधन के विकास, कल्याणकारी योजनाओं के समानुपातिक वितरण और सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित है। हालाँकि, राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक बजट से पृथक सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट पेश करने की कोई प्रथा नहीं है।

कृषि बजटः राज्य का कृषि बजट समग्र बजट का एक भाग है और इसे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। राज्य का कृषि बजट, उन योजनाओं पर होने वाले व्यय को प्रकट करता है, जिन्हें किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से समग्र बजट के भीतर प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान में कृषि बजट वर्ष 2022-23 के दौरान पहली बार पेश किया गया था। वर्ष 2023-24 में कृषि बजट पर ₹ 89,190.24 करोड़ आवंटित किये गये है, जो वर्ष 2022-23 के 22.22 प्रतिशत की तुलना मे राज्य बजट[1] का 17.69 प्रतिशत था।

प्रदर्शन आधारित बजटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्यक्रमों के वित्तीय आवंटन और उनसे अपेक्षित परिणामों के बीच सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाता है, ताकि बजट को अधिक लागत कुशल और प्रभावी बनाया जा सके। राजस्थान में आउटकम और आउटपुट बजट तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष 2006-07 में शुरू की गई थी। ये बजट विवरण विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत परिकल्पित लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन को दर्शाते हैं। वर्ष 2023-24 के आउटकम बजट में 216 विभागों/एजेंसियों के लिए योजनावार जानकारी प्रदान की गई थी।

जेंडर बजट विवरणः राज्य का जेंडर बजट समग्र बजट का एक भाग है और इसे महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है। वर्ष 2023-24 में जेंडर बजट के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने ₹ 38,679.43 करोड़ आवंटित किए थे, जो वर्ष 2022-23 के 9.5 प्रतिशत की तुलना में राज्य बजट का 7.66 प्रतिशत था।

चाइल्ड बजट विवरणः चाइल्ड बजटिंग एक वित्तीय वर्ष के समग्र बजट से बाल केंद्रित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों पर राज्य की प्रतिबद्धता को प्रस्तुत करती है। वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य में पहला चाइल्ड

1 ₹ 5,04,970.13 करोड़

बजट पेश किया गया था। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में चाइल्ड बजट के लिए ₹ 39,693.08 करोड़ आवंटित किए थे, जो वर्ष 2022-23 के 9.30 प्रतिशत की तुलना में राज्य बजट का 7.86 प्रतिशत था।

जेंडर बजट और चाइल्ड बजट के तहत बजट आवंटन और व्यय का विस्तृत लेखापरीक्षा विश्लेषण **अनुच्छेद 3.4.4 और 3.4.5** में दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 202-204 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जैसे ही विस्तृत अनुमान और अनुदान विधान सभा द्वारा पारित किए जाते हैं, वित्त विभाग सभी विभागाध्यक्षों और अन्य बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट वर्ष के दौरान उनके निपटान हेतु बजट आवंटन के बारे में सूचित करता है। वित्त विभाग बजट दस्तावेज़ की प्रतियां महालेखाकार को भी भेजता है। वित्त विभाग द्वारा ऐसी सभी जानकारी और बजटीय आंकड़े एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड की जाती है और इस तक पहुँच संबंधित अधिकारियों के पास उपलब्ध है।

वित्त विभाग वर्ष के दौरान विभागों द्वारा अनुपूरक अनुदानों और पुनर्विनियोजन के लिए किये गये अनुरोधों की भी समीक्षा करता है। अनुपूरक अनुदान के अलावा अनुदान के अंतर्गत निधि को फिर से आवंटित करने के लिए पुनर्विनियोग का उपयोग भी किया जा सकता है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित कुल राशियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:

चार्ट 3.2: मूल एवं अनुपूरक बजट, व्यय और बचत की स्थिति

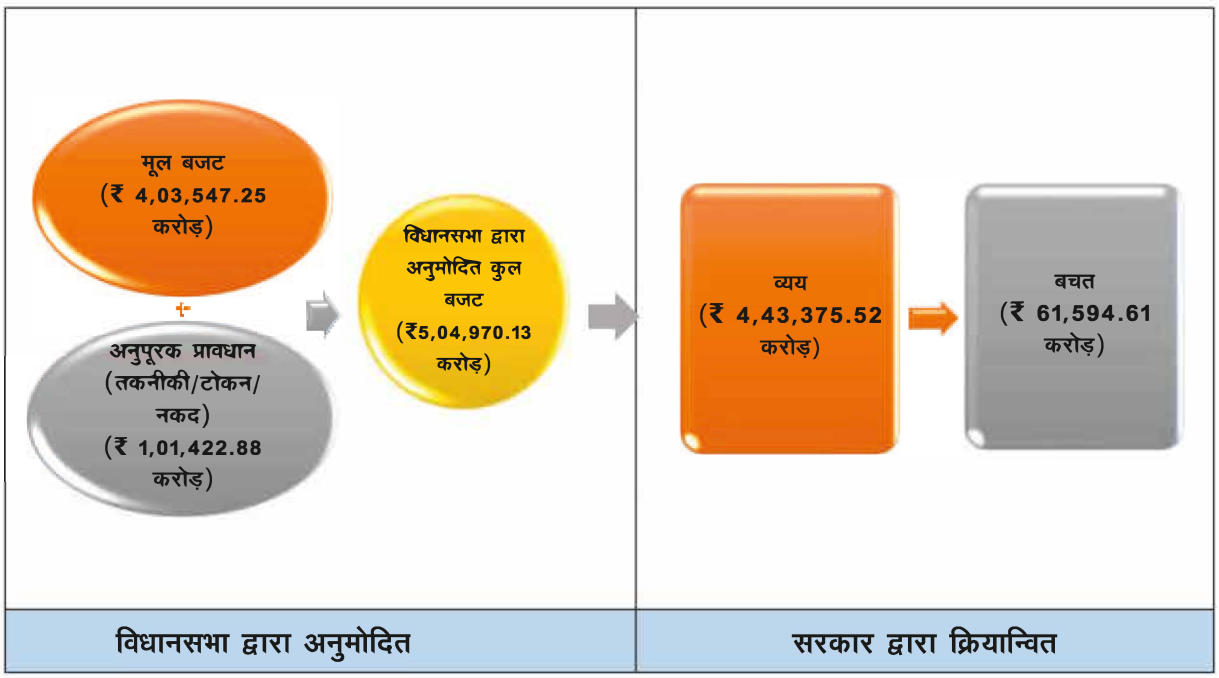

राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) निर्धारित करता है कि व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उतनी ही वित्तीय अनियमितता है जितनी कि वास्तविक व्यय में आधिक्य। बजट प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि किसी विशेष मद पर व्यय के अनुमान में प्रदान की गई राशि वह राशि होनी चाहिए जिसे वर्ष में व्यय किया जा सके और यह न तो अधिक होनी चाहिए और न ही कम।

3.1.1 कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों और बचतों का सारांश

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 64 अनुदानों/विनियोगों में कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य तथा इसके आगे दत्तमत/प्रभारित के विभाजन की सारीकृत स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है :

तालिका 3.1: वर्ष 2023-24 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण और बचत

(₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत (-)/आधिक्य(+)	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
राजस्व	2,48,388.08	34,947.33	2,13,150.56	34,473.68	(-)35,237.52	(-) 473.65**
पूंजीगत	47,310.00	1.79	31,352.77	1.72	(-)15,957.23*	(-) 0.07
ऋण और अग्रिम	450.08	-	398.21	-	(-)51.87	-
लोक ऋण	-	1,73,872.85	-	1,63,998.58	-	(-)9,874.27
कुल	**2,96,148.16**	**2,08,821.97**	**2,44,901.54**	**1,98,473.98**	**(-)51,246.62**	**(-)10,347.99**

स्रोतः विनियोग लेखे

* अनुदान-44 (सार्वजनिक निर्माण विभाग) के अंतर्गत ₹ 76.41 करोड़ की आधिक्य राशि को समायोजित करने के बाद प्राप्त किया गया।

** अनुदान-22 (उच्च शिक्षा विभाग) के अंतर्गत ₹ 1.32 करोड़ की आधिक्य राशि को समायोजित करने के बाद प्राप्त किया गया।

दो अनुदानों में ₹ 77.73 करोड़ के आधिक्य एवं शेष अनुदानों में ₹ 61,672.34 की बचत के परिणामस्वरूप ₹ 61,594.61 करोड़ की निवल बचत रही।

3.1.2 बचतों और संवितरणों का सारांश

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार, प्रभारित और दत्तमत व्यय के बीच अंतर किया गया है। प्रभारित व्यय राज्य के राजस्व पर भारित ऐसा व्यय है जो संविधान के तहत विधानसभा के मत के अधीन नहीं है । दत्तमत व्यय विधानसभा के मत के अधीन है। संविधान का अनुच्छेद 202 (3) उन व्ययों की श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें राज्य की संचित निधि पर प्रभारित किया जा सकता है।

विगत पांच वर्षों (2019-24) के दौरान कुल संवितरणों का दत्तमत एवं प्रभारित में विभाजन का प्रवृति विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.2: अवधि 2019-24 के दौरान दत्तमत एवं प्रभारित संवितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
1.	2019-20	1,74,658.95	43,879.83	(-) 24,176.34	(-) 181.67
2.	2020-21	1,74,822.52	66,438.60	(-) 26,690.95	(-) 360.87
3.	2021-22	2,13,739.00	84,495.12	(-) 23,679.22	(-) 8,949.61
4.	2022-23	2,27,982.64	1,56,716.23	(-) 44,021.20	(+) 20,762.84
5.	2023-24	2,44,901.54	1,98,473.98	(-) 51,246.62	(-) 10,347.99

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

वर्ष 2019-20 में प्रभारित संवितरण ₹ 43,879.83 करोड़ से 352.31 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 1,98,473.98 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 में दत्तमत संवितरण भी ₹1,74,658.95 करोड़ से 40.22 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 2,44,901.54 करोड़ हो गया।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत बचतें ₹ 23,679.22 करोड़ एवं ₹ 51,246.62 करोड़ के मध्य रही। वर्ष 2022-23 में प्रभारित अनुभाग में ₹ 20,762.84 करोड़ के आधिक्य व्यय के विपरीत, वर्ष 2023-24 में ₹ 10,347.99 करोड़ की बचत रही।

3.1.3 बजट की सटीकता

बजट सटीकता, राजस्व एवं व्यय के बजट अनुमानों के समक्ष वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय के संबंधों की जाँच करने के बारे में है। विश्व बैंक का सार्वजनिक व्यय एवं वित्तीय जवाबदेही (पी.ई.एफ.ए) कुल व्यय परिणाम और व्यय संरचना परिणाम के सन्दर्भ में बजट विश्वसनीयता को मापता है।

समग्र बजट आउटटर्न

समग्र बजट आउटटर्न उस सीमा को मापता है जिस हद तक समग्र बजट व्यय का परिणाम/वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों के सन्दर्भ में, को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान मूल प्रावधान एवं उनके वास्तविक परिणाम से विचलन की सारीकृत स्थिति को **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.3: वर्ष 2023-24 के लिए समग्र बजट आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक आउटटर्न	वास्तविक और बीई के बीच अंतर*	बीई और आरई के बीच अंतर	वास्तविक और आरई के बीच अंतर*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(2)	(6)=(2)-(3)	(7)=(4)-(3)
राजस्व	2,66,021.56	2,74,881.72	2,47,624.24	(-) 18,397.32	8,860.16	(-) 27,257.48
पूंजीगत	1,37,525.69	2,14,770.70	1,95,751.28	(+) 58,255.59	77,245.01	(-) 19,019.42
कुल	**4,03,547.25**	**4,89,652.42**	**4,43,375.52**	**(+) 39,828.27**	**86,105.17**	**(-) 46,276.90**

* मूल प्रावधान से वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया गया है और मूल प्रावधान से वास्तविक प्रावधान में कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व भाग में, बीई की तुलना में आउटटर्न में (-) 6.92 प्रतिशत का विचलन था। यह 49 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के बीच, 12 अनुदानों में ±25 प्रतिशत से ±50 प्रतिशत के बीच, एक अनुदान में ± 50 प्रतिशत से ±100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के विचलन के कारण था। हालाँकि, राजस्व भाग की एक अनुदान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

पूंजीगत भाग में, बीई की तुलना में आउटटर्न में (+) 42.34 प्रतिशत का विचलन था। यह 12 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के बीच, 13 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, 33 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और चार अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के विचलन के कारण था। हालांकि, पूंजीगत भाग की दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं, जिनकी तुलना भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के तहत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट अनुदान और विनियोजन की राशि से की जाती है। विनियोग लेखे सकल आधार पर तैयार होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोजन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और बजट के प्रभारित और दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत सेवाओं की तुलना में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे इस प्रकार धन के उपयोग, वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को समझने में सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए ये वित्त लेखे के पूरक हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए विनियोगों की लेखापरीक्षा करता है कि क्या बजट में अंतर्निहित विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय, वास्तव में वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के भीतर है और क्या प्रभारित विनियोग संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रभारित किए जाने के लिए आवश्यक है। इसमें यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता

3.3.1 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

एसबीएम का अनुच्छेद 24.2 यह निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान, यदि किसी उद्देश्य के लिए प्रदान की गई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के दौरान किसी वस्तु या सेवा पर व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो विधानमंडल द्वारा अनुपूरक अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

राज्य विधानसभा ने वर्ष 2023-24 के लिए 64 अनुदान/विनियोगों में ₹ 1,01,422.88 करोड़ के अनुपूरक प्रावधानों (सितंबर 2023 और फरवरी 2024) की मंजूरी दी है। अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों (प्रत्येक मामले में ₹ 25.00 करोड़ या अधिक) के कुल ₹ 7,467.51 करोड़ के 32 मामले नीचे **तालिका 3.4** में दिए गए हैं ।

तालिका 3.4: ऐसे मामले जहां वर्ष 2023-24 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों से बचत
1	2	3	4	5	6=3-5
राजस्व (दत्तमत)					
1.	6-विधि एवं विधिक मामलात विभाग	1,540.71	54.30	1,524.73	15.98
2.	10-वाणिज्यिक कर विभाग	1,128.78	88.91	1,026.53	102.25
3.	16-राजस्व विभाग	1,962.96	32.61	1,670.31	292.65
4.	18-गृह विभाग	9,122.99	196.32	8,727.74	395.25
5.	20-प्रारंभिक शिक्षा विभाग	18,787.27	134.62	14,595.35	4,191.92
6.	21-माध्यमिक शिक्षा विभाग	23,526.42	55.95	22,821.44	704.98
7.	22-उच्च शिक्षा विभाग	2,027.27	75.90	1,852.68	174.59
8.	25- कला एवं संस्कृति विभाग	189.38	73.66	114.93	74.45
9.	27- चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग	9,373.80	432.60	9,248.33	125.47
10.	30-जनजाति क्षेत्र विभाग	21,319.67	837.10	18,264.75	3,054.92
11.	32-महिला एवं बाल विकास विभाग	2,636.33	53.76	2,175.89	460.44
12.	34-श्रम एवं रोजगार विभाग	1,658.02	28.34	1,577.98	80.04
13.	35-अल्पसंख्यक मामलात विभाग	190.68	76.90	186.20	4.48
14.	36-आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	5,089.99	850.92	4,103.76	986.23
15.	40-स्थानीय स्वायत शासन विभाग	6,036.51	878.03	5,111.21	925.30
16.	46-कृषि विभाग	3,616.81	45.90	3,427.97	188.84
17.	47-पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग	1,402.61	292.77	1,287.87	114.74
18.	49-गोपालन विभाग	1,833.62	47.44	1,798.62	35.00
19.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	26,928.37	1,078.54	22,540.37	4,388.00
20.	53-ग्रामीण विकास विभाग	4,389.16	395.22	2,490.26	1,898.90
21.	56-उद्योग विभाग	521.90	47.70	352.48	169.42
22.	62-परिवहन विभाग	1046.73	151.31	1,021.27	25.46
	कुल	**1,44,329.98**	**5,928.80**	**1,25,920.67**	**18,409.31**
पूंजीगत (दत्तमत)					
23.	18-गृह विभाग	277.39	50.00	84.01	193.38
24.	20-प्रारंभिक शिक्षा विभाग	198.13	237.49	95.83	102.30
25.	21-माध्यमिक शिक्षा विभाग	865.83	200.38	649.80	216.03
26.	27-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	800.60	67.55	625.36	175.24
27.	30-जनजाति क्षेत्र विभाग	7,036.71	254.65	5,051.16	1,985.55
28.	40-स्थानीय स्वायत शासन विभाग	4,336.33	58.41	2,016.32	2,320.01

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों से बचत
1	2	3	4	5	6=3-5
29.	42-जल संसाधन एवं इन्दिरा नहर परियोजना विभाग	3,192.36	61.49	2,470.16	722.20
30.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	8,204.61	223.74	5,165.91	3,038.70
31.	53-ग्रामीण विकास विभाग	737.33	335.00	606.25	131.08
32.	57- पेट्रोलियम विभाग	500.00	50.00	500.00	0.00
	कुल	**26,149.29**	**1,538.71**	**17,264.80**	**8,884.49**
	कुल योग	**1,70,479.27**	**7,467.51**	**1,43,185.47**	**27,293.80**

स्रोतः विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि इन 32 मामलों में ₹ 1,70,479.27 करोड़ के मूल अनुदान के अलावा ₹ 7,467.51 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया था जो अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय केवल ₹ 1,43,185.47 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप मूल प्रावधान के मुकाबले ₹ 27,293.80 करोड़ की बचत हुई। हालाँकि, संबंधित विभागों ने मूल प्रावधान के तहत धन की उपलब्धता के बावजूद अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के कारण प्रस्तुत नहीं किए।

यह इंगित करता है कि मूल प्रावधान की पर्याप्तता के उचित आकलन किये बिना अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए थे और जिससे वर्ष के दौरान समग्र बजटीय बचत में वृद्धि रही। इससे यह भी पता चलता है कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आवश्यकता के बिना अनुपूरक प्रावधान किए गए थे।

3.3.2 निधियों का अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई, जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है, से दूसरी इकाई को जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, निधियों का हस्तांतरण है। एसबीएम के अनुच्छेद 23.3 के अनुसार, पुनर्विनियोजन केवल तभी स्वीकार्य हैं, जब यह ज्ञात हो या प्रत्याशित हो कि विनियोजन के लिए जिस इकाई से निधियों को निकाला जाना है, वहां इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा या इसमें बचत निश्चित रूप से प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2023-24 के दौरान, 31 मार्च 2024 तक ₹ 22,805.16 करोड़ के पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए।

कई मामलों में, पुनर्विनियोजन अपर्याप्त/अत्यधिक या अनावश्यक सिद्ध हुये और जिसके परिणामस्वरूप भारी बचतें रही। पुनर्विनियोजन के बाद 29 लेखा शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक की अंतिम बचते/आधिक्य रहे ***(परिशिष्ट 3.2)***। 12 लेखा शीर्षों में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, तीन लेखा शीर्षों में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं 14 लेखा शीर्षों में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ।

उपरोक्त उदाहरण इस तथ्य को दर्शाते हैं कि बजट नियंत्रक अधिकारी आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से आंकलन करने में विफल रहे और उनके पास पुनर्विनियोजन से पूर्व व्यय के सम्बन्ध में अद्यतीत सूचना नहीं थी।

एसबीएम का अनुच्छेद 23.15.6 परिकल्पित करता है कि विभाग द्वारा प्रत्याशित आधिक्य या बचतों के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2024) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा से ज्ञात होता है कि 3,246 शीर्षों में से मात्र 1,469 प्रकरणों (45.26 प्रतिशत) में पुनर्विनियोजन आदेशों में कारणों को स्पष्ट रूप से बताया गया। शेष 1,777 प्रकरणों में, स्पष्टीकरण अस्पष्ट और गैर-विशिष्ट प्रकृति जैसे 'वास्तविक आवश्यकता पर आधारित','नवीनतम मूल्यांकन पर आधारित' और 'व्यय का प्रतिबंध' के थे।

3.3.3 अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचतें/अभ्यर्पण

राज्य बजट नियमावली का अनुच्छेद 13.7 प्रावधित करता है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करते समय गत तीन वर्षों के दौरान हुए वास्तविक व्यय और चालू वित्त वर्ष के लिए किये गए संशोधित अनुमान को ध्यान में रखना चाहिए। पिछले आंकड़ों का उपयोग व्यय में वृद्धि या कमी की किसी उल्लेखनीय प्रवृत्ति, पिछले वर्षों के दौरान कोई असाधारण विशेषता, व्यय के आवागमन में कोई विशेष नियमितता और व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकने वाली संभावित कोई विशेष घटना की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए।

वर्ष 2023-24 के दौरान, बजट आवंटन से पर्याप्त बचत के प्रकरण देखे गये, जिससे बजट प्रक्रिया और बजट अनुश्रवण की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। विनियोग लेखापरीक्षा के परिणामों में प्रकट हुआ कि वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 61,672.34 करोड़ (₹ 77.73 करोड़ की आधिक्य राशि का समायोजन किए बिना) (कुल बजट प्रावधान ₹ 5,04,970.13 करोड़ का 12.21 प्रतिशत) की कुल बचतों में से 52 अनुदानों जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचतें रही तथा इनमें संयुक्त रूप से राशि ₹ 49,812.94 करोड़ की बचतें रही, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.3*** में दिया गया है।

विभागों द्वारा उल्लेखनीय बचतों के मुख्य कारण भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं करना/कम अंश में जारी करना और कार्यों का कम होना/नहीं होना बताये गये। अन्य कारण थे:

- पदों का रिक्त रहना तथा वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होना,
- भारत सरकार से कार्य की मंजूरी/निधियों का न मिलना,
- राजस्थान सरकार से योजना की मंजूरी न मिलना,
- कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होना,
- निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति/शुरू न होना,

- केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अनुदानों की कम प्राप्ति,
- पिछली आवंटित निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना,
- बिजली कंपनियों द्वारा पूंजीगत व्यय कम करना,
- लाभार्थियों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति आदि।

यह इंगित करता है कि विभागों और इन अनुदानों के बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय के बजट अनुमान तैयार करने के दौरान व्यय के अनुमानों से संबंधित एसबीएम के अध्याय 13 के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 61,594.61 करोड़ की भारी समग्र निवल बचतें हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान 64 अनुदानों में से, राजस्व-दत्तमत अनुभाग की तीन अनुदानों में, राजस्व-प्रभारित अनुभाग की एक अनुदान में और पूंजीगत-दत्तमत अनुभाग की 24 अनुदानों में, बजट आवंटन (₹ 10 करोड़ से अधिक) का उपयोग 50 प्रतिशत से कम रहा, जो कि सुधारात्मक उपायों को शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा समीक्षा की आवश्यकता वाले मुद्दों को दर्शाती हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान 50 प्रतिशत से कम बजटीय आवंटन का उपयोग **तालिका 3.5** में दिखाया गया है।

तालिका 3.5: 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान	बजट (मू.+अनु.)	व्यय	उपयोगिता प्रतिशत
	राजस्व-दत्तमत			
1.	5-लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड	113.82	39.80	34.97
2.	25-कला एवं संस्कृति विभाग	263.04	114.93	43.69
3.	50-सहकारिता विभाग	2,798.15	1,208.66	43.19
	राजस्व प्रभारित			
4.	15-पेंशन	20.00	3.34	16.70
	पूंजीगत-दत्तमत			
5.	6- विधि एवं विधिक मामलात विभाग	349.43	119.51	34.20
6.	8- सचिवालय	120.98	9.20	7.60
7.	11-पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	24.19	7.50	31.00
8.	12-आबकारी विभाग	25.00	0.50	2.00
9.	14- राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	129.79	51.75	39.87
10.	16- राजस्व विभाग	74.74	12.28	16.43
11.	17-सामान्य प्रशासनिक विभाग	206.10	80.84	39.22
12.	18- गृह विभाग	327.39	84.01	25.66
13.	20-प्रारंभिक शिक्षा विभाग	435.62	95.83	22.00
14.	25-कला एवं संस्कृति विभाग	16.81	2.40	14.28
15.	28-चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,562.94	535.71	34.28
16.	34-श्रम एवं रोजगार विभाग	136.07	65.33	48.01
17.	35- अल्पसंख्यक मामलात विभाग	319.42	134.25	42.03
18.	37- देवस्थान विभाग	22.00	0.15	0.68
19.	38-सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	14.23	1.49	10.47
20	39-नगरीय विकास एवं आवास विभाग	253.42	13.54	5.34
21.	40-स्थानीय स्वायत शासन विभाग	4,394.74	2,016.32	45.88
22.	48-उद्यानिकी विभाग	40.35	3.85	9.54
23.	50-सहकारिता विभाग	18.72	2.93	15.65
24.	54-ऊर्जा विभाग	1,189.55	531.94	44.72
25.	56-उद्योग विभाग	16.61	4.04	24.32
26.	58-खान विभाग	10.50	4.52	43.05

क्र. स.	अनुदान	बजट (मू.+अनु.)	व्यय	उपयोगिता प्रतिशत
27.	60-सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	726.18	286.23	39.42
28.	62-परिवहन विभाग	156.05	75.57	48.43

स्रोतः विनियोग लेखे एवं बजट दस्तावेज

कम उपयोग से इन क्षेत्रों पर कम ध्यान देने के साथ-साथ दोषपूर्ण बजट निर्माण प्रक्रिया की खामियों को इंगित करते हैं।

प्रत्याशित बचतों का अनभ्यर्पण

एसबीएम के अनुच्छेद 23.16 के अनुसार, जिन अनुदानों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए और बजट नियंत्रण अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रत्याशित बचतें जैसे ही दर्शित हो तो उन्हें वर्ष समाप्ति का इंतजार किए बिना तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर देना चाहिए जब तक कि वे उसी अनुदान के अंतर्गत अन्य इकाइयों के तहत हुए आधिक्यों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक ना हो। उनके द्वारा भविष्य के संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिए कोई भी बचत आरक्षित नहीं रखी जा सकती है।

कुल बचत ₹ 61,672.34 करोड़ के समक्ष ₹ 61,560.69 करोड़ की राशि समर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 111.65 करोड़ की राशि अनभ्यर्पित रही। हालाँकि, विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 611.36 करोड़ अनभ्यर्पित राशि थी। जो अन्य अनुदानों/विनियोगों की बचतों के विरुद्ध ₹ 499.71 करोड़ के अधिक अभ्यर्पण से समायोजित हुई और इस प्रकार वर्ष के अंत में ₹ 111.65 करोड़ की राशि अनभ्यर्पित रही।

19 अनुदानों/विनियोगों के 21 मामलों में (जहां बचतें एक करोड़ और उससे अधिक थी) ₹ 28,205.79 करोड़ की समग्र बचतों के साथ अनभ्यर्पित बचतों (₹ 605.96 करोड़) की राशि का विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** में दिया गया है। शीघ्र अभ्यर्पण से संसाधनों की कमी वाले अन्य क्षेत्रों में संसाधनों का अधिक लाभदायक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता था।

यह इंगित करता है कि विभागों ने आवश्यकताओं का यथार्थवादी आंकलन नहीं किया और मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहे।

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत धनराशि के अधिक अभ्यर्पण का विवरण

₹ 499.71 करोड़ के अधिक अभ्यर्पण में से छह अनुदानों/विनियोजन से संबंधित अधिक अभ्यर्पण (एक करोड़ रुपये से अधिक) के प्रमुख मामले, जहां ₹ 497.13 करोड़ की राशि का बचत से अधिक अभ्यर्पण किया गया था, **तालिका 3.6** में दिए गए हैः

तालिका 3.6: ऐसे मामले जहां बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित की गई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
1	4-लोक ऋण का पुनर्भुगतान (पूंजीगत प्रभारित)	93,765.82	80,107.03	1,73,872.85	1,63,998.58	(-)9,874.27	9,877.54	3.27
2.	15-पेंशन (राजस्व- दत्तमत)	26,051.60	1,182.96	27,234.56	27,199.97	(-)34.59	486.49	451.90
3.	18-गृह विभाग (राजस्व- दत्तमत)	9,122.99	196.33	9,319.32	8,727.74	(-)591.58	594.98	3.40
4.	31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (राजस्व-दत्तमत)	7,778.80	1,162.86	8,941.66	8,042.40	(-)899.26	930.29	31.03
5.	31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (पूंजीगत - दत्तमत)	137.33	60.23	197.56	174.84	(-)22.72	28.77	6.05
6.	41-जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (राजस्व- दत्तमत)	4,828.25	228.15	5,056.40	5,009.43	(-)46.97	48.45	1.48
	योग	**1,41,684.79**	**82,937.56**	**2,24,622.35**	**2,13,152.96**	**(-)11,469.39**	**11,966.52**	**497.13**

स्रोतः विनियोग लेखे

विभागों ने वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण के संबंध में कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये (सितम्बर 2024)।

इन पांच अनुदानों और एक विनियोग में वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को इंगित करता है।

निरन्तर बचतें

जन लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 76वीं रिपोर्ट (15वीं विधानसभा) में सिफारिश की थी कि क्रमिक वर्षों में निरंतर बचतें बिना आवश्यकता के बजट के अधिक अनुमान और उचित अनुश्रवण की कमी को इंगित करती है। अतः विभागों को भविष्य में बजट अनुमानों को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इन सिफारिशों के बावजूद वर्ष 2023-24 के दौरान निरंतर बचतों की प्रवृति बनी रही। निरंतर बचतों से तात्पर्य पिछले तीन वर्षों में बजट मद में प्रावधान के विरुद्ध ₹ 100 करोड़ या अधिक की निरंतर बचत से है।

गत तीन वर्षो के दौरान, नौ अनुदानों के नौ मामलों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें थी जो कि कुल प्रावधान के 6.43 प्रतिशत से 63.94 प्रतिशत के मध्य रही जिनका विवरण **तालिका 3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7: विभिन्न अनुदानों के तहत निरंतर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत						
1.	8-राजस्व	2021-22	922.28	793.48	128.80	13.97
		2022-23	1,068.94	850.68	218.25	20.42
	16-राजस्व विभाग	2023-24	1,995.57	1,670.31	325.26	16.30

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2.	9-वन	2021-22	1,000.92	811.84	189.08	18.89
		2022-23	1,006.01	882.34	123.67	12.29
	45-वन एवं पर्यावरण विभाग	2023-24	1,118.67	974.79	143.88	12.86
3	23-श्रम एवं रोजगार	2021-22	1,409.03	1,072.41	326.62	23.18
		2022-23	1,610.23	1,360.77	249.46	15.49
	34- श्रम एवं पर्यावरण विभाग	2023-24	1,686.36	1,577.98	108.38	6.43
4.	29-नगरीय आयोजना और प्रादेशिक विकास	2021-22	6,034.41	5,154.35	880.06	14.58
		2022-23	5,960.43	5,092.19	868.24	14.57
	40-स्थानीय स्वायत शासन विभाग	2023-24	6,914.54	5,111.21	1,803.33	26.08
5.	37-कृषि	2021-22	4,156.18	3,729.06	427.12	10.28
		2022-23	4,785.44	3,571.63	1,213.81	25.36
	46-कृषि विभाग	2023-24	3,662.70	3,427.97	234.73	6.41
6.	41-सामुदायिक विकास	2021-22	9,241.37	7,288.17	1,953.21	21.14
		2022-23	9,909.98	6,054.43	3,855.55	38.91
	53-ग्रामीण विकास विभाग	2023-24	4,784.38	2,490.26	2,294.12	47.95
पूंजीगत-दत्तमत						
7.	27-पेयजल योजना	2021-22	4,361.16	3,471.05	890.11	20.41
		2022-23	4,616.98	1,664.70	2,952.28	63.94
	41-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	2023-24	3,665.00	2,148.73	1,516.27	41.37
8.	30-जनजातीय क्षेत्रीय विकास	2021-22	3,850.52	3,192.95	667.86	17.34
		2022-23	6,354.62	3,669.72	2,684.89	42.25
		2023-24	7,291.36	5,051.16	2,240.20	30.72
9.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2021-22	4,864.22	4,028.65	835.57	17.18
		2022-23	7,172.68	4,026.70	3,145.98	43.86
		2023-24	8,428.35	5,165.91	3,262.44	38.71

स्रोतः विनियोग लेखे

संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत कारणों के अनुसार, लगातार बचत मुख्य रूप से भारत सरकार/राजस्थान सरकार का अंशदान/निधि के कम/जारी नहीं होना थे। अन्य कारणों में धनराशि का कम हस्तांतरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना, विभिन्न योजनाओं के तहत कम स्वीकृति जारी होना, निर्माण कार्य शुरू न होना और काम की धीमी प्रगति आदि शामिल थे।

अवधि के दौरान निरंतर बचतें, संभावित व्यय के अवास्तविक अनुमानों, व्यय पर कमज़ोर नियंत्रण और अपर्याप्त वित्तीय अनुश्रवण को इंगित करती है।

3.3.4 वर्ष 2023-24 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य का नियमितीकरण

वर्ष 2023-24 में राज्य की समेकित निधि से अधिकृत दो अनुदानों के तहत प्रावधान से अधिक राशि ₹ 77.73 करोड़ का सारांश और संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत जिसका नियमितीकरण आवश्यक है, जैसा कि **तालिका 3.8** में नीचे दिखाया गया है।

तालिका 3.8: वर्ष 2023-24 के दौरान प्रावधानों से अधिक के नियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	कुल विनियोग	व्यय	आधिक्य
राजस्व प्रभारित				
1.	22-उच्च शिक्षा विभाग	10.00	11.32	1.32
पूंजीगत दत्तमत				
2.	44-लोक निर्माण विभाग	7,642.53	7,718.94	76.41
	कुल योग	**7,652.53**	**7,730.26**	**77.73**

स्रोतः विनियोग लेखे

एसबीएम के अनुच्छेद 23.15.6 के अनुसार, प्रत्याशित आधिक्य या बचत के कारणों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए। लोक निर्माण विभाग ने "44-लोक निर्माण विभाग" अनुदान के तहत ₹ 76.41 करोड़ के अधिक व्यय के लिए बताया कि मुख्य रूप से सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क कार्यों के लिए ₹ 91.68 करोड़ के व्यय की अधिक बुकिंग के कारण था। बोर्ड ने सूचित किया कि ये कार्य भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निष्पादित किए जाते हैं और व्यय वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद बजट प्रावधान उपलब्ध कराए बिना बुक किया जाता है। हालाँकि, उच्च शिक्षा विभाग ने "अनुदान 22-उच्च शिक्षा विभाग" के तहत प्राधिकृत से अधिक ₹ 1.32 करोड़ के आधिक्य व्यय के कारण प्रस्तुत नहीं किए।

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

3.4.1 बजट अनुमान तथा प्रत्याशा एवं वास्तविक व्यय के मध्य अंतर

वर्ष 2023-24 के दौरान 64 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति **तालिका 3.9** में दी गई है।

तालिका 3.9: मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान /विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय*	शुद्ध बचत (-)/ आधिक्य (+)	मार्च में अभ्यर्पित	
							राशि	बचत (-) आधिक्य (+) के विरुद्ध प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	2,33,329.23	15,058.85	**2,48,388.08**	2,13,150.56	**(-) 35,237.52**	35,171.06	99.81
	II. पूंजीगत	43,614.35	3,695.65	**47,310.00**	31,352.77	**(-) 15,957.23**	15,904.20	99.67
	III ऋण और अग्रिम	145.52	304.56	**450.08**	398.21	**(-) 51.87**	154.10	297.09
कुल		**2,77,089.10**	**19,059.06**	**2,96,148.16**	**2,44,901.54**	**(-) 51,246.62**	**51,229.36**	**99.97**
प्रभारित	IV. राजस्व	32,692.33	2,255.00	**34,947.33**	34,473.68	**(-) 473.65**	453.73	95.79
	V. पूंजीगत	0.00	1.79	**1.79**	1.72	**(-) 0.07**	0.06	100.00
	VI. लोक ऋण-पुनर्भुगतान	93,765.82	80,107.03	**1,73,872.85**	1,63,998.58	**(-) 9,874.27**	9,877.54	100.03
कुल		**1,26,458.15**	**82,363.82**	**2,08,821.97**	**1,98,473.98**	**(-) 10,347.99**	**10,331.33**	**99.84**

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान /विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल बजट	वास्तविक व्यय*	शुद्ध बचत (-)/ आधिक्य (+)	मार्च में अभ्यर्पित	
							राशि	बचत (-) आधिक्य) (+ के विरुद्ध प्रतिशत
आकस्मिकता निधि का विनियोजन (यदि कोई हो)	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग		4,03,547.25	1,01,422.88	5,04,970.13	4,43,375.52	(-) 61,594.61	61,560.69	99.94

स्रोतः विनियोग लेखे एवं बजट दस्तावेज

* *वास्तविक व्यय के आंकड़ों में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियां सम्मिलित हैं (राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत वसुलियाँ: ₹ 5,393.36 करोड़ तथा पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत वसुलियाँ: ₹ 4,708.77 करोड़, कुल: ₹ 10,102.13 करोड़) ।*

उपरोक्त तालिका दत्तमत अनुभाग में ₹ 51,246.62 करोड़ की बचत और प्रभारित अनुभाग में ₹ 10,347.99 करोड़ की बचत दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 61,594.61 करोड़ की शुद्ध बचत हुई। राजस्व अनुभाग के तहत 63 अनुदानों तथा पूंजीगत अनुभाग के तहत 62 अनुदानों में कुल मिलाकर ₹ 61,672.34 करोड़ की समग्र बचत हुई, जो पूंजीगत अनुभाग एवं राजस्व अनुभाग में प्रत्येक में एक अनुदान के तहत ₹ 77.73 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसादित हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 61,594.61 करोड़ की शुद्ध बचत रही। वर्ष के दौरान ₹ 1,01,422.88 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त हुआ जो मूल प्रावधान का 25.13 प्रतिशत था । सभी अनुदानों के अंतर्गत अंतिम बचत वर्ष के दौरान प्राप्त अनुपूरक बजट का 60.73 प्रतिशत थी । यह इंगित करता है कि अनुपूरक प्रावधान आवश्यकताओं की उचित संवीक्षा के बिना लिए गए थे, जैसा कि **अनुच्छेद 3.3.1** में उल्लेखित है।

बजट अनुमानों की विश्वसनीयता

राज्य का बजट संस्थाओं के तीन समूह प्रदान करता हैः (i) बजट अनुमानः आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान, (ii) संशोधित अनुमानः वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान में संशोधन, और (iii) वास्तविक व्ययः गत वर्ष की अंतिम लेखापरीक्षित राशि। राज्य विधानमंडल बजट अनुमानों के आधार पर आगामी वर्ष के लिए बजट को मंजूरी देता है। संशोधित अनुमान वर्तमान वर्ष में सरकार के वित्त का अधिक यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करते हैं क्योंकि वे उस वर्ष में पहले से ही दर्ज किए गए वास्तविक लेनदेन के संदर्भ में बनाए गए हैं। वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान से कम या अधिक हो सकते हैं और यह तुलना प्रस्तावित बजट की विश्वसनीयता को समझने में मदद करती है।

वर्ष 2019-2024 के पांच वर्षों की अवधि के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय की समग्र स्थिति **तालिका 3.10** में विस्तृत की गई हैः

तालिका 3.10: वर्ष 2019-24 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.स.		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	मूल बजट	2,39,959.67	2,32,058.98	2,58,083.86	3,55,222.83	4,03,547.25
2.	अनुपूरक बजट	2,937.12	36,253.96	72,779.09	52,734.39	1,01,422.88
3.	कुल बजट (टीबी)	2,42,896.79	2,68,312.94	3,30,862.95	4,07,957.22	5,04,970.13
4.	संशोधित अनुमान (आरई)	2,31,844.56	2,54,390.10	3,25,930.77	3,91,286.54	4,89,652.42
5.	वास्तविक व्यय (एई)	2,18,538.79	2,41,261.12	2,98,234.12	3,84,698.86	4,43,375.52
6.	**बचत**	**24,358.00**	**27,051.82**	**32,628.83**	**23,258.36**	**61,594.61**
7.	मूल बजट से अनुपूरक का प्रतिशत	*1.22*	*15.62*	*28.20*	*14.85*	*25.13*
8.	समग्र बचत का कुल प्रावधान से प्रतिशत	*10.03*	*10.08*	*9.86*	*5.70*	*12.20*
9.	टीबी-आरई	11,052.23	13,922.84	4,932.18	16,670.68	15,317.71
10.	आरई-एई	13,305.77	13,128.98	27,696.65	6,587.67	46,276.90
11.	(टीबी-आरई) टीबी के % के रूप में	*4.55*	*5.19*	*1.49*	*4.09*	*3.03*
12.	(आरई-एई) टीबी के % के रूप में	*5.48*	*4.89*	*8.37*	*1.61*	*9.16*

स्रोतः वार्षिक वित्त विवरण और विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019-2024 की अवधि के दौरान अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधानों के मुकाबले 1.22 प्रतिशत से 28.20 प्रतिशत तक रहे। यह वर्ष 2021-22 में 28.20 प्रतिशत था और वर्ष 2023-24 में घटकर 25.13 प्रतिशत रह गए।

चार्ट 3.3: बीई, आरई और वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति

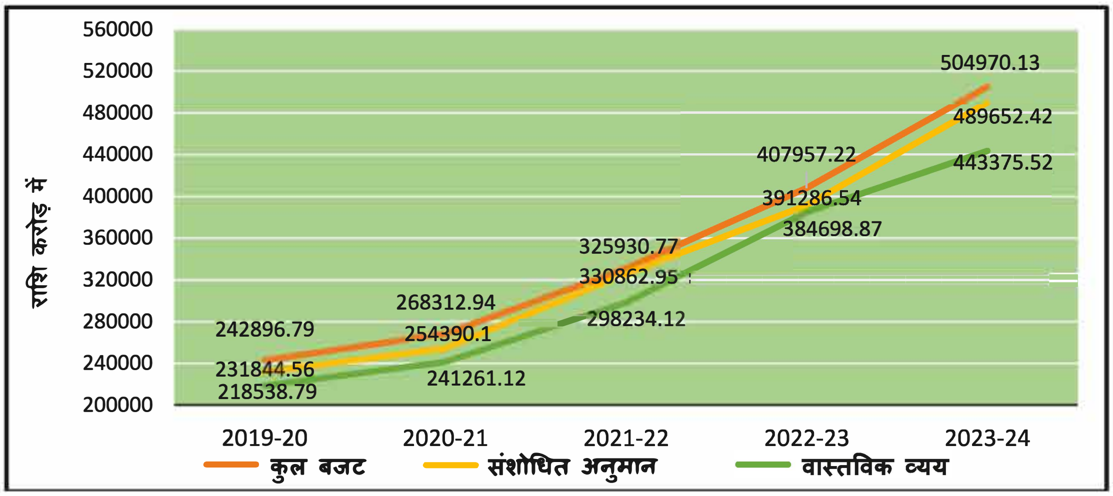

उपरोक्त तालिका और चार्ट से पता चलता है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक, संशोधित अनुमान (आरई) हमेशा राज्य के कुल बजट (टीबी) से कम थे। आरई और टीबी के बीच का अंतर वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 16,670.68 करोड़ से घटकर वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 15,317.71 करोड़ रह गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिशतता में अंतर 6 प्रतिशत से कम था, हालाँकि, 2022-23 में आरई कुल बजट से 4.09 प्रतिशत कम था, जो 2023-24 में घटकर 3.03 प्रतिशत रह गया।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-24 की अवधि में, संशोधित अनुमान (आरई) हमेशा राज्य के वास्तविक व्यय (एई) से अधिक था। आरई और एई के बीच का अंतर वर्ष 2021-22 में ₹ 27,696.65 करोड़ से कम होकर वर्ष 2022-23 में ₹ 6,587.67 करोड़ रह गया, लेकिन वर्ष 2023-24 में यह वापस बढ़कर ₹ 46,276.90 करोड़ हो गया। प्रतिशतता के संदर्भ में, एई वर्ष 2022-23 में आरई से 1.61 प्रतिशत कम था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 9.16 प्रतिशत हो गया।

यह दर्शाता है कि वर्ष 2019-24 के दौरान, बजटीय आवंटन गलत प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान हमेशा बढ़ाए गए थे और वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम थे। ऐसे में, वर्ष 2019-20 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया, जबकि वर्ष 2020-2024 की अवधि में अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक थे।

महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों से 1,801 उप-शीर्षों में व्यय में भिन्नता अर्थात बचत/आधिक्य पर स्पष्टीकरण मांगा। हालाँकि, 768 उप-शीर्षों (बचतः 610 और आधिक्यः 158) के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2024)।

चार्ट 3.4: विनियोग लेखों में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण का सारांश

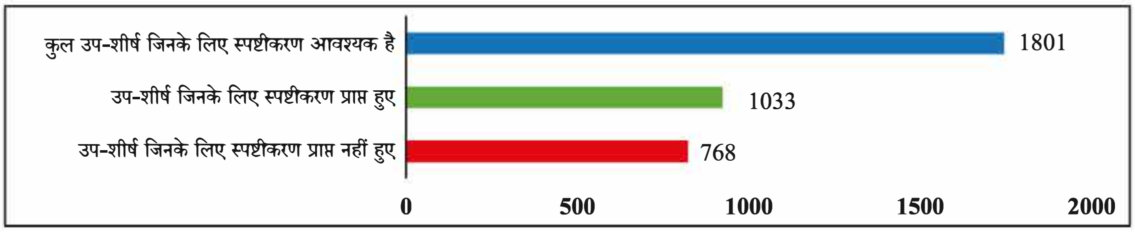

बजट आवंटन और उनके उपयोग के बीच भिन्नता के स्पष्टीकरणों का अभाव सरकार की वित्तीय जवाबदेयता सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

3.4.2 प्रमुख योजनाओं का गैर क्रियान्वयन तथा प्रमुख नीतिगत घोषणाओं की स्थिति

विनियोग लेखो की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए बजट प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे। वर्ष 2023-24 के दौरान, 413 योजनाओं/शीर्षों के तहत कुल प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) ₹ 10,323.77 करोड़ (मूल बजट का 2.56 प्रतिशत) अप्रयुक्त रह गए। विवरण ***परिशिष्ट 3.5*** में दिया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रयुक्त बजट प्रावधानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राज्य सरकार ने संशोधित अनुमानों में 148 योजनाओं के बजट प्रावधानों को वापस ले लिया और संशोधित अनुमान में 31 योजनाओं में टोकन बजट प्रावधान किए गए। यह इंगित करता है कि इन योजनाओं/शीर्षों के लिए प्रावधान वित्तीय आवश्यकताओं और विभागों की जरुरत के उचित मूल्यांकन के बिना किए गए थे।

इस संबंध में विभागों द्वारा दिए गए विभिन्न कारणों में निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलना, योजना की स्वीकृति नहीं मिलना, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करना, कार्य का निष्पादन न होना, भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होना, योजना प्रारम्भ न होना, आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कुछ मामलों में पिछले तीन वर्षों में लगातार अनावश्यक प्रावधान किए जा रहे थे, लेकिन उन्हें संबंधित विभाग द्वारा अनुदान की मांगों से हटाया नहीं गया, जैसाकि एसबीएम द्वारा अनिवार्य किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में सम्पूर्ण प्रावधानों को अभ्यर्पित किया गया । ऐसे मामलों को ***परिशिष्ट 3.6*** में सूचीबद्ध किया गया है।

- ***वर्तमान एवं पिछले वित्तीय वर्षो के बजट भाषण में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन में कमी***

फरवरी 2023 में वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते समय, राज्य सरकार ने कई योजनाओं/नीतियों की घोषणा की थी। संबंधित विभागों ने इनमें से कुछ प्रमुख नीतिगत पहलों पर वर्तमान प्रगति की जानकारी (जून-सितंबर 2024) दी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन परियोजनाओं/नीतिगत पहलों पर सीमित या कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके अलावा, पिछले वित्तीय वर्षों में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं के संबंध में संबंधित विभागों से प्राप्त प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया कि पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट 3.7*** में दिया गया है।

पिछले और वर्तमान वर्षों के बजट भाषण की प्रमुख घोषणाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव बजट भाषण के दौरान घोषित पहलों के अनुश्रवण और अनुपालन में कमी का संकेत है।

3.4.3 व्यय का प्रवाह

व्यय की एक समान गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण घटक है। एसबीएम के अनुसार, राज्य की संभावित नकद शेष की स्थिति के पूर्वानुमान तैयार करने में वित्त विभाग की सहायता के लिए, सभी बजट नियंत्रक अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट तारीखों के अनुसार हर माह राजस्व और व्यय का अनुमानित प्रवाह दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है । वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता से बचा जाना चाहिए । वित्त सचिव, राजस्थान सरकार ने निर्देशित किया (अगस्त 2023) कि व्यय के प्रवाह को इस प्रकार बनाए रखा जाए कि दिसंबर के अंत तक व्यय कुल व्यय का 90 प्रतिशत व्यय हो जाए, इसके अभाव में नियंत्रक अधिकारी/ डीडीओ उत्तरदायी होंगे ।

वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल व्यय (₹ 4,33,273.39 करोड़) का 32.30 प्रतिशत (₹ 1,39,951.20 करोड़) व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान व्यय की एक समान गति को बनाए नहीं रखा जा सका था । यद्यपि, यह भी देखा गया कि कुल प्राप्तियों

(₹ 4,25,961.60 करोड़) में से 33.00 प्रतिशत (₹ 1,40,571.47 करोड़) अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुई। तथापि, गत वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही में किए गए व्यय में 6.27 प्रतिशत (₹ 8,254.06 करोड़) की वृद्धि हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 23 अनुदानों के 78 उप-शीर्षों (जहां अंतिम तिमाही के दौरान व्यय ₹ 50 करोड़ से अधिक और कुल व्यय का 50 प्रतिशत से भी अधिक था) के अंतर्गत, कुल व्यय ₹ 21,947.57 करोड़ वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय किए गए जो कुल व्यय (₹ 30,153.20 करोड़) का 72.78 प्रतिशत था और ₹ 16,714.10 करोड़ (55.43 प्रतिशत) केवल मार्च 2024 में व्यय किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.8*** में वर्णित है।

वर्ष 2023-24 के दौरान सरकारी खजाने में प्राप्तियों और संविरणों का मासिक प्रवाह निम्नलिखित **चार्ट 3.5** में दिया गया है।

चार्ट 3.5: वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्तियों और संवितरणों का मासिक प्रवाह

(₹ करोड़ में)

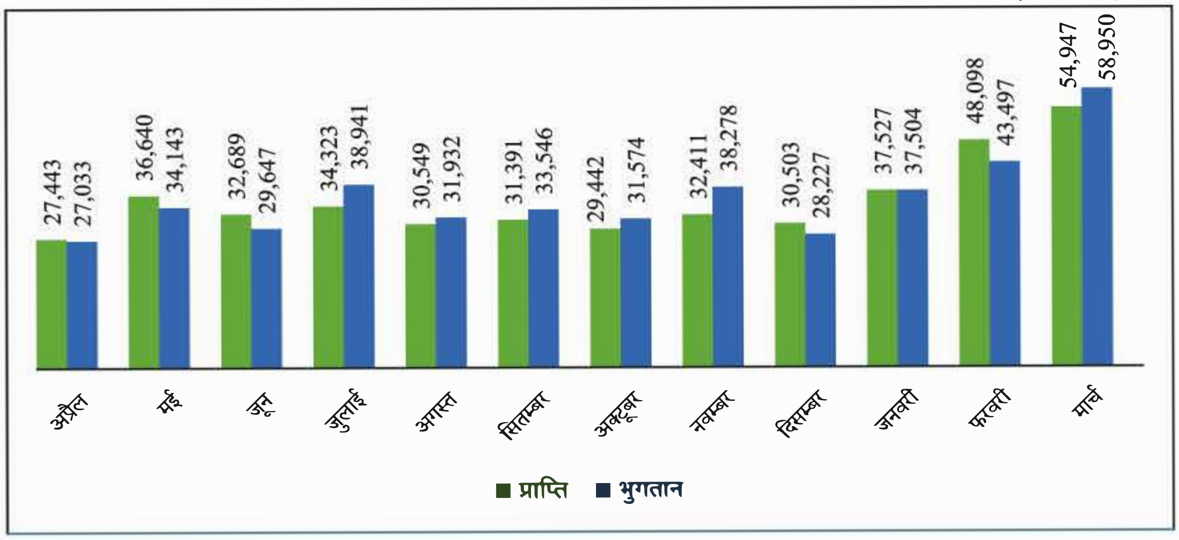

स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हक़) कार्यालय द्वारा प्रदत सूचना

चार्ट से पता चलता है कि वर्ष की पूर्व तिमाहियों (राशि) की तुलना में अंतिम तिमाही में व्यय (राशि) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय के स्वरुप से पता चला कि राज्य सरकार ने केवल मार्च महीने में ₹ 58,950.02 करोड़ का व्यय किया, जो कुल व्यय ₹ 4,33,273.39 करोड़ का लगभग 13.61 प्रतिशत था।

अगस्त 2023 के परिपत्र के अनुसार सभी बजट नियंत्रक अधिकारियों/विभागों को निर्देश दिए गए थे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्रावधान के विरुद्ध व्यय का निर्धारित प्रतिशत वर्ष की पहली तिमाही के अंत में 30 प्रतिशत, दूसरी तिमाही के अंत में 60 प्रतिशत और तीसरी तिमाही के अंत में 90 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए।

उन 11 प्रमुख शीर्षों का विवरण नीचे **तालिका 3.11** में प्रदान किया गया है, जिनमें मार्च महीने के दौरान किया गया व्यय, कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था।

तालिका 3.11: वर्ष 2023-24 के दौरान मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले मुख्य शीर्ष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चतुर्थ तिमाही में व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च माह में व्यय
1.	2075	विविध सामान्य सेवाएँ	2.87	2.97	1.70	910.07	917.61	908.47	99.18	99.00
2.	3054	सड़कें और पुल	(-) 7.61	408.21	120.07	3,912.90	4,433.57	3,822.23	88.26	86.21
3.	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	23.13	50.08	22.27	221.13	316.61	174.78	69.84	55.20
4.	4220	सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.53	0.14	1.94	2.61	1.51	74.33	57.85
5.	4236	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	15.24	1.73	17.68	34.65	17.68	51.02	51.02
6.	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	3.12	3.12	3.12	100.00	100.00
7.	4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	15.50	50.99	(-) 12.92	38.80	92.37	38.80	42.00	42.00
8.	4885	उद्योग तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.12	5.13	5.25	4.87	97.71	92.76
9.	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	19.97	23.55	79.52	285.18	408.22	249.26	69.86	61.06
10.	6408	खाद्य भंडारण और भंडागार के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	5.97	5.97	5.97	100.00	100.00
11.	6425	सहकारिता के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	100.00	100.00
		कुल	**53.86**	**551.57**	**212.63**	**5,402.42**	**6,220.48**	**5,227.19**		

स्रोत : कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा प्रदत सूचना।

वर्ष के अंतिम महीने में किया गया प्रचुर व्यय, व्यय पर कमजोर आंतरिक नियंत्रण और विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारियों के स्तर पर बजटीय नियंत्रण/प्रबंधन की कमी को दर्शाता है।

3.4.4 जेंडर अनुकूल बजट

राज्य का जेंडर बजट समग्र बजट का हिस्सा है और इसे महिलाओं के कल्याण के लिए तैयार किया जाता है। जेंडर बजट सरकारी बजट में लैंगिक विश्लेषण को एकीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। राज्य में जेंडर बजटिंग को राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है, जिसके तहत निर्दिष्ट विभागों के बजट नियंत्रक अधिकारियों को वार्षिक जेंडर बजट विवरण तैयार करने के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी किये गए बजट परिपत्र में दिए गए प्रारूपों में जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

राज्य सरकार ने जेंडर बजट विवरण तैयार करने के लिए महिला अधिकारिता विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया है। जेंडर बजट में सम्मिलित योजनाओं की श्रेणियां नीचे दी गई हैं:

अ	ऐसी योजनाएं जिनके अंतर्गत महिलाओं पर लक्षित व्यय 70 प्रतिशत से अधिक है।
ब	योजनाएं जिनके तहत महिलाओं पर लक्षित व्यय 70 प्रतिशत से कम है ।

वर्ष 2023-24 के दौरान, जेंडर बजट में 478 योजनाएँ/कार्यक्रम थे जिनमें 100 '**अ**' श्रेणी की योजनाएँ और 378 '**ब**' श्रेणी की योजनाएँ थी। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में जेंडर बजट के लिए ₹ 38,679.43 करोड़ आवंटित किए, जो वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रावधान (₹ 33,745.11 करोड़) से 15 प्रतिशत अधिक है। राज्य के कुल बजट[2] में जेंडर बजट का हिस्सा 7.66 प्रतिशत है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान जेंडर बजट के तहत धन का आवंटन और व्यय नीचे **तालिका 3.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12: जेंडर बजटिंग की बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय की वर्ष-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	जेंडर बजट में शामिल योजनाओं में कुल बजट प्रावधान	जेंडर बजट की ऐसी योजनाओं में महिलाओं के लिए प्रावधान	योजनाओं में वास्तविक व्यय	व्यय का *प्रतिशत*
1.	2019-20	37,415.03	18,928.78	15,700.39	82.94
2.	2020-21	28,595.68	14,481.66	15,202.61	104.98
3.	2021-22	35,730.36	18,198.64	18,155.67	99.77
4.	2022-23	69,851.91	33,745.11	28,630.92*	84.84
5.	2023-24	76,614.07	38,679.43	33,812.88	87.42

स्रोतः बजट दस्तावेज़ और विभाग के प्रतिउत्तर

* व्यय 455 योजनाओं से संबंधित है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20, 2022-23 और 2023-24 के दौरान राज्य सरकार बजट आवंटन का 12 से 17 प्रतिशत तक उपयोग करने में असमर्थ रही ।

आगे की जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान, 12 विभागों द्वारा श्रेणी ए के तहत ₹161.66 करोड़ के बजट आवंटन के बावजूद 27 योजनाओं में और 29 विभागों द्वारा श्रेणी बी के तहत ₹ 952.92 करोड़ के बजट आवंटन के बावजूद 65 योजनाओं में शून्य व्यय किया गया है । जेंडर बजट के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं में बजट आवंटन के बावजूद शून्य व्यय का विवरण ***परिशिष्ट 3.9*** में दिया गया है । लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं में टोकन प्रावधान किया तथा प्रावधान में वृद्धि किये बिना ही सम्पूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया।

यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने राज्य बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ₹ 256.51 करोड़ का प्रावधान किया, लेकिन संशोधित अनुमान में इसे कम कर दिया या शून्य कर दिया। ऐसी योजनाओं का विवरण ***परिशिष्ट 3.10*** में दिया गया है।

2. ₹ 5,04,970.13 करोड़

यह संबंधित विभागों/राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन की कमी के साथ-साथ राज्य में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए योजनाओं के अनुश्रवण में नोडल विभाग की विफलता को दर्शाता है ।

3.4.5 चाइल्ड बजट

चाइल्ड बजट एक वित्तीय वर्ष के समग्र बजट से बाल केंद्रित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों पर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।

राज्य सरकार ने चाइल्ड बजट विवरण तैयार करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया है । राज्य में पहला चाइल्ड बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत किया गया था।

वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने चाइल्ड बजट के लिए ₹ 39,693.08 करोड़ आवंटित किए, जो वर्ष 2022-23[3] की तुलना में 20.11 प्रतिशत अधिक था । चाइल्ड बजट वर्ष 2023-24 के कुल राज्य बजट[4] का 7.86 प्रतिशत था । वर्ष 2023-24 के दौरान चाइल्ड बजट के लिए आवंटित धनराशि की मात्रा और इसके विरुद्ध व्यय नीचे **तालिका 3.13** में दिया गया है:

तालिका 3.13: वर्ष 2023-24 के दौरान चाइल्ड बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

	बजट प्रावधान	व्यय	बीई का प्रतिशत उपयोग
चाइल्ड बजट	39,693.08	28,322.73	71.35

स्रोतः वर्ष 2023-24 के बजट एवं विनियोग लेखा के अनुसार

वर्ष 2023-24 के दौरान, चाइल्ड बजट में 17 विभागों की 167 योजनाएँ/कार्यक्रम शामिल थे । इन योजनाओं के लिए ₹ 39,693.08 करोड़ के बजट प्रावधान के समक्ष 71.35 प्रतिशत बजट का उपयोग किया गया । आगे के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 167 योजनाओं में से 17 में ₹ 1,787.01 करोड़ के बजट प्रावधान के बावजूद विभिन्न विभागों[5] द्वारा मात्र ₹ 245.62 करोड़ का उपयोग किया गया। जबकि 10 मामलों में शून्य व्यय हुआ, शेष योजनाओं में उपयोग 5.87 से 23.12 प्रतिशत के बीच रहा। ऐसी योजनाओं का विवरण ***परिशिष्ट 3.11*** में दिया गया है।

निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण ने सूचित किया (जुलाई 2024) कि समय पर बजट की अनुपलब्धता और लाभार्थियों द्वारा आवेदन में देरी के कारण शुभ लक्ष्मी योजना के तहत व्यय कम हुआ। विभिन्न विभागों/इकाइयों के अंतर्गत अन्य योजनाओं में कम/शून्य व्यय के कारण अपेक्षित है (नवम्बर 2024)।

3. ₹ 33,046.08 करोड़
4. ₹ 5,04,970.13 करोड़ (विनियोग लेखे)
5. अल्पसंख्यक विभाग,बाल अधिकारिता विभाग,परिवार कल्याण विभाग,प्रारंभिक शिक्षा विभाग,माध्यमिक शिक्षा विभाग,एकीकृत बाल विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कम/शून्य व्यय महिला एवं बाल विकास विभाग (नोडल विभाग) द्वारा उचित अनुश्रवण की कमी और योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति के संबंध में कार्यान्वयन विभागों की ओर से लापरवाही को दर्शाता है।

3.4.6 चयनित अनुदानों की समीक्षा

विस्तृत विश्लेषण के लिए अनुदान संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा अनुदान संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास का चयन विगत तीन वर्षों के बजट अनुमान के विरुद्ध किये गए व्यय के आधार पर किया गया था। इस विश्लेषण में बजट और व्यय, संशोधित अनुमानों के संबंध में प्राप्तियां, पुनर्विनियोजन के बाद आधिक्य व्यय, अभ्यर्पण, अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान, प्रावधानों का अप्रयुक्त रहना और इन अनुदानों के तहत निरंतर बचतों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

अनुदान संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफ़ाई

अनुदान 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई में वर्ष 2022-23 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी विभागों से संबंधित व्यय शामिल थे। राज्य बजट 2023-24 के बाद से, इस अनुदान को तीन अनुदानों में विभाजित किया गया है अर्थात् अनुदान 27-चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, अनुदान 28-चिकित्सा शिक्षा विभाग और अनुदान 29-आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा विभाग।

अनुदान 27-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सरकार का परम कर्तव्य एवं उद्देश्य अपने नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस कार्य को पूरा करने के लिए चिकित्सा विभाग राज्य के नागरिकों को उचित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए सरकार की नीतियों के अनुसार योजनाएँ बनाता है और उन्हें कार्यान्वित करता है।

अनुदान 28-चिकित्सा शिक्षा विभाग का संचालन प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। विभाग इन कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों का प्रबंधन भी करता है। विभाग का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुशल एवं समयबद्ध मानव संसाधन उपलब्ध कराना, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों का संचालन, प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सामान्य, जटिल, गंभीर एवं संदर्भित मरीजों का संबंधित अस्पतालों के माध्यम से उपचार एवं इलाज करना है।

अनुदान 29 आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा विभाग सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। 'सभी के लिए स्वास्थ्य' के व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभाग आयुर्वेद,

होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा का प्रबंधन करता है। विभाग द्वारा आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा आदि के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सलाह एवं उपचार प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान इन अनुदानों के तहत समग्र बजटीय प्रावधान, व्यय और बचत नीचे ***तालिका 3.14*** में विस्तृत रूप से दी गई है:

तालिका 3.14: वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान बजटीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजटीय प्रावधान			व्यय	बचत (विचलन का प्रतिशत)	अभ्यर्पित राशि
	मूल	अनुपूरक	कुल			
राजस्व-दत्तमत						
2021-22	11,627.29	271.41	11,898.70	11,409.66	489.04 (4.11%)	485.97
2022-23	13,358.78	-	13,358.78	11,771.45	1,587.33 (11.88%)	1,586.13
2023-24	13,929.34	435.60	14,364.94	13,436.62	928.32(6.46%)	925.84
पूंजीगत-दत्तमत						
2021-22	491.97	727.33	1,219.30	1,157.82	61.49 (5.04%)	61.48
2022-23	862.12	600.04	1,462.16	743.29	718.88 (49.17%)	717.88
2023-24	2,437.08	80.55	2,517.63	1,201.13	1,316.51 (52.29%)	1,316.55

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

इस अनुदान के तहत बजट और व्यय की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि:

- अनुदान के राजस्व भाग के तहत वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचत 4.11 प्रतिशत से 11.88 प्रतिशत के मध्य थी।
- एसबीएम के अनुसार, जिन अनुदानों का उचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए। राजस्व भाग के तहत, वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान अंतिम बचत में से क्रमशः ₹ 3.07 करोड़, ₹ 1.20 करोड़ और ₹ 2.48 करोड़ की राशि अनभ्यर्पित रही। पूंजीगत भाग के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान अंतिम बचत में से, ₹ 1.00 करोड़ की राशि अनभ्यर्पित रही।
- राजस्व भाग में अंतिम बचत के मद्देनजर वर्ष 2021-22 और 2023-24 के दौरान क्रमशः ₹ 271.41 करोड़ और ₹ 435.60 करोड़ की राशि का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था। इसी प्रकार, पूंजीगत भाग में अंतिम बचत के मद्देनजर वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान क्रमशः ₹ 600.04 करोड़ और ₹ 80.55 करोड़ की राशि का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं आ सका।
- पूंजीगत भाग में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की अवधि के दौरान जहाँ ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत 49.17 प्रतिशत एवं 52.29 प्रतिशत रही।

इससे पता चलता है कि बजटीय नियंत्रण से संबंधित एसबीएम के प्रावधानों का विभाग द्वारा पालन नहीं किया गया था।

उल्लेखनीय बचतें

एसबीएम के अनुच्छेद 8.5 (8) में प्रावधान है कि बजट नियंत्रण अधिकारियों को विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के व्यय और भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर योजना विभाग को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह पाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान 14 योजनाओं/कार्यक्रमों में ₹ 784.69 करोड़ की उल्लेखनीय बचत हुई (ऐसे मामलों में जहां बचत एक करोड़ रुपये से अधिक और कुल प्रावधान के 60 प्रतिशत से अधिक थी) जो कुल अनुदान /विनियोग के 59.80 प्रतिशत से 99.13 प्रतिशत तक रही। जिसका विवरण नीचे **तालिका 3.15** में दिया गया है:

तालिका 3.15: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत पाई गई उल्लेखनीय बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	2210-02-101-03-01 आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उदयपुर	2.39	0.63	1.76	73.64
2.	2210-05-001-01 निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	32.61	7.90	24.71	75.77
3.	2211-105-03-11 असफल नसबंदी मामलों में मुआवजा	3.00	0.91	2.09	69.67
4.	2210-06-101-25-01 नेत्र पुनःप्राप्ति एवं नेत्र प्रत्यारोपण, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	7.00	0.60	6.40	91.43
5.	3055-800-10-01 मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, समर्पित सड़क सुरक्षा निधि के माध्यम से संचालित योजना	5.00	0.03	4.97	99.40
6.	4210-03-105-03-90 एलोपैथी, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, निर्माण कार्य	5.00	0.66	4.34	86.80
7.	4210-03-105-04-90 एलोपैथी, मेडिकल कॉलेज अजमेर, निर्माण कार्य	4.64	0.08	4.56	98.28
8.	4210-03-105-05-90 एलोपैथी, मेडिकल कॉलेज जोधपुर, निर्माण कार्य	5.95	1.23	4.72	79.33
9.	4210-03-105-07-01 अन्य व्यय, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	54.70	11.51	43.19	78.96
10.	4210-03-105-07-05 अन्य व्यय, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	45.00	2.98	42.02	93.38
11.	4210-03-105-11-90 नवीन मेडिकल कॉलेज, निर्माण कार्य	859.00	323.44	535.56	62.35
12.	4210-03-105-12-01 राज्य कैंसर संस्थान, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	40.90	16.44	24.46	59.80
13.	4210-03-105-18-01 यूजी सीटों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेज का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन- द्वितीय चरण, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर	57.50	3.31	54.19	94.24
14.	4210-03-105-21-01 एलोपैथी, न्यू पब्लिक हेल्थ कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	32.00	0.28	31.72	99.13
	कुल	**1154.69**	**370.00**	**784.69**	

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे

बजट नियंत्रक अधिकारियों ने बचत के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जैसे कि (i) अपेक्षित मामलों की तुलना में जिलों से असफल नसबंदी के कम मामलों की प्राप्ति, (ii) सार्वजानिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा चल रहे कार्यों का कम निष्पादन और निर्माण के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग से स्वीकृति नहीं मिलना तथा (iii) नए शवगृह और ओवरहेड पानी की टंकी के निर्माण की घोषणा न होना।

बजट आवंटन के समक्ष उल्लेखनीय बचतें दर्शाती है कि बजट प्रतिपादन/अनुदानों की मांग तैयार करने और इनके अनुश्रवण के संबंध में एसबीएम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। यह विभाग के स्तर पर कार्य की प्रगति पर कमजोर अनुश्रवण का भी संकेत देता है।

निरन्तर बचतें

एसबीएम के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने हेतु विगत दो से तीन वर्षों में किए गए वास्तविक व्यय और वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और व्यय के अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए।

अनुदान के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक निरंतर बचतों (₹ एक करोड़ से अधिक) वाली योजनाएं थी, जो नीचे **तालिका 3.16** में दी गई है:

तालिका 3.16: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत पाई गयी निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	शीर्ष का नाम	बचत (बचत का प्रतिशत)		
		2021-22	2022-23	2023-24
1.	2210-04-800-01-01 अन्य व्यय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से आयुर्वेद विभाग	0	74.88 (100)	43.49 (58.07)
2.	2211-105-03-11 असफल नसबंदी मामलों में मुआवजा (परिवहन)	3.26 (72.37)	1.73 (57.62)	2.09 (69.51)
3.	2211-800-03-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)	25.74 (57.64)	47.61 (100)	40.77 (100)
4.	4210-03-105-07-01 मेडिकल कॉलेज, जयपुर का एलोपैथी एवं अन्य व्यय	1.22 (12.65)	4.80 (13.65)	43.19 (78.95)
5.	4210-03-105-07-06 मेडिकल कॉलेज, कोटा का एलोपैथी एवं अन्य व्यय	4.50 (64.98)	1.17 (37.03)	4.58 (54.64)
6.	4210-03-105-13-01 तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	5.00 (100)	7.28 (100)	6.15 (100)
7.	4210-03-105-14-01 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	1.81 (72.22)	1.74 (100)	2.34 (100)
8.	4210-03-105-15-02 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में यूजी सीटों में बढ़ोतरी	13.00 (100)	5.20 (40)	5.00 (27.78)
9.	4210-03-105-16-01 पीएमएसएसवाई के तहत मेडिकल कॉलेज का उन्नयन चरण III, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	2.00 (100)	4.35 (100)	4.35 (100)

क्र. स.	शीर्ष का नाम	बचत (बचत का प्रतिशत)		
		2021-22	2022-23	2023-24
10.	4210-03-105-18-02 पीजी सीटों में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन – द्वितीय चरण, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	23.39 (93.58)	9.00 (39.13)	20.00 (36.36)
11.	4210-03-105-18-03 पीजी सीटों में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन - द्वितीय चरण, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	8.49 (42.43)	20.81 (51.71)	18.64 (35.52)
12.	4210-03-105-18-05 पीजी सीटों में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन - द्वितीय चरण, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	10.13 (56.26)	6.00 (33.34)	1.00 (5.26)
13.	4210-03-105-21-01 न्यू पब्लिक हेल्थ कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	30.00 (100)	22.49 (89.97)	31.72 (99.13)
14.	4210-03-105-24-01 पी.जी. मातृत्व एवं नवजात विज्ञान संस्थान, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	5.00 (83.33)	1.00 (16.67)	19.20 (100)
15.	4210-03-105-25-01 क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	6.00 (60)	5.00 (13.51)	46.60 (60.92)

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जैसे कि (i) अपेक्षित मामलों की तुलना में जिले से असफल नसबंदी के कम मामलों की प्राप्ति; (ii) निर्माण कार्य का कम निष्पादन; (iii) तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र के तहत कैंसर रोगियों के इलाज के लिए बुनियादी सुविधा प्रदान करने के लिए निर्माण और सामग्री की आपूर्ति से संबंधित कार्यों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलना; (iv) सुपर स्पेशलिटी विंग के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी को निधियां जारी न करना; (v) यूजी सीटों में वृद्धि के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए स्वीकृति न मिलना; (vi) एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में धनराशि का गैर-हस्तांतरण; (vii) भारत सरकार द्वारा निधि जारी न करना और (viii) कार्यान्वयन एजेंसी को निधि के हस्तांतरण के लिए स्वीकृति न मिलना, आदि।

निरन्तर बचतें दर्शाती है कि विभाग ने इन विकास कार्यों/कार्यक्रमों/योजनाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध निधियों का नियमित रूप से उपयोग नहीं किया । यह राज्य सरकार द्वारा विनियोग अधिनियम में निधियों की आवश्यकता के अधिक मूल्यांकन किये जाने और व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण नहीं किये जाने की ओर भी संकेत करता है ।

सम्पूर्ण प्रावधानों का अनुपयोजित रहना

जैसा कि राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 13.6 में प्रावधित है, व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। इस अनुदान के अंतर्गत ऐसे प्रकरण, जहाँ वर्ष 2023-24 के दौरान 100 प्रतिशत बचतें थी, नीचे **तालिका 3.17** में प्रस्तुत किये गये हैं:

तालिका 3.17: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोजित प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
1.	2210-05-105-03-01 स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, आरयूएचएस, जयपुर को अनुदान	55.20	0.00	55.20
2.	2210-05-105-08-01 तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र, झालावाड़ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सोसायटी	18.37	0.00	18.37
3.	2210-05-105-09-01 यूजी सीटों में बढ़ोतरी, झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी	3.43	0.00	3.43
4.	2210-05-105-09-02 यूजी सीटों में बढ़ोतरी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर	19.00	0.00	19.00
5.	2211-105-03-12 जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, शुभ लक्ष्मी योजना	27.45	0.00	27.45
6.	2211-800-02-02 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)	154.57	0.00	154.57
7.	2211-800-03-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)	40.77	0.00	40.77
8.	4210-01-116-16-01 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)	7.20	0.00	7.20
9.	4210-03-101-01-90 चिकित्सा शिक्षा भवन निर्माण कार्य	4.59	0.00	4.59
10.	4210-03-105-11-01 नये मेडिकल कॉलेज, नये मेडिकल कॉलेज हेतु पूंजीगत व्यय	128.30	0.00	128.30
11.	4210-03-105-13-01 तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	6.15	0.00	6.15
12.	4210-03-105-14-01 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना, मेडिकल कॉलेज बीकानेर	2.34	0.00	2.34
13.	4210-03-105-15-06 यूजी सीटों में बढ़ोतरी, नए मेडिकल कॉलेज के लिए पूंजीगत व्यय	11.70	0.00	11.70
14.	4210-03-105-07-03 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	2.25	0.00	2.25
15.	4210-03-105-16-01 पीएमएसएसवाई के तहत मेडिकल कॉलेज का उन्नयन तृतीय चरण, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	4.35	0.00	4.35
16.	4210-03-105-24-01 पी.जी. मातृत्व एवं नवजात विज्ञान संस्थान, मेडिकल कॉलेज जोधपुर	19.20	0.00	19.20
	कुल	**504.87**	**0.00**	**504.87**

स्रोत:विनियोग लेखे

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जैसे कि (i) राज्य की आयोजना सीमा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक होने के कारण राज्य निधि और केंद्रीय सहायता के अनुमान में कमी; (ii) राज्य सरकार से वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होना; (iii) निर्माण कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी को धनराशि जारी न करना, आदि।

इससे पता चलता है कि बजट प्रावधान वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना तदर्थ आधार पर तैयार किया गया था। पूंजीगत शीर्षों में संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि पूंजीगत कार्यों के प्रस्ताव उचित योजना और व्यवहार्यता का अध्ययन किये बिना बनाए गए थे। निधियों का उपयोग न होना विभाग द्वारा निधियों के उपयोग में प्रणालीगत कमी को भी इंगित करता है और योजनाओं के उद्देश्य की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

अनुदान में टोकन प्रावधान

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 13.14 के अनुसार, एक उप-शीर्ष या विनियोग की अन्य इकाई जो लगातार तीन वर्षों तक निष्क्रिय रहती है, को संबंधित विभाग की अनुदान की मांग से हटा दिया जाना चाहिए। अनुदान की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2021-24 के दौरान, इस अनुदान के तहत 149 शीर्षों[6] में कुल 970 शीर्षों[7] में से प्रतीक प्रावधान किया गया, जो पुनर्विनियोजन के माध्यम से बढ़ाया नहीं गया और वित्तीय वर्ष के अंत में इन सभी शीर्षों में प्रतीक प्रावधानों को अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजित कर दिया गया । यह इंगित करता है कि विभाग में प्रावधानों के उचित आंकलन और वित्तीय नियोजन के निष्पादन का अभाव था।

व्यय का प्रवाह

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान, इस अनुदान के अन्तर्गत छह उप-शीर्षों (जहां या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अथवा अंतिम माह के दौरान 40 प्रतिशत से ज्यादा व्यय किया गया) के संबंध में, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹142.55 करोड़ का कुल व्यय किया गया था, जो कुल व्यय (₹228.77 करोड़) का 62.31 प्रतिशत था । इसमें से ₹107.33 करोड़ (46.92 प्रतिशत) केवल मार्च 2024 में व्यय किए गए जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 3.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.18: वर्ष की अंतिम तिमाही और मार्च माह के दौरान व्यय का प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (उप शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 के दौरान व्यय	कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय से प्रतिशत	
					जनवरी-मार्च 2024	मार्च 2024
1.	4210-01-110-07 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य	21.77	14.77	42.32	51.44	34.90
2.	4210-01-200-01 शुद्ध के लिए युद्ध अभियान	10.04	10.04	10.54	95.26	95.26
3.	4210-03-105-07 अन्य व्यय	14.53	11.11	25.28	57.48	43.93
4.	4210-03-105-12 राज्य कैंसर संस्थान	12.76	12.76	16.44	77.61	77.61
5.	4210-03-105-18 मेडिकल कॉलेज का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	61.30	43.30	98.44	62.27	43.99
6.	4210-02-101-06 आयुर्वेद विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	22.15	15.35	35.75	61.96	42.94
	कुल	**142.55**	**107.33**	**228.77**	**62.31**	**46.92**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा द्वारा प्रदत्त सूचना ।

6 2021-22 (46 शीर्षों), 2022-23 (49 शीर्षों), 2023-24 (54 शीर्षों)

7 2021-22 (313 शीर्षों), 2022-23 (323 शीर्षों), 2023-24 (334 शीर्षों),

वर्ष की अंतिम तिमाही/माह के दौरान विभाग द्वारा किया गया प्रचुर व्यय, वर्ष के दौरान प्रगतिशील व्यय पर प्रभावी नियंत्रण की कमी का द्योतक है।

आधिक्य व्यय

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 24.1 में यह भी प्रावधान है कि व्यय न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जाएगा और न ही उन मदों पर किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एसबीएम के अनुसार, यह आवश्यक है कि विवरण अत्यंत सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि आधिक्य और बचत के त्रुटिपूर्ण विवरण से न केवल वित्त विभाग को असुविधा होती है, बल्कि इससे आधिक्य व्यय भी हो सकता है जिसकी जिम्मेदारी संबंधित बजट नियंत्रक अधिकारी की होगी।

विनियोग लेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि कुछ शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध बजट से अधिक व्यय किया गया, हालाँकि समग्र अनुदान में कोई आधिक्य नहीं था। विवरण नीचे **तालिका 3.19** में दिया गया है:-

तालिका 3.19: अनुदान के अंतर्गत शीर्षो में आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण/ पुनर्विनियोजन	उपलब्ध निधियां	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1.	2210-02-101-02-01 -अस्पताल एवं औषधालय (निदेशक, आयुर्वेद विभाग के माध्यम से)	27.57	17.10	44.67	44.80	0.13
2.	2211-800-02-03 -राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	1755.65	121.83	1877.48	1891.28	13.80
3.	4210-01-110-01-90 -अस्पताल एवं औषधालय, आयुर्वेद (फार्मेसी सहित) निर्माण कार्य	0.51	(-)0.07	0.43	0.49	0.06

स्रोतः विनियोग लेखे

यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा इन शीर्षो के लिए पर्याप्त निधि की उपलब्धता के बिना व्यय किया गया था जो अपर्याप्त बजटीय और व्यय पर नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

प्रत्याशित बचतों का अनभ्यर्पण

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 23.16 के अनुसार, जिन अनुदानों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए। तदनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रत्याशित बचतें जैसे ही दर्शित हो तो उन्हें वर्ष समाप्ति का इंतजार किए बिना, तुरंत अभ्यर्पित कर देना चाहिए।

अनुदान की जांच के दौरान यह देखा गया कि दो शीर्षों के तहत (जहां ₹ 50 लाख और उससे अधिक की बचत) ₹ 41.50 करोड़ की बचत के समक्ष, ₹ 14.53 करोड़ का अभ्यर्पण नहीं किया गया था, जैसाकि नीचे **तालिका 3.20** में दिया गया है:

तालिका 3.20: शीर्षो का विवरण जहां बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	बचत	अभ्यर्पित/ पुनर्विनियोजन राशि	अन-अभ्यर्पित राशि
1.	2211-800-03-03 (अनुदान संख्या 27) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)	40.77	(-) 26.97	13.80
2.	2210-05-105-01-22 (अनुदान संख्या 28) सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	0.73	0.00	0.73
	कुल	**41.50**	**(-)26.97**	**14.53**

यह कमजोर व्यय प्रबंधन और अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है । शीघ्र समर्पण से संसाधनों की कमी वाले अन्य क्षेत्रों में संसाधनों का अधिक लाभदायक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता था।

अस्पष्टीकृत पुनर्विनियोग

राज्य बजट नियमावली का अनुच्छेद 23.15.6 परिकल्पित करता है कि विभाग को प्रत्याशित आधिक्य या बचतों के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2024) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि पुनर्विनियोग आदेशों में 460 स्पष्टीकरणों में से 247 मामलों को स्पष्ट रूप से पुनर्विनियोजन आदेशों में समझाया गया था । शेष 213 मामलों में स्पष्टीकरण सामान्य प्रकृति जैसे 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम मूल्यांकन पर आधारित' और 'व्यय पर प्रतिबंध' के थे ।

गैर-विशिष्ट स्पष्टीकरण प्रदान करने की उपरोक्त प्रवृत्ति राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम की धारा 4 में निर्धारित पारदर्शिता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत व्यय की अनियमित बुकिंग

राज्य के वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में कुछ पूंजीगत शीर्षों के तहत राशि ₹ 20.08 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसका उद्देश्य स्वायत्त निकायों और संस्थानों को सहायता अनुदान प्रदान करना था, यद्यपि, इस पर पहले आपत्ति की गई थी और वर्ष 2021-22 के दौरान महालेखाकार (लेखा एवं हक) के कार्यालय द्वारा इन पूंजीगत शीर्षों को खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था । इन शीर्षों का विवरण नीचे ***परिशिष्ट 3.12*** में दिया गया है।

ये पूंजीगत शीर्ष स्वायत्त संस्थानों/निकायों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से खोले गए थे। यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस) -2 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कानूनी/वैधानिक स्थिति वाले निकायों/संस्थानों जैसे को विश्वविद्यालयों, संस्थानों/महाविद्यालयों,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को केवल अनुदान, निवेश या ऋण के रूप में धन जारी किया जाने के प्रावधानों के अनुसरण में यह अनियमित था। इस प्रकार, नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी सहायतार्थ अनुदान को, उद्देश्य की परवाह किए बिना, राज्य सरकार के लेखों में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान भी इन पूंजीगत शीर्षों के तहत प्रावधान किया और व्यय दर्ज किया। यह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, सरकारी लेखा नियम, 1990 और भारत सरकार लेखा मानकों (आईजीएएस-2) के उल्लंघन में व्यय की अनियमित बुकिंग और गलत वर्गीकरण को इंगित करता है।

अनुदान संख्या 29: नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या 29 को अनुदान संख्या 39 (शहरी विकास एवं आवासन विभाग) एवं अनुदान संख्या 40 (स्थानीय स्वायत शासन विभाग) में विभाजित किया गया।

शहरी विकास एवं आवासन (यू.डी.एच.) विभाग राजस्थान के शहरी क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है। यूडीएच विभाग शहरों की *व्यवस्थित* योजना एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख शासन सचिव, **स्थानीय स्वायत शासन (एल.एस.जी.) विभाग**, राजस्थान सरकार समस्त नगर पालिका निकायों का प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रक विभाग है। यह राज्य की सभी 282 नगर पालिकाओं के लिए राज्य स्तर पर अनुश्रवण और समन्वय कार्य भी करता है। विभाग का अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव होता है।

वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान इस अनुदान के तहत समग्र बजटीय स्थिति, व्यय और बचत का विवरण नीचे **तालिका 3.21** में है:

तालिका 3.21: वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान अनुदान के तहत बजटीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजटीय प्रावधान			व्यय	बचत (प्रतिशत)	अभ्यर्पित राशि
	मूल	अनुपूरक	कुल			
राजस्व-दत्तमत						
2021-22	6,034.41	₹ 2000	6,034.41	5,154.35	880.05 (14.58%)	876.01
2022-23	4,828.13	1,132.30	5,960.43	5,092.18	868.24 (14.56%)	868.24
2023-24	6,053.02	878.03	6,931.05	5,126.53	1,804.52 (26.03%)	1,804.52
पूंजीगत-दत्तमत						
2021-22	1,323.84	2,158.99	3,482.83	3,114.95	367.88 (10.56%)	357.82
2022-23	1,549.82	1,290.33	2,840.15	1,952.44	887.71 (31.25%)	890.50
2023-24	4,589.75	58.41	4,648.16	2,029.86	2,618.29 (56.32%)	2,618.97

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान:

- अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचत 14.56 प्रतिशत से 26.03 प्रतिशत के मध्य थी।

- एसबीएम के अनुसार, जिन अनुदानों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सका, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिये। वर्ष 2021-22 के दौरान अंतिम बचत में से, राजस्व भाग के तहत ₹ 4.04 करोड़ और पूंजीगत भाग के तहत ₹ 10.06 करोड़ की राशि अनअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत भाग के तहत ₹ 890.50 करोड़ का अभ्यर्पण बचत से ज्यादा था।
- वर्ष 2023-24 के दौरान अंतिम राजस्व भाग में ₹878.03 करोड़ और पूंजीगत भाग में ₹ 58.41 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं किया जा सका।
- पूंजीगत भाग में, कुल बजट के 10.56 प्रतिशत से 56.32 प्रतिशत तक ₹ 300 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत हुई।

इससे पता चलता है कि बजटीय नियंत्रण से संबंधित एसबीएम के प्रावधानों का संबंधित विभागों द्वारा पालन नहीं किया गया था।

उल्लेखनीय बचतें

एसबीएम का अनुच्छेद 13.7 प्रावधित करता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए वास्तविक व्यय और चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यह पाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान 24 योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत ₹ 4,617.72 करोड़ की उल्लेखनीय बचतें, कुल अनुदान/विनियोग के 32 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक (ऐसे मामलों में जहां बचत एक करोड़ रुपये से अधिक थी और कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक थी) हुई थी। जिसका विवरण नीचे **तालिका 3.22** में दिया गया है:

तालिका 3.22: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत पाई गई उल्लेखनीय बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष/योजना का नाम	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	2217-05-190-02-03 अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	4.12	1.37	2.75	66.75
2.	2217-80-191-14-01 राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के तहत अनुदान	263.88	140.72	123.16	46.67
3.	2217-80-191-50-01 मिलियन प्लस शहरों (सामान्य) में वायु सुधार के लिए अनुदान	106.47	17.52	88.95	83.54
4.	2217-80-191-50-04 मिलियन प्लस शहरों (सामान्य) को पीने के पानी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनुदान	415.58	201.95	213.63	51.41
5.	2217-80-191-50-07 गैर-मिलियन शहरों (सामान्य) के लिए अप्रतिबद्ध अनुदान	29.09	13.61	15.48	53.21
6.	2217-80-191-50-10 गैर-मिलियन से अधिक शहरों (सामान्य) में जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनिवार्य अनुदान	43.63	20.41	23.22	53.22

क्र. सं.	शीर्ष/योजना का नाम	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
7.	2217-80-191-51-01 सड़कों का नवीनीकरण/सुधार मरम्मत (सामान्य)	192.33	82.43	109.90	57.14
8.	2217-80-192-14-01 राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के तहत अनुदान (सामान्य)	698.05	473.00	225.04	32.24
9.	2217-80-192-55-01 गैर-मिलियन शहरों (सामान्य) के लिए अप्रतिबद्ध अनुदान	266.01	125.97	140.04	52.64
10.	2217-80-192-55-04 गैर-मिलियन से अधिक शहरों (सामान्य) में जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनिवार्य अनुदान	587.97	188.95	399.02	67.86
11.	2217-80-192-56-01 सड़कों का नवीनीकरण/सुधार मरम्मत (सामान्य)	288.50	123.64	164.86	57.14
12.	3475-108-02-01 प्रशासनिक व्यय	2.91	1.29	1.62	55.61
13.	3475-108-03-01 इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सहायता	14.00	0.09	13.91	99.36
14.	3475-108-04-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग के माध्यम से	440.00	203.07	236.93	53.85
15.	3475-191-02-01 विकास कार्य	11.71	5.06	6.66	56.87
16.	3475-192-02-01 विकास कार्य	27.33	11.26	16.08	58.84
17.	4217-03-800-01-02 शहरी जनसहभागी योजना	2.06	0.28	1.78	86.41
18.	4217-03-800-02-07 विभिन्न शहरी निकायों के लिए	47.50	2.41	45.09	94.93
19.	4217-60-050-04 राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण (ईएपी) निर्माण कार्य	145.33	93.25	52.08	35.84
20.	4217-60-051-03-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग	10.00	5.00	5.00	50.00
21.	4217-60-051-07-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग	137.38	67.75	69.63	50.68
22.	4217-60-051-09-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग	2,080.65	237.67	1,842.98	88.58
23.	4217-60-051-10-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग	772.00	40.93	731.07	94.70
24.	4217-60-051-12-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग	220.10	131.27	88.84	40.36
	कुल	**6,806.60**	**2,188.90**	**4,617.72**	

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे।

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया जैसे कि (i) भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और, (ii) विभाग द्वारा कार्यों का कम निष्पादन, आदि। हालाँकि, इसके विस्तृत कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये हैं।

बजट आवंटन के समक्ष उल्लेखनीय बचतों से पता चलता है कि बजट प्रतिपादन/अनुदानों की मांग तैयार करने और इनके अनुश्रवण के संबंध में एसबीएम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। यह कार्यों की प्रगति के स्तर पर संबंधित विभागों के कमजोर अनुश्रवण को भी दर्शाता है।

निरन्तर बचतें

एसबीएम के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने हेतु विगत दो से तीन वर्षों में किए गए वास्तविक व्यय और वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और व्यय के अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक निरंतर बचतों (₹ 10 लाख और अधिक) वाली योजनाएं थी, जो नीचे **तालिका 3.23** में दर्शाई गई है:

तालिका 3.23: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत पायी गयी निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	बचत (बचत का प्रतिशत)		
		2021-22	2022-23	2023-24
1.	2217-05-190-02-03 अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड(सामान्य)	-	0.98 (23.67 %)	2.75 (66.67%)
2.	2217-80-001-04 राजस्थान नगर पालिका सेवा चयन आयोग-(अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक)	-	0.09(18.22%)	0.14(26.04%)
3.	2217-80-001-06-01 स्थापना व्यय- प्रतिबद्ध	1.79(13.69%)	3.72(22.74%)	2.34(14.13%)
4.	2217-80-191-14-01 राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के तहत अनुदान	-	32.21(12.21%)	123.16(46.67%)
5.	2217-80-191-50-07 गैर-मिलियन शहरों (सामान्य) के लिए अप्रतिबद्ध अनुदान	15.19(52.18%	1.26(4.35%)	15.48(53.21%)
6.	2217-80-191-50-10 गैर-मिलियन शहरों (सामान्य) के लिए पानी पीने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनिवार्य अनुदान	22.78(52.18%)	1.88(4.35%)	23.22(53.21%)
7.	2217-80-192-14-01 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत अनुदान (सामान्य)	-	67.07(9.61%)	225.04(32.24%)
8.	2217-80-192-55-01 गैर-मिलियन शहरों (सामान्य) के लिए अप्रतिबद्ध अनुदान	119.58(49.74%)	125.72(33.75%)	140.04(52.64%)
9.	2217-80-192-55-04 गैर-मिलियन शहरों (सामान्य) के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनिवार्य अनुदान	179.37(49.74%)	188.57(33.75%)	399.01(67.86%)
10.	4217-03-800-01-02 शहरी जनसहभागी योजना	-	2.40(70.00%)	1.78(86.57%)
11.	4217-03-800-02-07 विभिन्न शहरी निकायों के लिए	26.04(84.26%)	3.28(95.60%)	45.09(94.93%)
12.	4217-60-051-03-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग	-	8.59(31.25%)	5.00(50.00%)
13.	4217-60-051-07-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग	58.97(51.46%)	75.26(45.65%)	69.63(50.68%)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	बचत (बचत का प्रतिशत)		
		2021-22	2022-23	2023-24
14.	4217-60-051-09-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग	-	468.96(87.73%)	1842.98(88.58%)

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे।

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी माना जैसे कि (i) भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और, (ii) विभाग द्वारा कार्यों का कम/गैर-निष्पादन। हालाँकि, इसके विस्तृत कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये हैं।

निरन्तर बचतें दर्शाती है कि विभाग ने इन विकास कार्यों/कार्यक्रमों/योजनाओं के सम्बन्ध में बजट में उपलब्ध निधियों का नियमित रूप से उपयोग नहीं किया। यह राज्य सरकार द्वारा विनियोग अधिनियम में निधियों की आवश्यकता के अधिक आंकलन किये जाने और व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण नहीं किये जाने की ओर भी संकेत करता है।

सम्पूर्ण प्रावधानों का अनुपयोजित रहना

जैसाकि राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 13.6 में प्रावधित है कि, व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। इस अनुदान के अंतर्गत ऐसे प्रकरण, जहाँ वर्ष 2023-24 के दौरान 100 प्रतिशत बचतें थी, नीचे **तालिका 3.24** में प्रस्तुत किये गये हैं:

तालिका 3.24: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोजित प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
1.	2217-05-190-02-08 जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड(सामान्य)	6.87	0.00	6.87
2.	2217-05-190-02-11 कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड(सामान्य)	3.43	0.00	3.43
3.	2217-05-190-02-17 उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड(सामान्य)	4.81	0.00	4.81
4.	2217-05-190-02-20 भरतपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)	2.75	0.00	2.75
5.	2217-05-190-02-23 राजस्थान शहरी परिवहन निगम (सामान्य)	50.00	0.00	50.00
6.	2217-80-191-14-04 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहन अनुदान	13.89	0.00	13.89
7.	2217-80-191-50-16 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए अनुदान (सामान्य)	7.57	0.00	7.57
8.	2217-80-191-52-01 चारदीवारी क्षेत्र में भवनों का संरक्षण (सामान्य)	2.40	0.00	2.40
9.	2217-80-191-53-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग (सामान्य)	41.21	0.00	41.21
10.	2217-80-191-54-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग (सामान्य)	17.24	0.00	17.24

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
11.	2217-80-192-14-04 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहन अनुदान	36.74	0.00	36.74
12.	2217-80-192-55-10 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए अनुदान (सामान्य)	69.24	0.00	69.24
13.	2217-80-192-57-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग (सामान्य)	96.17	0.00	96.17
14.	2217-80-192-60-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग (सामान्य)	5.00	0.00	5.00
15.	2217-80-192-61-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग (सामान्य)	13.00	0.00	13.00
16.	3475-108-02-02 आई.इ.सी. गतिविधियाँ	0.25	0.00	0.25
17.	4217-60-051-05-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग	1.00	0.00	1.00
18.	4217-60-051-06-01 स्थानीय स्वायत शासन विभाग	68.41	0.00	68.41
19.	4217-60-051-08-02 नगर विकास एवं आवास विभाग	240.42	0.00	240.42
20.	4217-60-051-15-01 नगर विकास एवं आवासन विभाग	13.00	0.00	13.00
	कुल	**693.40**	**0.00**	**693.40**

स्रोतः विनियोग लेखें

बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी माना जैसे कि (i) निर्माण कार्य का गैर-निष्पादन; (ii) अनुदान जारी न होना; (iii) नई योजनाओं का प्रारम्भ न होना; और (iv) भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होना, आदि।

संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि पूंजीगत कार्यों के प्रस्ताव उचित नियोजन और संभाव्यता अध्ययन के बिना तैयार किये गए थे। निधियों का उपयोग न करना भी विभाग द्वारा धन के उपयोग में प्रणालीगत कमी को दर्शाता है जिससे इन योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अनुदान में टोकन प्रावधान

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 13.14 के अनुसार, एक उप-शीर्ष या विनियोग की अन्य इकाई जो लगातार तीन वर्षों तक निष्क्रिय रहती है को संबंधित विभाग की अनुदान की मांग से हटा दिया जाना चाहिए। अनुदानों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान इस अनुदान के तहत 248 मदों[8] में कुल 491 मदों[9] में से प्रतीक प्रावधान किये गए, जो कि पुनर्विनियोजन के माध्यम बढ़ाया नहीं गया और वित्तीय वर्ष के अंत में इन सभी शीर्षों में प्रतीक प्रावधानों को समर्पित/पुनर्विनियोजित किया गया। इससे दर्शाता है कि विभाग में प्रावधानों के उचित आंकलन और वित्तीय नियोजन के निष्पादन का अभाव था।

8. 2021-22 (66 शीर्ष), 2022-23 (90 शीर्ष), 2023-24 (92 शीर्ष)
9. 2021-22 (156 शीर्ष), 2022-23 (157 शीर्ष), 2023-24 (178 शीर्ष)

व्यय का प्रवाह

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही के दौरान सात उप-शीर्षों के तहत 25 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया था। इन उप-शीर्षों के अंतर्गत व्यय का विवरण नीचे **तालिका 3.25** में दिया गया है:

तालिका 3.25: वर्ष की अंतिम तिमाही और मार्च माह के दौरान व्यय का प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (उप शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 के दौरान व्यय	कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय से प्रतिशत	
					जनवरी-मार्च 2024	मार्च 2024
1.	2217-05-190-02 राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास निधि से संचालित योजना	51.50	33.50	118.49	43.46	28.27
2.	2217-05-800-01 स्मार्ट सिटी	98.00	98.00	98.00	100	100
3.	2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत अनुदान	135.80	124.74	473.00	28.71	26.37
4.	4217-60-051-09 कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) 2.0	204.84	147.84	237.67	86.19	62.20
5.	5055-190-02 राजस्थान अवसंरचना परिवहन विकास निधि	311.47	207.72	622.72	50.02	33.36
6.	2217-80-797-03 राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास निधि	763.49	763.49	763.50	100	100
7.	2217-80-797-04 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं	68.69	68.69	68.69	100	100
	कुल	**1,633.79**	**1,443.98**	**2,382.07**		

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा द्वारा प्रदत्त सूचना।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन उप-शीर्षों के तहत, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹ 1,633.79 करोड़ का व्यय किया गया था, जो कि वर्ष 2023-24 के दौरान इन उप-शीर्षों के कुल व्यय (₹ 2,382.07 करोड़) का 68.59 प्रतिशत था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि तीन उप-शीर्षों के अंतर्गत 100 प्रतिशत व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था।

वर्ष की अंतिम तिमाही/माह के दौरान संबंधित विभागों के डीडीओ/सीसीओ द्वारा किया गया प्रचुर व्यय, वर्ष के दौरान प्रगतिशील व्यय पर उनके प्रभावी नियंत्रण की कमी का द्योतक है।

आधिक्य व्यय

एसबीएम के अनुच्छेद 8.5(5) के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो। एसबीएम के अनुच्छेद 24.1 में यह भी प्रावधान है कि व्यय न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जाएगा और न ही उन मदों पर किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं

किया गया है। एसबीएम के अनुसार, यह आवश्यक है कि विवरण अत्यंत सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि आधिक्य और बचत के त्रुटिपूर्ण विवरण से न केवल वित्त विभाग को असुविधा होती है, बल्कि इससे आधिक्य व्यय भी हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित बजट नियंत्रक अधिकारी की होगी।

वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि इस अनुदान के कुछ शीर्षों के तहत प्रावधान से अधिक व्यय किया गया था, जैसा कि नीचे **तालिका 3.26** में दिया गया है:

तालिका 3.26: अनुदान के अंतर्गत मदों में आधिक्य व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	समर्पण(-) /पुनर्विनियोग	निधि की उपलब्धता	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1.	2217-80-001-04 राजस्थान नगरपालिका सेवा चयन आयोग (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक)	55.13	(-) 14.36	40.77	40.77	₹ 491
2.	2217-80-192-14-01 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत अनुदान(सामान्य)	69,804.51	(-) 22,508.06	47,296.45	47,300.33	3.88
3.	4217-60-050-06-01 कार्यक्रम ऋण	15,355.87	(-) 285.68	15,070.19	15,070.19	₹ 523
4.	4217-60-050-07-01 चतुर्थ चरण (ईएपी)	41,562.04	(-) 4,962.65	36,599.39	36,599.39	₹ 236
5.	4217-60-051-11-01 आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण किश्त-2(ईएपी)	17,109.37	9,388.96	26,498.33	26,575.44	77.11

इससे पता चलता है कि विभाग द्वारा इन शीर्षों के लिए पर्याप्त निधि की उपलब्धता के बिना व्यय किया गया था जो अपर्याप्त बजटीय और व्यय पर नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

अस्पष्टीकृत पुनर्विनियोग

एसबीएम का अनुच्छेद 23.15.6 परिकल्पित करता है कि विभाग को प्रत्याशित आधिक्य या बचतों के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2024) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 43 मदों में से केवल 29 प्रकरणों के पुनर्विनियोग आदेशों में ही विशिष्ट स्पष्टीकरण प्रदान किये गये थे। शेष 14 मामलों में स्पष्टीकरण सामान्य प्रकृति जैसे 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम मूल्यांकन पर आधारित' और 'व्यय पर प्रतिबंध' के थे।

गैर-विशिष्ट स्पष्टीकरण प्रदान करने की उपरोक्त प्रवृत्ति राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम की धारा 4 में निर्धारित पारदर्शिता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

3.4.7 लेखों में अन्य अनियमितताएँ

1. राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में दोषपूर्ण प्रकटीकरण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस)-2 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कानूनी/वैधानिक स्थिति वाले निकायों/संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों, संस्थानों/कॉलेजों, पीएसयू आदि को ही अनुदान, निवेश या ऋण के रूप में निधियां जारी की जानी चाहिए। इस तरह की सहायतार्थ अनुदान नकद या वस्तु के रूप में दी जा सकती है जिसका उपयोग प्राप्तकर्ता एजेंसियां अपनी परिचालन के साथ-साथ पूंजीगत व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए करती हैं। आईजीएएस-2 के बिंदु सं.13 में कहा गया है कि परिसंपत्तियों के सृजन के प्रयोजनार्थ सहायता अनुदान पर होने वाले व्यय को सरकार के वित्तीय विवरणों में पूंजीगत शीर्ष में डेबिट नहीं किया जाएगा, इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं है जो राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर विशिष्ट रूप से अधिकृत हो। इसके अलावा, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-I के नियम 338(1) में बताया गया है कि अस्थायी संपत्तियों या सहायतार्थ अनुदान पर व्यय को सामान्यतः पूंजीगत प्रकृति का व्यय नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सरकारी लेखा नियम (जीएआर), 1990 के नियम 30(1) के अधीन टिप्पणी में यह भी बताया गया है कि अस्थायी संपत्ति पर व्यय या स्थानीय निकायों या संस्थानों को सहायतार्थ अनुदान (संपत्ति बनाने के उद्देश्य से जो इन स्थानीय निकायों या संस्थानों से संबंधित होगा) पर व्यय को सामान्यतः पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट रूप से अधिकृत किए जाने के मामले को छोड़कर इसे पूंजीगत शीर्ष के लेखे में डेबिट नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 150 में यह प्रावधान है कि संघ और राज्य के लेखों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जैसा राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर निर्धारित करे। इस प्रकार, राज्य सरकार महालेखाकार (लेखा एवं हक़) कार्यालय से बजट में खोले गए लेखांकन शीर्षों के लिए कार्योत्तर अनुमति मांगती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में कुछ पूंजीगत शीर्ष खोले, जिसके माध्यम से विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों को सहायतार्थ अनुदान प्रदान की गई, यद्यपि, महालेखाकार (लेखा एवं हक़) कार्यालय द्वारा इन शीर्षों को खोलने की अनुमति अस्वीकार कर दी गई थी (जनवरी 2022)। तथापि, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान उपरोक्त आईजीएएस, जीएआर और जीएफ एंड एआर के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यय को अनियमित रूप से राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया।

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि राजस्थान सरकार ने स्वायत्तशाषी निकाय (राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय, बीकानेर) को सहायतार्थ अनुदान के लिए ₹ 8.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया, जिसके विरुद्ध किये गये व्यय को राजस्व मद के बजाय पूंजीगत मद के तहत ₹ 4.00 करोड़ से दर्ज किया गया । परिणामस्वरूप, राजस्व/पूंजीगत व्यय

₹ 4.00 करोड़ से कम/अधिक बताया गया है। इन पूंजीगत शीर्षों का विवरण नीचे **तालिका 3.27** में दिया गया है:

तालिका 3.27: वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत शीर्ष के तहत अनियमित पुस्तांकन

(₹ लाख में)

क्र.सं	अनुदान संख्या	बजट मद	मूल प्रावधान	व्यय
1	30	4403-796-05-01-18 मशीनरी और औजार/उपकरण एवं संयंत्र	200.01	100.00
2	47	4403-101-18-01-18 मशीनरी और औजार /उपकरण एवं संयंत्र	400.01	200.00
3	51	4403-789-05-01-18 मशीनरी और औजार/उपकरण एवं संयंत्र	200.01	100.00
		कुल	**800.03**	**400.00**

इस प्रकार, राजस्व व्यय के लिए पूंजीगत शीर्षों का संचालन अनियमित था तथा आईजीएएस, जीएआर और जीएफ एंड एआर के प्रावधानों का उल्लंघन था।

2. बिना बजट प्रावधान के किया गया व्यय

एसबीएम के अनुच्छेद 24.1 के अनुसार, व्यय न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जाएगा और न ही उन मदों पर किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तीन अनुदानों से संबंधित चार मामलों में समेकित रूप से ₹9.20 करोड़ बिना प्रावधान के किए गए व्यय का विवरण **तालिका 3.28** में दिया गया है।

तालिका 3.28: ऐसे मामले जहां बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	लेखाशीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय
			मूल	पूरक	पुनर्विनियोग	कुल		
1.	18- गृह विभाग	2055-115-09-01 पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत छात्रों को प्रशिक्षण	3.06	0.00	(-) 3.06	0.00	2.13	2.13
2.		2055-101-01-03 आपराधिक शाखा	₹ 3000	0.00	(-) ₹ 3000	0.00	0.64	0.64
3.	30-जनजाति क्षेत्र विभाग	4059-80-796-04-02 अन्य भवन	12.60	0.00	(-) 12.60	0.00	2.00	2.00
4.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4059-80-789-03-02 अन्य भवन	16.20	0.00	(-) 16.20	0.00	4.43	4.43
		कुल	**31.86**	**0.00**	**(-) 31.86**	**0.00**	**9.20**	**9.20**

इन शीर्षों के तहत बिना किसी बजट प्रावधान के किये गये व्यय के कारणों के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया है (नवम्बर 2024)।

3. अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान से अधिक किया गया व्यय

एसबीएम के अनुच्छेद 24.1 के अनुसार, व्यय न तो स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जाएगा और न ही उन मदों पर किया जाएगा जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालाँकि, यह देखा गया कि 20 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध बजट प्रावधान से अधिक व्यय (₹ 20 लाख से अधिक) किया गया था, हालाँकि समग्र अनुदान में कोई आधिक्य नहीं था । विवरण नीचे **तालिका 3.29** में दिया गया है।

तालिका 3.29: बजट प्रावधान से अधिक किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	बजट शीर्ष	कुल प्रावधान (मु+पू+पु)	व्यय	आधिक्य व्यय
1.	4-सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	6004-09-101-02-01 पश्चिम राजस्थान में गरीबी उन्मूलन-विश्व बैंक	3.30	6.56	3.26
2.	11-पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	4059-80-051-13 सामान्य भवन (मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग)	7.29	7.50	0.21
3.	30-जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	2202-02-107-06-02 पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	54.22	54.49	0.27
4.		2211-796-02-03 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	437.30	439.80	2.50
5.	31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2225-03-196-05-02 विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	80.54	87.66	7.12
6.		2225-03-196-06-05 विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (प्रारंभिक शिक्षा विभाग)	6.54	6.78	0.24
7.		2235-03-196-06-07 देवनारायण गुरुकुल योजना	5.89	12.68	6.79
8.		2223-02-196-19-07 पालनहार योजना के तहत आश्रयहीन बच्चों के लिए अनुदान	527.40	543.58	16.18
9.		2059-80-053-22 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-प्रतिबद्ध	5.29	5.96	0.67
10.		4225-03-800-01-03 देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण	29.11	31.36	2.25
11.		4225-03-800-01-02 आदर्श छात्रावास योजना के अंतर्गत देवनारायण छात्रावास भवन का निर्माण	16.33	19.83	3.50
12.	40-स्थानीय स्वायत शासन विभाग	4217-60-051-11-01 आर.यु.आई.डी.पी. चौथा चरण किश्त -2 (ईएपी)	264.98	265.75	0.77
13.	41-जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	4215-01-102-03-01 अन्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ	575.65	598.30	22.65
14.	42-जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	4701-80-800-03-01 निर्माण कार्य	27.58	28.90	1.32
15.	44-सार्वजनिक निर्माण विभाग	5054-02-337-03 सीमा सड़क विकास मण्डल के माध्यम से	414.62	506.30	91.68

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	बजट शीर्ष	कुल प्रावधान (मु+पू+पु)	व्यय	आधिक्य व्यय
16.		5054-03-337-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-प्रथम (ए.डी.बी.)	739.04	740.72	1.68
17.		5054-03-337-12 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-द्वितीय (विश्व बैंक)	578.97	579.23	0.26
18.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2225-01-789-01 अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति और वजीफा	92.16	93.03	0.87
19.		2211-789-02-03 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	511.93	515.63	3.70
20.		5452-80-789-02 ग्रामीण पर्यटन का विकास	1.39	1.66	0.27

स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे

इन शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधान से अधिक व्यय के कारणों को संबंधित विभागों द्वारा सूचित नहीं किया गया है (नवम्बर 2024)।

3.5 प्रशंसनीय कदम

राज्य सरकार के बजटीय प्रबंधन के सकारात्मक पहलू नीचे दिये गये हैं:

- वित्तीय वर्ष के समापन से पहले सभी पुनर्विनियोजन आदेश और अभ्यर्पण आदेश प्रस्तुत करना।
- वर्ष की समाप्ति से पहले अधिकांश बचतों का अभ्यर्पण।

3.6 निष्कर्ष

अत्यधिक/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों के मामलों से इंगित होता है कि विभागों ने आवश्यकता का यथार्थवादी मूल्यांकन नहीं किया और बजट नियंत्रक अधिकारी मासिक व्यय के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रण करने में विफल रहे।

अपर्याप्त/अत्यधिक या अनावश्यक पुनर्विनियोग के मामले दर्शाते हैं कि बजट नियंत्रक अधिकारी अपने नियंत्रणाधीन लेखाशीर्षों में निधियों की आवश्यकता का पर्याप्त आकलन करने में विफल रहे।

वर्ष के अंतिम महीने/अंतिम तिमाही में किया गया प्रचुर व्यय यह संकेत देता है कि व्यय/प्राप्तियों पर आंतरिक नियंत्रण कमजोर था और बजटीय नियंत्रण/प्रबंधन की कमी थी।

3.7 सिफारिशें

बजटीय नियंत्रण तंत्र, विशेष रूप से मासिक व्यय नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र को सशक्त किया जाना चाहिए ताकि अत्यधिक बचत को रोका जा सके, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ लगातार बचत देखी गई हैं और अप्रयुक्त रहे अनुपूरक प्रावधानों को कम किया जा सके।

राज्य सरकार को एक उचित नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि बजट कार्यान्वयन के उचित क्रियान्वन और निगरानी को सुनिश्चित किया जा सके, जिससे अनुदान/विनियोजन के भीतर बड़ी बचत को नियंत्रित किया जा सकेगा और प्रत्याशित बचत की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पहचान कर उसे अभ्यर्पित किया जा सकेगा।

बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट के उचित विश्लेषण और आगामी विनियोग लेखाओं की सटीक तैयारी की सुविधा के लिए आवंटन से व्यय में भिन्नता की स्पष्ट व्याख्या प्रदान करने की उनकी जिम्मेदारी के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है।

अध्याय IV: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथायें

प्रस्तावना

एक सुदृढ़ आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी सहित राज्य सरकार के कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग में गुणवत्ता और समयबद्धता सुशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्टिंग यदि प्रभावी और कार्यात्मक हो, तो वे सरकार को रणनीतिक योजना और निर्णय लेने सहित अपनी आधारभूत नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

यह अध्याय वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों की वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बंधित विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

4.1 ब्याज वाली जमाओं/आरक्षित निधियों पर ब्याज देयताओं का निर्वहन न करना

'ब्याज सहित जमाओं' एवं 'ब्याज सहित आरक्षित निधियों' की राशि पर ब्याज प्रदान करने और उसका भुगतान करने का दायित्व सरकार का है। 1 अप्रैल 2023 को, 'ब्याज सहित जमाओं' में ₹ 18,304.03 करोड़ एवं 'ब्याज सहित आरक्षित निधियों' में ₹ 4,667.86 करोड़ शेष थे, जिस पर सरकार ने क्रमशः ₹ 353.76 करोड़ एवं ₹ 336.66 करोड़ का ब्याज देने का प्रावधान किया था। यद्यपि, 'ब्याज सहित आरक्षित निधियों' पर ब्याज के संबंध में ₹ 7.94 करोड़ के ब्याज का कम भुगतान किया गया था, जैसाकि **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है। ब्याज देनदारी का भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा उसी अनुपात में कम दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: ब्याज सहित जमा राशियों/आरक्षित निधियों पर ब्याज दायित्व का निर्वहन न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	निधि/जमा	01.04.2023 को प्रारम्भिक शेष	ब्याज भुगतान की गणना का आधार	ब्याज देय	भुगतान किया गया ब्याज	भुगतान नहीं किया गया ब्याज
1.	मुख्य शीर्ष 8121-129 राज्य प्रतिपूरक वनारोपण निधि	1,347.12	3.35 प्रतिशत (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2022 के अनुसार 3.35 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई)	45.13	37.19	7.94
	कुल	**1,347.12**		**45.13**	**37.19**	**7.94**

स्रोतः वित्त लेखे

4.2 राज्य सरकार की बजट से इतर उधार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत राज्य सरकारों को धन उधार लेने का अधिकार प्राप्त है। स्वायत्त निकायों और सरकारी कंपनियों/निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति राज्य सरकार देती है। ये उधार राज्य के लेखों में परिलक्षित नहीं होते हैं, अपितु ये स्वायत्त संस्थाओं के लेखों में परिलक्षित होते हैं। यद्यपि, जब ऐसे उधारों की पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आती है, तो ऐसे उधार राज्य सरकार की देनदारी बन जाते हैं और इसलिए इन उधारों को राज्य सरकार की "बजट से इतर उधार" कहा जाता है। ऐसी उधारियां राज्य सरकार के विधायी नियंत्रण से बाहर रहती हैं।

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023-24 के अपने लेखों में "बजट से इतर उधार" का कोई भी खुलासा नहीं किया है। यद्यपि, विभागों के अभिलेखों से 31 मार्च 2024 तक बजट से इतर उधार के कुछ मामलें लेखापरीक्षा के ध्यान में आये, जिनका विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में बताया गया है।

(1) राजस्थान सरकार ने वर्ष 2011-12 में मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे (सी.एम.बी.पी.एल.) आवास योजना के तहत आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) से जिला परिषदों द्वारा प्राप्त किये गए ₹ 3,948.66 करोड़ के ऋण की प्रत्याभूति दी। राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रत्याभूति सीमा में से, जिला परिषदों ने वर्ष 2023-24 तक ₹ 3,624.48[1] करोड़ की कुल प्रत्याभूतियों का लाभ उठाया। यह पाया गया कि राज्य सरकार स्वयं इन ऋणों का मूलधन और ब्याज चुका रही है। इन ऋणों पर मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए, वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा 31 जिला परिषदों को ₹ 336.07 करोड़ (₹ 235.85 करोड़ मूलधन और ₹ 100.22 करोड़ ब्याज के रूप में) हस्तांतरित किए गए थे। 31 मार्च 2024 तक, इस ऋण पर ₹ 1,040.73 करोड़ बकाया थे।

(2) राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज निगम (आरडब्ल्युएसएससी) की स्थापना वर्ष 1979 में राजस्थान में जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं की देखरेख करने के उद्देश्य से की गई थी। हालाँकि, राज्य सरकार ने अभी तक जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) के कार्यों को निगम को हस्तांतरित नहीं किया है, जिसके कारण यह निगम अब तक सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा है। लेखापरीक्षा के दौरान, आरडब्ल्यूएसएससी के संबंध में बजट से इतर उधार के निम्नलिखित प्रकरण भी देखे गए:

1. 2011-12: ₹ 945.37 करोड़, 2012-13: ₹ 840.19 करोड़, 2013-14: ₹ 958.51 करोड़, 2014-15: ₹ 600.64 करोड़, 2015-16: ₹ 160.52 करोड़, 2016-17: ₹ 61.34 करोड़, 2017-18: ₹ 6.34 करोड़, 2018-19: ₹ 1.16 करोड़, 2019-20: 'शून्य', 2020-21: ₹ 50.41 करोड़, 2021-22: 'शून्य', 2022-23: 'शून्य' एवं 2023-24: 'शून्य'

(i) राज्य सरकार ने जल आपूर्ति परियोजना के लिए एल.आई.सी. से लिए गए ऋण के लिए आर.डब्ल्यु.एस.एस.सी. को ₹ 155.60 करोड़ की गारंटी प्रदान की। वर्ष 2023-24 के दौरान, पी.एच.ई.डी, राजस्थान सरकार ने एल.आई.सी. को ऋण (मूलधन और ब्याज) के पुनर्भुगतान के लिए आर.डब्ल्यु.एस.एस.सी को ₹ 1.29 करोड़ (मूलधन के रूप में ₹ 0.95 करोड़ और ब्याज के रूप में ₹ 0.34 करोड़) हस्तांतरित किए। हालाँकि, ऋण का देय भार निगम द्वारा वहन किया जाना था। 31 मार्च 2024 तक, इस ऋण के विरुद्ध आर.डब्ल्यु.एस.एस.सी. का बकाया ऋण ₹ 1.86 करोड़ था।

(ii) राजस्थान सरकार ने वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान आर.डब्ल्यु.एस.एस.सी द्वारा हुडको और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से प्राप्त ₹ 7,000 करोड़ के ऋण के लिए भी गारंटी प्रदान की। इस ऋण में से, निगम ने जल जीवन मिशन के राज्य हिस्से के रूप में ₹ 6,875 करोड़ (2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान क्रमशः ₹ 841.43 करोड़, ₹ 2,671.91 करोड़ और ₹ 3,361.67 करोड़) मिशन के एसएनए खाते में हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2024 तक, आर.डब्ल्यु.एस.एस.सी के लोक लेखे में इस ऋण राशि के मुकाबले ₹ 125 करोड़ शेष थे।

यह देखा गया कि निगम ने इन ऋणों पर वर्ष 2022-23 (₹ 365.99 करोड़) और वर्ष 2023-24 (₹ 519.26 करोड़) के दौरान कुल वार्षिक ब्याज ₹ 885.25 करोड़ का भुगतान किया। यह पुनर्भुगतान जल उपयोगकर्ता शुल्क ₹ 884.42 करोड़ द्वारा किया गया था, जिसे पी.एच.ई.डी. द्वारा वर्ष 2022-23 (₹ 518.91 करोड़) और वर्ष 2023-24 (₹ 365.51 करोड़) के दौरान निगम के खाते में स्थानांतरित किये गए। यह इंगित करता है कि पी.एच.ई.डी. द्वारा एकत्र किए गए जल उपयोगकर्ता शुल्क को निगम के खाते में स्थानांतरित कर राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज का भुगतान कर रही है। यद्यपि, यह ऋण देनदारी राजस्थान सरकार के खातों में परिलक्षित न होकर आरडब्ल्यूएसएससी के खाते में परिलक्षित होती है, जिससे राज्य की कुल ऋण देनदारी कम करके आंकी गई है। यह राज्य सरकार की बजट से इतर उधारी है, क्योंकि जल जीवन मिशन में राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अंश आरडब्ल्यूएसएससी वहन कर रहा है, जबकि इसे राज्य सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं के वित्तपोषण के लिए बाजार से ऋण जुटाने के लिए निगम का उपयोग केवल एक माध्यम के रूप में किया जा रहा है।

जिला परिषदों द्वारा लिए गये ऋण के सम्बन्ध में वित्त विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2024) कि जिला परिषदों को अनुदान उनकी खराब वित्तीय स्थिति के कारण प्रदान किया जा रहा है। आरडब्ल्यूएसएससी द्वारा एल.आई.सी से लिए गये ऋण के सम्बन्ध में वित्त (बजट) विभाग द्वारा सूचित किया गया (सितम्बर 2024) कि ऋण का पुनर्भुगतान निगम अपनी स्वयं की आय एवं अन्य

राजस्व प्राप्तियों से कर रहा है। यद्यपि, आरडब्ल्यूएसएससी ने अपने प्रत्युत्तर (अक्टूबर 2023) में सरकारी स्वीकृति आदेशों को मूलधन एवं ब्याज़ के स्रोत के रूप में स्पष्टतः दर्शाया है। इसके आगे, हुडको और बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र से आरडब्ल्यूएसएससी द्वारा लिए गये ₹ 7,000 करोड़ के ऋण के सम्बन्ध में विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2024) कि आरडब्ल्यूएसएससी राज्य के जल जीवन मिशन के अंश की पूर्ति हेतु अपने स्तर पर धन की व्यवस्था कर रहा है I इसके अतिरिक्त, वर्तमान में कई केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को स्वायत्त निकायों द्वारा लागु किया जा रहा है I विभाग ने बताया कि आरडब्ल्यूएसएससी स्वयं लिए गए ऋण के लिए उत्तरदायी है और इसकी अदायगी निगम की अपनी आय से की जा रही है I हालाँकि, निगम ने स्वीकार किया (नवम्बर 2024) कि एकत्रित यूजर चार्ज को राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार निगम के पी.डी खाते में जमा किया जा रहा है। वित्त विभाग के निर्देशों की अनुपालना में इस राशि का उपयोग निगम द्वारा जल जीवन मिशन के राज्य के अंश को पूरा करने के लिए ऋणों के पुनर्भुगतान में किया जा रहा है।

इस प्रकार, उपरोक्त मामलों में राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटी के विरुद्ध जिला परिषदों और आरडब्ल्यूएसएससी द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान अंततः राज्य सरकार के बजट से किया जा रहा था। यह राज्य सरकार की बजट से इतर उधार के अंतर्गत आता है ।

4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही निधियों का हस्तांतरण

केंद्र सरकार सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों[2] (आईए) को हस्तांतरित करती है। चूंकि धनराशि राज्य बजट/राज्य कोषालय प्रणाली के माध्यम से नहीं भेजी जाती है, अतः राज्य के वित्त लेखों में यह निधियाँ उस सीमा तक दर्शित नहीं होती हैं जो राज्य की प्राप्तियों और व्यय के साथ-साथ उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय चर/पैरामीटर की भी संपूर्ण स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं।

भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2014 से निर्णय लिया कि सभी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (सी.एस.एस.) के तहत मिलने वाली सहायता को राज्य योजना के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और राज्य की समेकित निधि के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को चरणबद्ध तरीके से हस्तांतरित किया जाएगा। तथापि, वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 27,843.69 करोड़ की केंद्रीय निधि सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गयी। इसमें से, केंद्रीय सरकार ने ₹ 6,545.71 करोड़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए, ₹ 4,163.46 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के लिए, ₹ 12,131.24 करोड़ स्वदेशी यूरिया भुगतान के लिये, ₹ 251.07 करोड़ जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए, ₹ 625.10 करोड़ आयुष्मान भारत-

2. राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां गैर-सरकारी संगठनों सहित ऐसे संगठन/संस्थान हैं जो विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हैं।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए, ₹ 268.99 करोड़ सड़क शाखा के अंतर्गत कार्यों हेतु, ₹ 144.62 करोड़ अटल भूजल योजना हेतु हस्तांतरित की गयी।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियों का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है और विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 4.1*** में दिया गया है:

तालिका 4.2: 2019-24 के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा सीधे हस्तांतरित की गई निधियाँ

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
निधियां	9,483.87	13,628.16	16,150.62	18,059.23	27,843.69

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-24 के दौरान केंद्र सरकार से राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरण लगभग तीन गुना बढ़ गया।

4.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि), 2012 का नियम 68(i) निर्दिष्ट करता है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियाँ यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा अपनी वित्तीय शक्ति के भीतर जारी की जाती है तो उन शक्तियों को निर्दिष्ट करते हुए सीधे महालेखाकार को भेजी जाएंगी जिनके तहत उन्हें जारी किया गया है। आगे, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि) के नियम 284 एवं 286 निर्दिष्ट करते हैं कि विभागीय अधिकारियों द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए और सत्यापन के बाद उनकी स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के भीतर, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार (लेखा व हक़) को अग्रेषित किए जाने चाहिये। नियम 282(ii) और (iv) में यह भी प्रावधान है कि अनुदान को वित्तीय वर्ष से आगे भी एक वर्ष की आवश्कताओं को पूरा करने के लिए स्वीकृत किया जाएगा, लेकिन वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान का केवल उतना ही हिस्सा भुगतान किया जाएगा जितना वर्ष के दौरान व्यय होने की सम्भावना है। स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उसका कोई भी अव्ययित शेष सरकार को विधिवत रूप से वापस कर दिया जाएगा। राजस्थान में, राज्य सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान (सअ) को तीन कार्यकारी शीर्षों में विभाजित किया गया है (i) 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन); (ii) 92- सहायतार्थ अनुदान (वेतन) और (iii) 93-पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायतार्थ अनुदान।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राजस्थान सरकार ने ₹ 49,443.75 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान जारी किया, जिसमें से ₹ 41,708.31 करोड़ कार्यकारी शीर्ष 12 (सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन),

₹ 267.35 करोड़ कार्यकारी शीर्ष 93 (पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए सहायतार्थ अनुदान) तथा ₹ 7,468.09 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान (वेतन)[3] हेतु जारी किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2024 को विभिन्न विभागों ने अवधि वर्ष 2010-11 से 2022-23 के कुल ₹ 1,122.12 करोड़ के 996 उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा व हक़) कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से, राशि ₹ 319.79 करोड़ के 432 उपयोगिता प्रमाण-पत्र, 'पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए सहायतार्थ अनुदान' से संबंधित थे। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार बकाया निम्न **तालिका 4.3** एवं **तालिका 4.4** में दिया गया है:

तालिका 4.3: 31 मार्च, 2024 को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष*	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रो की संख्या	राशि
2022-23 तक	352	293.05
2023-24	644	829.07
योग	**996**	**1,122.12**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित सूचना

* ऊपर दर्शाया गया वर्ष 'देय वर्ष' से सम्बंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 12 महीनों के बाद

तालिका 4.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष*	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2011-12	5	0.02
2012-13	4	0.04
2013-14	6	0.03
2014-15	7	0.04
2018-19	48	0.64
2019-20	10	1.71
2020-21	38	84.20
2021-22	15	4.61
2022-23	219	201.77
2023-24	644	829.06
कुल	**996**	**1,122.12**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित सूचना

* यहाँ वर्ष 'देय वर्ष' से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 12 महीनों के बाद

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, बकाया यू.सी. की लगभग 96 प्रतिशत राशि 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों' (401 यू.सीः ₹ 221.92 करोड़), सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (301 यू.सीः ₹ 145.99 करोड़), चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (80

3. सामान्य प्रयोजन अर्थात राज्य निधि या केंद्रीय सहायता (₹ 7,468.09 करोड़) के तहत योजनाओं के लिए वेतन, स्थापना और कार्यालय व्यय के लिए जारी अनुदानों के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि) के नियम 285(4) के अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.37 करोड़ की राशि को लघु शीर्ष-191 (₹ 0.03 करोड़), लघु शीर्ष-192 (₹ 0.28 करोड़) और लघु शीर्ष-196 (₹ 0.06 करोड़) के तहत वर्गीकृत किया गया था, जिसके लिए समान नियम के तहत यू.सी. प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

यू.सीः ₹ 199.53 करोड़), परिवार कल्याण (24 यू.सीः ₹ 464.39 करोड़), और नगरीय विकास (11 यू.सीः ₹ 45.83 करोड़) से संबंधित है।

30 नवम्बर, 2024 को, इन 996 यू.सी. में से 71 यू.सी. बकाया थे। 30 नवम्बर, 2024 तक बकाया 71 यू.सी. का विभाग-वार विवरण निम्नलिखित **तालिका 4.5** में सारान्शीकृत है।

तालिका 4.5: बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की विभाग–वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग/शीर्ष का नाम	उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1	0.07
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग)	56	0.48
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	13	49.27
सामान्य शिक्षा	1	17.91
योग	**71**	**67.73**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित सूचना

संबंधित विभागों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा न करने के कारण पूछे गए, तथापि, वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने सूचित किया (नवम्बर, 2024) कि सम्बंधित यू.सी. के शीघ्र निपटान के लिए सम्बंधित विभागों को निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर, 2024) कि विभाग द्वारा योजना क्रियान्वयन एजेंसी से यूसी प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किये जा रहे हैं।

निर्धारित अवधि से अधिक समय तक यू.सी. का बकाया रहना न केवल वित्तीय जवाबदेही तंत्र को कमजोर करता है, अपितु यह भी दर्शाता है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान की समय पर और निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गए यू.सी. की प्रमाणिकता की जांच में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर द्वारा कृषि योजनाओं से सम्बंधित एक गलत यू.सी. प्रस्तुत करने का मामला पाया गया। यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 86.88 करोड़[4] की प्राप्त सहायतार्थ अनुदान की यू.सी. कृषि विभाग, राजस्थान सरकार को प्रस्तुत की गई। यद्यपि, इसके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मात्र ₹ 55.80 करोड़ का व्यय किया गया और शेष राशि अप्रयुक्त रही एवं विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत यू.सी. के आधार पर अगले वर्ष के लिए सहायतार्थ अनुदान जारी कर दी।

[4] शीर्ष 2415-01-277-01-63-93 के अंतर्गत

यह इंगित करता है कि निधियों के वास्तविक उपयोग के बिना यू.सी. प्रदान की जा रही थी, जिससे यू.सी. की प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है। चूँकि, यह अवलोकन यू.सी. के एक नमूना जांच पर आधारित है, अतः इस प्रकार की ऐसी घटनाओं की व्यापकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्ण व्यय के बिना यू.सी. जारी करने के मामले में उपयुक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अनुदानग्राही संस्था के सम्बन्ध में सूचना का अभाव

लेखापरीक्षा और लेखा विनियम (संशोधन) 2020 के विनियम 88 के अनुसार सरकार और विभागाध्यक्ष जो निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, वे ऐसे निकायों एवं प्राधिकरणों जिन्हें पिछले वर्ष के दौरान कुल ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान और/या ऋण दिया गया था, के सम्बन्ध में (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई थी और (ग) निकाय या प्राधिकरण के कुल व्यय को दर्शाते हुए विवरण प्रति वर्ष जुलाई के अंत तक लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखे 2023-24 के अनुसार, सहायतार्थ अनुदान राज्य के कुल व्यय का 17.95 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान, ₹ 48,328.54 करोड़ के कुल सहायतार्थ अनुदान में से, ₹ 20,150.18 करोड़ (41.69 प्रतिशत) की राशि का संवितरण 'अन्य' प्रकार के अनुदानग्राही संस्थानों को किया गया, जहां 'अन्य' का अर्थ विभिन्न सरकारी विभागों से है, जैसाकि नीचे **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6: संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	**कुल अनुदान**	**41,024.82**	**39,744.68**	**49,126.65**	**49,443.69**	**48,328.54**
2.	अन्य	10,222.30	12,431.88	14,537.75	16,553.25	20,150.18
3.	**कुल अनुदान से 'अन्य' का प्रतिशत**	**24.92**	**31.28**	**29.59**	**33.48**	**41.69**
4.	**राज्य का कुल व्यय**	**1,93,458**	**1,94,071**	**2,34,563**	**2,46,452**	**2,69,275**
5.	राज्य के कुल व्यय से कुल अनुदान का प्रतिशत	21.21	20.48	20.94	20.06	17.95

स्रोतः वित्त लेखे

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान 'अन्य' को दिया गया अनुदान कुल सहायतार्थ अनुदान का 24.92 प्रतिशत से 41.69 प्रतिशत के मध्य था। इस प्रकार, 'अन्य' श्रेणी के संस्थानों को सहायतार्थ अनुदान राज्य के कुल अनुदान और कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते है, जो लेखों की पारदर्शिता और सहायतार्थ अनुदानों के उपयोग के अनुश्रवण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

4.5 सारांशीकृत आकस्मिक बिल

सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमितताएं

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि) के नियम 219 के अन्तर्गत, नियंत्रण एवं संवितरण अधिकारी सेवा शीर्षों को नामे कर धनराशि आहरित करने हेतु सारांशीकृत आकस्मिक (ए.सी.) बिल तैयार करने के लिए अधिकृत हैं, और उन्हें विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिल (अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर) कोषालय के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रस्तुत करने होते हैं। नियम 220 (1), एसी बिलों के माध्यम से धनराशि के आहरण से तीन महीने[5] की अवधि के भीतर डी.सी. बिल प्रस्तुत करने को प्रावधित करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने मार्च 2024 तक, ₹ 81.29 करोड़ की राशि के 197 ए.सी. बिलों (31 दिसम्बर, 2023 तक आहरित) के संबंध में डी.सी. बिल प्रस्तुत नहीं किये थे। लम्बित डी.सी. बिलों का वर्ष-वार विवरण और उनका अवधि-वार विश्लेषण नीचे **तालिका 4.7** और **तालिका 4.8** में दिया गया है:

तालिका 4.7: ए.सी. बिलों के विरुद्ध डी.सी. बिल प्रस्तुत करने की वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वृद्धि		निस्तारण		अन्तिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2021-22 तक	117	31.37	505	58.50	533	56.68	89	33.19
2022-23	89	33.19	526	78.28	530	90.47	85	21.00
2023-24	85	21.00	876	218.57	764	158.28	197	81.29

स्रोतः वित्त लेखे

तालिका 4.8: बकाया डी.सी. बिलों की अवधि-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

लम्बन अवधि	बकाया डी.सी. बिलों की संख्या	राशि
15 वर्षों से अधिक	1	-*
10 वर्ष से 15 वर्ष	1	1.04
5 वर्ष से 10 वर्ष	1	0.02
एक वर्ष से 5 वर्ष	11	63.29
शून्य से एक वर्ष	183	16.94
योग	**197**	**81.29**

स्रोतः वित्त लेखे एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा एकत्रित सूचना

* मात्र ₹ 30,000

5. विदेशों से मशीनरी/उपकरण और अन्य वस्तुओं की खरीद के मामले को छोड़कर, साख पत्र जारी कर, ए.सी. बिलों के माध्यम से धन के आहरण के छह महीने के भीतर, डी.सी. बिल सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

मार्च 2024 तक की अवधि के लिए ए.सी. बिलों के समक्ष बकाया राशि के साथ लंबित डी.सी. बिलों का मुख्य शीर्ष-वार विवरण ***परिशिष्ट 4.2*** में विस्तृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, आगे की संवीक्षा में निम्नलिखित बातें भी ध्यान में आई:

(i) डी.सी. बिल प्रस्तुत न करना

जैसाकि ऊपर तालिका में दिया गया है, मार्च 2023 तक आहरित किए गए 14 ए.सी. बिल एक वर्ष से अधिक अवधि के अंतराल के बावजूद असमायोजित रहे। इन 14 ए.सी. बिलों का विवरण नीचे **तालिका 4.9** में दिया गया है:

तालिका 4.9: डी.सी. बिल प्रस्तुत न करना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	ए.सी. बिल संख्या व दिनांक	राशि	विभाग के द्वारा विलम्ब के उपलब्ध कराये गये कारण/लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	सहायक निदेशक, डाइट, जालोर	2202	1990-91	0.30	विभाग ने सूचित किया (नवम्बर, 2024) कि समायोजन के लिए प्रपत्र कोषालय जालोर को प्रस्तुत कर दिये गये हैं।
2.	आयुक्त, आपदा प्रबंधन एवं राहत, जयपुर	2245	813/19.03.2013	103.50	रोकड़िया से ₹14.80 लाख की वसूली लम्बित रहने के कारण डी.सी बिल जमा कराने का कार्य लंबित है।
3.	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	2051	299/06.10.2016	2.00	यह बैंक में पुराने नोट जमा करने में चूक के कारण हुआ। विभाग ने सूचित किया है कि ज़िम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
4.	निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर	2204	158/28.12.2021	4.30	विभाग द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया (सितंबर 2024)।
5.	राजस्व मंडल, अजमेर	2029	842/24.01.2022	50.00	विभाग द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया (सितंबर 2024)।
6.	निदेशक, एन.सी.सी. 3, अलवर	2204	41657121/23.09.2022	2.17	विभाग द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया (सितंबर 2024)।
7.	विभागाध्यक्ष एवं डी.डी.ओ., एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर	4210	45205307/29.3.2023 45204612/29.3.2023	1,500.00	विभाग द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया (सितंबर 2024)।
8.	प्राचार्य, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	4210	44966688/23.3.2023 45168506/28.3.2023 45169128/28.3.2023 45168922/28.3.2023 44810866/14.3.2023 44810816/14.3.2023	2,500.00 1,008.06 665.51 100.54 59.35 439.16	क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, जोधपुर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के लिए उपकरण खरीदे गए हैं और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उन्हें स्थापित किया जाएगा।

जैसाकि तालिका से स्पष्ट है, ₹ 1.06 करोड़ (क्रम सं 1, 2 एवं 3) की राशि के तीन बिल पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।

पिछले वर्षों के डी.सी. बिलों के लंबित रहने की स्थिति से पता चलता है कि पुराने ए.सी. बिलों के निपटान में सुधार हुआ है। हालांकि, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिकांश लंबित बिल पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में इंगित किए जाने के बाद अभी भी लंबित हैं। राज्य सरकार को इस संबंध में उचित सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

ए.सी. बिलों के माध्यम से निकाले गए धन को राज्य के समेकित कोष में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। जब तक डी.सी. बिलों के माध्यम से खातों का निपटान निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता, तब तक व्यय उस सीमा तक बढ़ जाता है। इसके अलावा, डी.सी. बिलों का जमा न होना विभागों के साथ-साथ कोषागारों की ओर से अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है। राज्य सरकार को ए.सी. बिलों के माध्यम से निकाले गए धन के अनुश्रवण करने के लिए अधिक मजबूत तंत्र स्थापित करने और उनके विरुद्ध डी.सी. बिलों का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए ।

(ii) विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब

सावि एवं लेनि, 2012 के नियम 8(2) अभिनिर्धारित करता है कि निधियों को केवल तभी आहरित किया जाए जब तत्काल भुगतान की आवश्यकता हो और व्यय या भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत हो।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान, डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण विलम्ब देखा गया। विवरण नीचे दी गई **तालिका 4.10** में दिए गए हैं:

तालिका 4.10: डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में देरी की अवधि

(₹ लाख में)

क्र. स.	कार्यालय का नाम	विलम्ब से प्रस्तुत डी. सी. बिलों की संख्या (ए.सी. बिल क्रमांक सहित)	विलम्ब अवधि (महीनों में)
1.	पंजीयक, राजस्व मंडल, अजमेर	1 (183)	187
2.	सचिव, खेल एवं युवा विभाग	2 (41423919, 41633043)	6 से 9
3.	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड	35 (40309521, 41310259, 41310319, 42181849, 42367191, 42366287, 42367042, 42366217, 44935181, 45201304, 46483946, 46483129, 45201325, 46529868, 46965587, 46966695, 46966711, 46900238, 46789978, 46789969, 46900269, 46899592, 46899717, 47797677, 47797691, 47223507, 47223490, 47273766, 47273794, 46780354, 46780982, 47067836, 47797725, 47594146, 47594876)	6 से 12
	योग	**38**	

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में 6 महीने से लेकर 187 महीने तक का विलम्ब हुआ।

निदेशक, कोषागार एवं लेखा ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अक्टूबर 2024) कि अगस्त 2024 तक, लंबित 197 ए.सी. बिलों के विरुद्ध 188 डी.सी. बिलों को समायोजित कर दिया गया है तथा विभिन्न विभागों से डी.सी. बिल जमा करने में देरी के कारणों की सूचना प्रतीक्षित हैं।

इसके अलावा, 25 प्रकरणों में यह पाया गया कि डी.सी. बिल प्रस्तुत करते समय ए.सी. बिल राशि चालान के माध्यम से वापस जमा करा दी गई थी । विवरण ***परिशिष्ट 4.3*** में दिया गया है। सम्पूर्ण राशि चालान के माध्यम से जमा कराना यह दर्शाता है कि वास्तविक आवश्यकताओं के उचित आंकलन के बिना ए.सी. बिलों के माध्यम से राशि का आहरण किया गया था।

ए.सी. बिलों के माध्यम से धनराशि के अनियमित प्रतिधारण ने विभागों को बजट प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने और संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राशि खर्च करने की बजटीय बाध्यता को दरकिनार करने में सक्षम बनाया। पहले से आहरित किये गए ए.सी. बिलों के विरुद्ध डी.सी. बिलों की लंबितता के नियमित अनुश्रवण के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। पर्याप्त अवधि समाप्त होने के बाद भी ए.सी बिलों को समायोजित नहीं किया जाना विभागों के साथ-साथ कोषालयों की ओर से अनुश्रवण में कमी को इंगित करता है।

ए.सी./डी.सी. बिलों की सत्यता की जांच करने के लिए, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर से संबंधित डीसी बिलों की जांच की गई। यह पाया गया कि न्यूरोलॉजी विभाग में डी.एस.ए. मशीन की स्थापना के लिए ₹ 8.34 करोड़ की राशि के तीन ए.सी. बिल आहरित किये गए थे। मशीन के भुगतान के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पांच सावधि जमा (एफ.डी.) बनायी गई थीं और इन एफ.डी. से ब्याज के रूप में ₹ 45.26 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2024) कि मशीन की स्थापना के विरुद्ध फर्म को ₹ 8.54 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। भुगतान तिथि पर रुपए और डॉलर के विनिमय दर में अंतर के कारण ₹ 20.23 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ था और इसकी पूर्ति एफ.डी. पर अर्जित ₹ 45.26 लाख के ब्याज से की गई थी। यद्यपि, काम पूरा होने पर शेष राशि को डीसी बिल के साथ चालान के माध्यम से सरकारी खाते में जमा करना था, लेकिन ₹ 25.03 लाख रुपए की शेष राशि अभी भी एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के पास पड़ी हुई है, यद्यपि डी.सी बिल जनवरी 2023 में प्रस्तुत किया गया था।

काम पूरा होने के बाद शेष राशि का अनियमित रूप से रोके रखना यह दर्शाता है कि साविएवं लेनि के नियम 8(2) और नियम 220 का पालन नहीं किया गया ।

4.6 निजी निक्षेप खाते

निजी निक्षेप (पी.डी.) खाता संबंधित कोषालय में लोक लेखा के जमा शीर्ष के अंतर्गत खोला जाता है। इस तरह के खातों को कोषालय में बैंक खाते की तरह संधारित किया जाता है।

राजस्थान सरकार का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि) का नियम 260(1) प्रावधित करता है कि सरकारी लेखों में जमा के लिए कोई धन तब तक प्राप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वे किसी वैधानिक प्रावधान या सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के आधार पर सरकार की अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी गई थी।

1. निजी निक्षेप खातों की स्थिति

वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन पीडी खातों में पड़ी हुई निधियों की स्थिति **तालिका 4.11** में दी गई है:

तालिका 4.11: वर्ष 2019-24 के दौरान निजी निक्षेप खातों में रखी गई निधियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अन्त में पी.डी. खातों की संख्या			अन्तिम शेष
	सक्रिय	निष्क्रिय	योग	
2019-20	1,845	55	1,900	16,289.07
2020-21	1,895	33	1,928	14,382.95
2021-22	2,001	52	2,053	18,220.62
2022-23	2,067	133	2,200	14,114.10
2023-24	2,336	115	2.451	13,762.90

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना

तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2019-20 में 1,900 पी.डी. खातों में अंतिम शेष ₹ 16,289.07 करोड़ से घटकर वर्ष 2023-24 में 2,451 पीडी खातों में ₹ 13,762.90 करोड़ रह गया। वर्ष 2023-24 को राज्य सरकार के पी.डी. खातों की स्थिति निम्नलिखित **तालिका 4.12** में दी गई है:

तालिका 4.12: वर्ष 2023-24 के दौरान निजी निक्षेप खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निजी निक्षेप खातों का शेष (2023-24)	राशि
1.	**आरम्भिक शेष (1 अप्रैल 2023)**	**14,114.10**
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि	40,311.63
	(i) समेकित निधि के माध्यम से हस्तांतरित की गयी राशि	22,865.05
	(ii) पी डी खातों में सीधे जमा कराई गयी निधियाँ	17,446.58
3.	वर्ष के दौरान आहरण	40,662.83
4.	**31 मार्च 2024 को अंतिम शेष**	**13,762.90**
	मार्च 2024 के दौरान निजी निक्षेप खातों में लेनदेन	
5.	माह के दौरान पीडी खातों में हस्तांतरित/जमा की गई राशि	6,928.28
	(i) समेकित निधि के माध्यम से हस्तांतरित की गयी राशि	2,514.17
	(ii) पी डी खातों में सीधे जमा कराई गयी राशि	4,414.11
6.	माह के दौरान आहरण	**8,199.24**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-निजी निक्षेप जमा के अंतर्गत ₹ 40,311.63 करोड़ की राशि पी.डी. खातों में हस्तांतरित/जमा की गई, जो राज्य के कुल व्यय (₹ 2,69,275 करोड़) का 14.97 प्रतिशत है। इस राशि में स्वायत्त निकायों को संबंधित कोषागार में उनके नाम से खोले गए पी.डी. खातों में सहायतार्थ अनुदान के रूप में हस्तांतरित ₹ 22,865.05 करोड़ रुपए और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में खनन गतिविधियों से प्राप्त राजस्व, स्वायत्त संस्थाओं की अपनी आय आदि जैसे पी.डी. खातों में सीधे जमा ₹ 17,446.58 करोड़ रुपए शामिल हैं।

पी.डी. खातों और उनके शेषों का अवधि-वार विवरण नीचे **तालिका 4.13** में दिया गया है:

तालिका 4.13: 31 मार्च 2024 को निजी निक्षेप खातों का अवधि-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

अवधि वर्ग	पी.डी. खातों की संख्या	31 मार्च 2024 को राशि
शून्य से एक वर्ष	309	534.96
एक से तीन वर्ष	326	726.78
तीन से पांच वर्ष	107	285.00
पांच से दस वर्ष	491	2,302.86
10 वर्ष से अधिक	1,036	7,595.44
विवरण उपलब्ध नहीं	182	2,317.86
कुल	**2,451**	**13,762.90**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

पी.डी. खातों की शेष राशि के विश्लेषण से पता चलता है कि:

(i) ₹ 22,865.05 करोड़ में से ₹ 2,514.17 करोड़ (10.99 प्रतिशत) की राशि मार्च 2024 में पीडी खातों में हस्तांतरित की गई थी। राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) के अनुसार, बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों के आहरण कर ऐसे धन को लोक लेखे या बैंक में जमा करना निषिद्ध है। इसलिए, मार्च माह के दौरान पीडी खातों में वृहत्त राशि का हस्तांतरण एसबीएम के प्रावधान का उल्लंघन है।

(ii) 2,451 पीडी खातों में ₹ 13,762.90 करोड़ की अव्ययित शेष राशि में 24 पीडी खाते (प्रत्येक में ₹100 करोड़ और उससे अधिक की शेष राशि) सम्मलित हैं, जिनमें ₹ 8,598.34 करोड़ अर्थात् कुल अव्ययित (₹ 13,762.90 करोड़) शेष राशि का 62.47 प्रतिशत पड़ा हुआ है जैसाकि ***परिशिष्ट 4.4*** में दिया गया है।

(iii) राज्य सरकार के विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) द्वारा रखे गए पी.डी. खातों की जांच से पता चला कि वर्ष 2023-24 के दौरान 74 खातों में कोई लेनदेन नहीं हुआ और इन खातों में "शून्य" आरंभिक एवं अंतिम शेष था, जिनका विवरण ***परिशिष्ट 4.5*** में दिया गया है।

2. पी.डी. खातों में प्रतिकूल शेष

पी.डी. खातों की शेष राशि की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 10 पी.डी. खातों में ऋणात्मक शेष थे। विवरण नीचे **तालिका 4.14** में दिया गया है:

तालिका 4.14: पी.डी. खातो में प्रतिकूल शेष

क्र. सं.	पी.डी. खाता संख्या एवं नाम	कोषागार का नाम	राशि (₹ में)
1.	3061-अतिरिक्त.डी.ई.ओ. सह बी.ई.ई.ओ.	13-दौसा	(-) 33,32,909
2.	5967-राजकीय महाविद्यालय,अनूपगढ़	16-गंगानगर	(-) 15,000
3.	473-एच.बी.ए. ऋण (पुराना 31.3.2004)	20-जयपुर ग्रामीण	(-) 29,411
4.	473-एच.बी.ए. ऋण (पुराना 31.3.2004)	29-कोटा	(-) 2,49,378
5.	2598- अधिशासी अभियंता पी.एच.ई.डी. डीडवाना	30-नागौर	(-) 4,48,522
6.	473-एच.बी.ए. ऋण (पुराना 31.3.2004)	30-नागौर	(-) 44,571
7.	473-एच.बी.ए. ऋण (पुराना 31.3.2004)	31-पाली	(-) 56,662
8.	473-एच.बी.ए. ऋण (पुराना 31.3.2004)	34-सवाईमाधोपुर	(-) 7,620
9.	473-एच.बी.ए. ऋण (पुराना 31.3.2004)	37-टोंक	(-) 2,27,259
10.	473-एच.बी.ए. ऋण (पुराना 31.3.2004)	38-उदयपुर शहर	(-) 5,48,931

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना

पी.डी. खातों में ऋणात्मक शेष निधि में उपलब्ध शेष राशि से अधिक भुगतान का संकेत देता है जो कोषालय के स्तर पर पर्याप्त सामंजस्य की कमी को दर्शाता है। वित्त (कोषालय एवं लेखा) विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2024) कि चार पी.डी खातों का मिलान कर लिया गया और अब उनमें धनात्मक शेष दर्शाया जा रहा है।

पी.डी. खाते में ऋणात्मक शेष के संबंध में जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2021-22 में 42वें प्रतिवेदन (15वीं विधानसभा) में की गई सिफारिशों के अनुपालना में, विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2020) कि सभी पी.डी. खातों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से जोड़ा जा चुका है, जिससे पी.डी. खातों में शेष राशि से अधिक धनराशि का आहरण संभव नहीं होगा। तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी प्रणाली के अस्तित्व के उपरांत भी उक्त पी.डी. खातों में ऋणात्मक शेष कैसे बना हुआ हैं।

3. निष्क्रिय पी.डी. खाते

राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 98 में प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में कोषालय अधिकारी संचालित पी.डी. खातों की समीक्षा करेगा तथा पिछले दो वित्तीय वर्षों से लगातार निष्क्रिय पड़े खातों की सूची वित्त विभाग (मार्गोपाय) को भेजने के लिए तैयार करेगा। जन लेखा समिति ने अपने 42वें प्रतिवेदन (15वीं विधानसभा) में निष्क्रिय पी.डी. खातों के संबंध में राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के प्रावधानों का पालन करने और भविष्य में निष्क्रिय खातों को समय पर बंद करना सुनिश्चित करने की सिफारिश की।

विभिन्न विभागों के पी.डी. खातों की समीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2024 तक कुल 115 पी.डी. खाते, जिनमें ₹ 54.48 करोड़ की राशि पड़ी थी, पिछले दो वर्षों (2022-24) से निष्क्रिय थे, जिनमें से 46 निष्क्रिय पी.डी. खातों में पिछले दो वर्षों से शून्य शेष था । इन पी.डी. खातों का विवरण ***परिशिष्ट 4.6*** में उल्लेखित है।

विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2024) कि 115 निष्क्रिय पीडी खातों में से 112 खाते बंद कर दिए गए हैं और तीन खाते वित्त (मार्गोपाय) विभाग, राजस्थान सरकार की मंजूरी के साथ पुनः संचालित किये गए हैं।

4. जिला खनिज फाउंडेशन निधि

राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डी.एम.एफ.टी) की स्थापना (जून 2016) की है। राजस्थान जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (आर.डी.एम.एफ.टी) नियम, 2016 का उद्देश्य जिले में खनन सम्बंधित संचालन से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रो के हित एवं लाभ के लिए कार्य करना है।

प्रारंभ में, ट्रस्ट के लिए अंशदान पट्टाधारकों द्वारा निर्धारित दर पर सम्बंधित खनन अभियंता/सहायक खनन अभियंता कार्यालय में या सीधे केंद्रीयकृत चालू बैंक खाते में जमा किया जाना था। वित्त (मार्गोपाय) विभाग ने डी.एम.एफ.टी के नाम से सभी जिलों में ब्याज रहित पी.डी खाते खोलने के निर्देश (अप्रैल, 2017) जारी किए। इसके बाद, जून 2018 में नियमों में संशोधन किया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि डी.एम.एफ.टी निधि को ब्याज़ वाले खातों में रखा जाएगा। बाद में सभी जिलों में ब्याज वाले पी.डी. खाते (दिसम्बर, 2020) खोले गए।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि डी.एम.एफ.टी में किया गया अंशदान अब भी ब्याज वाले एवं बिना ब्याज वाले दोनों पी.डी. खातों में जमा किया जा रहा था। 31 मार्च 2024 तक, 37 पी.डी खातों में से बिना ब्याज वाले पी.डी. खातों का शेष ₹ 659.59 करोड़ था।

यह दर्शाता है कि डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत जमा किये गये अंशदान को सीधे ब्याज वाले पी.डी. खाते में जमा नही किया जा रहा है और बिना ब्याज वाले पी.डी. खातें अभी भी संचालित है जो कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन है, जिसके परिणामस्वरूप डी.एम.एफ.टी. निधि को ब्याज की हानि हुई।

5. स्थानीय निधियों की जमा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 64 में प्रावधान है कि जिला परिषद (जिप), पंचायत समिति (पंस) और ग्राम पंचायत (ग्रापं) क्रमशः जिप निधि, पंस निधि और ग्रापं निधि[6] संधारित

6. मुख्य शीर्ष 8448 के अंतर्गत-स्थानीय निधियों की जमाएं, 109-पंचायत निकाय निधियां

करेंगे। इन निधियों में, इस अधिनियम के तहत वसूल किये गये अथवा वसूली योग्य सभी धनराशियाँ सम्मिलित होगी और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धनराशियाँ, यथा केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग पारितोषिक के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान और पंचायत की स्वयं का राजस्व, जिसमें कर और गैर-कर प्राप्तियाँ शामिल है। इसी प्रकार, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 79 में परिकल्पित है कि नगरपालिका को नगरपालिका निधि संधारित करनी होगी । इस अधिनियम के तहत वसूल अथवा वसूली योग्य सभी धनराशि और नगर-पालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धनराशि को नगरपालिका निधि[7] में रखा जाना है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका निधि के स्थानीय निधि की पिछले पांच वर्षों की स्थिति निम्नलिखित **तालिका 4.15** में दी गई है:

तालिका 4.15: स्थानीय निधियों की जमा

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	निधि का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियाँ	व्यय	अंतिम शेष
1	जिला परिषद निधि (8448-109-03)	2019-20	1,508.86	1,198.28	1,407.07	1,300.07
		2020-21	1,300.07	1,318.54	1,128.13	1,490.48
		2021-22	1,490.48	2,327.99	1,951.25	1,867.22
		2022-23	1,867.22	1,883.18	1,986.55	1,763.85
		2023-24	1,763.85	1,737.65	2,097.72	1,403.78
2	पंचायत समिति निधि (8448-109-02)	2019-20	1,463.95	3,205.03	3,496.43	1,172.55
		2020-21	1,172.55	1,797.45	1,545.79	1,424.21
		2021-22	1,424.21	2,640.36	2,210.78	1,853.79
		2022-23	1,853.79	2,452.66	2,160.83	2,145.62
		2023-24	2,145.62	2,144.37	2,742.86	1,547.13
3	नगरपलिका निधि (8448-102)	2019-20	1,404.17	2,874.08	2,835.52	1,442.73
		2020-21	1,442.73	4,591.66	3,614.48	2,419.91
		2021-22	2,419.91	4,662.10	4,492.33	2,589.68
		2022-23	2,589.68	5,712.06	6,315.85	1,985.89
		2023-24	1,985.89	6,818.12	7,513.45	1,290.56

स्रोतः वित्त लेखे एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-24 के दौरान, जिप निधि, पंस निधि और नपा निधि में बड़ी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है। वर्ष 2023-24 के दौरान इन निधियों में क्रमशः ₹ 1,403.78 करोड़, ₹ 1,547.13 करोड़ और ₹ 1,290.56 करोड़ का अंतिम शेष था।

7. मुख्य शीर्ष 8448 के अंतर्गत-स्थानीय निधियों की जमाएं, 102-नगरपालिका निधियाँ

ग्राम पंचायतें अनुसूचित बैंक की निकटतम शाखा में खाते रखती हैं। ग्राम पंचायतों के इन खातों में पड़ी अप्रयुक्त धनराशि की स्थिति का रखरखाव पंचायत समिति या जिला परिषद के स्तर पर ठीक से नहीं किया जा रहा है। हालाँकि, पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के पास पड़ी अप्रयुक्त निधियों के संकलन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2024) कि जिला परिषदों ने इन निधियों में शेष पड़े रहने के विभिन्न कारण बताये है जैसे- एम.एल.ए एल.ए.डी निधियों का उपयोग न करना, समय पर स्वीकृति जारी नहीं करना, कार्यकारी एजेंसियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करना।

राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगम की निधियों के समय पर उपयोग, बंद योजनाओं के अप्रयुक्त शेषों को राजस्व मद में जमा करने और ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में रखे गये शेषों के अनुश्रवण के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

4.7 लघु शीर्ष-800 का संचालन

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद ए-10 प्रावधित करता है कि "यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए कि व्यय को उचित कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाए और जहां तक संभव हो 'अन्य व्यय' की श्रेणी में वर्गीकरण से बचा जाना चाहिए।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 57 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 14,260.44 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 5.30 प्रतिशत (₹ 2,68,876.60 करोड़) था, को लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय के तहत लेखों में वर्गीकृत किया गया था, जबकि वर्ष 2022-23 में ₹ 10,515.26 करोड़ को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार, 44 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 9,138.35 करोड़ जमा हुए जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.50 प्रतिशत (₹ 2,03,276.28 करोड़) था, को लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत लेखों में वर्गीकृत किया गया था, जबकि वर्ष 2022-23 में, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत ₹ 12,013.42 करोड़ की राशि पुस्तांकित की गयी थी।

राज्य सरकार ने वर्ष 2019-24 की अवधि में इस लघु शीर्ष का बड़े पैमाने पर संचालन किया। ऐसे मामले जहां व्यय और प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा (50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800 के तहत वर्गीकृत किया गया था, ***परिशिष्ट 4.7*** में दर्शाया गया है। वर्ष 2019-24 के दौरान सम्बन्धित शीर्षों के कुल व्यय एवं प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं 800-अन्य प्राप्तियों के संचालन की सीमा भी क्रमशः **चार्ट 4.2** एवं **चार्ट 4.3** में दी गई है।

चार्ट 4.2: वर्ष 2019-24 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन

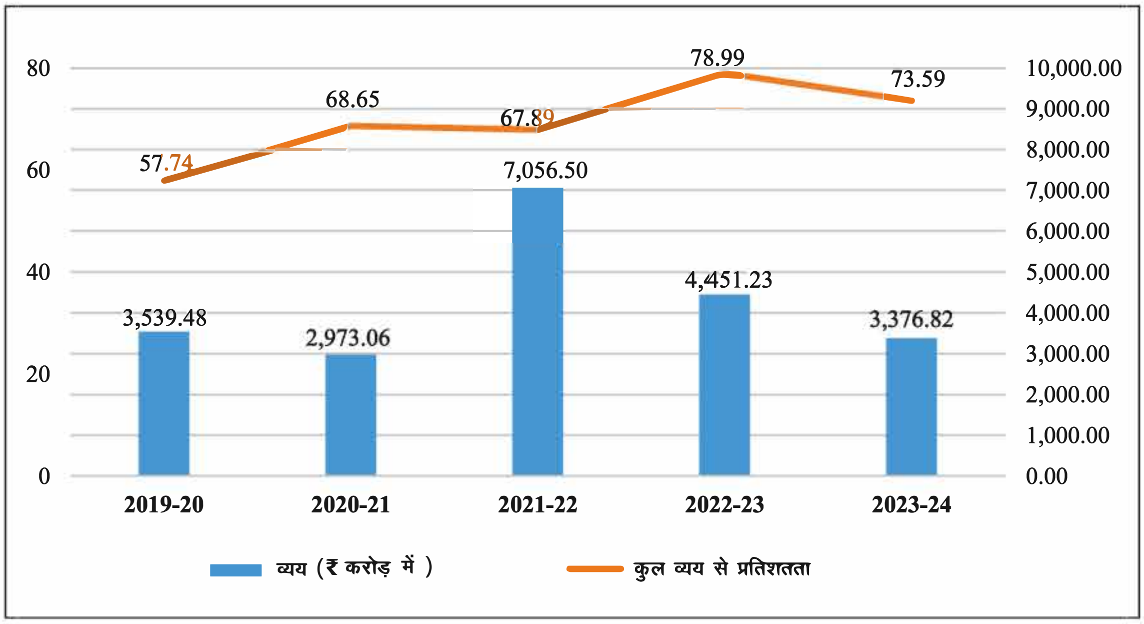

चार्ट 4.3: वर्ष 2019-24 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों का संचालन

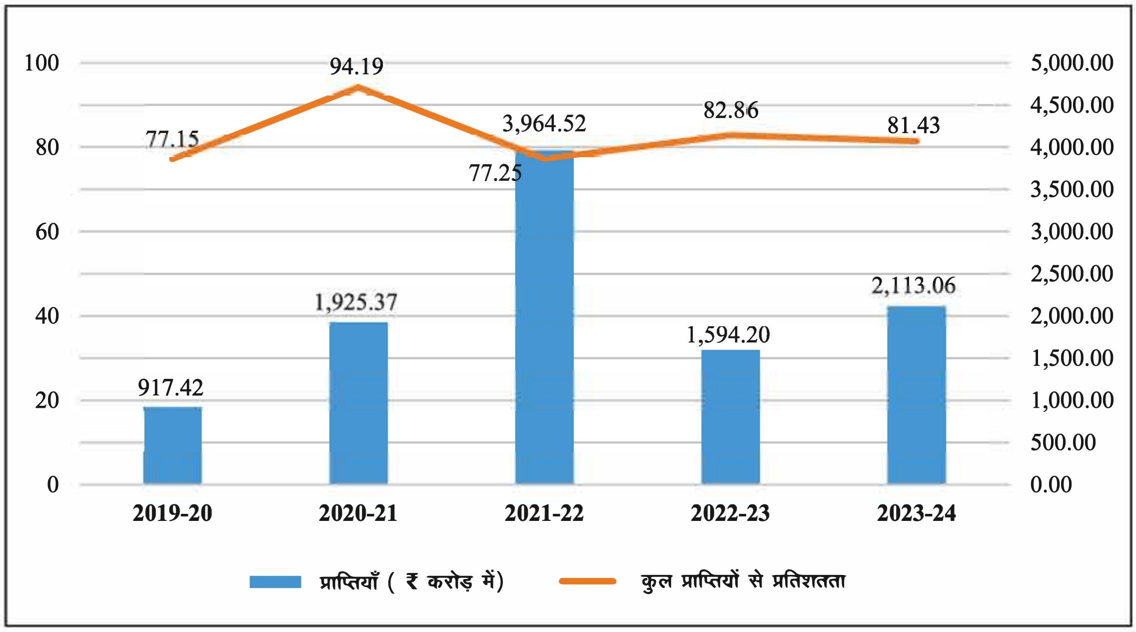

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों दोनों ही मामलों में प्रतिशतता वृद्धि हुई थी।

बहुगर्भित लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में राशि का पुस्तांकन वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। लघु शीर्ष-800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे लेखांकन प्रणाली अपारदर्शी हो जाती है।

इस संबंध में, वित्त विभाग ने सभी डी.डी.ओ./सी.सी.ओ. को बिना आवश्यकता के लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत प्रावधान नहीं करने और लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची (एल.एम.एम.एच.) में उचित शीर्ष उपलब्ध नहीं होने पर ही "800-अन्य व्यय" के तहत व्यय को पुस्तांकित करने के निर्देश जारी किए (अगस्त 2022)।

4.8 प्रमुख उचंत और डी.डी.आर. शीर्षों के तहत बकाया शेष

'उचंत' और 'प्रेषण' शीर्षों से सम्बन्धित लेनदेन का उद्देश्य सभी समायोजन शीर्षों को दर्ज करना है। कुछ मध्यस्थ/समायोजन लेखा शीर्षों को 'उचंत शीर्ष' के रूप में जाना जाता है जिसे ऐसे प्राप्ति एवं भुगतान के लेनदेन को दर्शाने के लिए सरकारी लेखों में खोला जाता है, जिन्हें जानकारी के आभाव में लेखों के अन्तिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है, जैसे कोषालयों/भुगतान और लेखा अधिकारी द्वारा निपटान की अनुसूची प्रस्तुत न करना, भारतीय रिजर्व बैंक से निकासी मेमो की अप्राप्ति, वाउचर की अप्राप्ति इत्यादि। इन लेखों के शीर्षों को अन्तिम रूप से माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट द्वारा सम्बन्धित अन्तिम लेखा शीर्षों में स्थानांतरित कर समायोजित किया जाता है । यदि इन राशियों को समायोजित नहीं किया जाता है, तो उचंत शीर्षों के अन्तर्गत शेष राशि संचित हो जाती है और जिससे सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का सही चित्रण बाधित होता हैं।

प्रेषण में सभी लेन-देन सम्मिलित होते हैं जो लेखा शीर्षों को समायोजित हो रहे हैं और इन शीर्षों के तहत डेबिट या क्रेडिट अन्ततः उसी या अन्य किसी लेखांकन चक्र में संबंधित क्रेडिट या डेबिट द्वारा समायोजित किये जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के लिए उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के तहत शेष की स्थिति नीचे **तालिका 4.16** में दी गई है:

तालिका 4.16: उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
	मुख्य शीर्ष -8658 उचन्त						
		नामे	**जमा**	**नामे**	**जमा**	**नामे**	**जमा**
1.	101 – पीएओ उचन्त	103.83	9.79	103.92	9.23	94.74	8.81
	निवल	**नामे 94.04**		**नामे 94.69**		**नामे 85.93**	
2.	102 – उचन्त लेखे-सिविल	0.41	100.24	0.37	85.19	0.40	94.74
	निवल	**जमा 99.83**		**जमा 84.82**		**जमा 94.34**	
3.	106 – संचार लेखा कार्यालय उचन्त	-*	-	-*	-	-*	-
	निवल	**नामे***		**नामे***		**नामे***	
4.	112 – स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचन्त	-	26.62		(-)1.62		97.62

क्र.सं.	लघु शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
	निवल	**जमा 26.62**		**जमा (-) 1.62**		**जमा 97.62**	
5.	123 – अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	-	0.19	-	0.21	-	0.25
	निवल	**जमा 0.19**		**जमा 0.21**		**जमा 0.25**	
6.	129 – सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	-	(-) 3.50		(-) 3.50		(-) 3.50
	निवल	**जमा (-) 3.50**		**जमा (-) 3.50**		**जमा (-) 3.50**	
7.	139 –स्रोत पर जीएसटी कटौती उचन्त	-	54.18	-	57.17	-	66.44
	निवल	**जमा 54.18**		**जमा 57.17**		**जमा 66.44**	
	निवल योग	**(जमा) 83.28**		**(जमा) 42.39**		**(जमा) 169.22**	
	मुख्य शीर्ष 8782- रोकड़ प्रेषण						
8.	102 – लोक निर्माण (पी. डब्लू.) प्रेषण	26.46	28.82	25.40	26.76	25.57	18.48
	निवल	**जमा 2.36**		**जमा 1.36**		**नामे 7.09**	
9.	103 – वन प्रेषण	0.04	0.01	0.10	* -*	0.07	-
	निवल	**नामे 0.03**		**नामे 0.10**		**नामे 0.07**	
10.	108 – अन्य विभागीय प्रेषण	0.03	-	0.03	-	0.03	-
	निवल	**नामे 0.03**		**नामे 0.03**		**नामे 0.03**	
11.	129 – इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के अन्तर्गत हस्तान्तरण	0.74	-	0.74	-	0.73	-
	निवल	**नामे 0.74**		**नामे 0.74**		**नामे 0.73**	
	निवल योग	**(जमा) 1.56**		**(जमा) 0.49**		**(नामे) 7.92**	

* केवल ₹ 1,000, ** केवल ₹ 14,000

पिछले तीन वर्षों के लिए मुख्य उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के तहत सकल आंकड़ों की स्थिति दर्शाती है कि वित्त लेखों में मुख्य शीर्ष '8658-उचंत लेखों' के अन्तर्गत कुल निवल शेष में वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक ₹ 126.83 करोड़ की जमा शेष में वृद्धि दर्ज की गई है।

ऋण, जमा और प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष ऋणात्मक शेष हैं जो उन लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रदर्शित होते हैं जहां ऋणात्मक शेष नहीं होने चाहिए।

ऋण, जमा और प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के तहत 31 मार्च 2024, को 12 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राशि ₹ 3,880.11 करोड़ के प्रतिकूल शेष के 23 मामले[8] थे। प्रतिकूल शेष मुख्य रूप से नगर परिषदों/नगर

8. राज्य भविष्य निधि (एक प्रकरणः ₹ 0.01 करोड़); बीमा और पेंशन निधि (एक प्रकरणः ₹ 3,737.14 करोड़); सिविल जमा (एक प्रकरणः ₹ 129.98 करोड़); स्थानीय निधियों के लिए जमा (दो प्रकरणः ₹ 0.34 करोड़)और उचन्त लेखे (दो प्रकरणः ₹ 3.52 करोड़); शिक्षा, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण (एक प्रकरणः केवल ₹ 32); आवास हेतु ऋण (एक प्रकरणः केवल ₹ 11,620); खाद्य संग्रह और भंडारण के लिए ऋण (एक प्रकरणः ₹ 0.03 करोड़); सहकारिता के लिए ऋण (एक प्रकरणः ₹ 6.16 करोड़); सड़क परिवहन के लिए ऋण (एक प्रकरणः केवल ₹ 201); अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण (एक प्रकरणः केवल ₹ 32,070); सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण (10 प्रकरणः ₹ 2.92 करोड़);

पालिकाओं के कर्मचारियों के पेंशन निधि (₹ 3,737.14 करोड़) के थे। इन डीडीआर शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेषों का मिलान और समायोजन प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है।

4.9 विभागीय आंकड़ों का मिलान

आँकड़ों का मिलान और सत्यापन वित्तीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्राप्तियों और व्ययों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण और गलत प्रविष्टियों को दर्ज होने से रोकता है। सावि एवं लेनि के नियम 11 (3) के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को राजस्थान सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के आँकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान द्वारा लेखाबद्ध आँकड़ों से मिलान करना चाहिए।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,03,276.28 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 100 प्रतिशत) राजस्व व्यय राशि ₹ 2,42,230.88 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 100 प्रतिशत) और पूंजीगत व्यय राशि ₹ 26,645.72 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय का 100 प्रतिशत) का राज्य सरकार द्वारा अंकमिलान किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 398.21 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ऋण और अग्रिम का 100 प्रतिशत) के ऋण और अग्रिम की राशि का भी अंकमिलान किया गया।

वास्तव में, राज्य सरकार पिछले पांच वर्षों में व्यय और प्राप्तियों का शत-प्रतिशत अंकमिलान करने में सफल रही है।

4.10 नकद शेषों का मिलान

'रिजर्व बैंक के पास जमा' का शेष सरकारी लेखे के अनुसार शेष को प्रदर्शित करता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये गए अन्तर सरकारी मौद्रिक समायोजन शामिल है । लेखों में दर्शाए गए आँकड़ों [₹ 10.75 करोड़ (नामे)] और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए [₹ 12.28 करोड़ (जमा)] आँकड़ों के बीच ₹ 1.53 करोड़ (नामे) का निवल अंतर था। ₹ 0.04 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर अभी भी बकाया है और इसका अंक मिलान किया जा रहा है (जून 2024) ।

4.11 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर, संघ एवं राज्यों के लेखों के लिए प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 में जवाबदेही तंत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकारी लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के मानक निर्धारित करने के लिए सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जी.ए.ए.एस.बी.) की स्थापना की । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर, भारत के

राष्ट्रपति ने अब तक चार भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए। इन चार लेखांकन मानकों के अनुपालन की स्थिति को निम्न **तालिका 4.17** दर्शाती है:

तालिका 4.17: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्रं. सं.	लेखांकन मानक	आई.जी.ए.एस. का सारांश	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	कमी का प्रभाव
1	**आई.जी.ए.एस. : 1** *सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां- प्रकटीकरण की आवश्यकताएं*	यह मानक सरकार से अपेक्षा करता है कि वह अपने वित्तीय विवरणों में वर्ष के दौरान दी गई प्रत्याभूति (वर्ग या क्षेत्र-वार) की अधिकतम राशि के साथ-साथ वर्ष के प्रारंभ और अन्त में परिवर्धन, विलोपन, लागू, निर्वहन और बकाया, अनुदानकर्ता कमीशन और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का प्रकटीकरण करें।	अनुपालना की गई।	---
2	**आई.जी.ए.एस. : 2** *सहायतार्थ अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण*	सहायतार्थ अनुदान को अनुदानदाता के लेखों में राजस्व व्यय और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्ति के रुप में अंतिम उपयोग पर विचार किये बिना वर्गीकृत करना चाहिए। वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है।	आंशिक रुप से अनुपालन किया गया, केवल वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान के कुल मूल्य की विस्तृत जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है । इसके अतिरिक्त, राजस्व व्यय के रूप में सहायतार्थ अनुदान के वर्गीकरण की अनुपालना नहीं होने के सम्बन्ध में अनुच्छेद.3.4.7 चर्चा की गई है।	सरकार द्वारा नकद में दी गई सहायतार्थ अनुदान का खुलासा किया गया जबकि वस्तु के रूप में दी गई सहायतार्थ अनुदान का खुलासा नहीं किया गया इसलिए अनुदानदाता द्वारा दी गई कुल सहायतार्थ अनुदान का पता नहीं लगाया जा सका है ।
3	**आई.जी.ए.एस. : 3** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम*	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों की पहचान, मात्रा और मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से सम्बन्धित अपने वित्तीय विवरणों में दिये गये ऋण एवं अग्रिमों के पूर्ण, सही और एक समान लेखांकन और पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है।	आंशिक रुप से अनुपालन किया । अवसूलनीय ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते डालने, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर इकाई वार जमा ब्याज का विवरण, वर्ष के दौरान वितरित नए ऋण एवं अग्रिम के कारण, और बकाया मूलधन और ब्याज के विवरण जहाँ विस्तृत लेखे राज्य द्वारा संधारित किये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।	राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के प्रकटीकरण की आवश्यकता पूरी नहीं की गयी है।
4	**आई.जी.ए.एस. : 4** *पूर्व अवधि समायोजन*	इस मानक का उद्देश्य वह तरीका निर्धारित करना है जिसमें त्रुटियों सहित पूर्व अवधि समायोजन को एक बार पहचान लेने के बाद, लेखांकन के नकद आधार के तहत् वर्तमान अवधि (वित्तीय वर्ष) में प्रस्तुत एवं प्रकट किया जावेगा।	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई पूर्व अवधि समायोजन नहीं किया गया था।	

4.12 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि

सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग-I के नियम 20 के अनुसार, किसी भी कोषालय या अन्य कार्यालय या अन्य विभाग में गबन, धोखाधड़ी से निकासी/भुगतान, हानि आदि के कारण या अन्य किसी कारण से हुई सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व, प्राप्तियों, टिकटों, भंडार या सरकार द्वारा या सरकार की ओर से रखी गई अन्य सम्पत्ति की हानि ज्ञात होने पर संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना तुरन्त अगले उच्च प्राधिकारी के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार को देनी होगी।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक, विभिन्न विभागों में सरकारी धन के दुर्विनियोजन/गबन (314) और चोरी/हानि (434) के राशि ₹ 131.06 करोड़ के 748 प्रकरण सूचित किये, जिन पर अंतिम कार्यवाही जून 2024 के अंत तक लंबित थी। विवरण नीचे **तालिका 4.18** में दिया गया है।

तालिका 4.18: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों के अंतिम निस्तारण में देरी के कारण					
			विभागीय और आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया (वसूली और अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित)		न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने के कारण वसूली लंबित	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
निर्माण[9]	235	9.61	56	4.54	160	2.60	19	2.46
शिक्षा[10]	135	55.30	44	6.06	50	8.14	41	41.12
राजस्व[11]	60	13.39	38	4.53	9	3.29	13	5.56
चिकित्सा[12]	57	8.28	34	5.64	5	0.93	18	1.71
स्वायत्त शासन	11	3.91	3	0.06	3	3.47	5	0.37
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	145	27.41	124	24.52	19	2.39	2	0.50
अन्य[13]	105	13.16	34	1.59	44	9.33	27	2.25
योग	**748**	**131.06**	**333**	**46.94**	**290**	**30.15**	**125**	**53.97**

9. **निर्माण विभागः** पी.एच.ई.डी., पी.डब्लू.डी., सिंचाई, भूजल विभाग (जी.डब्लू.डी.), आई.जी.एन.पी. और वन।
10. **शिक्षा विभागः** प्राथमिक, माध्यमिक, साक्षरता और सतत शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा), कॉलेज, संस्कृत शिक्षा, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डाईट, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और आई.टी.आई.।
11. **राजस्व विभागः** भूमि, परिवहन, खान, मुद्रांक और पंजीयन, वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क और उपनिवेशन।
12. **चिकित्सा विभागः** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जननी सुरक्षा योजना, मेडिकल कॉलेज, परिवार कल्याण, आयुर्वेद, आईईसी, एनआरएचएम और आरएमसीएल।
13. **विविध विभागः** न्याय, पुलिस, देवस्थान, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, श्रम, मुद्रण और स्टेशनरी, आरपीएससी, सैनिक कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण, आर.सी.डी.एफ., विश्राम भवन, एस.आई.पी.एफ., अल्पसंख्यक, अकाल राहत (राहत), महिला एवं बाल कल्याण, पुरातत्व, संग्रहालय, सचिवालय, अभियोजन, बागवानी, वाटरशेड विकास एवं मृदा संरक्षण, राज्य लॉटरी, पर्यावरण, स्वच्छता, जल और सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, आर.एस.एस.सी.एल., कोषालय (कोष) सूचना और जन सम्पर्क, टी.ए.डी. और पशुपालन (पशु चिकित्सा), पेंशन, चुनाव आयोग, एल.एफ.ए.डी. एवं कृषि।

लंबित मामलों की आयुवार रुपरेखा और चोरी/हानि तथा गबन/दुरुपयोग की प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या को नीचे दी गई **तालिका 4.19** में सारांशिकृत किया गया है:

तालिका 4.19: दुर्विनियोजन, हानि, गबन इत्यादि के प्रकरणों की रुपरेखा

(₹ करोड़ में)

प्रकरणों की अवधि-वार रूपरेखा			लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
श्रेणी (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि
0-5 (2019-20 से 2023-24)	129	56.90	चोरी/हानि	76	2.36
			गबन	53	54.54
5-10 (2014-15 से 2018-19)	166	35.30	चोरी/हानि	116	13.27
			गबन	50	22.03
10 से उपर (2013-14 तक)	453	38.86	चोरी/हानि	242	5.60
			गबन	211	33.26
कुल	**748**	**131.06**	**चोरी/हानि**	**434**	**21.22**
			गबन	**314**	**109.84**

748 मामलों में से, गबन के 03 मामले 1974-75 से तथा चोरी का 01 मामला 1986-87 से लंबित है। इतने लंबे समय तक मामला लंबित रहने से पता चलता है कि संबंधित विभागों ने समय पर वांछित कार्यवाही नहीं की है।

लंबित मामलों का विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 4.8*** में दिया गया है। लम्बित गबन के मामलों का विस्तृत विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि गबन के ये मामले मुख्य रूप से रोकड़ पुस्तिका/चालान में जालसाजी, स्टोर में रखे स्टॉक में गड़बड़ी, जाली बिल/चेक द्वारा भुगतान/निकासी, सरकारी धन को बैंक/कोषागार में जमा नहीं करने, एकत्रित कर को सरकारी खजाने/बैंक में जमा नहीं किया जाना, सरकारी धन जमा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चालान में गलत राशि दिखाकर जालसाजी, रोकड़ पुस्तिका में प्रारंभिक शेष कम दिखाया जाना, रोकड़ पुस्तिका में अधिक निकासी/भुगतान दिखाया जाना आदि से सम्बंधित है । चोरी के मामले मुख्यतः स्टॉक/स्टोर/वाहनों, वाहनों के हिस्सों, नकदी, मशीनरी और उपकरण आदि की चोरी से सम्बंधित थे । 748 मामलों में से, ₹ 30.15 करोड़ की राशि के 290 मामले लंबित थे क्योंकि वसूली/बट्टे खाते में डालने के आदेश लंबित थे और शेष मामले विभागीय कार्यवाही और न्यायिक कार्यवाही के अभाव में लंबित थे।

4.13 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

राज्य के 44 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों[14] के लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत सीएजी को सौंपी गयी है। जून 2024 तक, वर्ष

14. राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड; राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग; राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.), जयपुर; राजस्थान विधुत नियामक आयोग; राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा); राज्य प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (कैम्पा); राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (02) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (36)।

2018-19 से 2022-23 तक कैम्पा, वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (बीओसीडब्ल्यू) और वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, जयपुर (रेरा) के लेखों को छोड़कर सभी 44 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2022-23 तक के लेखे प्राप्त हो चुके हैं।

लेखापरीक्षा का काम सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने और विधानमंडल में प्रस्तुत करने की स्थिति ***परिशिष्ट 4.9*** में दर्शाई गई है। यद्यपि, वर्ष 2023-24 में लेखापरीक्षा के दौरान कोई प्रतिकूल राय नहीं दी गई।

इसके अतिरिक्त, सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा को आकर्षित करने वाले संस्थानों की पहचान करने के लिए, सरकार/विभागाध्यक्षों को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, वह उद्देश्य जिसके लिए सहायता दी गई है और संस्थानों का कुल व्यय के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होती है।

मार्च 2024 तक, राज्य की समेकित निधि से अनुदान या ऋण के माध्यम से वित्तपोषित 44 स्वायत्त निकाय थे । सभी 44 स्वायत्त निकाय सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा के लिए पात्र है। इसके अलावा, 44 स्वायत्त निकायों में से 17 के 30 वार्षिक लेखे जो सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 14 के अनुसार 2023-24 में देय थे, 31 मई 2024 तक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान के कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए।

17 स्वायत्त निकाय ने लेखे प्रस्तुत नही किये हैं, उनका विवरण ***परिशिष्ट 4.10*** में दर्शाया गया है तथा आयु-वार बकाया नीचे **तालिका 4.20** में दर्शायी गई है:

तालिका 4.20: सरकारी निकायों से देय वार्षिक लेखों का आयु-वार बकाया।

क्र.सं.	बकाया (वर्षों में)	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या (लेखों की संख्या)
1	एक वर्ष से कम	8(8)
2	2-3 वर्ष	8(18)
3	4 वर्ष से ऊपर	1(4)

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा -I) द्वारा संकलित सूचना

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि एक स्वायत्त निकाय के चार लेखे चार वर्ष से अधिक लम्बित थे। वार्षिक लेखों के अभाव में, इन निकायों/प्राधिकरणों को वितरित अनुदानों एवं ऋणों का लेखांकन/उपयोग लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।

लेखे प्रस्तुत नहीं करने से निधियों के दुरूपयोग का जोखिम बढ़ जाता है। वित्त विभाग को ऐसे हस्तांतरण पर ध्यान रखने की आवश्यकता है।

4.14 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2022-23 का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 24 जुलाई 2024 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, जनलेखा समिति (जलेस) ने वर्ष 2018-19 तक राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा और सिफारिशें की (अगस्त 2024)। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान जलेस ने वर्ष 2018-19 के प्रतिवेदन के एक अनुच्छेद पर चर्चा की। वर्तमान में, वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के प्रतिवेदन से संबंधित 22 अनुच्छेद चर्चा/प्रतिवेदन हेतु लंबित हैं। ये अनुच्छेद बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाओं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनके वास्तविक वित्तपोषण, चयनित अनुदानों की समीक्षा, स्थानीय निधियों की जमाओं, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/लेखों को प्रस्तुत करने, दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि, उपकर/अधिभार के संग्रहण, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब, निजी निक्षेप खाते आदि से संबंधित हैं।

अनुच्छेदों पर बकाया कार्यवाही नोट (ए.टी.एन.) की समीक्षा से पता चला कि एस.एफ.ए.आर. वर्ष 2021-22 से संबंधित पैरा पर छह ए.टी.एन. चार विभागों[15] से लंबित हैं और एस.एफ.ए.आर. वर्ष 2020-21 से संबंधित पैरा पर एक ए.टी.एन. एक विभाग[16] से 31 अगस्त 2024 तक लंबित है।

4.15 छठे वित्त आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243-आई राज्य सरकार के लिए 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर और उसके बाद हर पांच साल की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य बनाता है । राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) का कार्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और धन के हस्तांतरण के लिए राज्यपाल को सिफारिशें करना है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 243-वाई में नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है। इन अनुच्छेदों में प्रावधान है कि एस.एफ.सी. राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, कर्तव्यों, टोल और शुल्क की निवल आय के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करेगा, जिन्हें राज्य और पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के बीच विभाजित किया जा सकता है।

छठवें एस.एफ.सी. द्वारा वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिम प्रतिवेदन जून 2021 में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था, जिसकी सिफारिशों को सरकार द्वारा सितंबर 2021 में स्वीकार कर लिया गया था।

15. कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, गोपालन विभाग, शहरी विकास एवं आवास विभाग तथा जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग।

16. कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग।

इसके अलावा, आयोग द्वारा छठवें एस.एफ.सी. की अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में 68 सिफारिशें और सुझाव दिए गये थे। इनमें से, 22 सिफारिशें स्थानीय निकायों को निधियों के हस्तांतरण से संबंधित थी। ए.टी.एन. के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा 20 सिफारिशें स्वीकार की गई और राज्यपाल को सौंपी गई। निधियों के हस्तांतरण के अलावा अन्य सुझावों के संबंध में, एस.एफ.सी. की अंतिम रिपोर्ट जांच और आगे की कार्यवाही या निर्णय के लिए प्रशासनिक विभागों को हस्तांतरित की जाएगी।

छठें एस.एफ.सी. की अंतिम रिपोर्ट में वर्ष 2023-24 तक पी.आर.आई. और यू.एल.बी. को राज्य के स्वयं के कर राजस्व की निवल आय का 6.75 प्रतिशत और उसके बाद वर्ष 2024-25 के लिए 7.00 प्रतिशत और उनके बीच क्रमशः 75.1:24.9 का अनुपात राशि के वितरण की सिफारिश की गई।

छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2020-24 की अवधि के दौरान पी.आर.आई. और यू.एल.बी. को वास्तविक रूप से जारी की गई निधियों को नीचे **तालिका 4.21** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.21: वर्ष 2020-24 के दौरान पी.आर.आई. और यू.एल.बी. को निधियों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

स्थानीय निकाय	वर्ष 2020-25 के लिये छठवे एस.एफ.सी. की अन्तिम रिपोर्ट में की गई अनुशंसा	वर्ष 2020-24 अवधि के लिये अनुशंसा	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-24 में जारी
पीआरआई	24,914.51	13,781.85	13,781.85
यूएलबी	8,260.61	5,974.59	4,269.42
कुल	**33,175.12**	**19,756.44**	**18,051.27**

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के स्व-कर राजस्व की वास्तविक निवल आय नीचे **तालिका 4.22** में दी गई है:

तालिका 4.22: राज्य के स्व-कर की वास्तविक निवल आय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	स्व-कर राजस्व	94,085.94
2.	घटायेः संग्रहण की लागत	2,547.19
	निवल स्व-कर राजस्व	**91,538.75**

राज्य के निवल स्व-कर राजस्व की स्थिति, हस्तांतरित किए जाने वाले अनुदान की राशि और छठवें एस.एफ.सी. की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को वास्तव में हस्तांतरित अनुदान नीचे **तालिका 4.23** में दिए गए हैं:

तालिका 4.23: छठवें एस.एफ.सी. के अनुसार स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली अनुदान राशि और वास्तव में हस्तांतरित अनुदान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	छठें एस.एफ.सी .द्वारा हस्तांतरित किये जाने वाला अनुमानित अनुदान	छठें एस.एफ.सी. की अनुशंसा के अनुसार वास्तविक निवल आय के आधार पर हस्तांतरित किये जाने वाला अनुदान	वास्तविक हस्तांतरित अनुदान	अधिक (+)/ कम (-) हस्तांतरण
		वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान)	वर्ष 2023-24 (वास्तविक)	वर्ष 2023-24	वर्ष 2023-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6= 4-5)
1.	**पी.आर.आई. का हिस्सा (निधियों के कुल हस्तांतरण का 75.1%)**	**5,641.65**	**4,640.34**	**2,455.38**	**(-)2,184.96**
	(अ) जिला परिषद (5%)	282.07	232.02	139.09	(-)92.93
	(ब) पंचायत समितियाँ (20%)	1,128.27	928.07	222.66	(-)705.41
	(स) ग्राम पंचायतें (75%)	4,231.01	3,480.25	2,093.63	(-)1,386.62
2.	**यू.एल.बी. का हिस्सा (निधियों के कुल हस्तांतरण का 24.9%)**	**1,870.44**	**1,538.54**	**930.23**	**(-) 608.31**
	(i) नगर निगम (28.47%)	532.51	438.02	250.45	(-) 187.57
	(ii)नगर पालिकाएँ/नगर परिषदें (71.53%)	1,337.93	1,100.52	679.78	(-) 420.74
3.	**निवल स्व-कर राजस्व के 6.75% की दर से निधियों का कुल हस्तांतरण**	**7,511.79**	**6,178.88**	**3,385.61**	**(-) 2,793.27**

स्रोत: राज्य सरकार के बजट एवं राज्य के लेखें

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वास्तविक निवल आय और बजट अनुमान की तुलना में छठवें एस.एफ.सी. की सिफारिशों के समक्ष स्थानीय निकायों को क्रमशः ₹ 2,793.27 करोड़ और ₹ 4,126.18 करोड़ कम हस्तांतरित किये गए।

जिला परिषदों और नगर निकायों से राज्य वित्त अनुदान का उपयोग की जानकारी मांगी गयी थी, लेकिन उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। यद्यपि, वित्त विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2024) कि स्थानीय निकायों द्वारा राज्य वित्त अनुदान के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश जारी किये गये है।

राज्य सरकार/विभागाध्यक्ष को एस.एफ.सी. निधि के अनुश्रवण एवं समय पर उपयोग के लिए स्थापित संरचित व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

4.16 निष्कर्ष

निर्दिष्ट अवधि के भीतर ₹ 1,122.12 करोड़ की राशि के 996 उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा न करना कमजोर वित्तीय जवाबदेही तंत्र का संकेत है। 'अन्य' प्रकार के संस्थानों को सहायतार्थ अनुदान (जीआईए) राज्य के कुल अनुदान और कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लेखों की पारदर्शिता और जीआईए के उपयोग के अनुश्रवण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

पर्याप्त अवधि बीत जाने के उपरांत भी ए.सी. बिलों का समायोजन न होना विभागों के साथ-साथ कोषालयों की ओर से अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

दो वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बावजूद निजी निक्षेप खातों को बंद न करना सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान कोषालय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था और कोषालय के स्तर पर अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि और नगरपालिका निधि में वृहत्त मात्रा में पड़े हुए शेष उपयोग के लिए लंबित हैं। साथ ही, ग्राम पंचायतों के खातों में पड़ी अप्रयुक्त धनराशि की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि उनका विवरण न तो पंचायत समिति या जिला परिषद के स्तर पर संकलित किया गया था और न ही कोषालय खातों को उपलब्ध कराया गया था।

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/प्राप्तियों के अंतर्गत बड़ी धनराशियों का लेखांकन, लेखों की पारदर्शिता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।

4.17 सिफारिशें

- विभागों द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को एक कठोर अनुश्रवण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

- राज्य सरकार को निष्क्रिय निजी निक्षेप खातों को शीघ्र बंद करना और निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

- राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका निधि के समय पर उपयोग के लिए एक तंत्र स्थापित करने और बंद योजनाओं की अप्रयुक्त शेष राशि को संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा करने और ग्राम पंचायत के बैंक खातों में रखी गई शेष राशि का अनुश्रवण करने की आवश्यकता है।

- वित्त विभाग को वर्तमान में लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सभी प्राप्तियों और व्यय को जहाँ तक संभव हो उचित लेखा शीर्ष के तहत दर्ज किया गया है।

- दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सरकार एक समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने पर विचार कर सकती है।

जयपुर, **(सतीश कुमार गर्ग)**

13 मई, 2025 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)**

राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली, **(के.संजय मूर्ति)**

15 मई, 2025 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य के प्रमुख संकेतक

क्र. सं.	संकेतक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल*	2021	लाख वर्ग किलोमीटर	3.42	32.87
2.	जनसंख्या^	2024	करोड़	8.19	140.07
3.	दशकीय वृद्धि दर^	2014-2024	प्रतिशतता	13.80	11.26
4.	जनसंख्या घनत्व^	2024	जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर	239.30	426.09
5.	कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या^	2024	प्रतिशतता	26.76	35.52
6.	लिंगानुपात**	2011	महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष	928	943
7.	साक्षरता दर **	2011	प्रतिशतता	66.10	73.00
8.	शिशु मृत्यु दर$$	2020	प्रति 1,000 जीवित जन्म	32.00	28.00
9.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा &&	2016-2020	वर्षों	69.40	70.00
10.	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल)$	2011-12	प्रतिशतता	14.71	21.92

* भारत राज्य वन प्रतिवेदन (2021)

^ राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत और राज्य के लिए 2011-2036 के जनसंख्या अनुमान

** आर्थिक समीक्षा 2023-24, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार

$$ सेम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) बुलेटिन 2020

&& एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2016-20

$ वर्ष 2011-12 के लिए गरीबी अनुमान (तेंदुलकर पद्धति), भारत सरकार

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य के वित्तीय आंकड़े$

वित्तीय आंकड़े

चक्रवर्ती वार्षिक वृद्दि दर (सीएजीआर) एवं वार्षिक वृदि दर के सन्दर्भ में		सीएजीआर 2014-15 से 2017-18		सीएजीआर 2018-19 से 2021-22		वार्षिक वृद्दि 2021-22 से 2022-23		वार्षिक वृद्दि 2022-23 से 2023-24	
		पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान
									(प्रतिशत में)
क.	राजस्व प्राप्तियाँ	12.61	11.71	7.12	10.08	13.41	6.02	8.19	4.25
ख.	स्व-कर राजस्व	9.49	9.38	7.17	9.24	19.80	16.76	10.58	7.72
ग.	कर-भिन्न राजस्व	6.52	5.95	5.44	0.27	12.94	9.65	14.62	(-)9.17
घ.	कुल व्यय	12.05	14.65	7.57	7.75	12.53	5.07	10.56	9.26
ङ	ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय	12.02	9.33	4.80	6.08	18.92	-19.38	19.85	35.40
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	9.33	11.25	7.34	5.29	13.21	9.91	5.11	10.72
छ.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर राजस्व व्यय	14.09	16.08	14.96	8.09	0.88	-8.40	10.34	46.60
ज.	वेतन एवं मजदूरी	9.86	16.98	8.19	4.68	9.71	4.65	7.52	9.41
झ.	पेंशन	14.24	13.09	9.58	4.67	11.38	8.51	6.27	7.18

$ वित्तीय आंकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखों पर आधारित है।

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ अनुच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 8)

31 मार्च 2024 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं	31.03.2023 को	31.03.2024 को
आंतरिक ऋण	**3,50,961.67**	**3,99,857.54**
ब्याज वाले बाजार ऋण	3,02,202.82	3,58,826.82
बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.03	0.03
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	7.68	5.65
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	9,069.28	7,484.52
अन्य संस्थानों से ऋण	39,681.86	33,540.52
मार्गोपाय अग्रिम	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	**37,422.20**	**46,794.09**
वर्ष 1984-85 से पूर्व के ऋण	5.41	5.41
गैर-आयोजना ऋण	9.96	7.49
राज्य/केंद्र शासित योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	1,227.06	718.01
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	-	-
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	3.05	3.05
राज्य/विधानमंडल वाले केंद्र शासित योजनाओं के लिए अन्य ऋण	36,176.72	46,060.13
आकस्मिकता निधि	**1,000.00**	**1,000.00**
लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	**64,122.93**	**70,219.43**
जमायें	**45,622.77**	**46,211.77**
आरक्षित निधियाँ	**15,058.62**	**18,446.21**
प्रेषण शेष	**0.54**	-
पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	-	-
योग	**5,14,188.73**	**5,82,529.04**
परिसम्पत्तियां	**31.03.2023 को**	**31.03.2024 को**
स्थायी परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	**2,61,965.13**[1]	**2,88,596.62**
कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	59,291.41	61,778.42
अन्य पूंजीगत परिव्यय	2,02,673.72	2,26,818.20
ऋण एवं अग्रिम	**7,968.22**	**7,961.69**
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	4,581.55	4,296.64
अन्य विकासात्मक ऋण	3,388.62	3,667.01
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	(-) 1.95	(-)1.96[2]
आरक्षित निधि निवेश	**7,614.42**	**9,890.55**
अग्रिम	**3.14**	**3.05**
प्रेषण शेष	-	**7.91**

1. वर्ष के अंत तक सकल पूंजीगत व्यय में से ₹ 14.24 करोड़ (पूंजीगत विनिवेश) की प्रोफोर्मा कमी के कारण वर्तमान वर्ष की पूंजीगत प्राप्तियां 'शून्य' दर्शायी गयी है।
2. ऋणात्मक शेष परीक्षणाधीन है।

देयताएं	31.03.2023 को	31.03.2024 को
उचंत एवं विविध शेष	**137.72**	**17.38**
रोकड़-	**57.11**	**654.26**
कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 8.76	(-) 8.37
रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 61.90	10.75
विभागीय रोकड़ शेष	0.73	0.51
स्थाई अग्रिम	23.74	23.86
रोकड़ शेष निवेश	103.30	627.51
सरकारी लेखे पर घाटा	**2,36,442.99**	**2,75,397.59**
(i) वर्तमान वर्ष का राजस्व घाटा	31,491.36	38,954.60
(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-
(iii) वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा	2,04,951.63	2,36,442.99
घटायें: वर्तमान वर्ष का राजस्व अधिशेष	-	-
घटायें: विविध घाटा	-	-
पूर्णांकन के कारण समायोजन प्रविष्टि	**-**	**(-) 0.01**
योग	**5,14,188.73**	**5,82,529,04**

परिशिष्ट 1.3 एवं 2.1 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

पूर्ववर्ती विवरण पत्रों में दिए गये सारान्शीकृत लेखे वित्त लेखाओं में दी गयी टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जावें। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं, सरकारी लेखों में घाटा, जैसा ***परिशिष्ट 1.3*** में दर्शित है, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर स्थिति प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप, देय अथवा प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा स्टाक आंकड़ों में अंतर आदि जैसी मदें लेखाओं में दर्शित नहीं है। उचंत तथा विविध शेषों में, जारी किन्तु भुगतान न किये गए चैक, राज्य की ओर से किये गए भुगतान तथा अन्य बकाया इत्यादि जिनका निपटान बाकी है, सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए आंकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "रिजर्व बैंक के पास जमा" के अंतर्गत सूचित किये गये आंकड़ों के मध्य ₹ 1.53 करोड़ (नामे) का अंतर था। राशि ₹ 1.49 करोड़ (नामे) का समाधान और निपटान कर दिया गया है। राशि ₹ 0.04 करोड़ (नामे) का निवल अंतर अभी भी बकाया है और समायोजन के अधीन है।

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1; पृष्ठ 17)

वर्ष 2023-24 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2022-23	2023-24	संवितरण	2022-23	2023-24		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
			भाग क				
I. राजस्व प्राप्तियाँ	**1,94,987.93**	**2.03,276.28**	**I.राजस्व व्यय**	**2,26,479.29**	**2,24,465.91**	**17,764.97**	**2,42,230.88**
कर राजस्व	87,346.38	94,085.94	**सामान्य सेवायें**	**71,874.89**	**77,631.34**	**46.30**	**77,677.64**
			सामाजिक सेवायें	**90,168.36**	**91,807.21**	**10,076.70**	**1,01,883.91**
कर-भिन्न राजस्व	20,564.43	18,679.58	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	44,449.78	45,993.38	3,283.89	49,277.27
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13,144.72	16,741.08	2,528.95	19,270.03
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	57,230.79	68,063.21	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास	11,407.19	10,565.95	983.88	11,549.83
			सूचना एवं प्रसारण	199.69	368.37	-	368.37
आयोजना-भिन्न अनुदान	-	-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	2,115.21	1,404.41	105.17	1,509.58
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	-	-	श्रम एवं श्रम कल्याण	843.45	1,548.47	7.75	1,556.22
			सामाजिक कल्याण एवं पोषण	17,912.09	15,048.09	3,167.06	18,215.15
			अन्य	96.23	137.46	-	137.46
केंद्र एवं केंद्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	-	-	**आर्थिक सेवायें**	**64,436.00**	**55,027.31**	**7,641.97**	**62,669.28**
			कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	9,762.11	10,469.79	475.87	10,945.66
			ग्रामीण विकास	15,901.44	5,995.05	6,019.09	12,014.14
केंद्र प्रवर्तित योजनायें	14,554.31	14,262.92	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.87	1.12	0.28	1.40
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,268.36	2,342.36	1.38	2,343.74
वित्त आयोग अनुदान	10,507.74	5,590.55	उर्जा	24,518.31	27,040.44	-	27,040.44
			उद्योग एवं खनिज	656.11	555.06	-	555.06
राज्यों/ विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	4,784.28	2,594.08	परिवहन	5,069.19	4,550.08	809.33	5,359.41
			विज्ञान, प्रोद्योगिकी एवं पर्यावरण	21.05	16.02	1.12	17.14
			सामान्य आर्थिक सेवायें	6,238.56	4,057.39	334.90	4,392.29
			सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	**0.04**	**0.05**	**-**	**0.05**
योग	**1,94,987.93**	**2,03,276.28**	**योग**	**2,26,479.29**	**2,24,465.91**	**17,764.97**	**2,42,230.88**
II. भाग-ख को अग्रेषित किया गया राजस्व घाटा	**31,491.36**	**38,954.60**	**II. भाग-ख को अग्रेषित किया गया राजस्व अधिशेष**	-	-	-	-
योग (क)	**2,26,479.29**	**2,42,230.88**	**योग (क)**	**2,26,479.29**	**2,24,465.91**	**17,764.97**	**2,42,230.88**
			भाग ख				
III. स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़	**14,669.09**	**7,671.53**	**III. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओवरड्राफ्ट**	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2022-23	2023-24	संवितरण	2022-23	2023-24		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
शेष							
IV. **विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ**	**16.20**	**14.24**	IV. **पूंजीगत परिव्यय**	**19,798.28**	**23,274.41**	**3,371.31**	**26,645.72**
			सामान्य सेवायें	**542.45**	**362.64**	**44.30**	**406,94**
			सामाजिक सेवायें	**8,850.67**	**7,692.68**	**2,256.84**	**9,949.52**
			शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,446.63	1,394.99	547.49	1,942.48
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,300.49	1,051.17	951.67	2,002.84
			जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास	4,374.98	4,640.83	626.43	5,267.26
			सूचना एवं प्रसारण	1.04	2.60	-	2.60
			अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	558.58	349.19	110.61	459.80
			सामाजिक कल्याण एवं पोषण	33.65	139.28	20.64	159.92
			अन्य	135.30	114.62	-	114.62
			आर्थिक सेवायें	**10,405.16**	**15,219.09**	**1,070.17**	**16,289.26**
			कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	663.02	867.32	24.33	891.65
			ग्रामीण विकास	1,033.20	842.18	-	842.18
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	61.99	58.28	-	58.28
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3,428.52	4,865.62	220.33	5,085.95
			उर्जा	1,953.38	1,854.32	-	1,854.32
			उद्योग एवं खनिज	10.79	5.24	-	5.24
			परिवहन	2,620.28	6,299.91	821.46	7,121.37
			विज्ञान, प्रोद्योगिकी एवं पर्यावरण	8.77	9.49	-	9.49
			सामान्य आर्थिक सेवायें	625.21	416.73	4.05	420.78
			योग	**19,798.28**	**23,274.41**	**3,371.31**	**26,645.72**
V. **ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां**	**419.61**	**404.74**	V. **संवितरित ऋण एवं अग्रिम**	**174.78**	-	-	**398.21**
विद्युत परियोजनाओं से	217.11	284.91	**विद्युत परियोजनाओं के लिये**	23.40	-	-	-
सरकारी कर्मचारियों से	0.04	0.02	**सरकारी कर्मचारियों को**	-	-	-	-
अन्यों से	202.46	119.81	**अन्यों को**	151.38	-	-	398.21
VI. **अधोनित राजस्व अधिशेष**	**-**	**-**	VI. **अधोनित राजस्व घाटा**	**31,491.36**	**-**	**-**	**38,954.60**
VII. **लोक ऋण प्राप्तियाँ**	**55,647.01**	**87,154.13**	VII. **लोक ऋण पुनर्भुगतान**	**20,819.20**	**-**	**-**	**28,886.38**
वाह्य ऋण	-	-	**बाह्य ऋण**	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	48,563.10	76,194.83	**मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण**	19,408.77	-	-	27,298.96
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	**मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन**	--	-	-	-
ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	**ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन**	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2022-23	2023-24	संवितरण	2022-23	2023-24		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	7,083.91	10,959.30	**भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान**	1,410.43	-	-	1,587.52
VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	**VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन**	-	-	-	-
IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	-	-	**IX. आकस्मिकता निधि से व्यय**	-	-	-	-
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**2,43,204.58**	**2,85,479.58**	**X. लोक लेखा संवितरण**	**2,34,001.34**	-	-	**2,75,294.50**
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	15,416.80	16,408.29	**लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि**	10,080.23	-	-	10,311.79
आरक्षित निधियां	12,718.15	10,609.48	आरक्षित निधियां	10,246.79	-	-	7,221.88
उचंत एवं विविध	(-) 40.51	118.23	**उचंत एवं विविध**	11.48	-	-	(-) 2.10
प्रेषण	12,890.10	14,517.77	**प्रेषण**	12,891.07	-	-	14,526.21
जमा एवं अग्रिम	2,02,220.04	2,43,825.81	**जमा एवं अग्रिम**	2,00,771.77	-	-	2.43,236.72
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट	-	-	**XI. अंत में रोकड़ शेष**	**7,671.53**	-	-	**10,544.81**
			कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 8.76	-	-	(-) 8.37
			रिजर्व बैंक के पास जमायें	(-) 61.90	-	-	10.75
			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	24.47	-	-	24.37
			रोकड़ शेष निवेश	103.30	-	-	627.51
			चिन्हित निवेश निधियां	7,614.42	-	-	9,890.55
योग (ख)	**3,13,956.49**	**3,80,724.22**	**योग (ख)**	**3,13,956.49**	-	-	**3,80,724.22**

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 21)

राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**1,40,114**	**1,34,308**	**1,83,920**	**1,94,988**	**2,03,276**
(i) कर राजस्व	59,245(42)	60,283(45)	74,808(41)	87,346 (45)	94,086 (46)
कृषि आय पर कर	-[3]	-[3]	-[3]	-[3]	-[3]
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	21,954(37)	20,755(34)	27,502(37)	33,790 (39)	38,016 (40)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	15,843(27)	17,479(29)	20,605(27)	22,727 (26)	23,473 (25)
राज्य उत्पाद शुल्क	9,592(16)	9,853(16)	11,807(16)	13,326 (15)	13,225 (14)
वाहनों पर कर	4,951(8)	4,368(7)	4,759(6)	6,128 (7)	6,704 (7)
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	4,235(7)	5,297(9)	6,492(9)	8,189 (9)	9,181 (10)
भू-राजस्व	364(1)	280(1)	632(1)	484 (1)	469 (1)
वस्तु एवं यात्रियों पर कर	41(-)	45(-)	171(-)	8 (-)	-[4]
अन्य कर	2,265(4)	2,206(4)	2,840(4)	2,694 (3)	3,018 (3)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	15,714(11)	13,653(10)	18,755(10)	20,565 (10)	18,680 (9)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	36,049(26)	35,576(27)	54,031(29)	57,231 (29)	68,063 (34)
(iv) भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	29,106(21)	24,796(18)	36,326(20)	29,846 (16)	22,447 (11)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**20**	**14**	**31**	**16**	**14**
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां	**15,670**	**373**	**2,374**	**420**	**405**
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**1,55,804**	**1,34,695**	**1,86,325**	**1,95,424**	**2,03,695**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**44,757**	**66,480**	**62,821**	**55,647**	**87,154**
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	40,548(91)	59,344(89)	53,485(85)	48,563 (87)	76,195 (87)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	4,209(9)	7,136(11)	9,336(15)	7,084 (13)	10,959 (13)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**2,00,561**	**2,01,175**	**2,49,146**	**2,51,071**	**2,90,849**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**-**	**-**	**500**	**-**	**-**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**1,93,165**	**2,08,447**	**2,51,295**	**2,43,204**	**2,85,480**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**3,93,726**	**4,09,622**	**5,00,941**	**4,94,275**	**5,76,329**
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**1,76,485**	**1,78,309**	**2,09,790**	**2,26,479**	**2,42,231**
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	56,186(32)	60,144 (34)	65,406 (31)	71,875 (32)	77,678 (32)
सामाजिक सेवायें	68,313(39)	74,009(41)	85,054(41)	90,168 (40)	1,01,884(42)
आर्थिक सेवायें	51,986(29)	44,156(25)	59,330(28)	64,436 (28)	62,669 (26)
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	-[5]	-[5]	-[5]	-[5]	-[5]
11. पूंजीगत व्यय	**14,718**	**15,271**	**24,152**	**19,798**	**26,646**
सामान्य सेवायें	463(3)	398(3)	484(2)	542 (3)	407 (2)
सामाजिक सेवायें	5,490(37)	7,642(50)	10,951(45)	8,851 (45)	9,950 (37)
आर्थिक सेवायें	8,765(60)	7,231(47)	12,717(53)	10,405 (52)	16,289 (61)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	**2,255**	**491**	**621**	**175**	**398**
13. कुल व्यय (10+11+12)	**1,93,458**	**1,94,071**	**2,34,563**	**2,46,452**	**2,69,275**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**18,616**	**17,539**	**17,586**	**20,819**	**28,886**
आंतरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	17,782(96)	16,632(95)	16,467(94)	19,409 (93)	27,299 (95)

3 2019-20: शून्य, 2020-21: ₹ 0.04 लाख, 2021-22: ₹ 0.19 लाख, 2022-23: ₹ 0.06 लाख एवं 2023-24: ₹ 0.16 लाख
4 ₹ (-) 0.46 करोड़
5 2019-20: ₹ 0.07 करोड़, 2020-21: ₹ 0.07 करोड़, 2021-22: ₹ 0.04 करोड़, 2022-23: ₹ 0.04 करोड़ एवं 2023-24: ₹ 0.05 करोड़

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम	834(4)	907(5)	1,119(6)	1,410 (7)	1,587 (5)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	**2,12,074**	**2,11,610**	**2,52,149**	**2,67,271**	**2,98,161**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**-**	**-**	**500**	**-**	
18. लोक लेखा संवितरण	**1,79,741**	**1,99,229**	**2,40,110**	**2,34,001**	**2,75,295**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**3,91,815**	**4,10,839**	**4,92,759**	**5,01,272**	**5,73,456**
भाग ग: घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	**(-) 36,371**	**(-) 44,001**	**(-) 25,870**	**(-) 31,491**	**(-) 38,955**
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष) (+ (4-13)	**(-) 37,654**	**(-) 59,376**	**(-) 48,238**	**(-) 51,028**	**(-) 65,580**
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	**(-) 14,011**	**(-) 34,174**	**(-) 20,138**	**(-) 20,426**	**(-) 31,452**
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	23,643	25,202	28,100	30,602	34,128
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	**41,025**	**39,745**	**49,127**	**49,443**	**48,329**
25. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	**04**	**99**	**143**	**273**	**329**
मार्गोपाय अग्रिम का उपयोग (दिनों में)	04	99	143	273	329
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	**0.29**	**13.85**	**25.02**	**113.09**	**339.93**
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)[@]	**10,00,032**	**10,17,917**	**11,94,961[Σ]**	**13,57,851[£]**	**15,28,385[##]**
28 बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अंत मे)	**3,52,702**	**4,10,500[$]**	**4,62,845[$$]**	**5,05,574[$$]**	**5,71,639[$$]**
29. बकाया प्रतिभूतियां (वर्ष के अंत मे) (ब्याज सहित)	**80,631**	**82,612**	**95,868**	**1,04,832**	**1,10,918**
30. दी गयी प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अंत में)	**1,44,676**	**1,56,822**	**1,72,684**	**2,01,008**	**2,21,973**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**329**	**-***	**-***	**347**	**541**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	**31,374**	**-***	**-***	**30,669**	**30,534**
भाग ङ: राजकोषीय स्थिति सूचकांक (प्रतिशतता में)					
I संसाधन गतिशीलता					
स्व-कर राजस्व/जीएसडीपी	5.9	5.9	6.3	6.4	6.2
स्व कर-भिन्न राजस्व/जीएसडीपी	1.6	1.3	1.6	1.5	1.2
केन्द्रीय हस्तांतरण/जीएसडीपी	6.5	5.9	7.6	6.4	5.9
II व्यय प्रबंधन (प्रतिशतता में)					
कुल व्यय/जीएसडीपी	19.3	19.1	19.6	18.2	17.6
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	138.1	144.5	127.5	126.4	132.5
राजस्व व्यय/कुल व्यय	**91.2**	**91.9**	**89.4**	**91.9**	**90.0**
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	**35.3**	**38.1**	**36.3**	**36.6**	**37.8**
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	**26.9**	**22.8**	**25.3**	**26.1**	**23.3**
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	**7.6**	**7.9**	**10.3**	**8.0**	**9.9**
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	**7.4**	**7.7**	**10.1**	**7.8**	**9.7**
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष+)/जीएसडीपी	(-) 3.6	(-) 4.3	(-)2.2	(-) 2.3	(-) 2.5
राजकोषीय घाटा /जीएसडीपी	(-) 3.8	(-) 5.8	(-) 4.0	(-) 3.8	(-) 4.3
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(-) 1.4	(-) 3.4	(-) 1.7	(-) 1.5	(-) 2.1
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	96.6	74.1	53.6	61.7	59.4
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/जीएसडीपी	**35.27**	**39.88[6]**	**37.74[7]**	**36.36[7]**	**36.62[7]**

6. कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,604 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को छोड़कर प्राप्त हुई है।

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय देयताएं /राजस्व प्राप्तियां	251.7	305.6	251.7	259.2	281.2
ऋण मोचन (मूलधन+ब्याज)/ऋण प्राप्तियाँ	92.6	88.8	92.9	96.9	93.6
V **अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक**					
निवेश पर प्रतिलाभ	0.1	0.01	0.15	0.05	0.08
वित्तीय परिसंपत्तियां /देयताएं	0.62	0.57	0.56	0.54	0.53

स्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: कोष्ठक में संख्या प्रत्येक उप-शीर्ष के योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करती है।

@ स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, राजस्थान सरकार।

Σ *संशोधित अनुमान-II,* £ *संशोधित अनुमान-I* एवं *## अग्रिम अनुमान*

* *राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।*

$ *प्रभावी बकाया राजकोषीय देयताएं ₹ 4,05,896 करोड़ होगी क्योंकि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।*

$$ *प्रभावी बकाया राजकोषीय देयताएं वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 4,50,973 करोड़ वर्ष 2022-23 लिए ₹ 4,93,702 करोड़ एवं वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 5,59,767 करोड़ होगी क्योंकि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹11,872 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।*

7 कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ के जीएसटी मुआवजे छोड़कर प्राप्त हुई है।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.6.1; पृष्ठ 60)

ऋण की शब्दावली

मद	इसका अर्थ है
मार्गोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)	यह केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए अपनी प्राप्तियों और व्यय के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल को सही करने में सहायता हेतु रिजर्व बैंक से उधार लेने की सुविधा है। इस तरह के अग्रिमों को अग्रिम लेने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर चुकाया जाना चाहिए।
ओवर ड्राफ्ट	सरकारों को उनकी मार्गोपाय अग्रिम से अधिक मात्रा में राशि निकालने की अनुमति है । कोई भी राज्य एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए आरबीआई के साथ ओवर ड्राफ्ट नहीं चला सकता है। एक राज्य 14 से 21 लगातार कार्य दिवसों और एक तिमाही के दौरान 36 से 50 कार्य दिवसों तक ओवर ड्राफ्ट में रह सकता है।
सरकारी प्रतिभूतियां	एक सरकारी प्रतिभूति (सेक्शन-जी) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य साधन है। ऐसी प्रतिभूतियां अल्पकालिक (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के साथ आमतौर पर ट्रेज़री बिल कहलाते है) या दीर्घकालिक (एक वर्ष या अधिक की मूल परिपक्वता के साथ आमतौर पर सरकारी बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां कहलाते है) होती है । भारत में केंद्र सरकार, ट्रेज़री बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकार केवल बांड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती है, जिन्हें राज्य विकास ऋण (एसडीएल) कहा जाता है ।
टी-बिल	ट्रेजरी बिल केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अल्पकालिक प्रतिभूतियां है। उनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष तक होती है। इन प्रतिभूतियों को छूट पर बेचा जाता है और इसका भुगतान अंकित मूल्य पर किया जाता है, जिससे निवेशक अपना पैसा बनाते है। वर्तमान में 91 दिनों के टी-बिल, 182 दिनों के टी-बिल और 364 दिनों के टी-बिल सक्रिय हैं।
टी-नोट्स	ट्रेजरी नोट्स ट्रेजरी बिलों की तुलना में लम्बी परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां है। उनकी परिपक्वता अवधि दो, तीन,चार, पाँच, सात और दस वर्ष हो सकती है। ब्याज का भुगतान हर छः माह में किया जाता है।
टी-बांड	ट्रेजरी बांड 30 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ दीर्घकालिक निवेश है। ब्याज का भुगतान हर छः माह में किया जाता है।

परिशिष्ट 3.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ सं.77)

बजट से संबंधित महत्वपूर्ण मदों की शब्दावली

1. '**लेखे या वर्ष के वास्तविक आंकड़े**'– प्राप्तियों और संवितरणों की राशियाँ जो 1 अप्रैल से शुरु होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखा प्राधिकारी की पुस्तकों में अन्तिम रुप से दर्ज की गई है (जैसा कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित है)। अनंतिम लेखों से तात्पर्य अनअंकेक्षित लेखों से है।

2. '**योजना, प्रस्ताव या कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति**'- सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यय के प्रयोजन के लिए दी गई औपचारिक स्वीकृति है। बजट में निधियों के प्रावधान के साथ यह उस सम्बंधित वर्ष, जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, कार्य की वित्तीय स्वीकृति के रुप में संचालित होती है।

3. '**वार्षिक वित्तीय विवरण**' -इस का अर्थ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण से है, जिसे संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, इसे बजट के रुप में भी जाना जाता है।

4. '**विनियोग**'- का अर्थ विनियोग की विभिन्न प्राथमिक इकाईयों या उसके हिस्से के अन्तर्गत व्यय के लिए संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे संवितरण अधिकारी के निपटान हेतु रखा जाता है।

5. '**प्रभारित व्यय**'- का अर्थ ऐसे व्यय से है जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के मत हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाना हैं।

6. '**भारत/राज्य की समेकित निधि**'– इसमें, संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व, उठाये गये ऋण और भारत/राज्य के समेकित निधि से ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से, राशि को विधि के अनुसार और संविधान में दिए गए तरीके तथा उद्देश्य के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

7. '**आकस्मिकता निधि**'- एक अग्रदाय/पेशगी की प्रकृति के रुप में है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य कार्यकारी/सरकार को वर्ष के दौरान उत्पन्न ऐसे अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिये अग्रिम प्रदान करना है। जिनका संसद/विधानसभा द्वारा प्रधिकृतिकरण लम्बित है। आकस्मिकता निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति अनुपूरक मांग के माध्यम से संसद/विधानसभा के अनुमोदन के पश्चात की जाती है।

8. '**नियंत्रण अधिकारी (बजट)**- इसका अर्थ ऐसे एक अधिकारी से है, जिसे विभाग द्वारा व्यय को नियंत्रित करने और/या राजस्व के संग्रह की जिम्मेदारी सौपी जाती है। इस मद में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल है।

9. '**आहरण एवं संवितरण अधिकारी(डी.डी.ओ)** - का अर्थ है कार्यालयाध्यक्ष तथा किसी भी अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बिलों के आहरण तथा राज्य सरकार की ओर से भुगतान करने हेतु नामित किया गया है। इस मद में विभागाध्यक्ष भी शामिल हो सकता है जहाँ वह स्वंय ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।

10. '**आधिक्य अनुदान**'- आधिक्य अनुदान का अर्थ मूल/अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत किये गये प्रावधान से अधिक और ज्यादा व्यय की राशि से है, जिसका संविधान के अनुच्छेद 115/205 के अन्तर्गत संसद/राज्य विधानसभा के द्वारा नियमितीकरण की आवश्यकता होती है।

11. '**नई सेवा**'- संविधान के अनुच्छेद 115(1)(अ)/205(1)(अ) के अनुसार,नई सेवा का अर्थ एक नई गतिविधि या नए निवेश के रुप सहित एक नीतिगत निर्णय से उत्पन्न होने वाले व्यय से है जिसे पूर्व में संसद/राज्य विधानसभा के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

12. '**सेवा का नया साधन**'- इसका अर्थ मौजूदा गतिविधि में महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाले अपेक्षाकृत वृहत व्यय से है।

13. '**लोक लेखा**'- इसका अर्थ संविधान के अनुच्छेद 266(2) में संदर्भित लोक लेखा से है। लोक लेखा मे प्राप्तियां और संवितरण जैसे कि जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती है,शामिल होती है। लोक लेखा से संवितरण संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है ,क्योकि वे भारत/राज्य की समेकित निधि से जारी की गई राशियाँ नहीं हैं।

14. '**पुनर्विनियोजन**'- इसका अर्थ विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है, से दूसरी इकाई के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी अनुदान या प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत किये गए हस्तानान्तरण से है।

15. '**संशोधित अनुमान**'- एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का अनुमान है जिसे उस वर्ष के लिए पहले से दर्ज किये गए लेनदेनों और पहले से जारी आदेशों के सन्दर्भ में शेष वर्ष के लिए पूर्वानुमान के परिपेक्ष्य में संरूपित किया गया हैं।

16. '**अनुदानों के लिए अनुपूरक माँगे**'-इसका अर्थ विधायिका के समक्ष रखे गए अनुपूरक मांगों के विवरण से है,जो किसी वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से अधिक अतिरिक्त व्यय की राशि को दर्शाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग प्रतीकात्मक (टोकन), तकनीकी या वास्तविक/नकद हो सकती है।

    अ) **नगद अनुपूरक** मूल बजट प्रावधानों से अधिक और ऊपर है तथा माँग/अनुदान के लिए आंवटन में वृद्धि का परिणाम है। इसे अन्तिम उपाय के रुप में और उचित जाँच-पड़ताल के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में, इस पद्धति का अनुसरण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

    ब) प्रत्येक माँग के चार खण्ड होते है अर्थात् राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत और पूंजीगत प्रभारित। **तकनीकी अनुपूरक** राज्य विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, किसी भी एक खण्ड के लिए किसी अन्य खण्ड की बचत का उपयोग करने की अनुमति देता हैं।

    स) **प्रतीकात्मक (टोकन) अनुपूरक** अनुदान के उसी खण्ड के तहत बचत के उपयोग की अनुमति देता है।

17. '**मुख्य शीर्ष**'- यह राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को दर्ज करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य के लिए एक मुख्य लेखा शीर्ष है। सामान्यतः समेकित निधि के तहत आने वाले, सरकार के एक 'कार्यकलाप' जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से एक मुख्य शीर्ष सम्बंधित होता है।

18. '**उप मुख्य शीर्ष**'- इसका अर्थ एक मुख्य शीर्ष और उसके नीचे लघुशीर्ष के बीच दर्शाये गये मध्यवर्ती लेखाशीर्ष से है, जब लघु शीर्ष असंख्य होते है तो उन्हे इस मध्यवर्ती लेखाशीर्ष के अन्तर्गत सरलता से एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है।

19. '**लघु शीर्ष**'- इसका अर्थ एक मुख्य शीर्ष या एक उप मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष एक 'कार्यक्रम' की पहचान करता है।

20. '**उप-शीर्ष**'- इसका अर्थ लघु शीर्ष के अधीन अगले लेखे की इकाई है, जो कि लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अधीन योजना या संगठन को सामान्यतया इंगित करती है।

21. '**मुख्य कार्य**'- इसका अर्थ मूल कार्य से है, विभागीय शुल्कों के अतिरिक्त जिसकी अनुमानित लागत राशि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक होती है।

22. **'लघु कार्य'**- इसका अर्थ मूल कार्य से है, विभागीय शुल्कों के अतिरिक्त जिसकी अनुमानित लागत राशि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होती है।

23. **'संशोधित अनुदान या विनियोग'**- इसका अर्थ किसी विनियोग के उप-शीर्ष को आवंटित राशि से है, जो कि पुनर्विनियोजन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति के बाद प्राप्त होती है।

24. **'अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग'**- इसका अर्थ उस वर्ष के विनियोग अधिनियम में पूर्व में शामिल प्रावधान से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग विधेयक में शामिल प्रावधान से है।

25. **'नये व्यय की अनुसूची'**- इसका अर्थ आगामी वर्ष के बजट में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित मदों पर नये व्यय के विवरण से है।

26. '**प्रतीकात्मक (टोकन) मांग**'- इसका अर्थ विधानसभा से एक मामूली या प्रतीक (टोकन) राशि की मांग से है। जिसमें, उदाहरण के लिये यह प्रस्तावित है कि स्वीकृत बजट अनुदान के समक्ष बचत में से नयी सेवा हेतु सम्पूर्ण व्यय को पूरा करना है।

27. **'सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर'**- ब्याज भुगतान /[(पूर्व वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि +वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2]*100

परिशिष्ट 3.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 84)

निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य(+) बचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
निधियों का अपर्याप्त पुनर्विनियोजन								
1	30-जनजातीय क्षेत्र विभाग	2211-796-02-03 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	314.01	0.00	(+) 123.29	437.30	439.80	(+) 2.50
2	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	4225-03-800-01-02 आदर्श छात्रावास योजना के अंतर्गत देवनारायण छात्रावास भवन का निर्माण	15.00	0.00	(+) 1.34	16.34	19.84	(+) 3.50
3	36- आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	4215-01-102-03-01 अन्य ग्रामीण जलापूर्ति योजना	498.07	0.00	(+) 77.58	575.65	598.30	(+) 22.65
4	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	2700-32-800-01 परवन परियोजना (वाणिज्यिक) अन्य व्यय- प्रतिबद्ध	415.85	0.00	(-) 29.90	385.95	375.93	(-) 10.02
5		2700-39-800-01 अन्य व्यय- प्रतिबद्ध	89.02	0.00	(-) 6.90	82.12	77.88	(-) 4.24
6		2700-80-800-02-01 रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना – प्रतिबद्ध	147.68	0.00	(-) 4.20	143.48	133.83	(-) 9.65
7	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	5054-02-337-03 सीमा सड़क विकास बोर्ड के माध्यम से	₹ 1000	0.00	(+) 414.62	414.62	506.30	(+) 91.68
8	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-02-110-01 टाइगर परियोजना रणथंभौर	94.00	0.00	(-) 23.54	70.46	66.20	(-) 4.26
9	50- सहकारिता विभाग	2425-800-05-01 एनएफएसए परिवारों को मुफ्त राशन	0.00	1625.00	(-) 845.14	779.86	778.67	(-) 1.19
10	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-02-113-01-02 अनुसूचित जातियों के लिए समग्र शिक्षा	308.66	0.00	(-) 120.18	188.48	185.35	(-) 3.13
11		2211-789-02-03 (एनआरएचएम)	410.63	0.00	(+) 101.30	511.93	515.63	(+) 3.70
12	52- पंचायती राज विभाग	2515-198-03-02 कार्यात्मक/गतिविधियाँ	2,568.75	0.00	(-) 981.61	1,587.14	1585.76	(-) 1.38
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन								
13	30-जनजातीय क्षेत्र विभाग	4215-01-796-02-45 ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संरक्षण विभाग के माध्यम से)	₹ 1000	0.00	(+) 5.83	5.83	0.00	(-) 5.83
14	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	2700-04-800-01 अन्य व्यय- प्रतिबद्ध	544.87	0.00	(+) 19.82	564.69	500.33	(-) 64.36
15	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2235-60-196-01-08 अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	49.44	0.00	(+) 54.28	103.72	45.30	(-) 58.42
निधियों का अत्यधिक पुनर्विनियोजन								
16	30-जनजातीय क्षेत्र विभाग	5054-03-796-07 केंद्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित सड़कें	87.62	0.00	(+) 23.02	110.64	105.57	(-) 5.07
17		5054-04-796-22-90 निर्माण कार्य	0.00	₹ 1000	(+) 47.50	47.50	46.27	(-) 1.23
18	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	4225-03-800-01-03 देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण	40.00	5.23	(-) 16.12	29.11	31.36	(+) 2.25

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य(+) बचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
19	32- महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-02-196-02-29 स्थापना व्यय हेतु	18.69	0.00	(+) 3.33	22.02	20.60	(-) 1.42
20	36- आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	2245-02-114-10-05 शीत लहर	₹ 2000	50.92	(+) 402.74	453.66	451.34	(-) 2.32
21	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	2700-02-800-03 अन्य परियोजना – प्रतिबद्ध	91.91	0.00	(+) 17.03	108.94	93.23	(-) 15.71
22		4701-80-800-03-01 निर्माण कार्य	150.29	0.00	(-) 122.71	27.58	28.90	(+) 1.32
23	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	3054-02-337-01-02 रखरखाव और जीर्णोद्धार	₹ 1000	0.00	(+) 122.22	122.22	119.79	(-) 2.43
24		5054-03-337-01 निर्माण	137.38	0.00	(+) 34.34	171.72	170.30	(-) 1.42
25		5054-03-337-05 केंद्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित सड़कें	446.48	0.00	(+) 65.65	512.13	503.68	(-) 8.45
26		5054-03-337-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-I -(एडीबी)	845.10	0.00	(-) 106.06	739.04	740.72	(+) 1.68
27		5054-04-800-23-90 निर्माण कार्य	1,020.34	0.00	(+) 208.77	1,229.11	1,226.11	(-) 3.00
28	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4059-80-789-03-02 अन्य भवन	16.20	0.00	(-) 16.20	0.00	4.43	(+) 4.43
29		5054-03-789-07 केंद्रीय सड़क निधि द्वारा वित्तपोषित सड़क	115.89	0.00	(+) 23.40	139.29	137.25	(-) 2.04

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 85)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहां बचतें कुल प्रावधानो में से ₹ 100 करोड़ से अधिक रही

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	अभ्यर्पण
	राजस्व प्रभारित						
1.	03-ब्याज अदायगियां	32,393.67	2,167.38	34,561.05	34,129.22	(-) 431.83	412.59
	राजस्व दतमत						
2.	10- वाणिज्यिक कर विभाग	1,128.78	88.91	1,217.69	1,026.53	(-) 191.16	191.16
3.	13- कोष एवं लेखा प्रशासन	2,063.46	11.85	2,075.31	1,619.74	(-)455.57	455.69
4.	16- राजस्व विभाग	1,962.96	32.61	1,995.57	1,670.31	(-) 325.26	325.17
5.	18- गृह विभाग	9,122.99	196.33	9,319.32	8,727.74	(-) 591.58	594.98
6.	20- प्रारंभिक शिक्षा विभाग	18,787.28	134.62	18,921.90	14,595.35	(-) 4,326.55	4,195.03
7.	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	23,526.42	55.95	23,582.37	22,821.44	(-) 760.93	654.74
8.	22- उच्च शिक्षा विभाग	2,027.27	75.90	2,103.17	1,852.68	(-) 250.49	249.78
9.	25- कला एवं संस्कृति विभाग	189.38	73.66	263.04	114.93	(-)148.11	148.10
10.	27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	9,373.80	432.60	9,806.40	9,248.33	(-) 558.07	556.96
11.	28- चिकित्सा शिक्षा विभाग	3,344.47	₹ 2000	3,344.47	3,132.83	(-) 211.64	210.22
12.	29- आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	1,211.07	3.00	1,214.07	1,055.46	(-) 158.61	158.66
13.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	21,319.67	837.10	22,156.77	18,264.75	(-) 3,892.02	3,858.15
14.	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	7,778.80	1,162.86	8,941.66	8,042.40	(-) 899.26	930.29
15.	32- महिला एवं बाल विकास विभाग	2,636.33	53.76	2,690.09	2,175.89	(-) 514.20	512.46
16.	34- श्रम एवं रोजगार विभाग	1,658.02	28.34	1,686.36	1,577.98	(-) 108.38	107.83
17.	36- आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	5,089.99	850.92	5,940.91	4,103.76	(-) 1,837.15	1,801.85
18.	40- स्वायत शासन विभाग	6,036.51	878.03	6,914.54	5,111.21	(-) 1,803.33	1,803.36
19.	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	2,843.95	₹ 2000	2,843.95	2,623.39	(-) 220.55	90.30
20.	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	1,118.67	0.00	1,118.67	974.79	(-) 143.88	139.10
21.	46- कृषि विभाग	3,616.80	45.90	3,662.70	3,427.97	(-) 234.73	234.73
22.	47- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	1,402.61	292.77	1,695.38	1,287.87	(-) 407.51	399.86
23.	48-उद्यानिकी विभाग	817.70	6.46	824.16	580.64	(-) 243.52	243.51
24.	50- सहकारिता विभाग	1,160.05	1,638.10	2,798.15	1,208.66	(-) 1,589.49	1,588.22
25.	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	26,928.37	1,078.54	28,006.91	22,540.37	(-) 5,466.54	5,378.55
26.	52- पंचायती राज विभाग	9,069.50	0.00	9,069.50	6,102.00	(-) 2,967.50	2,697.23
27.	53- ग्रामीण विकास विभाग	4,389.16	395.22	4,784.38	2,490.26	(-) 2,294.12	2,294.12
28.	54- ऊर्जा विभाग	15,792.14	3,340.14	19,132.28	17,510.73	(-) 1,621.55	1,621.55
29.	55- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,468.51	₹ 5000	1,468.51	778.61	(-) 689.90	689.85
30.	56- उद्योग विभाग	521.90	47.70	569.60	352.48	(-) 217.12	217.12
31.	60- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	2,195.88	₹ 4000	2,195.88	1,166.08	(-) 1,029.80	1,029.80
32.	62- परिवहन विभाग	1,046.73	151.31	1,198.04	1,021.27	(-) 176.77	175.69
	पूंजीगत दतमत						
33.	08- सचिवालय	120.98	0.00	120.98	9.20	(-) 111.78	111.74
34.	17- सामान्य प्रशासन विभाग	192.10	14.00	206.10	80.84	(-) 125.26	125.26
35.	18- गृह विभाग	277.39	50.00	327.39	84.01	(-) 243.38	243.38
36.	20- प्रारंभिक शिक्षा विभाग	198.13	237.49	435.62	95.83	(-) 339.79	339.79
37.	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	865.83	200.38	1,066.21	649.80	(-) 416.40	416.40
38.	22- उच्च शिक्षा विभाग	296.40	412.61	709.01	585.12	(-) 123.89	123.89
39.	26- युवा मामले एवं खेल विभाग	52.08	270.00	322.08	182.13	(-) 139.95	139.94

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	अभ्यर्पण
40.	27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	800.60	67.55	868.15	625.36	(-) 242.79	242.79
41.	28- चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,562.94	0.00	1,562.94	535.71	(-) 1,027.23	1,027.21
42.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	7,036.71	254.65	7,291.36	5,051.16	(-) 2,240.20	2,224.91
43.	35- अल्पसंख्यक मामलात विभाग	319.42	0.00	319.42	134.25	(-) 185.17	185.17
44.	39- नगरीय विकास एवं आवास विभाग	253.42	₹ 2000	253.42	13.54	(-) 239.88	239.88
45.	40- स्वायत शासन विभाग	4,336.33	58.41	4,394.74	2,016.32	(-) 2,378.42	2,379.10
46.	41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	3,665.00	0.00	3,665.00	2,148.73	(-) 1,516.27	1,509.44
47.	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	3,192.36	61.49	3,253.85	2,470.16	(-) 783.69	784.42
48.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	8,204.61	223.74	8,428.35	5,165.91	(-) 3,262.44	3,260.62
49.	53- ग्रामीण विकास विभाग	737.33	335.00	1,072.33	606.25	(-) 466.07	457.29
50.	54- ऊर्जा विभाग	1,189.56	0.00	1,189.56	531.94	(-) 657.62	657.62
51.	59- पर्यटन विभाग	36.16	277.49	313.65	208.04	(-) 105.61	105.34
52.	60- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	726.18	₹ 2000	726.18	286.23	(-) 439.95	439.95
	कुल	**2,56,086.37**	**16,542.77**	**2,72,629.14**	**2,22,816.20**	**49,812.94**	**48,980.79**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 87)

₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान का नाम	बचतें	अभ्यर्पित राशि	अनभ्यर्पित राशि
राजस्व प्रभारित				
1.	03- ब्याज अदायगी	431.83	412.59	19.24
2.	15- पेंशन	16.66	14.62	2.04
राजस्व दतमत				
3.	06- विधि एवं विधिक मामलात विभाग	70.27	65.23	5.04
4.	20- प्रारंभिक शिक्षा विभाग	4,326.55	4,195.03	131.52
5	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	760.93	654.74	106.19
6.	27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	558.07	556.96	1.11
7.	28- चिकित्सा शिक्षा विभाग	211.64	210.22	1.42
8.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	3,892.02	3,858.15	33.87
9.	32- महिला एवं बाल विकास विभाग	514.20	512.46	1.74
10.	36- आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	1,837.14	1,801.85	35.29
11.	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	220.55	90.30	130.25
12.	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	96.76	94.00	2.76
13.	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	143.88	139.10	4.78
14.	47- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	407.52	399.86	7.66
15.	50- सहकारिता विभाग	1,589.48	1,588.22	1.26
16.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	5,466.54	5,378.55	87.99
17.	62- परिवहन विभाग	176.77	175.69	1.08
पूंजीगत दतमत				
18.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	2,240.20	2,224.91	15.29
19.	41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,516.27	1,509.44	6.83
20.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,262.44	3,260.62	1.82
21.	53- ग्रामीण विकास विभाग	466.07	457.29	8.78
	कुल	**28,205.79**	**27,599.83**	**605.96**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.2; पृष्ठ 93)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1.	02- राज्य विधान मंडल	2075-800-13-01 आरटीडीसी लिमिटेड के माध्यम से-प्रतिबद्ध	1.20	₹ 1000	0.00
2.	04- लोक ऋण का पुनर्भुगतान	6004-09-101-02-13 राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना	39.97	39.97	0.00
3.	06- विधि एवं विधिक मामलात विभाग	4059-80-051-58-01 कार्यालय भवन का निर्माण	3.61	0.69	0.00
4.	08- सचिवालय	2251-190-01-01 कार्मिक विभाग-सामान्य	1.00	1.00	0.00
5.	16- राजस्व विभाग	4059-80-051-01-02 राजस्व मंडल के माध्यम से	2.00	0.00	0.00
6.	17- सामान्य प्रशासन विभाग	2070-003-05-01 सामान्य प्रशासन विभाग	10.00	0.50	0.00
7.	18- गृह विभाग	2055-115-03 फोरेंसिक प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण	2.50	0.95	0.00
8.		2070-107-03-01 पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत शहरी नागरिक सुरक्षा के लिए राशि	2.19	₹ 4000	0.00
9.		4055-207-01-01 अपराध शाखा	1.20	₹ 2000	0.00
10.		4055-210-01-01 निर्माण कार्य	2.00	₹ 1000	0.00
11.		4059-80-051-56 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का आधुनिकीकरण	8.00	0.70	0.00
12.	20- प्रारंभिक शिक्षा विभाग	2202-01-001-03-01 प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से	115.00	175.00	0.00
13.		4202-01-201-15-01 सरकारी स्कूलों में योजना के तहत पूंजीगत व्यय	57.17	57.17	0.00
14.	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	2202-02-107-15 राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति	5.00	0.00	0.00
15.		2202-02-109-29-01 स्कूलों में आधारभूत संरचना का विकास	16.95	9.24	0.00
16.		2202-04-200-03 महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन	5.00	0.00	0.00
17.		2202-04-200-06-01 साक्षरता विभाग के माध्यम से	7.78	1.94	0.00
18.		4202-01-202-21-01 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में निर्माण कार्य	1.38	1.38	0.00
19.		4202-01-202-24-02 सैनिक स्कूल झुंझुनू में निर्माण कार्य	6.00	0.00	0.00
20.		4202-04-105-02-01 भवन	5.00	0.00	0.00
21.	22- उच्च शिक्षा विभाग	2202-03-102-10 विधि विश्वविद्यालय को अनुदान	1.50	3.00	0.00
22.		2202-03-103-10-01 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण	20.90	₹ 1000	0.00
23.		2202-03-103-17-01 कॉलेज शिक्षा विभाग के माध्यम से	40.00	₹ 5000	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
24.	22- उच्च शिक्षा विभाग	2202-03-195-01-01 नवीन राजकीय महाविद्यालय (सामान्य)	0.00	5.00	0.00
25.		2202-03-800-06-01 कॉलेज शिक्षा	5.00	0.10	0.00
26.		4202-01-203-07-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य	21.08	3.78	0.00
27.		4202-01-203-12-01 निर्माण कार्य	10.00	₹ 1000	0.00
28.	24- तकनीकी शिक्षा विभाग	2203-800-04-01 उच्च तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	3.00	0.50	0.00
29.	25- कला एव संस्कृति विभाग	2205-102-35-01 महात्मा गांधी विद्यापीठ - गांधी अध्ययन केंद्र, जयपुर	6.30	0.50	0.00
30.		2205-102-35-02 गांधी दर्शन संग्रहालय, जयपुर	4.30	0.20	0.00
31.		4202-04-800-03-01 राजस्थान विरासत संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण	7.20	0.00	0.00
32.		4202-04-800-09-01 राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर में निर्माण कार्य	2.50	2.50	0.00
33.	27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	2211-105-03-12 शुभ लक्ष्मी योजना	27.45	13.75	0.00
34.		2211-800-02-02 राज्यव्यापी आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा (ईएमआरआई)	154.57	178.90	0.00
35.		4210-01-110-16-01 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)	7.20	0.00	0.00
36.	28- चिकित्सा शिक्षा विभाग	2210-05-105-08-01 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी	18.37	6.70	0.00
37.		2210-05-105-03-01 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	55.20	27.20	0.00
38.		2210-05-105-09-01 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी	3.43	4.48	0.00
39.		2210-05-105-09-02 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	19.00	19.00	0.00
40.		4210-03-105-07-03 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	2.25	0.10	0.00
41.		4210-03-105-11-01 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए पूंजीगत व्यय	128.30	93.00	0.00
42.		4210-03-105-13-01 मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	6.15	0.00	0.00
43.		4210-03-105-14-01 मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	2.34	2.74	0.00
44.		4210-03-105-15-06 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए पूंजीगत व्यय	11.70	0.00	0.00
45.		4210-03-105-16-01 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	4.35	₹ 2000	0.00
46.		4210-03-105-24-01 मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	19.20	7.00	0.00
47.	29- आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	4210-03-101-01-90 निर्माण कार्य	4.59	0.10	0.00
48.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	2029-796-01-01 भू-निपटान विभाग	2.22	2.22	0.00
49.		2070-796-01-01 सामान्य प्रशासन विभाग	3.00	0.15	0.00
50.		2202-01-796-16-01 प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से	2.55	2.55	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
51.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	2202-02-796-25-01 विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास	1.13	1.13	0.00
52.		2202-02-796-27-01 सहरिया क्षेत्र के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता	1.40	1.40	0.00
53.		2202-02-796-11 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण	19.60	38.07	0.00
54.		2202-02-796-30-01 माध्यमिक शिक्षा	17.12	₹ 1000	0.00
55.		2202-03-195-01-03 नए सरकारी महाविद्यालय (टीएसपी)	3.00	0.69	0.00
56.		2202-03-796-10-01 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण	2.33	₹ 1000	0.00
57.		2202-03-796-17-01 कॉलेज शिक्षा	76.70	₹ 1000	0.00
58.		2202-04-796-04 महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन	1.40	0.00	0.00
59.		2202-04-796-07-01 साक्षरता विभाग के माध्यम से	1.20	0.30	0.00
60.		2210-05-796-07-01 सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर	5.25	₹ 1000	0.00
61.		2211-796-01-04 शुभ लक्ष्मी योजना	5.40	2.75	0.00
62.		2211-796-02-02 राज्यव्यापी आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा योजना	28.70	33.25	0.00
63.		2217-05-190-02-10 जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	1.35	0.40	0.00
64.		2217-05-190-02-25 राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (टीएसपी)	20.00	3.00	0.00
65.		2217-80-191-14-06 एसएफसी (टीएसपी) की सिफारिश के तहत निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान	2.73	2.59	0.00
66.		2217-80-191-50-18 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (टीएसपी) के लिए अनुदान	1.49	1.48	0.00
67.		2217-80-191-53-03 स्थानीय निकाय विभाग (टीएसपी)	8.09	0.00	0.00
68.		2217-80-191-54-03 स्थानीय निकाय विभाग (टीएसपी)	3.38	0.00	0.00
69.		2217-80-192-14-06 कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन अनुदान एसएफसी (टीएसपी) की अनुशंसा	7.21	6.85	0.00
70.		2217-80-192-55-12 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (टीएसपी) के लिए अनुदान	13.59	13.59	0.00
71.		2217-80-192-57-03 स्थानीय निकाय विभाग (टीएसपी)	18.87	0.00	0.00
72.		2217-80-192-60-03 स्थानीय निकाय विभाग (टीएसपी)	2.00	0.00	0.00
73.		2217-80-192-61-03 स्थानीय निकाय विभाग (टीएसपी)	3.00	3.00	0.00
74.		2225-02-796-02-16 आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	3.00	1.21	0.00
75.		2225-02-796-18-06 प्रशासन व्यय, प्रशिक्षण, अनुश्रवण एवं एम.आई.एस. के लिए अनुदान	1.35	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
76.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	2225-02-796-25-01 विशेष केंद्रीय सहायता के तहत जनजाति विकास कार्यक्रम	70.11	40.00	0.00
77.		2230-01-796-07-01 आयुक्त श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर	3.00	0.00	0.00
78.		2230-01-796-09-01 आयुक्त श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर	4.00	0.01	0.00
79.		2230-03-796-09-01 तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जोधपुर	2.00	0.00	0.00
80.		2236-02-796-03-01 एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जयपुर	3.00	0.00	0.00
81.		2245-80-796-01-01 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा	67.40	0.67	0.00
82.		2245-80-797-01-03 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत कोष (टीएसपी) के बजट शीर्ष 8235-00-200-09-01 में स्थानांतरण	67.40	0.67	0.00
83.		2401-796-74-02 सतत कृषि मिशन – मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	1.18	0.00	0.00
84.		2403-796-01-33 पशु रोग नियंत्रण योजना	6.52	1.52	0.00
85.		2403-796-13-01 पशुपालन विभाग के माध्यम से	9.00	₹ 2000	0.00
86.		2425-796-42-01 राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (शीर्ष बैंक) के माध्यम से	5.04	5.04	0.00
87.		2425-796-44-01 राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (शीर्ष बैंक) के माध्यम से	6.50	0.07	0.00
88.		2501-05-196-10-02 जल संरक्षण योजना (एसटी)	55.94	1.52	0.00
89.		2515-196-44-02 निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)	12.11	0.00	0.00
90.		2515-197-17-02 निष्पादन अनुदान (एसटी के लिए)	48.42	0.00	0.00
91.		2515-198-36-02 निष्पादन अनुदान (एसटी के लिए)	181.58	0.00	0.00
92.		2515-198-38-02 पंचायती राज विभाग के माध्यम से (एसटी के लिए)	5.00	0.00	0.00
93.		2515-796-03-01 ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से	20.00	0.00	0.00
94.		2851-796-05 राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए अनुदान	4.00	1.49	0.00
95.		3454-02-796-13-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	2.00	0.00	0.00
96.		3454-02-796-16-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1.40	0.00	0.00
97.		3454-02-796-18-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	2.00	0.00	0.00
98.		3456-796-04-01 मुख्यमंत्री निःशुल्क राशन	150.00	0.00	0.00
99.		4059-80-796-11-01 सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	32.50	11.30	0.00
100.		4059-80-796-04-02 अन्य भवन	12.60	7.00	0.00
101.		4202-01-796-04-90 निर्माण कार्य	16.17	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
102.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	4202-01-796-16-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निर्माण कार्य	4.02	0.72	0.00
103.		4202-02-796-03-01 इंजीनियरिंग कॉलेज, बांसवाड़ा में निर्माण कार्य	2.20	0.00	0.00
104.		4210-01-796-05-90 निर्माण कार्य	11.25	0.00	0.00
105.		4210-01-796-09-01 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	1.33	0.00	0.00
106.		4210-03-796-03-02 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज	3.61	0.00	0.00
107.		4210-03-796-04-01 मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	1.10	1.10	0.00
108.		4210-03-796-05-03 मेडिकल कॉलेज, अजमेर	29.91	29.91	0.00
109.		4210-03-796-05-06 नए मेडिकल कॉलेज के लिए पूंजीगत व्यय	2.70	0.00	0.00
110.		4210-03-796-06-01 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	1.50	₹ 2000	0.00
111.		4210-03-796-08-04 मेडिकल कॉलेज, अजमेर	43.00	26.88	0.00
112.		4210-03-796-12-01 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	19.00	₹ 1000	0.00
113.		4210-03-796-15-01 मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	4.50	1.50	0.00
114.		4215-01-796-02-73 सिरोही जिले (शहरी भाग) के बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. प्रदान की जाने वाली परियोजना	5.68	0.00	0.00
115.		4215-01-796-02-74 परवन अकावद पेयजल परियोजना जिला बांरा, झालावाड़, कोटा (शहरी भाग)	13.50	0.00	0.00
116.		4215-01-796-02-75 नवनेरा जल आपूर्ति परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)	7.69	0.00	0.00
117.		4215-01-796-02-77 चंबल नदी से चित्तौड़गढ़ जिले के 648 गांवों (बेंगू, भैसरोड़गढ़, गंगरार, चित्तौड़गढ़, भदेसर एवं निम्बाहेड़ा ब्लॉक) की पेयजल परियोजना (शहरी भाग)	1.69	0.00	0.00
118.		4215-01-796- 04-06 बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर भाग-बी (नाबार्ड)	1.55	0.65	0.00
119.		4215-01-796-04-07 बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर भाग-सी (नाबार्ड)	10.57	1.30	0.00
120.		4215-01-796-04-13 बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)	1.88	1.95	0.00
121.		4215-01-796-04-14 नर्मदा डी.आर. क्लस्टर (नाबार्ड)	2.23	2.60	0.00
122.		4215-01-796-04-15 बाड़मेर जिले की शिव तहसील के लिए नर्मदा से जलापूर्ति योजना (नाबार्ड)	1.45	2.60	0.00
123.		4215-01-796-04-16 भीनमाल और 256 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	7.10	3.25	0.00
124.		4215-01 -796-04-21 निवाई एवं टोंक तहसील के 199 गांवों के लिए क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना	1.52	2.60	0.00
125.		4215-01-796-04-28 ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना	23.00	19.50	0.00
126.		4215-01-796-04-30 चंबल-बिलवाड़ा पेयजल परियोजना –हिंडोली बूंदी जिले की नैनवां पेयजल	2.65	3.25	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
		परियोजना प्रथम चरण से			
127.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	4215-01-796-04-31 राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोराइड उपचार परियोजना, द्वितीय चरण	28.42	0.65	0.00
128.		4215-01-796-04-32 जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रमुख पेयजल परियोजनाओं में रेट्रोफिटिंग के माध्यम से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का कार्य	97.68	36.88	0.00
129.		4215-01-796-04-33 बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ कस्बे तथा श्री डूंगरगढ़ एवं लूणकरणसर ब्लॉक के 108 गांवों की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	6.49	0.00	0.00
130.		4215-01-796-04-34 बीकानेर जिले के खाजूवाला विधानसभा की पेयजल आपूर्ति परियोजना	2.89	2.60	0.00
131.		4215-01-796-04-35 चूरू जिले की आपणी योजना प्रथम चरण की पुनर्स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना, सरदारशहर के 60 गांव और चूरू-बिसाऊ परियोजना (ग्रामीण भाग)	2.89	1.30	0.00
132.		4215-01-796-04-36 झालावाड़ जिले के राजगढ़ बांध से झालरापाटन कस्बे और 104 गांवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण भाग)	1.17	1.30	0.00
133.		4215-01-796-04-38 जिले की शिवराज तहसील के 70 गांवों को जवाई बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने के लिए	1.02	1.95	0.00
134.		4215-01-796-04-39 जिले की क्षेत्रीय जलापूर्ति भेर हरलाया (भाग I) परियोजना से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने के लिए परियोजना	3.00	3.25	0.00
135.		4215-01-796-04-41 चंबल भीलवाड़ा परियोजना से राजसमंद जिले की भीम और देवगढ़ तहसील की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना,	4.37	2.60	0.00
136.		4215-01-796-04-42 बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	4.76	2.60	0.00
137.		4215-01-796-04-44 बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, भाग-ए	7.71	1.95	0.00
138.		4215-01-796-04-46 कालीतीर जलापूर्ति योजना	3.30	0.00	0.00
139.		4215-01-796-04-47 चंबल नदी से अलवर और भरतपुर जिलों को सतही जलापूर्ति योजना	2.10	0.00	0.00
140.		4215-01-796-04-48 चंबल नदी से सवाई माधोपुर-नादौती सतही जल आपूर्ति योजना	1.40	0.00	0.00
141.		4216-01-796-03-01 सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	9.00	4.05	0.00
142.		4217-60-796-04-01 स्वायत शासन विभाग	15.80	0.00	0.00
143.		4217-60-796-09-02 नगरीय विकास एवं आवास विभाग	47.18	0.00	0.00
144.		4217-60-796-15-01 नगरीय विकास एवं आवास विभाग	3.00	0.00	0.00
145.		4225-02-796-11-17 सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य	5.00	0.00	0.00
146.		4225-02-796-20-10 जनरेटर सेट सहित कार्यालय भवन का नवीनीकरण एवं निर्माण	2.50	0.10	0.00
147.		4225-02-796-20-23 छात्रावास भवन में सोलर लाइट एवं पेयजल सुविधा सहित अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण	2.00	0.00	0.00
148.		4225-02-796-20-35 आदिवासी विकास निधि के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार विकास योजना	2.50	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
149.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	4225-02-796-29-01 विशेष केंद्रीय सहायता से आदिवासी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सुविधाओं का विकास	105.16	60.00	0.00
150.		4250-796-04 विभाग के माध्यम से तीर्थयात्रियों के लिए निर्माण कार्य	2.25	0.00	0.00
151.		4403-796-04-02 नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.टी-XXVIII	7.00	0.00	0.00
152.		4403-796-06-01 राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि से संचालित योजना	20.00	13.20	0.00
153.		4851-796-04-01 आयुक्त उद्योग विभाग	1.20	0.00	0.00
154.		5452-80-796-01 पर्यटक स्थलों का विकास	9.54	1.45	0.00
155.		5475-190-06-03 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (टी.एस.पी.)	7.00	0.07	0.00
156.		5475-796-08-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	2.40	0.00	0.00
157.		5475-796-16-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	5.00	0.00	0.00
158.		5475-796-19-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	5.00	0.00	0.00
159.		6801-796-04-02 राजस्थान अंतर-राज्यीय प्रसारण प्रणाली (के.एफ.डब्ल्यू) के वित्त हेतु हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना	9.52	₹ 2000	0.00
160.	31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2225-03-196-13-03 देवनारायण बालिका छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के लिए अनुदान	20.34	9.00	0.00
161.		2235-02-101-47-01 राज्य दिव्यांग कल्याण निधि के अंतर्गत संचालित योजनाएं	100.00	20.00	0.00
162.		2235-02-102-10-02 बाल गृह/क्रेच का संचालन	1.00	0.50	0.00
163.		2235-02-196-22-06 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	5.50	5.50	0.00
164.		2235-60-200-26-01 विप्र कल्याण बोर्ड को अनुदान सहायता	1.20	0.76	0.00
165.		4225-80-800-02-90 निर्माण कार्य	5.00	₹ 1000	0.00
166.		4235-02-103-12 नारी निकेतन भवन का निर्माण	10.00	₹ 1000	0.00
167.		4235-02-800-10-01 रैंप एवं लिफ्ट आदि का निर्माण	2.00	3.08	0.00
168.	32- महिला एवं बाल विकास विभाग	2236-02-101-01-12 राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण एवं पोषण योजना	25.40	16.86	0.00
169.		2236-02-101-04-01 एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जयपुर	12.00	0.00	0.00
170.	33- सैनिक कल्याण विभाग	4235-60-800-01-01 युद्ध विधवाओं के लिए छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्रों के भवनों का निर्माण	0.66	0.00	0.00
171.	34- श्रम एवं रोजगार विभाग	2230-03-102-03-01 तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जोधपुर	6.50	0.00	0.00
172.		2230-01-103-12-01 आयुक्त, श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर	13.00	0.00	0.00
173.		2230-01-103-14-01 आयुक्त, श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर	16.00	0.07	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
174.	35- अल्पसंस्यक मामलात विभाग	2225-04-277-01-02 राज्य तकनीकी छात्रवृत्ति	1.25	1.25	0.00
175.		2225-04-277-02-01 अल्पसंस्यक छात्राओं को स्कूटी का वितरण	13.95	17.39	0.00
176.		4225-04-800-01-03 अल्पसंस्यक मामलात विभाग के कार्यालय भवन का निर्माण	1.50	0.00	0.00
177.	36- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-02-101-16-06 आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न के लिए राहत	1.00	1.00	0.00
178.		2245-08-101-01-01 जन स्वास्थ्य	100.00	100.00	0.00
179.		2245-08-101-01-02 आग से सुरक्षा और बचाव	100.00	100.00	0.00
180.		2245-08-101-01-03 सूखे की रोकथाम और संरक्षण	100.00	100.00	0.00
181.		2245-08-101-01-04 बाढ़, ओलावृष्टि आदि से सुरक्षा और रोकथाम	135.60	135.60	0.00
182.		2245-80-797-01-01 प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा राहत कोष (सामान्य) के बजट शीर्ष 8235-00-200-(09)-[01] में स्थानांतरण	343.45	3.43	0.00
183.	37- देवस्थान विभाग	4250-800-03 विभाग के माध्यम से तीर्थ यात्रियों के लिए निर्माण कार्य	2.00	0.15	0.00
184.	39- नगरीय विकास एवं आवास विभाग	4217-60-051-08-02 नगरीय विकास एवं आवास विभाग	240.42	0.00	0.00
185.		4217-60-051-15-01 नगरीय विकास एवं आवास विभाग	13.00	0.00	0.00
186.	40- स्वायत शासन विभाग	2217-05-190-02-08 जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)	6.87	2.06	0.00
187.		2217-05-190-02-11 कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)	3.43	4.81	0.00
188.		2217-05-190-02-17 उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)	4.81	2.75	0.00
189.		2217-05-190-02-20 भरतपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)	2.75	0.00	0.00
190.		2217-05-190-02-23 राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (सामान्य)	50.00	13.50	0.00
191.		2217-80-191-14-04 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहन अनुदान (सामान्य)	13.89	13.19	0.00
192.		2217-80-191-50-16 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए अनुदान (सामान्य)	7.57	7.57	0.00
193.		2217-80-191-52-01 चारदीवारी क्षेत्र में इमारतों का सरंक्षण (सामान्य)	2.40	0.00	0.00
194.		2217-80-191-53-01 स्थानीय निकाय विभाग-(सामान्य)	41.21	0.00	0.00
195.		2217-80-191-54-01 स्थानीय निकाय विभाग-(सामान्य)	17.24	0.00	0.00
196.	40- स्वायत शासन विभाग	2217-80-192-14-04 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहन अनुदान-(सामान्य)	36.74	34.90	0.00
197.		2217-80-192-55-10 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों के लिए अनुदान (सामान्य)	69.24	69.24	0.00
198.		2217-80-192-57-01 स्थानीय निकाय विभाग-(सामान्य)	96.17	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
199.	40- स्वायत शासन विभाग	2217-80-192-60-01 स्थानीय निकाय विभाग-(सामान्य)	5.00	0.00	0.00
200.		2217-80-192-61-01 स्थानीय निकाय विभाग-(सामान्य)	13.00	13.00	0.00
201.		4217-60-051-05-01 स्वायत शासन विभाग	1.00	0.00	0.00
202.		4217-60-051-06-01 स्वायत शासन विभाग	68.41	0.00	0.00
203.	41-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4215-01-101-01-98 चकम बांध से इंद्रगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बूंदी (शहरी)।	3.81	5.16	0.00
204.		4215-01-101-11-21 सिरोही जिले (शहरी भाग) के बत्तीसा नाला बांध से एफएचटीसी प्रदान की जाने वाली परियोजना	28.92	0.00	0.00
205.		4215-01-101-11-22 परवन अकावद पेयजल परियोजना जिला बांरा, झालावाड़, कोटा (शहरी भाग)	68.70	0.00	0.00
206.		4215-01-101-11-23 नवनेरा जल आपूर्ति परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)	39.13	0.00	0.00
207.		4215-01-101-11-25 चम्बल नदी (शहरी भाग) से चित्तौड़गढ़ जिले के 648 गाँवों (बेंगू, भैसरोडगढ़, गंगरार, चित्तौड़गढ़, भदेसर और निम्बाहेड़ा ब्लॉक) की पेयजल परियोजना	7.41	0.00	0.00
208.		4215-01-102-99-03 जल जीवन मिशन की सहायक गतिविधियाँ	40.00	30.00	0.00
209.		4215-01-102-99-06 चूरू-झुंझुनू पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना	4.98	10.35	0.00
210.		4215-01-102-99-08 बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण -क्लस्टर भाग-बी (नाबार्ड)	8.45	3.45	0.00
211.		4215-01-102-99-09 बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण -क्लस्टर भाग-सी (नाबार्ड)	65.85	6.90	0.00
212.		4215-01-102-99-10 ब्यावर-जवाजा क्लस्टर वितरण	3.97	12.17	0.00
213.		4215-01-102 -99-11 गागरिन पेयजल परियोजना	2.29	8.28	0.00
214.		4215-01-102-99-12 बारां क्लस्टर परियोजना	2.28	1.73	0.00
215.		4215-01-102-99-15 बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)	9.97	10.35	0.00
216.		4215-01-102-99-16 नर्मदा डी.आर. क्लस्टर (नाबार्ड)	11.35	13.80	0.00
217.		4215-01-102-99-17 बाड़मेर जिले की शिव तहसील के लिए नर्मदा से जलापूर्ति योजना (नाबार्ड)	7.40	13.80	0.00
218.		4215-01-102-99-18 भीनमाल और 256 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	37.42	17.25	0.00
219.		4215-01-102-99-23 निवाई और टोंक तहसील के 199 गांवों के लिए क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना	7.72	13.80	0.00
220.		4215-01-102-99-24 बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना	3.63	11.00	0.00
221.		4215-01-102-99-25 झुंझुनू जिले की अलसीसर पंचायत समिति की चूरू-बिसाऊ परियोजना	3.22	20.70	0.00
222.		4215-01-102-99-26 बीसलपुर-चाकसू परियोजना	1.30	34.50	0.00
223.		4215-01-102-99-28 अंता-मांगरोल तहसील बारां की सोनवा पेयजल परियोजना	1.77	4.83	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
224.	41-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4215-01-102-99-30 ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना	116.79	103.50	0.00
225.		4215-01-102-99-31 जोधपुर के दांतीवाड़ा आईजीएनपी जल वितरण जलाशय से पाली जिले की सोजत तहसील की 10 ग्राम पंचायतों के लिए क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	1.46	6.90	0.00
226.		4215-01-102-99-32 चंबल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना – प्रथम चरण से बूंदी जिले की हिंडोली-नैनवां पेयजल परियोजना	14.25	17.25	0.00
227.		4215-01-102-99-33 राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोराइड उपचार परियोजना, द्वितीय चरण	144.64	3.45	0.00
228.		4215-01-102-99-35 बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ कस्बे तथा श्री डूंगरगढ़ और लूणकरणसर के 108 गांवों की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना ब्लॉक	34.50	0.00	0.00
229.		4215-01-102-99-36 बीकानेर जिले के खाजूवाला विधानसभा की पेयजल परियोजना	15.33	13.80	0.00
230.		4215-01-102-99-37 चूरू जिले की आपणी योजना प्रथम चरण की पुनर्स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना, सरदारशहर के 60 गांव तथा चूरू-बिसाऊ परियोजना (ग्रामीण भाग)	15.33	6.90	0.00
231.		4215-01-102-99-38 झालावाड़ जिले के राजगढ़ बांध से झालरापाटन कस्बे तथा 104 गांवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण भाग)	5.96	6.90	0.00
232.		4215-01-102-99-39 सिरोही जिले के बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने की परियोजना	4.91	10.35	0.00
233.		4215-01-102-99-40 बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने, जिले की शिवगंज तहसील के जवाई बांध से 70 गांवों को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराना	5.19	10.35	0.00
234.		4215-01-102-99-41 जोधपुर जिले की बी.एच.ई.आर. हरलाया (भाग-I) परियोजना से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	15.26	17.25	0.00
235.		4215-01-102-99-42 चित्तौड़गढ़ जिले के बांसरोडगढ़ ब्लॉक के 38 गांवों की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	3.87	1.38	0.00
236.		4215-01-102-99-43 चंबल भीलवाड़ा परियोजना से राजसमंद जिले की भीम और देवगढ़ तहसील की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	36.54	13.80	0.00
237.		4215-01-102-99-44 बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	25.30	13.80	0.00
238.		4215-01-102-99-46 बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, भाग-ए	29.14	10.35	0.00
239.		4215-01-102-99-48 कालीतीर जलापूर्ति योजनाएं	16.40	0.00	0.00
240.		4215-01-102-99-49 चंबल नदी से अलवर और भरतपुर जिलों को सतही जलापूर्ति योजना	10.20	0.00	0.00
241.		4215-01-102-99-50 चंबल नदी से सवाई माधोपुर-नादौती सतही जलापूर्ति योजना	6.80	₹ 1000	0.00
242.		4215-01-102-99-34 जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रमुख पेयजल परियोजनाओं में रेट्रोफिटिंग के माध्यम से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का कार्य	497.08	195.73	0.00
243.		4215-01-102-99-05बीसलपुर-दूदू-फुलेरा पेयजल परियोजना	2.07	0.35	0.00
244.		4215-01-102-99-14 चंबल-भरतपुर क्लस्टर परियोजना प्रथम चरण भाग-II (नाबार्ड)	2.30	20.70	0.00
245.		4215-01-102-99-27 बीसलपुर फागी परियोजना	2.10	0.35	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
246.	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	2700-05-101-03-01 अन्य रस्वरस्राव व्यय-प्रतिबद्ध	1.50	0.75	0.00
247.		2700-31-101-02-01 अन्य रस्वरस्राव व्यय-प्रतिबद्ध	1.00	0.80	0.00
248.		2701-03-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	6.30	0.00	0.00
249.		4700-31-001-04-01 आधुनिकीकरण	10.00	0.00	0.00
250.		4701-03-001-02-01 निर्माण कार्य	5.00	0.00	0.00
251.	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-102-28-01 वन विभाग	3.00	0.00	0.00
252.		2406-02-110-06 पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास	4.00	4.00	0.00
253.		3435-03-102-10-01 पर्यावरण विभाग के माध्यम से	1.00	0.01	0.00
254.		4406-01-070-02 प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के माध्यम से	25.00	0.00	0.00
255.		4406-02-110-16-01 विकास कार्य	5.00	5.00	0.00
256.	46- कृषि विभाग	2401-109-17-01 संचालन	5.00	0.00	0.00
257.		2401-109-19-01 कृषि विभाग के माध्यम से	5.00	0.00	0.00
258.		2401-196-06-43 जैविक कृषि के लिए सहायता	3.40	0.00	0.00
259.		2401-800-35-02 मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	4.34	0.00	0.00
260.		4401-800-08-01 कृषि विभाग के माध्यम से	5.00	0.00	0.00
261.	47- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	2403-101-17 पशु रोग नियंत्रण योजना (ए.एस.सी.ए.डी.)	34.17	11.22	0.00
262.		2403-102-30-01 निदेशक पशुपालन विभाग के माध्यम से	1.38	0.69	0.00
263.		2403-108-01-01 पशुपालन विभाग के माध्यम से	31.00	₹ 2000	0.00
264.		2403-109-04-01 विकास एवं विस्तार	4.00	₹ 4000	0.00
265.		2405-101-11-01 मत्स्य विकास	1.79	2.80	0.00
266.		4403-101-17-02 नाबार्ड आर.आई.डी.एफ टी-XXVIII	16.00	0.00	0.00
267.		4405-101-08-01 मत्स्य विकास	1.87	1.87	0.00
268.	48- उद्यानिकी विभाग	2401-119-37 स्वचालन पर सहायता	5.72	5.72	0.00
269.		4401-119-05-01 उद्यानिकी विभाग के माध्यम से	30.00	₹ 1000	0.00
270.	49- गोपालन विभाग	2403-102-27-01 सॉर्टेड सीमन योजना से कृत्रिम गर्भाधान	10.00	10.00	0.00
271.	50- सहकारिता विभाग	2425-001-05-01 सहकारिता विभाग के माध्यम से	1.00	1.00	0.00
272.		2425-107-29-01 राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (एपेक्स बैंक) के माध्यम से	27.17	27.17	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
273.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2029-789-01-01 भू-निपटान विभाग	2.93	2.93	0.00
274.		2070-789-01-01 सामान्य प्रशासन विभाग	7.00	0.35	0.00
275.		2202-02-789-09 अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण	25.20	49.35	0.00
276.		2202-02-789-19-01 विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास	3.62	2.27	0.00
277.		2202-03-195-01-02 नया सरकारी महाविद्यालय (एससीएसपी)	3.00	1.50	0.00
278.		2202-03-789-07-01 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण	3.06	₹ 1000	0.00
279.		2202-04-789-04 महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन	2.58	0.00	0.00
280.		2202-04-789-06-01 साक्षरता विभाग के माध्यम से	2.24	0.56	0.00
281.		2203-789-09-01 उच्च तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	1.80	0.10	0.00
282.		2210-05-789-07-01 सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	7.00	₹ 1000	0.00
283.		2210-05-789-08-01 सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	10.00	₹ 1000	0.00
284.		2211-789-01-04 शुभ लक्ष्मी योजना	7.15	3.50	0.00
285.		2211-789-02-02 राज्यव्यापी आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा	37.53	43.47	0.00
286.		2217-05-190-02-09 जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एससीएसपी)	1.78	0.54	0.00
287.		2217-05-190-02-18 उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एससीएसपी)	1.25	0.71	0.00
288.		2217-05-190-02-24 राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एससीएसपी)	30.00	3.50	0.00
289.		2217-80-191-14-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहन अनुदान (एससीएसपी)	3.60	3.43	0.00
290.		2217-80-191-50-17 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए अनुदान (एससीएसपी)	1.97	1.97	0.00
291.		2217-80-191-52-02 चारदीवारी क्षेत्र में भवनों का संरक्षण (एससीएसपी)	1.00	0.00	0.00
292.		2217-80-191-53-02 स्थानीय निकाय विभाग-(एससीएसपी)	10.70	0.00	0.00
293.		2217-80-191-54-02 स्थानीय निकाय विभाग-(एससीएसपी)	4.48	0.00	0.00
294.		2217-80-192-14-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहन अनुदान (एससीएसपी)	9.54	9.06	0.00
295.		2217-80-192-55-11 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए अनुदान (एससीएसपी)	17.97	17.97	0.00
296.		2217-80-192-57-02 स्थानीय निकाय विभाग	24.96	0.00	0.00
297.		2217-80-192-60-02 स्थानीय निकाय विभाग-(एससीएसपी)	3.00	0.00	0.00
298.		2217-80-192-61-02 स्थानीय निकाय विभाग-(एससीएसपी)	4.00	4.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
299.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2225-01-196-12 संबल गांवों के विकास के लिए अनुदान	9.50	9.50	0.00
300.		2225-01-789-22 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	70.08	0.08	0.00
301.		2225-01-789-27-01 अनुसूचित जाति की छात्राओं को स्कूटी वितरण	11.56	0.00	0.00
302.		2230-01-789-05-01 आयुक्त, श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर	4.00	0.00	0.00
303.		2230-01-789-07-01 आयुक्त, श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर	5.00	0.02	0.00
304.		2230-03-789-03-01 तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जयपुर	1.50	0.00	0.00
305.		2236-02-789-05-01 एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जयपुर	5.00	0.00	0.00
306.		2245-80-789-01-01 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा	89.15	0.89	0.00
307.		2245-80-797-01-02 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत कोष (एससीएसपी) के बजट शीर्ष 8235-00-200-(09)-[01] में स्थानांतरण	89.15	0.89	0.00
308.		2401-789-07-02 सतत कृषि मिशन - मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	1.03	0.00	0.00
309.		2403-789-01-05 पशु रोग नियंत्रण योजना	10.45	3.27	0.00
310.		2403-789-01-12 पशुपालन विभाग के माध्यम से	10.00	₹ 2000	0.00
311.		2425-789-13-01 राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (एपेक्स बैंक) के माध्यम से	6.60	6.60	0.00
312.		2425-789-15-01 राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (एपेक्स बैंक) के माध्यम से	8.50	0.09	0.00
313.		2501-05-196-10-03 जल संचय योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)	73.99	2.01	0.00
314.		2515-196-44-03 निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)	16.15	0.00	0.00
315.		2515-197-17-03 निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)	64.56	0.00	0.00
316.		2515-198-36-03 निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)	242.11	0.00	0.00
317.		2515-198-38-01 पंचायती राज विभाग के माध्यम से (अनुसूचित जातियों के लिए)	5.00	0.00	0.00
318.		2515-789-03-01 ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से	30.00	0.00	0.00
319.		2851-789-03 राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान	6.00	2.24	0.00
320.		2852-80-789-20-02 ब्याज अनुदान	3.00	0.50	0.00
321.		3454-02-789-13-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	2.30	0.00	0.00
322.		3454-02-789-16-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1.80	0.00	0.00
323.		3454-02-789-18-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	3.00	0.00	0.00
324.		3454-02-789-21-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1.20	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
325.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3456-789-04-01 मुख्यमंत्री निःशुल्क राशन	200.00	0.00	0.00
326.		3475-789-02-01 इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सहायता	6.00	0.09	0.00
327.		4059-80-789-03-02 अन्य भवन	16.20	9.00	0.00
328.		4202-01-789-11-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य	5.02	0.90	0.00
329.		4202-01-789-01-90 निर्माण कार्य	21.07	0.00	0.00
330.		4059-80-789-09-01 सार्वजानिक निर्माण विभाग के माध्यम से	42.50	15.00	0.00
331.		4210-01-789-03-90 निर्माण कार्य	15.00	0.00	0.00
332.		4210-01-789-07-01 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)	1.74	0.00	0.00
333.		4210-03-789-03-02 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज	4.77	0.00	0.00
334.		4210-03-789-04-01 मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	1.22	1.22	0.00
335.		4210-03-789-05-03 मेडिकल कॉलेज, अजमेर	7.00	7.00	0.00
336.		4210-03-789-05-06 नए मेडिकल कॉलेज के लिए पूंजीगत व्यय	3.60	0.00	0.00
337.		4210-03-789-06-01 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	1.50	₹ 2000	0.00
338.		4210-03-789-08-04 मेडिकल कॉलेज, अजमेर	10.00	10.00	0.00
339.		4210-03-789-12-01 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	19.00	₹ 1000	0.00
340.		4210-03-789-15-01 मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	5.30	1.50	0.00
341.		4215-01-789-02-73 सिरोही जिले (शहरी भाग) के बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी उपलब्ध करने वाली परियोजना	7.49	0.00	0.00
342.		4215-01-789-02-74 परवन अकावद पेयजल परियोजना, जिला बारां, झालावाड़,कोटा (शहरी भाग)	17.80	0.00	0.00
343.		4215-01-789-02-75 नवनेरा जलप्रदाय परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)	10.14	0.00	0.00
344.		4215-01-789-02-77 चम्बल नदी (शहरी भाग) से चित्तौड़गढ़ जिले के 648 गांवों (बेंगू, भैसरोड़गढ़ एवं निम्बाहेड़ा ब्लॉक) की पेयजल परियोजना	2.02	0.00	0.00
345.		4215-01-789-03-04 चूरू-झुंझुनू पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना	1.30	2.70	0.00
346.		4215-01-789-03-06 बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर भाग-बी (नाबार्ड)	2.15	0.90	0.00
347.		4215-01-789-03-07 बाडमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर भाग-सी (नाबार्ड)	14.13	1.80	0.00
348.		4215-01-789-03-08 क्लस्टर वितरण ब्यावर-जवाजा	1.03	3.15	0.00
349.		4215-01-789-03-14 नर्मदा डी.आर. क्लस्टर (नाबार्ड)	2.95	3.60	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
350.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4215-01-789-13-15 बाड़मेर जिले की शिव तहसील के लिए नर्मदा से जलापूर्ति योजना (नाबार्ड)	1.92	3.60	0.00
351.		4215-01-789-03-16 भीनमाल और 256 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना	10.25	4.50	0.00
352.		4215-01-789-03-21 निवाई एवं टोंक तहसील के 199 गांवों के लिए क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना	2.00	3.60	0.00
353.		4215-01-789-03-28 ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना	30.30	27.00	0.00
354.		4215-01-789-03-30 चंबल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना – प्रथम चरण से बूंदी जिले की हिंडोली-नैनवां पेयजल परियोजना	3.46	4.50	0.00
355.		4215-01-789-03-31 राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोराइड उपचार परियोजना, द्वितीय चरण	37.47	0.90	0.00
356.		4215-01-789-03-32 जल जीवन मिशन पेयजल परियोजनाओं के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग के माध्यम से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का कार्य	128.80	51.05	0.00
357.		4215-01-789-03-33 श्री डूंगरगढ़ एवं लूणकरणसर ब्लॉक के डूंगरगढ़ कस्बे की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	9.00	0.00	0.00
358.		4215-01-789-03-34 बीकानेर जिले के खाजूवाला विधानसभा की पेयजल परियोजना	4.00	3.60	0.00
359.		4215-01-789-03-35 चूरू जिले की आपणी योजना प्रथम चरण की पुनर्स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना, सरदारशहर के 60 गांव और चूरू-बिसाऊ परियोजना (ग्रामीण भाग)	4.00	1.80	0.00
360.		4215-01-789-03-36 झालावाड़ के राजगढ़ बांध से झालरापाटन कस्बे एवं 104 गांवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण भाग)	1.55	1.80	0.00
361.		4215-01-789-03-37 सिरोही जिले के बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने की परियोजना	1.28	2.70	0.00
362.		4215-01-789-03-38 बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने, जिले की शिवगंज तहसील के जवाई बांध से 70 गांवों को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराना	1.35	2.70	0.00
363.		4215-01-789-03-39 जोधपुर जिले की बीएचईआर हरलाया (भाग-I) परियोजना से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	3.96	4.50	0.00
364.		4215-01-789-03-40 चित्तौड़गढ़ जिले के बांसरोडगढ़ ब्लॉक के 38 गांवों की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	1.00	0.36	0.00
365.		4215-01-789-03-41 चंबल भीलवाड़ा परियोजना से राजसमंद जिले की भीम और देवगढ़ तहसील की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	9.53	3.60	0.00
366.		4215-01-789-03-42 बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना	6.60	3.60	0.00
367.		4215-01-789-03-44 बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण भाग ए	7.71	2.70	0.00
368.		4215-01-789-03-46 कालीतीर जलापूर्ति योजनाएँ	4.30	0.00	0.00
369.		4215-01-789-03-47 चंबल से अलवर और भरतपुर जिलों के लिए सतही जलापूर्ति योजना	2.70	0.00	0.00
370.		4215-01-789-03-48 चंबल नदी से सवाई माधोपुर-नादौती सतही जलापूर्ति योजना	1.80	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
371.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4216-01-789-01-01 सार्वजानिक निर्माण विभाग के माध्यम से	11.00	5.40	0.00
372.		4217-60-789-04-01 स्वायत शासन विभाग	23.03	0.00	0.00
373.		4217-60-789-09-02 नगरीय विकास एवं आवास विभाग	62.41	0.00	0.00
374.		4217-60-789-15-01 नगरीय विकास एवं आवास विभाग	4.00	0.00	0.00
375.		4403-789-04-02 नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.टी-XXVIII	7.00	0.00	0.00
376.		4851-789-04-01 आयुक्त, उद्योग विभाग	2.30	0.00	0.00
377.		5475-190-06-02 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (एससीएसपी)	9.00	0.09	0.00
378.		5475-789-08-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	3.22	0.00	0.00
379.		5475-789-11-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1.06	0.00	0.00
380.		5475-789-16-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	7.00	0.00	0.00
381.		5475-789-19-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	10.00	0.00	0.00
382.		6801-789-04-02 राजस्थान अंतर-राज्यीय प्रसारण प्रणाली (के.एफ.डब्ल्यू) के वित्त हेतु हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना	12.24	₹ 2000	0.00
383.	52- पंचायती राज विभाग	2501-05-196-08-03 राजीव गांधी जलसंचय योजना	300.00	₹ 1000	0.00
384.		2515-196-44-01 निष्पादन अनुदान	61.42	0.00	0.00
385.		2515-197-17-01 निष्पादन अनुदान	245.70	0.00	0.00
386.		2515-198-36-01 निष्पादन अनुदान	921.35	0.00	0.00
387.	53- ग्रामीण विकास विभाग	2515-800-09-01 ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से	50.00	0.00	0.00
388.	54- ऊर्जा विभाग	6801-190-02-02 राजस्थान अंतर-राज्यीय प्रसारण प्रणाली (के.एफ.डब्ल्यू) के वित्त हेतु हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना	46.24	₹ 2000	0.00
389.	55- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग	3456-102-09-01 मुख्यमंत्री निशुल्क राशन	650.00	0.00	0.00
390.	56- उद्योग विभाग	2851-105-01 राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान	6.00	2.24	0.00
391.		2852-80-102-28-01 उद्यानिकी विभाग के माध्यम से	3.85	1.75	0.00
392.		2852-80-190-04-01 रीको को सहायता	89.00	39.00	0.00
393.		4851-102-02-01 आयुक्त, उद्योग विभाग	5.50	0.00	0.00
394.		4851-104-02-01 आयुक्त, उद्योग विभाग	2.30	2.30	0.00
395.		4851-200-03-90 निर्माण कार्य	1.80	0.00	0.00
396.	58-खान विभाग	4853-01-004-06-90 निर्माण कार्य	9.00	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
397.	59-पर्यटन विभाग	3452-80-800-13-01 पर्यटन विभाग के माध्यम से	10.00	1.00	0.00
398.	60-सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	3454-02-203-01-19 ई-संचार	1.66	0.00	0.00
399.		3454-02-203-06-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1.63	0.00	0.00
400.		3454-02-203-08-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	6.50	0.00	0.00
401.		3454-02-203-11-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	6.80	0.00	0.00
402.		3454-02-203-12-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	3.40	0.00	0.00
403.		3454-02-203-13-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	10.00	0.00	0.00
404.		3454-02-203-15-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1.20	0.00	0.00
405.		3454-02-203-16-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	3.00	0.00	0.00
406.		5475-190-06-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	34.00	0.34	0.00
407.		5475-800-08-12 स्वान हॉरिजॉन्टल	1.36	0.00	0.00
408.		5475-800-08-27 जी.आई.एस.	57.25	16.28	0.00
409.		5475-800-08-35 संपर्क केंद्र संचालन	1.80	3.52	0.00
410.		5475-800-21-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	12.08	0.00	0.00
411.		5475-800-24-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	4.00	0.00	0.00
412.		5475-800-28-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	23.00	0.00	0.00
413.		5475-800-31-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	30.00	0.00	0.00
		कुल	**10,323.77**		

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.2; पृष्ठ 94)

ऐसे मामले जिनमें विगत तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	2023-24	2022-23	2021-22
1.	02-राज्य विधानमण्डल	2011-02-101-03 उपसभापति द्वारा विवेकाधीन अनुदान की राशि-प्रतिबद्ध	0.01	0.01	0.01
2.	07-मंत्रिपरिषद	2013-800-05 मंत्रियों के आवासीय आवासों का किराया – प्रतिबद्ध	0.15	0.14	0.05
3.	28-चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-13-01 मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	6.15	7.28	5.00
4.		4210-03-105-16-01 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	4.35	4.35	2.00
5.	30-जनजाति क्षेत्रीय विभाग	3425-01-796-04 औद्योगिक जागरूकता	0.02	0.02	0.02
6.		3425-01-796-05 सुरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	0.01	0.02	0.02
7.		3425-01-796-06 जैव प्रौद्योगिकी	0.01	0.01	0.01
8.		4210-03-796-06-01 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	1.50	1.50	1.50
9.		4210-03-796-12-01 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	19.00	10.00	10.00
10.		4215-01-796-04-31 राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोराइड उपचार परियोजना, द्वितीय चरण	28.42	24.93	0.27
11.	31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2235-02-102-10-02 शिशु गृह/क्रेच का संचालन	1.00	1.20	1.70
12.		4235-02-800-10-01 रैंप और लिफ्ट आदि का निर्माण	2.00	2.00	2.00
13.	36- प्राकृतिक आपदा एवं राहत विभाग	2245-01-800-04-03 राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों के आपदा प्रबंधन केंद्रों को सहायता	0.40	1.00	1.00
14.	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	4700-33-001-01-01 निर्माण कार्य	0.05	0.05	0.05
15.	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2250-789-01-01 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना	0.16	0.16	0.15
16.		2810-789-02-01 जैव ईंधन प्राधिकरण - मुख्यालय	0.03	0.15	0.15
17.		3425-01-789-02 विज्ञान और समाज	0.05	0.05	0.05
18.		3425-01-789-04 औद्योगिक जागरूकता	0.04	0.04	0.04
19.		3425-01-789-05 सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	0.02	0.04	0.04
20.		3425-01-789-06 जैव प्रौद्योगिकी	0.01	0.01	0.01
21.		4210-03-789-04-01 मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	1.22	1.22	1.50
22.		4210-03-789-06-01 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	1.50	1.50	1.50
23.		4210-03-789-12-01 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	19.00	10.00	10.00
24.		4215-01-789-03-31 राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोराइड उपचार परियोजना, द्वितीय चरण	37.47	34.55	0.36
		कुल	**122.57**	**100.23**	**37.43**

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट-3.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.2; पृष्ठ 94)

अ. वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में की गई घोषनाओं के क्रियान्वयन का अभाव

विभाग का नाम	बजट भाषण संख्या	भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	145	राज्य सरकार ने शहरी नियोजन, वन निगरानी, आपदा प्रबंधन, कृषि, पर्यटन, खान एवं भूविज्ञान आदि क्षेत्रों में ड्रोन की उपयोगिता को देखते हुए ₹ 450 करोड़ की लागत से 2000 पायलट ड्रोन उपलब्ध कराने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2024) कि ड्रोन की आवश्यकता के लिए विभागों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण बजट प्रावधान में कटौती की गई और संशोधित अनुमान 2023-24 में केवल प्रतीकात्मक प्रावधान किये गये।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	63(V)	राज्य सरकार ने घोषणा की कि जयपुर में ₹20 करोड़ की लागत से राज्य स्तरीय सुविधा एवं मध्यस्थता केंद्र बनाया जाएगा।	विभाग ने सूचित किया (अक्तूबर 2024) कि ₹ 20 करोड़ के बजट आवंटन के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है तथा निर्माण के लिए भारत सरकार से ₹ 32.11 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की मांग नोडल एजेंसी की आवश्यकता के अनुसार भी की गई है।
अल्पसंख्यक मामलात विभाग	75(II)	राज्य सरकार ने घोषणा की कि अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के माध्यम से विविध कार्यों के लिए ₹ 50 करोड़ खर्च किये जायेंगे।	विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2024) कि अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा गया था परन्तु आचार संहिता लगने के कारण मंजूरी नहीं मिल पाई। इसलिए, घोषणा का क्रियान्वयन नहीं हो सका।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	74(I)	राज्य सरकार ने ₹ 25 करोड़ की लागत से बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर के अंतर्गत सहायक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2024) कि प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शुरू नहीं हो सकी क्योंकि भूमि आवंटन का प्रस्ताव जेडीए के पास प्रगति पर है।
	74(II)	राज्य सरकार ने जोधपुर में ₹ 25 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की	विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2024) कि भूमि आवंटित कर दी गई है लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में कोई भौतिक प्रगति नहीं हुई है।
पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग	123	राज्य सरकार ने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर शहरों में ₹ 400 करोड़ की लागत से एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी) केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2024) कि एमआईसीई की स्थापना के संबंध में शहरवार प्रगति इस प्रकार दी गई है- जोधपुर-वित्त विभाग द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। उदयपुर-यूआईटी द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई है। अजमेर- भूमि आवंटन हेतु राजस्व विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। जयपुर- भूमि आवंटन के लिए जेडीए को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। हालाँकि, कोई भौतिक प्रगति सूचित नहीं की गई।
	124	राज्य सरकार ने माउंट आबू-सिरोही, जोधपुर और उदयपुर सहित 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ₹125 करोड़ की लागत से गोल्फ कोर्स विकसित करने की घोषणा की है।	विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2024) कि गोल्फ कोर्स के विकास के तहत प्रगति इस प्रकार है - उदयपुर-यूआईटी द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई है। जोधपुर-भूमि आवंटन का प्रस्ताव जोधपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिए गया। अजमेर-चारागाह भूमि के संबंध में मार्गदर्शन हेतु प्रस्ताव राजस्व विभाग को प्रस्तुत किया गया गया है। माउंट आबू-अभी तक जमीन आवंटित नहीं की गई है।
उद्योग विभाग	87	राज्य सरकार ने राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की घोषणा की गई, जिसके लिए आगामी वर्ष में औद्योगिक क्षेत्रों में ₹ 400 करोड़ से अधिक के विकास कार्य कराने का प्रस्ताव रखा।	विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2024) कि राशि ₹ 279.89 करोड़ के कार्य आदेश जारी किये गये हैं। साथ ही फिनटेक पार्क, जयपुर के विकास के लिए राशि ₹ 55.01 करोड़ का कार्य आदेश जारी किया जा चुका है, जिसमें से ₹ 1.20 करोड़ खर्च हो चुके हैं और परियोजना को रोक दिया गया है तथा राज्य सरकार के आदेश के अनुसार पुनः डिज़ाइन किया जा रहा है।

विभाग का नाम	बजट भाषण संख्या	भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
उद्योग विभाग	91(I)	राज्य सरकार ने घोषणा की कि रीको औद्योगिक क्षेत्रों में एमएसएमई इकाइयों को सुविधा देने के लिए ₹ 200 करोड़ की लागत से सह-कार्यस्थल और कार्यशालाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2024) कि संशोधित योजना के अनुसार गोगेलाव में सह-कार्य स्थल की स्थापना के लिए रीको मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया था। हालाँकि, यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि उद्योगपतियों द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई।
	91(II)	राज्य सरकार ने घोषणा की कि राजसिको उद्यमियों की सुविधा हेतु ₹ 125 करोड़ की लागत से जयपुर में आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ 'विश्वकर्मा एसएमई टॉवर' विकसित करेगी।	विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2024) कि एमएसएमई टॉवर के लिए भूमि रूपांतरण रीको के साथ प्रक्रियाधीन है और विभाग को कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है।
युवा एवं खेल विभाग	46(I)	राज्य सरकार ने विभिन्न 27 खण्डों में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है।	विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2024) कि एक खण्ड में काम पूरा हो चुका है, 12 खण्डों में काम प्रक्रियाधीन है तथा 14 में से सात खण्डों में भूमि आवंटन के लिए जिला कलेक्टर को पत्र जारी कर दिया गया है।

ब. विगत वर्षो के बजट भाषण में की गई घोषनाओं के क्रियान्वयन का अभाव

विभाग का नाम	बजट भाषण वर्ष	बजट का अनु. सं.	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा कार्यान्वयन न होने के सूचित किए गए कारण
उद्योग विभाग	2020-21	94	राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 64 उप-मंडलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की ।	विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2024) कि 15 उप-मंडलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर दिए गए हैं, 10 उप-मंडलों में भूमि आवंटित कर दी गई है तथा शेष 39 उप-मंडलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना अभी लंबित है।
उद्योग विभाग	2022-23	49	राज्य सरकार ने दूसरे चरण में 32 उप-मंडलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है।	विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2024) कि 9 उप-मंडलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर दिया गया है, 10 उप-मंडलों में भूमि आवंटित कर दी गई है तथा शेष 13 उप-मंडलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना लंबित है।
परिवहन विभाग	2020-21	134	राज्य के प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क की स्थापना पर ₹16.50 करोड़ खर्च करने की राज्य सरकार ने घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया कि (अगस्त 2024) 33 जिलों में से 9 जिलों में भूमि विवाद/आवंटन नहीं होने या अन्य कारणों से काम शुरू नहीं किया जा सका।
परिवहन विभाग	2021-22	166	राज्य सरकार ने बस सेवा से वंचित लगभग 6000 ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2024) कि घोषणा का क्रियान्वयन अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि मामला राज्य सरकार के पास निर्णय के लिए लंबित है।
पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग	2017-18	65	राज्य सरकार ने मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण (एएसआई) की सहमति एवं साझेदारी से चित्तौड़गढ़ किला विकास प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2024) कि लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद अभी तक प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है।
कृषि विभाग	2021-22	72	राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आगामी वित्तीय वर्ष में पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सवाई माधोपुर, करौली, बीकानेर और दौसा जिलों में ₹ 200 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही मथानिया-जोधपुर में करीब ₹ 100 करोड़ की	विभाग ने बताया (नवंबर 2024) कि पाली में भूमि आवंटन निरस्त कर दिया गया है, जैसलमेर में भूमि उपलब्ध नहीं है तथा मथानिया-जोधपुर में भूमि आवंटन न होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। शेष जिलों में कार्य प्रगति पर है।

विभाग का नाम	बजट भाषण वर्ष	बजट का अनु. सं.	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा कार्यान्वयन न होने के सूचित किए गए कारण
			लागत से मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा।	
कृषि विभाग	2021-22	73	राज्य सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करने के लिए राशि रूपये ₹ 60 करोड़ की लागत से अगनावा-जोधपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2024) कि ₹20.74 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है और कार्य अभी भी प्रगति पर है।
कृषि विभाग	2022-23	147	राज्य सरकार ने घोषणा की कि आने वाले वर्ष में करावन (पचपहाड़)-झालावाड़, मांडल-भीलवाड़ा, खटोती (नदबई)-भरतपुर, कोटा, सोनवा-टोंक, बूंदी, बारां, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर और उदयपुर जिलों में राशि ₹ 220 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे । साथ ही चैनपुरा (निवाई)-टोंक में मिनी एग्रो पार्क बनाया जायेगा।	विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2024) कि सोनवा-टोंक में मिनी फूड पार्क में ₹ 50.01 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 33.34 करोड़ खर्च किए गए हैं। शेष मिनी फूड पार्कों के कार्यों की स्थिति विभाग द्वारा सूचित नहीं की गई है।
कृषि विभाग	2022-23	150	राज्य सरकार ने अधीनस्थ मंडी परिसर चांदन-जैसलमेर, लोहावट, आउ, देचुन-जोधपुर, पूगल-बीकानेर, हिंडोली-बूंदी, समरानिया, नाहरगढ़-बारां, रावतभाटा-चित्तौड़गढ़ और तुंगा-जयपुर में ₹100 करोड़ की लागत से बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2024) कि लोवाहट, पूगल, हिंडोली, नाहरगढ़ और तुंगा मंडी में काम पूरा हो चुका है और चांदन, आऊ, समरानियां में काम चल रहा है। हालांकि, देचू और रावतभाटा मंडी में कोई काम नहीं हुआ है।
राजस्व, उपनिवेशन एवं पूर्व सैनिक कल्याण विभाग	2022-23	121	राज्य सरकार ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके परिवारों को एक ही स्थान पर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जयपुर में सैनिक कल्याण भवन बनाने की घोषणा की है I. इसके लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था I	विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2024) कि राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग	2022-23	21	राज्य सरकार ने आयुष सुविधाओं (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी) से वंचित उन 19 ब्लॉकों में आयुष अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की । इन पर करीब ₹ 20 करोड़ खर्च किये जाने थे।	विभाग ने बताया (नवंबर 2024) कि 19 में से 16 ब्लॉकों में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। प्रत्येक ब्लॉक के लिए ₹ 45 लाख की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति नवंबर 2024 में जारी की गई।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2022-23	59	राज्य सरकार ने बेघरों के उत्थान एवं पुनर्वास नीति की घोषणा की। इस नीति के अंतर्गत आगामी वर्ष में ₹ 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था।	विभाग ने बताया (अगस्त 2024) कि नया बजट हेड खोलने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक बजट प्रावधान नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-3.8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.3; पृष्ठ 95)

व्यय का प्रवाह (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 के दौरान व्यय	2023-24 के दौरान कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2024	मार्च-2024
1.	03-ब्याज अदायगी	2049-03-104-02 अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज	128.14	128.14	128.21	99.94	99.94
2.		2049-05-105-01 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की जमा राशियों पर ब्याज-प्रतिबद्ध	299.47	299.47	299.47	100	100
3.		2049-60-101-01 ट्रस्ट निधि पर ब्याज- प्रतिबद्ध	125.87	125.87	127.09	99.04	99.04
4.		2049-60-101-04 राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड की जमा राशियों पर ब्याज	57.31	57.31	57.31	100	100
5.		2049-60-701 विविध	51.05	51.05	51.05	100	100
6.	04-सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	6003-106-04 उदय योजना के तहत जब्त बांड और गैर-एस.एल.आर. बांड जारी करना	4323.82	4149.95	6905.75	62.61	60.09
7.	06-विधि एवं विधिक मामलात विभाग	4059-80-051-03 सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)	62.45	56.83	92.10	67.81	61.72
8.	13-कोष एवं लेखा प्रशासन	2075-797-01 शीर्ष 8235-117 गारंटी मोचन निधि में स्थानांतरण -प्रतिबद्ध	906.03	906.03	906.03	100.00	100.00
9.	14-राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	2210-06-800-09 राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना 2021	522.12	131.72	912.13	57.24	14.44
10.	27-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	4210-02-110-01 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	179.19	54.39	318.28	56.30	17.09
11.	28-चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-11 नये मेडिकल कॉलेज	179.94	49.63	323.44	55.63	15.34
12.	30-जनजातिय क्षेत्र विभाग	2210-06-796-18 राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, 2021	120.00	300.00	210.00	57.14	14.29
13.		2217-80-797-03 राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास	198.17	198.17	198.17	100	100
14.		2236-02-796-01 एकीकृत बाल विकास सेवा विभाग के माध्यम से	190.41	15.96	209.41	90.92	07.62
15.		2401-196-07 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत जिला स्तरीय स्थापना व्यय हेतु	50.05	39.80	73.43	68.16	54.21
16.		2401-796-28 फसल बीमा (50% राज्य अंश: 50% केन्द्रीय अंश)	126.29	69.64	252.37	50.04	27.06
17.		2403-796-04 गोपालन विभाग	117.35	16.27	164.16	71.48	09.91
18.		2425-796-45 मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना	62.52	46.82	98.10	63.73	47.73
19.		2515-198-35 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य मूल अनुदान	195.63	59.83	345.39	56.64	17.32
20.		2801-80-796-12 विद्युत वितरण निगम को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान (टैरिफ अनुदान)	259.91	115.88	259.91	100	44.58

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 के दौरान व्यय	2023-24 के दौरान कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2024	मार्च-2024
21.	30-जनजातिय क्षेत्र विभाग	3054-80-797-02 राज्य सड़क विकास निधि में स्थानांतरण	426.14	426.14	426.14	100	100
22.		4210-02-796-05 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	57.71	34.92	83.94	68.76	41.61
23.		4225-02-796-11 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि के लिए योजनाएं(एससीए)	86.90	86.90	100.45	86.51	86.51
24.		4700-44-796-01 निदेशन एवं प्रशासन	161.03	116.77	205.28	78.44	56.88
25.		4700-45-796-01 निदेशन एवं प्रशासन	50.69	44.88	64.37	78.74	69.72
26.		4700-80-796-02 मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से	69.30	45.60	119.72	57.89	38.09
27.		4702-796-16 सौर ऊर्जा पर आधारित लघु सिंचाई परियोजना	57.95	44.73	62.94	92.06	71.07
28.	31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2235-02-102-10 बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से	53.32	15.92	83.30	64.01	19.11
29.		4235-02-800-04 वृद्धाश्रम भवन का निर्माण	55.00	55.00	110.00	50	50
30.	36-आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	2245-02-114-10 लघु एवं सीमांत किसानों को छोड़कर अन्य किसानों को फसलों के नुकसान के लिए कृषि आदान अनुदान	375.78	365.75	680.58	55.21	53.74
31.	40-स्वायत शासन विभाग	2217-05-800-01 स्मार्ट सिटी	98.00	98.00	98.00	100	100
32.		2217-80-797-03 राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास निधि	763.50	763.50	763.50	100	100
33.		2217-80-797-04 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएँ	68.69	68.69	68.69	100	100
34.		4217-60-051-09 अटल कायाकल्प और शहरी परिवहन मिशन (अमृत) 2.0	204.84	147.84	237.67	86.19	62.21
35.		5055-190-02 राजस्थान अवसंरचना परिवहन विकास निधि	311.47	207.72	622.72	50.02	33.36
36.	41-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4215-01-101-11 त्वरित शहरी जल आपूर्ति योजना	311.04	226.31	557.72	55.77	40.58
37.	42-जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	4700-04-001-09 लिफ्ट नहरों (स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का विकास) पर कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम (सी.ए.डी.डब्लू.एम.)	53.15	30.17	105.00	50.62	28.74
38.		3054-04-800-01 जिला सड़कों का रखरखाव और जीर्णोद्धार	63.12	41.50	116.11	54.36	35.74
39.		3054-04-800-02 ग्रामीण सड़कें	186.91	106.21	320.68	58.29	33.12
40.		3054-80-797-02 राज्य सड़क विकास निधि में स्थानांतरण	2313.42	2313.42	2313.42	100	100
41.		5054-04-337-19 पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य	269.92	269.92	269.92	100	100
42.	44-सार्वजनिक निर्माण विभाग	5054-04-800-22 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वित्त पोषित सड़कें	215.42	61.55	307.75	70	20
43.	46-कृषि विभाग	2401-110-02 फसल बीमा एजेंसी, कृषि विभाग के माध्यम से (50% राज्य हिस्सा: 50% केंद्रीय हिस्सा)	822.41	356.08	1501.09	54.79	23.72

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 के दौरान व्यय	2023-24 के दौरान कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2024	मार्च-2024
44.	46-कृषि विभाग	2401-196-06 जिला स्तरीय कृषि योजनाएँ	244.94	209.85	316.99	77.27	66.20
45.		2401-800-02 जल योजना के लिए अनुदान सहायता	96.99	96.59	96.99	100	99.58
46.	48-उद्यानिकी विभाग	2401-119-02 बागवानी का विकास	85.60	82.22	100.91	84.83	81.48
47.		2401-119-47 सूक्ष्म सिंचाई के लिए अतिरिक्त अनुदान (एम्.आई.एफ-नाबार्ड)	128.25	95.06	184.48	69.52	51.53
48.	50-सहकारिता विभाग	2425-107-20 सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता	75.44	75.44	75.44	100	100
49.		2425-107-25 कोर बैंकिंग	56.65	23.27	81.12	69.84	28.68
50.		2425-800-02 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणधारकों को ब्याज अनुदान	154.03	154.03	154.03	100	100
51.	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2210-06-789-13 राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, 2021	160.00	40.00	280.00	57.14	14.29
52.		2217-80-797-03 राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास निधि	149.82	149.82	149.82	100	100
53.		2401-196-08 विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजना	68.31	57.25	98.14	69.60	58.34
54.		2401-789-01 कृषि विभाग के माध्यम से	202.75	99.51	367.94	55.01	27.05
55.		2425-789-16 मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट	148.41	126.69	221.33	67.05	57.24
56.		2515-197-16 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत पंचायत समिति के लिए सामान्य मूल अनुदान	69.56	21.28	122.88	56.61	17.32
57.		2515-198-35 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य मूल अनुदान	260.84	79.78	460.53	56.64	17.32
58.		2801-80-789-12 विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान (टैरिफ अनुदान)	352.74	157.26	352.74	100	44.58
59.		3054-80-797-02 राज्य सड़क विकास निधि में स्थानांतरण	650.56	650.56	650.56	100	100
60.		4210-03-789-09 नए मेडिकल कॉलेज	59.51	59.40	117.55	50.62	50.54
61.		4217-60-789-12 प्रधानमंत्री आवास योजना	64.51	28.84	122.14	52.81	23.61
62.		4700-04-789-01 मुख्य अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से	56.01	35.87	107.83	51.95	33.36
63.		4700-32-789-01 निर्माण कार्य	67.39	31.50	109.79	61.38	28.69
64.		5054-03-789-16 पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य	56.49	56.49	56.49	100	100
65.		5054-04-789-13 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वित्त पोषित सड़क	55.92	15.98	79.88	70	20
66.		5054-04-789-20 पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य	61.87	61.87	61.87	100	100
67.	52- पंचायती राज विभाग	2501-05-196-07 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) वाटरशेड घटक	85.09	32.33	85.09	100	38

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2024 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2024 के दौरान व्यय	2023-24 के दौरान कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2024	मार्च-2024
68.	52- पंचायती राज विभाग	2515-196-39 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	56.86	17.29	84.59	67.21	20.44
69.		2515-196-43 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य मूल अनुदान	66.18	20.25	116.91	56.61	17.32
70.		2515-197-05 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के तहत पंचायत समिति के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12%)	152.52	13.44	152.52	100	8.81
71.		2515-197-16 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य मूल अनुदान	264.72	80.98	467.63	56.61	17.32
72.		2515-198-35 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के तहत ग्राम पंचायत के लिए सामान्य मूल अनुदान	992.62	303.60	1752.31	56.65	17.33
73.	54- ऊर्जा विभाग	2801-80-190-50 कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों से राहत प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सहायता	75.80	75.80	75.80	100	100
74.		2801-80-190-55 विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान (टैरिफ अनुदान)	1243.88	554.57	1243.88	100	44.58
75.	55- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-102-02 खाद्य वितरण	56.80	56.80	82.80	68.60	68.60
76.	58- खान विभाग	2853-02-797-03 खनन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन निधि के माध्यम से संचालित योजनाएँ	50.00	50.00	50.00	100	100
77.	60- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	3454-02-203-01 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	218.09	173.21	362.40	60.18	47.79
78.		5475-800-08 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	126.99	126.99	159.04	79.85	79.85
		कुल	**21947.57**	**16714.10**	**30153.21**		

परिशिष्ट 3.9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.4; पृष्ठ 97)

जेंडर बजट की योजनाओं जिनमें कोई व्यय नहीं हुआ

श्रेणी-अ योजनाएँ

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2023-24	कुल बजट प्रावधान में से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
01.	कॉलेज शिक्षा विभाग	राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना (2364)	1953.87	1953.87	0.00
02	डॉ. सम्पूर्णानंद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड एलाइड मेडिसिन	पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नियोनेटोलॉजी (2940)	2900.00	2900.00	0.00
03	प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर	बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय (35)	0.03	0.03	0.00
04.	परिवार कल्याण विभाग जयपुर	शुभलक्ष्मी योजना (2153)	4000.00	4000.00	0.00
		मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस योजना (3017)	0.06	0.06	0.00
05.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला) (1072)	2540.00	2540.00	0.00
06.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	नारी निकेतन भवन (1228)	1000.01	1000.01	0.00
		उज्ज्वला योजना (2557)	0.02	0.02	0.00
		कालीबाई भील मेधावी बालिका स्कूटी योजना (2822)	1156.14	1156.14	0.00
		अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास भवन का निर्माण (3037)	0.02	0.02	0.00
		अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास भवन का निर्माण (3040)	0.02	0.02	0.00
07.	महिला अधिकारिता विभाग	एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम (981)	0.10	0.10	0.00
		धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र (1765)	0.05	0.05	0.00
		वन स्टॉप केन्द्र (2493)	0.06	0.06	0.00
		चिराली योजना (2494)	0.06	0.06	0.00
		महिला शक्ति केंद्र (2702)	0.24	0.24	0.00
08.	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	कालीबाई भील मेधावी बालिका स्कूटी योजना (2822)	930.00	930.00	0.00
09.	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	जनजातीय कल्याण निधि के अंतर्गत माडा क्षेत्र के महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रोत्साहन (1567)	0.01	0.01	0.00
		जनजातीय कल्याण निधि के अंतर्गत माडा क्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रोत्साहन (1569)	0.01	0.01	0.00
		जनजातीय कल्याण निधि के अंतर्गत समूह क्षेत्रों में महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा उत्प्रेरक (1581)	0.01	0.01	0.00
		जनजातीय कल्याण निधि के अंतर्गत समूह क्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा उत्प्रेरक प्रदान किया गया (1582)	0.01	0.01	0.00
		सहरिया जनजाति के लिए एएनएम को प्रशिक्षण हेतु सहायता (1585)	0.01	0.01	0.00
		बिखरे हुए क्षेत्रों में महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा उत्प्रेरक (1600)	0.01	0.01	0.00
		बिखरे हुए क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा उत्प्रेरक (1601)	0.01	0.01	0.00
10.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	संपर्क केंद्र संचालन (2276)	264.03	232.35	0.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2023-24	कुल बजट प्रावधान में से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
11.	पुलिस विभाग	निर्भया फंड से संचालित योजना (2867)	0.02	0.02	0.00
12.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग	निर्भया फंड से संचालित योजना (2781)	1614.32	1452.89	0.00
	कुल		**16,359.12**	**16,166.01**	**0.00**

श्रेणी ब योजनाएं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2023-24	कुल बजट प्रावधान में से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
01.	साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर (03)	3. साक्षर भारत अभियान (1047)	0.06	0.04	0.00
02.	एसपी चिकित्सा महाविधालय एवं संबद्ध चिकित्सालय समूह, बीकानेर (04)	1 तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र (2607)	650.00	260.09	0.00
		2 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना (2608)	473.80	142.14	0.00
		3 पीएमएसवाई तहत चिकित्सा महाविधालय का उन्नयन तृतीय चरण (2699)	0.06	0.02	0.00
03.	आरएनटी चिकित्सा महाविधालय एवं संबद्ध चिकित्सालय समूह, उदयपुर (06)	अस्पताल कॉलेज, उदयपुर में अन्य व्यय (846)	225.01	106.56	0.00
		10. पीएमएसवाई तहत चिकित्सा महाविधालय का उन्नयन तृतीय चरण (2699)	735.03	348.11	0.00
04.	माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (13)	17. छात्र बीमा (1459)	0.03	0.01	0.00
		18. सांस्कृतिक शैक्षणिक भ्रमण (1460)	0.03	0.01	0.00
		19. मंत्रालय से संबंधित राज्य स्तरीय पुरस्कार (1462)	7.40	2.22	0.00
		20. लैपटॉप वितरण (1733)	0.03	0.01	0.00
		22. राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति (2316)	500.00	150.00	0.00
		27. नाबार्ड आरआईडीएफ XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य (2698)	0.07	0.04	0.00
		30. सहरिया क्षेत्र के छात्रों को वित्तीय सहायता (3025)	140.00	56.00	0.00
05.	तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर (15)	7. पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (1920)	11.53	3.46	0.00
06.	कृषि विभाग, जयपुर (18)	15. किसान सेवा केंद्र/ग्राम ज्ञान केंद्र का निर्माण (1671)	0.03	0.01	0.00
		25. कृषि में ई-गवर्नेंस योजना (2298)	30.00	9.00	0.00
		33. जैविक उत्पाद बोर्ड (3072)	500.00	150.00	0.00
		34. मोटे अनाजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र 3073)	0.03	0.01	0.00
		38. जैविक खेती के लिए सहायता (3099)	500.00	150.00	0.00
07.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर (28)	22. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पीपीपी मोड पर संचालन (2357)	0.03	0.01	0.00
		24. निरोगी राजस्थान (2838)	0.15	0.07	0.00
		27. मुख्यमंत्री निरोग मुक्त राजस्थान (3166)	117863.72	56574.59	0.00
08.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (29)	5. प्राथमिक विद्यालय (2170)	0.02	0.01	0.00
09.	मत्स्य विभाग (31)	1. नीली क्रांति एकीकृत विकास एवं मत्स्य प्रबंधन (2505)	18.14	6.53	0.00
		1 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (3008)	464.88	185.95	0.00
10.	जेएलएन चिकित्सा महाविधालय एवं संबद्ध चिकित्सालय समूह, अजमेर (33)	6 यूजी सीटों में वृद्धि (2609)	3691.10	1771.73	0.00
		7. द्वितीय चरण में मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा पीजी सीटों में वृद्धि (2725)	5300.00	2544.04	0.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2023-24	कुल बजट प्रावधान में से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
		8. केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से योजनाओं का संचालन (2929)	0.12	0.06	0.00
11.	एसजेईडी, जयपुर (43)	14. संबल गांवों का विकास (282)	950.00	285.00	0.00
12.	जनजाति क्षेत्रीय विभाग, उदयपुर (59)	16. अनुसूचित जनजाति कल्याण निधि के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण (1058)	14.60	2.92	0.00
		24. जनजाति कल्याण कोष के अंतर्गत सहरिया क्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा उत्प्रेरक उपलब्ध कराया जाएगा (1571)	0.02	0.01	0.00
		27. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन(1591)	0.10	0.03	0.00
13.	डीओआईटी एण्ड सी, जयपुर (68)	3. ई-संचार (1034)	312.03	93.61	0.00
		8. वाई-फ़ाई हॉट स्पॉट (2106)	0.06	0.02	0.00
14.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर (82)	1. विज्ञान और समाज (1437)	90.52	27.16	0.00
15.	स्थानीय निकाय निदेशालय, जयपुर (91)	स्वच्छ भारत मिशन (2335)	0.12	0.06	0.00
16.	अरबी फ़ारसी शोध संस्थान, टोंक (95)	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान, टोंक (112)	23.03	2.30	0.00
17.	श्रम विभाग, जयपुर (134)	1. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास (325)	9.01	4.50	0.00
		2. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (2476) के अंतर्गत सुविधा एवं सूचना केंद्र	4.99	2.50	0.00
18.	रोजगार सेवा विभाग एवं आर.एम.ओ.एल. (135)	1 रोजगार मेला (327)	507.01	202.80	0.00
		3. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (2777)	0.03	0.01	0.00
		4. संकल्प योजना (2778)	0.06	0.01	0.00
19.	जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, राजस्थान (140)	राजीव गांधी जल संचय योजना, (2753)	41500.00	10375.00	0.00
20.	तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जोधपुर (150)	मॉडल आई.टी.आई. में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन. (2284)	50.00	12.50	0.00
		9. स्ट्राइव (औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण) (2727)	1200.00	300.00	0.00
21.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर (175)	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर (810)	150.00	75.00	0.00
22.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर (208)	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर - द्वितीय चरण (1080)	11822.82	5911.41	0.00
23	एस.जी.एस.वाई. अनुभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर(217)	6. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (2475)	0.06	0.02	0.00
24.	एनआरएचएम, जयपुर (227)	राज्यव्यापी आपातकालीन रोगी वाहन सेवा (1050)	22080.00	9640.13	0.00
25.	राजस्थान वक्फ बोर्ड (229)	मदरसा स्कूल (43)	9000.01	3600.00	0.00
26.	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर (242)	2. स्वास्थ्य शिक्षा भवन (1190)	10.01	3.00	0.00
		6 तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र (2607)	2675.62	802.69	0.00
		7. यूजी सीटों में वृद्धि (2609)	4200.12	1260.04	0.00
		10. ट्रॉपिकल मेडिसिन और वायरोलॉजी संस्थान (2938)	0.04	0.01	0.00
		11. कार्डियोलॉजी संस्थान (2939)	0.06	0.02	0.00
27.	निदेशक, विशेष योग्यजन, जयपुर (244)	4 जिला पुनर्वास (336)	42.85	14.14	0.00
		6. दिव्यांगों के लिए खेल कार्यक्रम (338)	5.00	1.65	0.00
		विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप और लिफ्ट का निर्माण (2047)	200.01	66.00	0.00
		16. कुष्ठ गृह (2586)	7.00	2.31	0.00
		17 दृष्टिहीन शिक्षकों को प्रशिक्षण (2588)	2.00	0.66	0.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2023-24	कुल बजट प्रावधान में से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
		18. शारीरिक एवं मानसिक पीड़ितों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता (2589)	5.00	1.65	0.00
		21 आस्था योजना (2744)	1.00	0.33	0.00
28.	बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर (259)	2. क्रेच का संचालन (2543)	145.00	43.50	0.00
29.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा (260)	1. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा (2104)	180.01	45.00	0.00
		2. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों में निर्माण कार्य (3006)	220.00	55.00	0.00
कुल			**226519.46**	**95291.71**	**0.00**

परिशिष्ट 3.10

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.4; पृष्ठ 97)

योजनायें जहाँ बजट अनुमान में प्रावधान किए गए और संशोधित अनुमान में कम किए गए

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2023-24	संशोधित अनुमान 2023-24	किया गया वास्तविक व्यय	श्रेणी
1.	एस.पी. मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल समूह, बीकानेर (04)	10. तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र (2607)	260.09	0.00		बी
2.	आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल समूह, उदयपुर (06)	4. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में अन्य व्यय (846)	106.56	10.01	0.00	बी
		10. पी.एम.एस.वाई. के तहत तृतीय चरण में मेडिकल कॉलेज का उन्नयन (2699)	348.11	0.06	0.00	बी
3.	कॉलेज शिक्षा विभाग (07)	2. शासकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना (2364)	1,953.87	0.03	0.00	ए
4.	माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (13)	22. राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति (2316)	150.00	0.00	0.00	बी
5.	कृषि विभाग, जयपुर (18)	33. जैविक उत्पाद बोर्ड (3072)	150.00	0.00	0.00	बी
		38. जैविक खेती के लिए सहायता (3099)	150.00	0.00	0.00	बी
6.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (43)	5. नारी निकेतन भवन (1228)	1,000.01	0.01	0.00	ए
		11. कालीबाई भील मेधावी बालिका स्कूटी योजना (2822)	1,156.14	0.00	0.00	ए
7.	कमान क्षेत्र विकास विभाग (आईजीएनपी), बीकानेर (72)	1. मंडियों में सड़क निर्माण (619)	360.00	2.10	0.95	बी
8.	जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, राजस्थान (140)	राजीव गांधी जल संचय योजना, (2753)	10,375.00	11.25	0.00	बी
9.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर (175)	1. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर (810)	75.00	0.00	0.00	बी
10.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर (208)	1. आईजीएनपी, जैसलमेर द्वितीय चरण (1080)	5,911.41	0.00	0.00	बी
11.	राजस्थान वक्फ बोर्ड, जयपुर (229)	1. मदरसा स्कूल (43)	3,600.00	0.00	0.00	बी
12.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा (260)	2. अभियांत्रिकी महाविद्यालय /तकनीकी संस्थान का निर्माण कार्य (3006)	55.00	0.00	0.00	बी
		कुल	**25,651.19**	**23.46**	**0.95**	

परिशिष्ट 3.11

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.5; पृष्ठ 98)

कम व्यय वाली योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वर्ष 2023-24 के दौरान वास्तविक व्यय	उपयोग का प्रतिशत
01.	अल्पसंख्यक विभाग (58)	काली बाई भील मेघावी बालिका स्कूटी योजना (2822)	13.95	0.00	0.00
02.	बाल अधिकारिता विभाग (259)	शिशु गृह/क्रेच का संचालन (2543)	1.45	0.00	0.00
03	परिवार कल्याण विभाग (30)	शुभ लक्ष्मी योजना (2153)	40.00	0.00	0.00
04	प्रारंभिक शिक्षा विभाग (29)	सहारिया क्षेत्र के आदिवासी विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता (3029)	2.55	0.00	0.00
05		शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति (1486)	740.00	112.63	15.22
06		स्कूल चलो अभियान (2935)	229.20	13.45	5.87
07	माध्यमिक शिक्षा विभाग (13)	ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरण (1457)	140.00	29.12	20.80
08		मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि (1450)	100.00	23.12	23.12
09		राज्य के प्रतिष्ठित स्कूलों में आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने की सुविधा (3026)	27.30	3.69	13.52
10		आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग की प्रतिभाशाली छात्राओं को नकद पुरस्कार एवं स्कूटर वितरण योजना (2553)	8.70	1.02	11.72
11		व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (3063)	5.00	0.00	0.00
12		सहारिया क्षेत्र की आदिवासी छात्राओं के शैक्षणिक उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता (3025)	1.40	0.00	0.00
13	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (42)	प्रियदर्शिनी डे-केयर योजना (3200)	20.00	0.00	0.00
14		राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना (सबला) (1072)	25.40	0.00	0.00
15	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (43)	काली बाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	11.56	0.00	0.00
16		छात्रावास में रहने वालों को साइकिल वितरण योजना (2541)	0.50	0.00	0.00
17		अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति और मासिक वृति (2529)	305.00	62.59	20.52
		कुल	**1,787.01**	**245.62**	

परिशिष्ट 3.12

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.4.6; पृष्ठ 107)

पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत अनियमित प्रावधान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	व्यय	समर्पण/ पुनर्विनियोजन
1	28	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105- एलोपैथी 13- तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र 02- झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज 17- प्रमुख निर्माण कार्य 18- मशीनरी एवं उपकरण/औजार एवं संयंत्र	0.04	0.00	0.04
2	28	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105- एलोपैथी 15- यूजी सीटों में वृद्धि 04- झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज 17- प्रमुख निर्माण कार्य 18- मशीनरी एवं उपकरण/उपकरण एवं संयंत्र	0.04	0.00	0.04
3	28	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105- एलोपैथी 15- यूजी सीटों में वृद्धि 05- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर 17- प्रमुख निर्माण कार्य 18- मशीनरी एवं उपकरण/औजार एवं संयंत्र	0.04	0.00	0.04
4.	28	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105- एलोपैथी 15- यूजी सीटों में वृद्धि 06- नये मेडिकल कॉलेजों हेतु पूंजीगत व्यय 17- प्रमुख निर्माण कार्य	1170.02	0.00	1170.02
5.	28	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105- एलोपैथी 27- स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 01- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर 17- प्रमुख निर्माण कार्य	0.02	0.00	0.02
6.	30	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03- तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र 02- झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज 17- प्रमुख निर्माण कार्य 18- मशीनरी एवं उपकरण/औजार एवं संयंत्र	361.19	0.00	361.19

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	व्यय	समर्पण/ पुनः उपयुक्त
7.	30	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 05- यूजी सीटों में वृद्धि 04- झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज 17- प्रमुख निर्माण कार्य	0.04	0.00	0.04
8.	51	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 789- अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संघटक योजना 03- तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र 02- झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज 17- प्रमुख निर्माण कार्य 18- मशीनरी एवं उपकरण/औजार एवं संयंत्र	476.95	0.00	476.95
9.	51	4210- चिकित्सा एवं सार्वजनिक लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 789- अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संघटक योजना 05- यूजी सीटों में तेजी 04- झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज 17- प्रमुख निर्माण कार्य 18- मशीनरी एवं उपकरण/औजार एवं संयंत्र	0.04	0.00	0.04
		कुल	**2008.38**	**0.00**	**2008.38**

परिशिष्ट 4.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.3; पृष्ठ 125)

राज्य कार्यकारी अभिकरणों को सीधे ही हस्तांतरित निधियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	भारत सरकार की योजनाएं	कार्यकारी अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी
	नियंत्रकः कृषि		
1.	कृषोन्नति योजना	कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड एंव राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	24.95
2.	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	सहकारिता विभाग राजस्थान	4,163.46
3.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय	5.09
	नियंत्रकः नाभिकीय उर्जा		
4.	अन्य संस्थानों को अनुदान	भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, जोधपुर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	1.20
	नियंत्रकः वाणिज्य		
5.	शुल्क वापसी योजना	एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड.	1.89
6.	निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस)	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड जयपुर	0.89
	नियंत्रकः संस्कृति		
7.	शताब्दी और वर्षगांठ, समारोह और योजनाएँ	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर और गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	0.46
8.	कला संस्कृति विकास योजना	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर और गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	0.71
	नियंत्रकः वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय		
9.	रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति-से-व्यापारी) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना	एयू स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड	4.09
	नियंत्रकः उर्वरक		
10.	आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	2,538.38
11.	स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	679.68
12.	स्वदेशी यूरिया के लिए भुगतान	निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	12,131.24
	नियंत्रकः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		
13.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना	निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	28.57
	नियंत्रकः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		
14.	आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी.एम.जे.ए.वाई.)	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन अभिकरण	625.10
15.	रक्त संक्रमण सेवाएँ	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	3.00
16.	राष्ट्रीय एड्स और एस.टी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	26.99
17.	राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी और आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन	2.51
	नियंत्रक : उद्योग		
18.	जूते चमड़ा और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम (एफ.एल.ए.डी.पी.)	निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	17.34
19.	सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर	5.94
20.	क्रय और विपणन सहायता योजनाएँ	निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	4.39
21.	स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना	पिलानी नवाचार एवं उद्यमिता विकास समिति और निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	8.47
	नियंत्रकः विधि और न्याय		
22.	ई-कोर्ट चरण II	रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय	25.12

क्रम संख्या	भारत सरकार की योजनाएं	कार्यकारी अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी
	नियंत्रक: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय		
23.	जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यु.एस.एम.), जयपुर, राजस्थान	251.07
	नियंत्रक: मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय		
24.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड	75.38
25.	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम	राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	37.59
26.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड	2.50
	नियंत्रक: अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय		
27.	पी.एम. विकास प्रतिबद्ध देनदारियां (विरासत का संवर्धन)	निजी क्षेत्र की कंपनियां और गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	6.09
	नियंत्रक: कपड़ा मंत्रालय		
28.	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश (रीको लिमिटेड) निगम लिमिटेड एंव निजी क्षेत्र की कंपनिया	12.16
29.	एकीकृत ऊन सुधार एवं विकास कार्यक्रम	केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर	11.28
	नियंत्रक: सड़क परिवहन और राजमार्ग		
30.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	निजी क्षेत्र कंपनिया	77.49
31.	अनुसंधान प्रशिक्षण और अध्ययन तथा अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन विभाग राजस्थान, जयपुर और गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	4.90
32.	सड़क विंग के तहत कार्य	उपखंड अधिकारी झुंझुनू, भूमि अधिग्रहण और निजी क्षेत्र की कंपनियों के सक्षम प्राधिकारी	268.99
	नियंत्रक: ग्रामीण विकास		
33.	भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	राजस्थान भू-आधुनिकीकरण सोसायटी, जयपुर	11.50
34.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	राज्य रोजगार गारंटी निधि, जयपुर	6,545.71
35.	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया का सुद्रढीकरण	इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर	2.28
	नियंत्रक: सामाजिक न्याय और अधिकारिता		
36.	अटल वयो अभ्युदय योजना	गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	3.50
37.	दवा की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	9.91
38.	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी.एम.-ए.जे.ए.वाय.)	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	7.50
39.	लक्षित क्षेत्र के उच्च विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना (एस.आर.ई.एस.एच.टी.ए.)	गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	12.87
40.	विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजना	निदेशक, विशेष रूप से अक्षम व्यक्ति निदेशालय	5.75
	नियंत्रक: जल संसाधन		
41.	अटल भूजल योजना	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, भूजल विभाग	144.62
42.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर	28.66
	नियंत्रक: युवा मामले और खेल		
43.	खेलो भारत	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर	14.49
44.	राष्ट्रीय सेवा योजना	राजस्थान राज्य एन.एस.एस. प्रकोष्ठ	8.75
45.	एक करोड़ से कम की योजनाएं (विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत)।		1.23
		योग	**27,843.69**

परिशिष्ट 4.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 130)

31 मार्च 2024 तक बकाया सारांशिकृत आकस्मिक बिलों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	नियंत्रण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष	वर्ष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	राशि
1	--	2202	1990-91	सहायक निदेशक, डाइट, जालौर	₹30,000
2	पंजीयक, राजस्व मंडल, अजमेर	2029	2021-22	उप पंजीयक, राजस्व मंडल अजमेर	50.00
3	निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर	2204	2021-22	प्रशासनिक अधिकारी, एन.सी.सी. मुख्यालय, जयपुर	4.30
4	उप. महानिदेशक, एन.सी.सी., राजस्थान, जयपुर	2204	2023-24	कमांडिंग अधिकारी तृतीय राज नौसेना इकाई, एन.सी.सी., जयपुर	1.17
				7 राज. स्वतंत्र कंपनी एन.सी.सी., जयपुर	0.46
				4 राज एयर स्कवार्डन एन.सी.सी., जोधपुर	0.80
				कमांडिंग अधिकारी प्रथम, राज आर्मर्ड स्कवार्डन एन.सी.सी., जयपुर	0.73
				कमांडिंग अधिकारी, 7 एन.सी.सी. गर्ल्स, कोटा	1.17
				कमांडिंग अधिकारी, 7 एन.सी.सी. गर्ल्स, कोटा	0.11
				एन.सी.सी. 3, अलवर	0.43
				कमांडिंग अधिकारी, तृतीय राज नौसेना इकाई, एन.सी.सी., जयपुर	1.17
				7 राज. स्वतंत्र कंपनी एन.सी.सी., जयपुर	0.13
				कमांडिंग अधिकारी, राज स्वतंत्र. एन.सी.सी. बाड़मेर	2.68
				एन.सी.सी. 3, अलवर	1.71
				कमांडिंग अधिकारी, 2 राज. नौसेना इकाई, एन.सी.सी., अजमेर	3.29
5	उप. महानिदेशक, एन.सी.सी., राजस्थान, जयपुर	2204	2022-23	एन.सी.सी. 3, अलवर	2.17
6	निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर	3425	2023-24	परियोजना निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	0.55
7	प्राचार्य, सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4210	2022-23	विभागाध्यक्ष एवम आहरण एवं संवितरण अधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	500.00
				विभागाध्यक्ष एवम आहरण एवं संवितरण अधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	1,000.00
8	प्राचार्य, डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	4210	2022-23	प्रधान नियंत्रक, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	2,500.00
			2022-23		1,008.06
			2022-23		665.51
			2022-23		100.54
			2022-23		59.35
			2022-23		439.16
			2023-24	प्रधान नियंत्रक, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	164.58
9	आयुक्त, राहत विभाग, जयपुर	2245	2012-13	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, अलवर	103.50

क्रम संख्या	नियंत्रण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष	वर्ष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	राशि
10	उप सचिव, कैबिनेट सचिवालय, राजस्थान, जयपुर	2012	2023-24	वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर	2.70
11	महानिदेशक, पुलिस विभाग, जयपुर	2055	2023-24	जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर (42 ए.सी. बिल)	420.00
				अतिरिक्त एस.पी., एस.पी. बीकानेर के लिए (3 ए.सी. बिल)	30.00
				पुलिस अधीक्षक, बूंदी (5 ए.सी. बिल)	5.00
				अतिरिक्त एस.पी., दौसा (17 ए.सी. बिल)	165.00
				डीडीओ एस.पी. कार्यालय, धौलपुर (8 ए.सी. बिल)	8.00
				पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा (10 ए.सी. बिल)	100.00
				पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर (2 ए.सी. बिल)	8.00
				पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ (10 ए.सी. बिल)	55.00
				अतिरिक्त एस.पी, जयपुर (ग्रामीण)(1 एसी बिल)	10.00
				डी.डी.ओ., एस.पी. कार्यालय, करौली (15 ए.सी. बिल)	15.00
				पुलिस अधीक्षक, राजसमंद (3 ए.सी. बिल)	30.00
				अतिरिक्त एस.पी. (शहर), अजमेर (2 ए.सी. बिल)	24.45
				अतिरिक्त एस.पी., भरतपुर (10 ए.सी. बिल)	100.00
				पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर (7 ए.सी. बिल)	73.76
12	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर	2015	2023-24	जिला निर्वाचन अधिकारी, बूंदी (5 ए.सी. बिल)	17.11
				जिला निर्वाचन अधिकारी, धौलपुर (3 ए.सी. बिल)	51.57
				जिला निर्वाचन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (1 ए.सी. बिल)	10.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, डूंगरपुर (2 ए.सी. बिल)	63.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, सिरोही (1 ए.सी. बिल)	23.10
				जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़ (1 ए.सी. बिल)	4.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, पाली (4 ए.सी. बिल)	49.03
				जिला निर्वाचन अधिकारी, जालौर (1 ए.सी. बिल)	19.25
				जिला निर्वाचन अधिकारी, राजसमंद (3 ए.सी. बिल)	55.33
				जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर (9 ए.सी. बिल)	146.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, बांसवाड़ा (3 ए.सी. बिल)	30.00
13	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	2051	2016-17	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालिक चयन बोर्ड, जयपुर	2.00
	योग			**197**	**8,128.87**

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 132)

एसी बिल जिनमें महत्वपूर्ण/संपूर्ण राशि चालान के माध्यम से वापस जमा कराई गई

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	शीर्ष	ए.सी. बिल संख्या	ए.सी. बिल तिथि	ए.सी. बिल राशि	डी.सी. बिल राशि	चालान के माध्यम से जमा की गई राशि	चालान राशि का ए.सी. बिल राशि से प्रतिशत
1	2204-102-01-03	46000582	11.05.2023	18,422	18,422	18,422	100.00
2	3452-80-796-01-11	42880287	28.11.2022	30,000	30,000	30,000	100.00
3	2055-109-11-01-20	49047223	14.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
4	2055-109-11-01-20	49047237	14.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
5	2055-109-11-01-20	49049310	14.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
6	2055-109-11-01-20	49049085	14.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
7	2055-109-11-01-20	49129243	21.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
8	2055-109-11-01-20	49049305	14.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
9	2055-109-11-01-20	49049316	14.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
10	2055-109-11-01-20	49047260	14.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
11	2055-109-11-01-20	49136577	21.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
12	2055-109-11-01-20	49489479	08.12.2023	10,00,000	10,00,000	10,00,000	100.00
13	2055-109-11-01-20	49489704	08.12.2023	10,00,000	10,00,000	10,00,000	100.00
14	2055-109-11-01-20	49489171	08.12.2023	10,00,000	10,00,000	10,00,000	100.00
15	2055-109-11-01-20	49070285	16.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
16	2055-109-11-01-20	49070295	16.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
17	2015-106-01-57	49062748	16.11.2023	10,00,000	10,00,000	10,00,000	100.00
18	2015-106-01-57	48818658	04.11.2023	2,00,000	2,00,000	2,00,000	100.00
19	2055-109-11-01-20	49089990	17.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
20	2055-109-11-01-20	49090162	17.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
21	2015-106-01-57	48957298	08.11.2023	5,00,000	5,00,000	5,00,000	100.00
22	2015-106-01-57	48957309	08.11.2023	2,00,000	2,00,000	2,00,000	100.00
23	2015-106-01-57	48957314	08.11.2023	2,00,000	2,00,000	2,00,000	100.00
24	2015-106-01-57	48957327	08.11.2023	1,00,000	1,00,000	1,00,000	100.00
25	2204-102-01-02-29	49301117	28.11.2023	10,071	10,071	10,071	100.00

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 134)

31 मार्च 2024 तक निजी निक्षेप खातों में शेष राशि ₹ 100 करोड़ और अधिक को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पी.डी. खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम (डी.डी.ओ.)	कोषालय का नाम और कोड	राशि
1	6216	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधि	भीलवाड़ा(8)	126.45
2	3398	राजस्थान भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	जयपुर शहर (18)	945.48
3	3486	उप-प्रबंधक, राजस्थान राज्य को. ऑपरेटिव बैंक		632.01
4	561	प्रबंध निदेशक, जल आपूर्ति नागरिक प्रबंधन निगम		144.28
5	5815	राज. पुलिस आवास एवं निर्माण निगम		183.00
6	18820	पंचायती राज विभाग	जयपुर सचिवालय (21)	122.00
7	18941	पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम		195.28
8	19310	मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना		158.09
9	3792	निदेशक एवं परियोजना निदेशक, शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम		626.03
10	3798	एम.डी. एवं एफ.ए.,राज. राज्य पुल/सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		509.00
11	3821	जी.एम./एक्सई.एम., राज.राज्य सड़क परिवहन निगम		150.00
12	3824	एफ.ए./प्रबंधक वित्त, आर.आई.आई.सी.ओ. (रीको)		153.00
13	3988	निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान		410.00
14	3996	युवा बोर्ड		317.24
15	4008	राज.राज्य स्वास्थ्य सोसायटी,		414.00
16	5303	राज. शहरी इंफ्रा.वित्त.विकास.निगम (रुडीसको)		475.18
17	5304	जयपुर मेट्रो रेल निगम (जेएमआरसी)		146.00
18	5669	राज. चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड		488.00
19	5756	राज. राज्य विद्युत वित्त निगम लिमिटेड		610.25
20	592	एम.डी., राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड		948.40
21	6330	राज. मेडिकल शिक्षा सोसाइटी		213.40
22	6897	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी		143.00
23	1001	आयुक्त, टी.ए.डी.	उदयपुर शहर (38)	332.09
24	6215	डी.एम.एफ.टी., उदयपुर	उदयपुर ग्रामीण (41)	156.16
		योग		**8,598.34**

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 134)

वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न कोषागारों में संधारित निजी निक्षेप खातों में "शून्य" शेष रखने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	पी.डी. खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) का नाम	कोषागार का नाम और कोषागार कोड
1.	5166	डी.डी., डी.डब्लु.डी.ए. (आई.सी.डी.एस.)	अजमेर (01)
2.	6337	अति. जिला परियोजना अधिकारी	
3.	7016	सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेद	
4.	169	पी.ओ.,महिला अधिकारिता विभाग	अलवर(02)
5.	5033	प्रा. शिक्षा एवं लोन स्कॉलर राज ऋषि महाविद्यालय	
6.	5620	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
7.	6338	अति. जिला परियोजना अधिकारी	
8.	6736	सरकारी महाविद्यालय भास्कर, पालनगर, अलवर	
9.	18692	आर. जी. एच. एस.	बांसवाडा(03)
10.	4997	परियोजना निदेशक, डी. यू. डी. ए.	
11.	1242	जी. एम., बारां नागरिक सहकारी बैंक	बारां (04)
12.	18692	आर. जी. एच. एस.	
13.	538	जिला महिला विकास अभिकरण,	
14.	3375	परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग	बाड़मेर(05)
15.	6106	डी.ई.ओ.(प्राथमिक शिक्षा),बाड़मेर	
16.	18692	आर जी एच एस	ब्यावर(06)
17.	474	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	
18.	18692	आर. जी. एच. एस.	भरतपुर (07)
19.	1883	कार्यक्रम निदेशक, आर.एस.ए.जी.टी. एवं आर. सेंटर	
20.	2284	पी.डी., महिला अधिकारिता विभाग	
21.	474	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	
22.	6342	अतिरिक्त जिला परियोजना अधिकारी	
23.	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	भीलवाडा(08)
24.	6905	आर.यू.आई.डी.पी., भीलवाड़ा	
25.	879	परियोजना अधिकारी, महिला रोजगार विभाग (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)	
26.	18692	आर. जी. एच. एस.	बूंदी (10)
27.	5494	निदेशक, जिला (आई.सी.डी.एस.) महिला विकास एजेंसी ब्यूरो	
28.	1152	उप निदेशक, महिला बाल विकास	चित्तौडगढ (11)
29.	1205	पी.ओ., जिला महिला विभाग (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)	
30.	18692	आर. जी. एच. एस.	
31.	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
32.	2932	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)	चुरु (12)
33.	1771	उप निदेशक, महिला विकास (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)	दौसा (13)
34.	3017	परियोजना निदेशक (आई.सी.डी.एस.)	
35.	3059	जिला लघु बचत अधिकारी	
36.	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	

क्र.सं.	पी.डी. खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) का नाम	कोषागार का नाम और कोषागार कोड
37.	6693	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), दौसा	दौसा (13)
38.	474	एच.बी.ए. एस.बी.बी.जे.	धोलपुर(14)
39.	1295	परियोजना अधिकारी (एस.डब्ल्यू.डी.ए.) जिला महिला विकास अधिकारी	श्रीगंगानगर(16)
40.	6904	आर.यू.आई.डी.पी., श्रीगंगानगर	
41.	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	हनुमानगढ़(17)
42.	3489	अधीक्षक, चिकित्सा एवं पुनर्वास आरआरसी	जयपुर शहर(18)
43.	5619	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
44.	5823	राजकीय कॉलेज	
45.	6453	संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जयपुर	
46.	3762	सदस्य सचिव एवं निदेशक, औद्योगिक इंटरप्राइजेज, जहाज एवं प्रबंधन विकास संस्थान.	जयपुर सचिवालय(21)
47.	3799	एम.डी., राजस्थान स्टेट हैंडलूम सहकारी	
48.	3937	निदेशक, पेट्रोलियम विभाग	
49.	5880	राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद	
50.	6823	निदेशालय, यूनानी चिकित्सा विभाग राज. जयपुर	
51.	4422	परियोजना अधिकारी, (महिला) रोजगार विभाग	जैसलमेर(22)
52.	5591	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
53.	6699	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), जालोर	जालोर(23)
54.	18692	आर. जी. एच. एस.	झुन्झुनू(25)
55.	6701	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), झुंझुनू	
56.	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	जोधपुर शहर(26)
57.	6359	अतिरिक्त जिला, प्रो. कं	
58.	4352	उप निदेशक, आई.सी.डी.एस. एवं परियोजना निदेशक. जिला महिला विकास अभिकरण	करोली(28)
59.	6360	अतिरिक्त जिला प्रो. कं	
60.	5688	जिला आयुर्वेद अधिकारी	कोटा(29)
61.	6361	अतिरिक्त जिला. प्रो. कं	
62.	18692	आर. जी. एच. एस.	नागौर (30)
63.	6705	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.) नागौर,	
64.	6706	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), पाली	पाली(31)
65.	6903	आर.यू.आई.डी.पी., पाली	
66.	18692	आर. जी. एच. एस.	राजसमन्द (33)
67.	5596	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
68.	1722	उप निदेशक (सी.डी.), आई.सी.डी.एस./जिला महिला विकास अभिकरण	सवाई माधोपुर(34)
69.	6907	आर.यू.आई.डी.पी., सवाई माधोपुर	
70.	1575	परियोजना निदेशक (डी.डब्ल्यू.डी.ए.), जिला महिला विकास अभिकरण	सीकर (35)
71.	6710	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), सीकर	
72.	6368	अतिरिक जिला प्रो. क.	उदयपुर शहर (36)
73.	6711	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), सिरोही	
74.	6370	अतिरिक्त जिला प्रो.क.	

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़), राजस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

परिशिष्ट 4.6

(संदर्भ अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 136)

वर्ष 2022-2024 के दौरान निजी निक्षेप खातों के गैर-परिचालन का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	वर्ष 2022-24 के दौरान शेष	आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बताये गये कारण
01.	उपभोक्ता वाहन ऋण का पुनर्भुगतान	अजमेर (01)	0.02	खाता बंद
02.	उप निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी (डी.डब्ल्यू.डी.ए.) (आई.सी.डी.एस.)		0.00	खाता बंद
03.	प्राचार्य, शिक्षा एवं लोन स्कॉलर, राजऋषि कॉलेज	अलवर (02)	0.00	खाता बंद
04.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	खाता बंद
05.	परियोजना निदेशक, डी.यू.डी.ए.	बांसवाड़ा (03)	0.00	खाता बंद
06.	अध्यक्ष, एफ.एफ.डी.ए.		1.53	खाता बंद
07.	वन संरक्षक, बांसवाड़ा		3.71	खाता बंद
08.	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), बांसवाड़ा		6.32	खाता बंद
09.	जी. एम., बारां नागरिक सहकारी बैंक	बारां (04)	0.00	खाता बंद
10.	कमिश्नर, श्रम शिविर और श्रम कल्याण अधिकारी		19.64	खाता बंद
11.	जिला महिला विकास अभिकरण		0.00	खाता बंद
12.	सुमित्रा देवी विश्वविद्यालय, राजपुर, बारां (राजस्थान)		75.01	खाता बंद
13.	परियोजना अधिकारी, महिला सशक्तिकरण विभाग	बाड़मेर (05)	0.00	खाता बंद
14.	सचिव, यू.आई.टी. (शहरी)		0.14	खाता बंद
15.	डी.ई.ओ. (प्रारम्भिक शिक्षा), बाड़मेर		0.00	खाता बंद
16.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	ब्यावर (06)	0.00	खाता बंद
17.	कार्यक्रम निदेशक,आर.एस.ए.जी.टी. एवं आर. केंद्र	भरतपुर (07)	0.00	खाता बंद
18.	कार्यक्रम निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग		0.00	खाता बंद
19.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.		0.00	खाता बंद
20.	संभागीय एस.ए.एन.एस.		0.48	खाता बंद
21.	डी.डी. (आई.सी.डी.एस.), महिला बाल विकास विभाग	भीलवाड़ा (08)	19.17	खाता बंद
22.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	खाता बंद
23.	परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग (डी.डब्लू.डी.ए.)		0.00	खाता बंद
24.	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), बीकानेर	बीकानेर (09)	0.52	खाता बंद
25.	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर		151.70	खाता बंद
26.	वित्त नियंत्रक, उपायुक्त, बीकानेर विश्वविद्यालय		14.60	खाता बंद
27.	निदेशक, जिला (आई.सी.डी.एस.), डी.डब्ल्यू.डी.ए. (महिला विकास प्राधिकरण)	बूंदी (10)	0.00	खाता बंद
28.	निदेशक (आई.सी.डी.एस.), जिला महिला विकास एजेंसी ब्यूरो		0.00	खाता बंद
29.	उप निदेशक, महिला बाल विकास	चित्तौड़गढ़ (11)	0.00	खाता बंद

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	वर्ष 2022-24 के दौरान शेष	आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बताये गये कारण
30.	परियोजना अधिकारी, जिला महिला विभाग (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)		0.00	खाता बंद
31.	उप वन संरक्षक (डी.एफ.ओ.)	चुरू (12)	0.40	खाता बंद
32.	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)		0.00	खाता बंद
33.	उप निदेशक, महिला विकास (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)	दौसा (13)	0.00	खाता बंद
34.	परियोजना निदेशक (आई.सी.डी.एस.)		0.00	खाता बंद
35.	जिला लघु बचत अधिकारी		0.00	खाता बंद
36.	आयुक्त, रोजगार आयोग एवं श्रम कल्याण कार्यालय		5.04	खाता बंद
37.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	खाता बंद
38.	प्राचार्य, राजकीय विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय		193.23	खाता बंद
39.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	धौलपुर (14)	0.00	खाता बंद
40.	अतिरिक्त उपा. कार्यक्रम समन्वयक		0.00	खाता बंद
41.	उप निदेशक, आई.सी.डी.एस. एवं पी.	डूंगरपुर(15)	16.46	खाता बंद
42.	पी.डी., जिला महिला विकास एजेंसी		0.00	खाता बंद
43.	एच.बी.ए., एच.डी.एफ.सी.		10.98	खाता बंद
44.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.50	खाता बंद
45.	परियोजना अधिकारी (एस.डब्ल्यू.डी.ए.), जिला महिला विकास अधिकारी	श्रीगंगानगर (16)	0.00	खाता बंद
46.	भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीकरणपुर,		80.26	वित्त विभाग की अनुमति से खाता पुनः खोला गया
47.	जिलाधीश, आयुर्वेद		0.06	खाता बंद
48.	जिलाधीश एवं अध्यक्ष मछली विकास एजेंसी, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़ (17)	23.04	खाता बंद
49.	भूमि उपस्कर अधिकारी एवं एस.डी.एम., नोहर		58.39	वित्त विभाग की अनुमति से खाता पुनः खोला गया
50.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.		0.00	खाता बंद
51.	महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य होटल निगम	जयपुर शहर (18)	0.12	खाता बंद
52.	अधीक्षक, चिकित्सा एवं पुनर्वास आर.आर.सी .		0.00	खाता बंद
53.	नया एम.सी.ए., एस.बी.बी.जे.		0.08	खाता बंद
54.	सरकारी महाविद्यालय		0.00	खाता बंद
55.	जिला कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण), जयपुर		1390.41	वित्त विभाग की अनुमति से खाता पुनः खोला गया
56.	नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.)	जयपुर टीओ पेंशन (19)	0.86	खाता बंद
57.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	जयपुर ग्रामीण (20)	0.21	खाता बंद
58.	सदस्य सचिव एवं निदेशक, इंदु. जहाजरानी एवं प्रबंधन	जयपुर सचिवालय (21)	0.00	खाता बंद
59.	महाप्रबंधक वित्त, सहकारिता विपणन फेड. लिमिटेड		243.56	खाता बंद
60.	एम.डी., राज. राज्य हथकरघा सहकारी समिति		0.00	खाता बंद
61.	एम.डी., भूमि विकास निगम		2826.86	खाता बंद
62.	निदेशक, पेट्रोलियम विभाग		0.00	खाता बंद
63.	राज. ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद		0.00	खाता बंद
64.	श्रम कल्याण अधिकारी, जैसलमेर	जैसलमेर (22)	10.00	खाता बंद

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	वर्ष 2022-24 के दौरान शेष	आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बताये गये कारण
65.	परियोजना अधिकारी (महिला), अधिकारिता विभाग		0.00	खाता बंद
66.	सचिव, यू.आई.टी.,		0.00	खाता बंद
67.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	खाता बंद
68.	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक		0.00	खाता बंद
69.	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.वी.ए.पी.), जैसलमेर		0.34	
70.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	जालौर (23)	0.12	खाता बंद
71.	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक		0.00	खाता बंद
72.	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), जालोर		0.00	खाता बंद
73.	सहायक निदेशक, बागवानी	झालावाड़ (24)	0.38	खाता बंद
74.	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक		0.21	खाता बंद
75.	परियोजना क्रियान्वयन इकाई रूईडीपी, झुंझुनू	झुंझुनू (25)	42.83	खाता बंद
76.	विशेष अधिकारी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	जोधपुर सिटी (26)	15.66	खाता बंद
77.	रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान		121.84	खाता बंद
78.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.		0.50	खाता बंद
79.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	खाता बंद
80.	एम.बी.एम. इंजीनियरिंग महाविद्यालय		0.01	खाता बंद
81.	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक		0.00	खाता बंद
82.	नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.)	जोधपुर ग्रामीण (27)	0.79	खाता बंद
83.	उप निदेशक, आई.सी.डी.एस. एवं परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण	करौली (28)	0.00	खाता बंद
84.	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग		6.13	खाता बंद
85.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	खाता बंद
86.	अधीक्षक, एम.बी.एस.एच.ओ.	कोटा (29)	21.94	खाता बंद
87.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	खाता बंद
88.	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक		0.00	खाता बंद
89.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	नागौर (30)	0.51	खाता बंद
90.	प्राचार्य, सरकारी महाविद्यालय, मंगलाना		7.68	खाता बंद
91.	मीरा यूनिवर्सिटी, मेड़तासिटी		0.14	खाता बंद
92.	श्रम कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ (32)	10.00	खाता बंद
93.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.12	खाता बंद
94.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.	राजसमन्द (33)	3.79	खाता बंद
95.	न्यू एम.सी.ए., ओ.बी.सी.		1.78	खाता बंद
96.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	खाता बंद
97.	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक		0.00	खाता बंद
98.	उप निदेशक (सी.डी.), आई.सी.डी.एस. एवं जिला महिला विकास एजेंसी (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)	सवाई माधोपुर (34)	0.00	खाता बंद
99.	उप निदेशक, आई.सी.डी.एस. एवं जिला महिला विकास एजेंसी (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)	सीकर (35)	7.83	खाता बंद
100.	आयुक्त, कर्मकार मुआवजा अधिनियम		5.29	खाता बंद

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	वर्ष 2022-24 के दौरान शेष	आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा बताये गये कारण
101.	परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास एजेंसी (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)		0.00	खाता बंद
102.	एचबीए, एसबीबीजे		0.48	खाता बंद
103.	परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए. (टी.ए.डी.)	सिरोही (36)	11.95	खाता बंद
104.	जिला पशुपालन अधिकारी		0.08	खाता बंद
105.	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आर.जी.ए.वी.पी.), सिरोही		0.00	खाता बंद
106.	अध्यक्ष, एफ.एफ.डी.ए.	टोंक (37)	25.02	खाता बंद
107.	एच.बी.ए,. एस.बी.बी.जे.	उदयपुर सिटी (38)	0.15	खाता बंद
108.	जिला आयुर्वेद अधिकारी		0.00	खाता बंद
109.	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक		0.00	खाता बंद
110.	अध्यक्ष, मत्स्य पालन विकास अभिकरण		0.89	खाता बंद
111.	एच.बी.ए.ऋण (पुराना 31.3.04)	ए.पी.ए.ओ. नई दिल्ली (39)	1.28	खाता बंद
112.	एच.बी.ए., एस.बी.बी.जे.		1.26	खाता बंद
113.	एच.बी.ए., एच.डी.एफ.सी.		6.09	खाता बंद
114.	एच.जे.एच.जे.		0.06	खाता बंद
115.	एच.बी.ए. ऋण की वसूली-एस.बी.बी.जे.	उदयपुर ग्रामीण (41)	0.03	खाता बंद
	योग		**5,448.48**	

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़), राजस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

परिशिष्ट 4.7

(संदर्भ अनुच्छेद 4.7; पृष्ठ 138)

लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
1.	2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	5.67	5.67	100.00
2.	2250- अन्य सामाजिक सेवाएं	49.29	96.38	51.15
3.	2425- सहकारिता	932.70	1,596.04	58.44
4.	2700-मुख्य सिंचाई	1,666.80	2,098.93	79.41
5.	2701-मध्यम सिंचाई	177.68	60.68	272.81
6.	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसन्धान	14.05	14.11	99.57
7.	3452-पर्यटन	56.77	87.50	64.88
8.	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01	100.00
9.	4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	120.98	125.27	96.58
10.	4236-पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	24.55	34.65	70.86
11.	4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	29.29	46.20	63.39
12.	4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	3.65	5.24	69.49
13.	5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	9.49	9.49	100.00
14.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	285.89	408.22	70.03
	योग	**3,376.82**	**4,588.39**	**73.59**

लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
1	0029-भू-राजस्व	325.60	469.38	69.37
2	0035-कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर	99.55	99.57	99.98
3	0056- जेल	0.29	0.26	110.94
4	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	148.29	283.65	52.28
5	0071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूली	105.92	161.49	65.59
6	0220-सूचना तथा प्रचार	0.10	0.10	100.00
7	0230-श्रम तथा रोजगार	773.12	793.33	97.45
8	0235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	58.60	64.46	90.92
9	0401 -फसल कृषि कर्म	8.40	11.79	71.26
10	0406-वानिकी एवं वन्य जीवन	93.85	139.77	67.15
11	0425-सहकारिता	16.58	21.30	77.83
12	0435-अन्य कृषि कार्यक्रम	12.45	18.10	68.78
13	0801-विद्युत	302.26	302.26	100.00
14	0851-ग्राम तथा लघु उद्योग	3.59	3.59	100.00
15	0852-उद्योग	1.25	1.25	100.00
16	1452-पर्यटन	1.71	1.71	100.00
17	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	161.50	222.98	72.43
	योग	**2,113.06**	**2,594.99**	**81.43**

परिशिष्ट 4.8

(संदर्भ अनुच्छेद 4.12; पृष्ठ 145)

विभिन्न विभागों में चोरी/हानि एवं दुर्विनियोजन के प्रकरणों का श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	चोरी/हानि के मामले		गबन /सरकारी सामग्री का दुरुपयोग		कुल	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	राजस्व	28	155.40	32	1,183.14	60	1,338.54
2	शिक्षा	74	115.51	61	5,415.26	135	5,530.76
3	चिकित्सा	19	318.39	38	509.66	57	828.05
4	पी.एच.ई.डी.	178	190.37	15	79.17	193	269.54
5	लोक निर्माण विभाग	3	1.41	16	462.33	19	463.74
6	सिंचाई	1	0.05	2	33.95	3	34.00
7	वन	3	26.42	2	77.32	5	103.75
8	भूजल	3	5.63	1	1.58	4	7.21
9	आई.जी.एन.पी.	6	12.56	5	69.73	11	82.29
10	न्याय	4	0.63	9	116.63	13	117.26
11	पुलिस	19	17.16	4	17.33	23	34.49
12	महिला एवं बाल विकास	0	0.00	3	6.05	3	6.05
13	स्थानीय स्वायत्त शासन	3	6.95	8	383.72	11	390.67
14	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	66	1,143.65	79	1,597.36	145	2,741.01
15	विविध	27	128.15	39	1030.16	66	1,158.31
	योग	**434**	**2,122.28**	**314**	**10,983.39**	**748**	**13,105.67**

परिशिष्ट 4.9

(संदर्भ अनुच्छेद 4.13; पृष्ठ 146)

स्वायत्त निकायों के प्रदर्शन को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	निकाय का नाम	सौंपे जाने की अवधि	अवधि जिस वर्ष तक लेखे प्राप्त हुए	अवधि जिस तक पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई	विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रस्तुति	बकाया लेखे
1	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर	नियमित लेखा परीक्षा	2022-23	2022-23	उपलब्ध नहीं	2023-24
2	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर	नियमित लेखा परीक्षा	2022-23	2022-23	उपलब्ध नहीं	2023-24
3	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर	नियमित लेखा परीक्षा	2022-23	2021-22	उपलब्ध नहीं	2023-24
4	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर	नियमित लेखा परीक्षा	2022-23	2021-22	उपलब्ध नहीं	2023-24
5	राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बी.ओ.सी.डब्लू.), जयपुर	नियमित लेखा परीक्षा	2017-18	2017-18	उपलब्ध नहीं	2018-19 से 2023-24
6	राजस्थान राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राजस्थान राज्य कैम्पा)	नियमित लेखा परीक्षा	2016-17 एवं 2017-18	2016-17 से 2017-18	उपलब्ध नहीं	2018-19 से 2023-24
7	राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, जयपुर (रेरा)	नियमित लेखा परीक्षा	2021-22	2021-22	19.01.2024	2022-23 2023-24
8	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग	नियमित लेखा परीक्षा	2022-23	2022-23	8.02.2024	2023-24

परिशिष्ट 4.10

(संदर्भ अनुच्छेद 4.13; पृष्ठ 146)

निकायों और प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्र जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए

क्र. सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिसका लेखा प्राप्त नहीं हुआ	पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदान (₹ लाख में)	पिछले वर्षों के दौरान किया गया व्यय (₹ लाख में)
	आयुर्वेद				
1	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2	2021-22 से 2022-23	11,236.84 (2020-21)	3,656.75
2	राजस्थान राज्य औषधीय पादप बोर्ड, जयपुर	2	2021-22 से 2022-23	1,007.67 (2020-21)	43.02
3	राजस्थान राज्य आयुष सोसायटी, जयपुर	2	2021-22 से 2022-23	21,781.89 (2020-21)	1,723.87
	गृह				
1	सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, मथानिया रोड, जोधपुर	3	2020-21 से 2022-23	441.09 (2019-20)	728.61
	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य				
1	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, जयपुर	1	2022-23	9,360.60 (2021-22)	3,763.68
2	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, जयपुर (एन.एच.एम.)	2	2021-22 से 2022-23	5,76,050.06 (2020-21)	2,90,318.80
3	अधिशासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), अजमेर	0	2021-22 से 2022-23	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (एन.एच.एम.) के समेकित रूप में प्राप्त लेखे के साथ।	यह व्यय राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (एन.एच.एम.) के समेकित लेखो में शामिल है।
4	अधिशासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), अलवर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
5	अधिशासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), बांसवाड़ा	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
6	अधिशासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), भरतपुर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
7	अधिशासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), बीकानेर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
8	अधिशासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), चित्तौड़गढ़	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
9	अधिशासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), चूरू	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
10	अधिशासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), जयपुर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
11	अधिशासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), जालौर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
12	अधिशासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), जोधपुर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
13	अधिशासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), कोटा	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-

क्र. सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिसका लेखा प्राप्त नहीं हुआ	पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदान (₹ लाख में)	पिछले वर्षों के दौरान किया गया व्यय (₹ लाख में)
14	अधिशासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), नागौर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
15	अधिशासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), सवाई माधोपुर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
16	अधिशासी अभियंता सिविल कार्य संभाग (एन.एच.एम.), सीकर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
17	अधिशासी अभियंता सिविल कार्य डिवीजन (एनएचएम), उदयपुर	0	2021-22 से 2022-23	-यथोपरि-	-यथोपरि-
18	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	1	2022-23	9,271.79 (2021-22)	7,575.24
19	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी, जयपुर	1	2022-23	1,72,993.83 (2021-22)	1,46,660.34
20	राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, जयपुर	1	2022-23	1,11,150.72 (2021-22)	16,099.43
	अल्पसंख्यक मामलात				
1.	राजस्थान राज्य हज समिति, जयपुर	1	2022-23	शुन्य (2021-22)	9.48
2.	राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर	2	2021-22 से 2022-23	11,276.04 (2020-21)	8,536.11
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग				
1	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	1	2022-23	2,777.85 (2021-22)	110.94
2	राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर।	1	2022-23	301.48 (2021-22)	298.73
3	राजस्थान एससी, एसटी वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	4	2019-20 से 2022-2023	1,000.00 (2018-19)	3,831.56
4	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर	2	2021-22 से 2022-23	120.70 (2020-21)	2439.37
	महिला एवं बाल विकास				
1	राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर	1	2022-23	304.68 (2021-22)	249.01
2	हितकारिणी महिला आंगनवाड़ी कामगार प्रशिक्षण केन्द्र, सिटी पैलेस, कोटा	3	2020-21 से 2022-23	7.50 (2019-20)	7.51
	योग	**30**			

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi